" महिलाओं के प्रति हिंसा का समाजशास्त्रीय अध्ययन "

(बुन्देलखण्ड संभाग के जनपद बाँदा के विशेष सन्दर्भ में)

समाजशास्त्र विषय में

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी-एच०डी०) उपाधि हेतु

शोध प्रबन्ध

2008-2009

निर्देशक

डॉ० आनन्द कुमार खरे

विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र

डी.वी. (पी.जी.) कालेज, उरई

शोधकर्ता

सौरभ चन्द्र सिंह

एम.ए., बी.एड.

समाजशास्त्र

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ०प्र०)

सेवा में, दिनांकः- 26/12/2008

कुलसचिव,
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
झाँसी।

विषयः- शोध प्रबन्ध जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचित करना है कि शोधार्थी सौरभ चन्द्र सिंह पुत्र श्री भोला सिंह ने समाजशास्त्र विषय में शीर्षक ***महिलाओं के प्रति हिंसा का समाजशास्त्रीय अध्ययन (बुन्देलखण्ड संभाग के जनपद बाँदा के विशेष संदर्भ में)*** मेरे निर्देशन में 200 दिन उपस्थित होकर शोधकार्य पूर्ण कर लिया है। शोधार्थी द्वारा उपर्युक्त शीर्षक से सम्बन्धित शोधकार्य पहले किसी अन्य के द्वारा नहीं किया गया है।

अतः शोध प्रबन्ध की चार प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि इनका मूल्यांकन कराये जाने की कृपा करें।

निर्देशक
डॉ० आनन्द कुमार खरे
विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र
डी०वी० (पी०जी०) कालेज
उरई (जालौन)
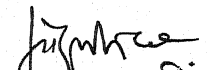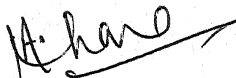
शोधकर्ता
सौरभ चन्द्र सिंह
एम०ए०, बी०एड०
समाजशास्त्र

प्रमाण पत्र
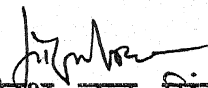
प्रमाणित किया जाता है कि सौरभ चन्द्र सिंह पुत्र श्री भोला सिंह ने समाजशास्त्र विषय में शीर्षक *महिलाओं के प्रति हिंसा का समाजशास्त्रीय अध्ययन (बुन्देलखण्ड संभाग के जनपद बाँदा के विशेष संदर्भ में)* विषय पर मेरे निर्देशानुसार शोधकार्य किया है। इनका यह कार्य बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अन्तर्गत निर्धारित अवधि (200 दिन की उपस्थिति) के अनुसार मेरे निर्देशन में पूर्ण हुआ है। वे बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की शोध परीक्षा की नियमावली के सभी उपबन्धों की पूर्ति करते हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध उनका पूर्णतया मौलिक प्रयास है। इस शोध प्रबन्ध का कोई भी अंश किसी अन्य विश्वविद्यालय में शोध उपाधि के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मैं शोध प्रबन्ध को मूल्यांकन हेतु अग्रसारित करता हूँ।

निर्देशक

डॉ० आनन्द कुमार खरे
विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र
डी०वी० (पी०जी०) कालेज
उरई (जालौन)

शोधकर्ता

सौरभ चन्द्र सिंह
एम०ए०, बी०एड०
समाजशास्त्र

आभार पत्र

इस नैसर्गिक धरा पर आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इस विकास की चरमावस्था के पीछे व्यक्ति के सृजनशील चिन्तन का ही हाथ है। अनेक क्षेत्रों के शोध के परिणामस्वरूप यह स्थिति देख रहे हैं। शोध के उपरान्त उन सम्बन्धित क्षेत्रों में उनका क्रियान्वयन ही वर्तमान के विकास की धारा को भविष्य की ओर बढ़ा रही है। चाहे वह विज्ञान, दर्शन, साहित्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक प्रगति का। इन शोधों के पीछे जिन मनीषियों, मार्गदर्शकों, सहयोगियों का हाथ है उनके लिए मैं नतमस्तक हूँ। प्रस्तुत शोध **"महिलाओं के प्रति हिंसा का समाजशास्त्रीय अध्ययन"** अध्ययन विषय में जिन मनीषियों ने सहयोग व प्रेरणा प्रदान किया है, उनके प्रति मैं नतमस्तक हूँ। इस दिशा में मैं सर्वप्रथम अपने शोध निर्देशक डॉ० आनन्द कुमार खरे के प्रति नतमस्तक हूँ, जिनकी सतत् प्रेरणा एवं मार्गदर्शन द्वारा मेरा शोध कार्य सम्पन्न हो सका है। समाजशास्त्र विभाग के अधिष्ठाता पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ० जसवन्त प्रसाद नाग, वर्तमान विभागाध्यक्ष डॉ. शिवशरण गुप्त "दादू" पं० जे०एन०पी०जी० कालेज बाँदा का जिनका सहयोगात्मक एवं स्नेहपूर्ण सानिध्य सदैव प्राप्त होता रहा है। इसके साथ ही डॉ० निर्मला शर्मा व डॉ० दिव्या चौधरी पं०जे०एन०पी०जी० कालेज, बाँदा को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे समय-समय पर अपने अमूल्य सुझावों के द्वारा मार्गदर्शन देकर शोध कार्य हेतु प्रेरित कर सम्बल प्रदान किया।

मैं अपने स्नेहीजन डॉ० विजय पाण्डेय प्रबन्धक स्व० कामता प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय, बदौसा, बाँदा एवं प्राचार्य डॉ० चन्द्रिका प्रसाद दीक्षित
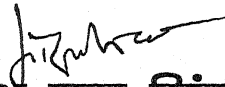
''ललित'', डॉ० इन्द्र नारायण त्रिपाठी प्रवक्ता (हिन्दी) स्व० कामता प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय, बदौसा, बाँदा, प्रवक्ता सुशील शुक्ला (समाजशास्त्र) संत विरागी बाबा महाविद्यालय मुइया घाटमपुर (कानपुर), प्रवक्ता ललित किशोर सिंह (अर्थशास्त्र), प्रवक्ता श्रीश त्रिपाठी (इतिहास), प्रवक्ता अरविन्द शुक्ला, प्रवक्ता ममता मिश्रा (संस्कृत), प्रवक्ता स्मिता पाण्डेय (हिन्दी), प्रवक्ता राजाभइया (समाजशास्त्र) आदि का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय-समय पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग एवं मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित किया।

मैं उन महापुरुषों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ऐसे साहित्य का सृजन किया है, जिससे मुझे सम्बन्धित साहित्य मिल सका है तथा मैं विभिन्न पुस्तकालयाध्यक्षों, विद्यालयों, प्रधानाध्यापकों साथ ही जनपद के पुलिस अधीक्षक आशुतोष कुमार एवं विभिन्न थानों के थानाध्यक्षों का आभारी हूँ, जिन्होंने शोध से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराने में सहयोग दिया है।

अब मैं अपने आत्मीयजनों, मित्रों, परिवारीजनों तथा सम्बन्धियों का आभारी हूँ, जिनमें अपने बहनोई डॉ० जागेश्वर सिंह व छोटी बहन श्रीमती रमा सिंह स०अ० का सानिध्य समय-समय पर मिलता रहा है।

मैं अपने बाबा श्री भैरम सिंह एवं दादी श्रीमती चन्द्रकली, नानी श्रीमती शिवकुमारी, पिताजी श्री भोला सिंह, माताजी श्रीमती सियासखी जिनके आर्थिक एवं भावनात्मक सहयोग से शोध कार्य को पूर्ण कर सका। व सभी चाचाओं को नमन व चरणबंदन करता हूँ तथा सभी भाईयों के साथ अपनी धर्मपत्नी श्रीमती आरती सिंह का भी मैं बहुत आभारी हूँ, जिनके स्नेहिल सहयोग एवं सुझावों से मेरा शोधकार्य सम्पन्न हो सका है।

अन्त में शोध कार्य को टंकित कर उसको मूर्त रूप प्रदान करने में **सर्वेश गुप्ता (माँ कम्प्यूटर) उरई जिला-जालौन** (उ0प्र0) के अथक परिश्रम एवं सहयोग के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा जिन्होने धैर्य के साथ इस कार्य को अन्तिम चरण तक पहुँचाने में मुझे अपना नैतिक सम्बल प्रदान किया।

(सौरभ चन्द्र सिंह)

शोधकर्ता

अनुक्रमणिका

अध्याय–1

प्रस्तावना

प्रस्तावना

मनु हों या हजरत मोहम्मद, ईसा हों या कृष्ण और राम, गाँधी हों या फिर जिन्ना, या हो पूर्ण सृष्टि सभी की जन्मदात्री है तो महिला ही, फिर भी कितनी व्यथित, दमित शोषित एवं उत्पीड़ित। आखिर क्यों? शायद इसलिए कि समाज के प्रारम्भ से ही महिलाओं ने पुरुषों को ईश्वर के रूप में मानकर उनके प्रति पूर्ण समपर्ण के साथ पुरुष द्वारा रोपित 'स्व' को स्वीकार किया, उसने स्वयं स्वीकारा कि वह पति के चरणों की दासी अर्धागिनी, उसकी मातहत, परिवार व बच्चों की पोषण कर्त्री के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, उसने समझा कि उसका सम्पूर्ण अस्तित्व पति और सन्तान तक ही सीमित है और यहीं से प्रारम्भ हुआ महिला दोहन तथा शोषण -

"रात भर पिटती रही, पत्थरों सी टूटती रही,
यह तेरी और तेरे बच्चों की खातिर
बोझ ढ़ोती रही, पत्थरों को तोड़ती रही
तन से टूटी विखरी मन से आहत पर
जख्मी हाँथों से तुझे रोटियाँ सेंकती रही
तू खा-पीकर किसी और के संग मदमस्त हो गया।
रात भर आंखों में तेरे आने की बाँट जोहती रही
तू ही उसका जीवन दाता और तू ही है भगवान
इसी फरेब को खाकर, जन्म जन्मान्तर तुझे पूजती रही।"[1]

महिला शब्द की उत्पत्ति ही पुरुष जीवन में महिला के स्थान व स्थिति, पद व प्रतिष्ठा कारण व कारक की सूचक है। पुरुष धर्म

---

1. डा० सबीहा रहमानी - भारतीय मुस्लिम महिला एवं सशक्तीकरण पेज-2 अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।

ही तो है जिससे महिलाएं ''महि'' अर्थात् धरा बनकर आधार देती है, आचार देती है, विलास देती है। महिला दो शब्दों से बना है। ''महि'' का अर्थ है ''उत्सव'' व ''इला'' अर्थात् जननी है। इस प्रकार महिला का पदार्पण पुरुष के जीवन में उत्सव के रूप में होता है। वह सुन्दर, शोभंकर सुकोमल आगाह रूप में पुरुष की शक्ति है। यह पुरुष को जनित, सेवित, पालित तथा रक्षित शक्ति है। महिला में साम है, कला है, सुगन्ध है, स्मिता है, मधु है, मकरन्द है, रास है, रंग है एवं अलंकार है।

अभी भी महिला ऐसी विवशता है जो पुरुष दम्भ व विलासता की फिसलन भरी राह में पड़ी तड़प रही है। सदियों से प्यासी महिला की प्यास मुट्ठीभर पानी से नहीं बुझाई जा सकती, पुरुष को चाहिए कि उसको प्रेम, स्नेह, सम्मान, समानता व न्याय की वर्षा से 'सरोवर' कर दे ताकि वह तृप्त हो सके।

एम०ए० अंसारी ने लिखा कि ''नारी एक ऐसी अभिव्यक्ति है, जिसमें सृजन की चेतना सुषुप्त सी रहती है, जरा-सा सम्बल दिया कि बस सृजन की धारा प्रस्फुटित हो चली। नारी अन्धकारों को चीरकर उभरती एक ऐसी आभा है, जो हजार-हजार पहलुओं से दीप्ति हो रही है। नारी एक ऐसी प्रज्ञा है जो युग व्यापी प्रत्येक समस्या को समाधान दे सकती है और नारी एक ऐसा पुरुषार्थ है जो असफलता के बीहड़ जंगल में सफलता के मोहक सुमन खिला सकती है। नारी एक ऐसी निष्कलंक कला है - ''जिसे कलंकित करने का प्रयास हर युग में हुआ, फिर भी नारी तेरा ही दूसरा नाम सृष्टि है।''[1] नौ महीने तक महिला जिस सावधानी और एकाग्रता से अपने गर्भ में शिशु को धारण करती है, उसी से धरती पर मानव सभ्यता का अस्तित्व बना हुआ है?

''प्रत्येक युग व समाज में महिला, पुरुष दम्भ व अहंकार की मानसिकता के कारण दमित व शोषित होकर रह गयी है। प्रत्येक समाज में महिलाओं के क्रिया-कलापों पर कई प्रकार के सामाजिक प्रतिबन्ध लगा दिये गये। मुस्लिम महिलाओं की निम्न दशा की वास्तविकता तभी उद्घटित हो सकती है जब मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का आंकलन इस्लाम, कुरान, शरीयत के आधार पर किया जाये। अर्थात् मानवीय आधार पर स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं है''[2]।

''सामाजिक विज्ञान की श्रृंखला में समाजशास्त्र अपेक्षाकृत एक नया विज्ञान है इसकी आधारशिला फ्राँस में रखी गई, किन्तु इसके कलेवर को सजाने संवारने में, प्रारम्भ में पश्चिम के देशों नें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस विज्ञान का सर्वाधिक विस्तार एवं प्रसार अमरीका में हुआ।''[3] यही कारण है कि कुछ टिप्पणीकारों ने तो इसे एक अमरीकी विज्ञान की संज्ञा दे दी। भारत के ज्ञान की इस शाखा की औपचारिक शुरुआत इस शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में सन् 1919 के आस-पास हुई। अन्य विज्ञानों की भाँति इसका अध्यापन भी लम्बे अर्से तक आंग्ल भाषा में होता रहा। स्वतंत्रता के बाद आंग्ल भाषा के प्रति बढ़ते हुए विमोह ने भारतीय भाषाओं विशेषतः हिन्दी भाषा में, विभिन्न विज्ञानों के साहित्य सृजन की विधा को प्रोत्साहित किया। समाजशास्त्र भी एक विज्ञान की शाखा है।

---

1. डा० सबीहा रहमानी - भारतीय मुस्लिम महिला एवं सशक्तीकरण पेज-17 अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटरर्स, नई दिल्ली।
2. मौलाना अब्दुल समद रहमानी - ''इस्लाम में औरत का मुकाम'' दीनी बुक डिपो, उर्दू बाजार, नईदिल्ली। पुष्ठ सं०-9.
3. हरीकृष्ण रावत - समाजशास्त्र विश्व कोष पेज नं०-1 (रावत पब्लिकेशन जवाहर नगर, जयपुर)।

सीमोन द बोउवार के अनुसार "स्त्री कहीं झुण्ड बनाकर नहीं रहती वह पूरी मानवता का आधा हिस्सा होते हुए भी पूरी एक जाति नहीं। गुलाम अपनी गुलामी से परिचित है और एक काला आदमी अपने रंग से पर स्त्री घरों, अलग-अलग वर्गों एवं भिन्न-2 जातियों में विखरी हुई है। उसमें क्रान्ति की चेतना नहीं, क्योंकि अपनी स्थिति के लिए यह स्वयं जिम्मेदार है। वह पुरुष की सह-अपराधिनी है। अतः समाजवाद की स्थापना मात्र से स्त्री मुक्त नहीं हो जायेगी समाजवाद भी पुरुष की सर्वोपरिता की ही विजय बन जायेगा।[1]

स्त्री अमीर हो या गरीब हो, श्वेत हो या काली अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। यह दुनिया पुरुषों ने बनाई पर स्त्री से पूछ कर नहीं। फ्राँस की राज्य क्रान्ति हो या विश्व युद्ध, स्त्री से पुरुष सहारा लेता है और पुनः उसे घर लौट जाने के लिए कहता है। वह सदियों से ठगी गई है। यदि उसने कुछ स्वतंत्रता हासिल भी की है तो उतनी ही जितनी कि पुरुष ने अपनी सुविधा के लिए उसे देना चाहा।

हिंसा समाज के बनाये और माने हुए रास्ते को तोड़ने का नाम है। हिंसा को कानूनी और समाजशास्त्री दो दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। कानूनी दृष्टि से हिंसा कानून का उल्लंघन है।

हॉल ज्यूरोम के अनुसार - अपराध कानूनी तौर पर वर्जित और साभिप्राय कार्य है जिसका सामाजिक हितों पर हिंसक और हानिकारक प्रभाव पड़ता है तथा जिसका उद्देश्य अपराधिक होता है और जिसके लिए कानूनी तौर पर दण्ड निर्धारित है।

---

1. स्त्री : उपेक्षिता (हिन्द पाकेट बुक्स) पेज नं०-19.

इलियट एवं मेरिल के अनुसार "ऐसा समाज विरोधी व्यवहार अपराध है जो किसी समूह विशेष द्वारा अस्वीकार किया जाता है तथा जिसके लिए समूह द्वारा दण्ड के निर्धारण की व्यवस्था होती है।"

हिंसा एक ऐसा व्यवहार है जो मानव सम्बन्धों की व्यवस्था में बाधा डालता है। अवैध क्रियाओं द्वारा आर्थिक अथवा अन्य उपलब्धियों का सहयोगात्मक प्रयासों द्वारा अर्जन को संगठित अपराध कहते है। इस प्रकार के अपराध नियोजित ढंग से अपराधी संगठनों द्वारा संचालित होते है।

समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल है और इन सम्बन्धों का निर्माता स्वयं मनुष्य है। सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य ही समाज में संगठन एवं व्यवस्था स्थापित करते हुए इसे प्रगति एवं गतिशीलता की दिशा में ले जाने हेतु प्रयत्नशील रहा है भारतीय समाज में मुख्यतः पिछले पचास वर्षो में अनेक परिवर्तन हुए हैं एवं परिवर्तन अब भी हो रहे हैं। किन्तु विचारणीय तथ्य यह है कि यह परिवर्तन कितने लाभदायक व तर्कसंगत है इनसे वास्तविक रूप में कौन लाभान्वित एवं परोपकारिता की श्रेणी में आ रहा है, इन परिवर्तनों की दिशा क्या है तथा भौतिकवादी आधुनिक समाज पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ रहा है। यद्यपि हम औद्योगिक, खनन तकनीकि, चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान, आंतरिक्ष विज्ञान एवं ज्योतिषि विज्ञान के अनेक सोपान तय कर चुके हैं परन्तु इसके बावजूद गरीबी एवं बेरोजगारी निरन्तर बढ़ रही है। आज भी हिंसा का बोलबाला है। हरिजनों कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों में उत्तरोत्तर बृद्धि हुई है। सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का दिन प्रतिदिन तीब्रगति

के साथ ह्रास हो रहा है। महिलाओं की अस्मत सुरक्षित नहीं है स्वयं रक्षकों द्वारा उसकी इज्जत को खतरा पैदा हो गया है। अपहरण, छेड़-छाड़, बलात्कार, अश्लील हरकतें व पति प्रताड़ना की घटनायें आम हो गयी हैं। पति पत्नी के झगड़ों एवं तलाक की दर में वृद्धि हो रही है। स्त्री शिक्षा के प्रसार के बावजूद दहेज की माँग निरन्तर बढ़ रही है दहेज लेने वाला तथा दहेज देने वाला दोनों ही अपराधी हैं तथा प्रतिदिन बहुत सी नवविवाहिताओं को विभिन्न हिंसक गतिविधियों द्वारा उनको दहेज की चिता पर जिन्दा जलाया जाता है। मद्यपान, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, आतंकवाद, बाल अपराध, जिस्मफरोशी का धंधा जैसे हिंसाओं एवं अनेक सामाजिक समस्याओं से समाज जूझ रहा है।

ये समस्यायें कोई व्यक्तिगत समस्यायें नहीं है बल्कि जनमानस को सामान्य रूप से प्रभावित करने वाली ये सामाजिक समस्यायें हैं जिनका सम्पूर्ण समाज एवं राष्ट्र पर बड़ी संख्या पर प्रभाव पड़ता है। अतः इनमें से किसी भी समस्या का अध्ययन सामाजिक समस्या की पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में किया जा सकता है।

सामान्यतः हिंसा को एक पुरुष प्रधान घटना माना जाता रहा है क्योंकि अधिकांश अपराध पुरुषों द्वारा किये जाते हैं। इस तथ्य ने लैंगिक सम्बन्धों और अपराध के बीच के सम्बन्धों के बारे में एक मौलिक प्रश्न को जन्म दिया है कि लैंगिक स्थिति किस प्रकार अपराध की प्रवृत्ति को जन्म देती है और इसे पुरुष प्रधान घटना बनाती है। इसी प्रश्न ने अपराधशास्त्र के नारी मूलक अपराध शास्त्र के नये क्षेत्र को जन्म देकर लैंगिक स्थिति सम्बन्धों के विषय की शुरुआत की है।

महिलाओं के प्रति हिंसा एक गम्भीरता का विषय है महिलाओं के शरीर का संचालन उनका जनन चक्र, उनका निजी और व्यक्तिगत जीवन तथा कामुकता खोजने का प्रयास किया गया इस सम्बन्ध में ***शूषन ब्राउन मिलर*** का एक महिलावादी विश्लेषण प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है जिसमें उन्होंने प्रतिपादित किया है कि महिलाओं के जीवन के नियंत्रण में बलात्कार के भय की एक केन्द्रीय भूमिका होती है।

महिलावादी अपराध शास्त्र का जन्म 1970 के दशक में हुआ। महिलाओं के प्रति हिंसा एक ''सामाजिक समस्या है। जो सामाजिक आदर्श का विचलन है जो सामूहिक प्रयत्न से ठीक हो सकता है।''[1] यह एक स्थिति है जो व्यक्तियों की एक बडी संख्या को अवांछनीय समझे जाने वाले तरीकों से प्रभावित करती है और यह सोचा जाता है कि सामूहिक सामाजिक क्रिया के द्वारा उसके बारे में कुछ किया जा सकता है।[2] अतः हिंसक समस्यायें सामाजिक आचार शास्त्र नैतिक शास्त्र एवं समाज द्वारा स्थापित आदर्शों के प्रतिकूल व्यवहार की अभिव्यक्ति है जो अवैधानिक और अवांछनीय समझे जाने वाले तरीकों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। भारत में जब तक सती प्रथा को लोग वांछनीय समझते थे, यह सामाजिक समस्या नहीं थी। जब राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा की समाप्ति की दिशा में पहल की क्योंकि यह महिलाओं के प्रति हिंसा है एवं उनकों जन समर्थन प्राप्त हुआ तभी से इस प्रथा की आलोचना प्रारम्भ हुई और एक सामाजिक समस्या के रूप में ध्यानाकर्षण का केन्द्र बनी। 4 सितम्बर 1987 को राजस्थान

---

1. Walsh, Mary E s Furtey, Paul H. Social Problems and Social Action, Prentice Hall, Englewood clliffs, New Jersey, 1961, P.-1
2. Harton, Paul Bsheslle, Gerald R, The Sociology and Social Problems Appleton century crofts, New York 1970, P.-4

के सीकर जिले के दिवराला गाँव में एक 21 वर्षीय राजपूत कन्या रूप कंवर अपने पति के साथ उसकी चिता में सती हो गई तो बड़े पैमाने पर इस प्रथा की भर्तसना की गई। परिणामतः "राजस्थान सरकार ने फरवरी 1988 में सती प्रथा के विरूद्ध एक कानून बनाया जिसके तहत किसी विवाहिता स्त्री को सती होने के लिए बाध्य करने वाले को सजा देने का प्रावधान है।"[1] इसी प्रकार प्राचीन समय में कन्या विवाह के समय माता-पिता द्वारा पुत्री को धन सम्पदा आदि के साथ विदा करना समाज द्वारा स्वीकृत था एवं यह सामाजिक समस्या की श्रेणी में नहीं आता था। कन्या हत्या, कन्या का जल्दी विवाह करना यह हिंसक गतिविधियों के परिणाम हैं। वर्तमान परिस्थितियों में महिलाओं के प्रति हिंसा समाज और राष्ट्र के लिए एक चिन्तन का विषय है यह स्थिति समाज में उनकी एक अपनी जन समस्या का रूप धारण कर चुकी है।

डाक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित "औरत" नामक उपन्यास में बताया है कि वर्तमान के मानव में मुद्रा, मदिरा, मत्स्य माँस एवं कामुकता की क्रिया दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं जो परिवार समाज एवं राष्ट्र के लिए अधिक घातक साबित सिद्ध हो सकता है।

अतः सामाजिक समस्याएँ इतिहास एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है तथा समाज के सभी खण्डों एवं वर्गो को प्रभावित करती हैं। इसलिए इनका अवलोकन सामाजिक विचारधारा, मूल्यों एवं संस्थानों के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए। साथ ही इनकी उत्पत्ति व कारणों को सामाजिक सन्दर्भ में खोजकर सामूहिक उपागम द्वारा इनके

---

1. माया - 'रूप कंवर दाह की न्याय गाथा' 30 नवम्बर 1996.

समाधान के प्रयास किया जाना चाहिए। महिलाओं के प्रति हिंसा वैदिक काल से वर्तमान काल तक होती रही हैं। वर्तमान समय में हिंसा के कई रूप हैं जो महिलाओं के जीवन को खोखला एवं निराधार बनाती है। यद्यपि विगत वर्षो में समाज वैज्ञानिकों का ध्यान कुछ प्रमुख सामाजिक समस्याओं की ओर आकृष्ट हुआ है। साथ ही इन समस्याओं के क्षेत्र, इनकी गम्भीरता एवं समाधान हेतु जनजागरूकता पैदा करने की दृष्टि से संचार माध्यमों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है किन्तु कुछ ज्वलन्त समाजिक समस्याएँ आज भी ऐसी है जो न केवल गहन अध्ययन, चिन्तन एवं शोध की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। बल्कि समाज की नैतिक एवं समाजिक प्रगति के समक्ष एक प्रश्न-चिन्ह प्रस्तुत करती है। इन समस्याओं में सर्वाधिक गम्भीर एवं सर्व प्रमुख समस्या है - महिलाओं के प्रति हिंसा का समाजशास्त्रीय अध्ययन।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की समस्या कोई नयी नहीं है जब से हमें सामाजिक संगठन एवं पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण मिलते हैं। तभी से भारतीय समाज में महिलायें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मानसिक पीड़ा, यौनशोषण, आर्थिक शोषण एवं हिंसा का शिकार होती आई हैं। वर्तमान सन्दर्भ में इनके स्वरूप व तीव्रता में परिवर्तन ही हुआ है एवं महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसाओं की दर में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है अतः महिलाओं के विरूद्ध अपराध की समस्या का वस्तु परक अध्ययन एवं मुक्ति युक्त विश्लेषण, परम्परागत सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उनकी स्थिति के सन्दर्भ में ही किया जा सकता है।

महिलाओं की स्थिति से तात्पर्य यह है कि एक समाज विशेष में महिलाओं का क्या स्थान है उन्हें पुरुषों से ऊँचा बराबर या नीचा

क्यों माना जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी संस्कृति में महिलाओं के प्रति पुरुषों का क्या दृष्टिकोंण है। साथ ही महिलाओं की स्थिति के निर्धारण में इस बात का भी विशेष महत्व है कि उन्हें कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तथा उनसे किन भूमिकाओं को अदा करने की आशा की जाती है। भारतीय भौतिकवादी समाज में जहाँ तक महिलाओं का सम्बन्ध है, ऐतिहासिक दृष्टि से उनकी स्थिति विभिन्न कालों में निम्न रही हैं।

"वैदिक युग में अन्य कालों व देशों की महिलाओं की तुलना में वैदिक कालीन महिलाओं को अधिक अधिकार प्राप्त थे, किन्तु यह भी सत्य है कि पितृ-सत्तात्मक समाज के ढाँचे के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार सीमित ही थे।"[1] "वेद कालीन समाज व्यवस्था पितृ-सत्तात्मक थी और सभी पितृ-सत्तात्मक परिवारों में प्रचलित परम्परानुसार वयोवृद्ध पुरुष ही परिवार के कुल पिता के अधिकार के साथ व्यवस्था करता था।"[2] "प्रायः पितृ सत्तात्मक परिवारों में आज भी और इस युग में भी कन्या का जन्म उल्लास का प्रसंग नहीं माना जाता था एवं पुत्र प्राप्ति के ही प्रयास होते रहते थे।"[3] वैदिक काल के वाद से महिलाओं के स्थान एवं पद में उत्तरोत्तर गिरावट प्रारम्भ हुई एवं उत्तर वैदिक काल एवं मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक निम्न हो गई उनके अधिकार छिनते गये और उन्हें परतंत्र, निःसहाय और निर्बल मान लिया गया।

"वैदिक काल के पश्चात सामाजिक विचारधारा और कानून की दृष्टि से समाज में महिलाओं के लिए पराधीनता सूचक विधि विधानों

---

1. देसाई नीरा - भारतीय समाज में नारी, 1982, पृष्ठ 25.
2. कापडिया के०एन० - हिन्दू किनशिप, पृष्ठ 82.
3. कापडिया के०एन० - हिन्दू किनशिप, पृष्ठ 86.

की नींव पड़ी।''[1] मनु स्मृति में सर्वप्रथम स्त्रियों की स्वतंत्रता पर वेद अध्ययन एवं यज्ञ करने से रोक दिया गया। कर्म काण्ड की जटिलता, पवित्रता की धारणा में वृद्धि तथा आर्यों का अनादि स्त्रियों के साथ अन्तर्जातीय विवाह के कारण महिलाओं को धार्मिक पारिवारिक व सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ''सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन के कारण शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति गिर गई।''[2] महिलाओं के प्रति हिंसा एक अपराध और अलोचनात्मक विषय है। कन्या का उपनयन संस्कार बन्द कर दिया गया तथा उसका समावेश विवाह विधि में ही कर लिया गया।

''वैवाहिक विधिः स्त्रीणां संस्कारों वैदिकः स्मतः पतिसेवा गुरों वासों गृहार्थोऽग्नि परिक्रियाः।''

अर्थात ''उपनयन संस्कार का हेतु विवाह विधि द्वारा सिद्ध हो जाता है, पति सेवा गुरु सेवा के समान है और गृहस्थी का कार्य यज्ञ के समान है। अतः महिलाओं को किसी अन्य धार्मिक कार्य तथा अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।''[3] इस प्रकार पति की आज्ञा पालन करना एवं पारिवारिक दायित्वों को निभाना ही महिलाओं का एक मात्र कार्य रह गया धर्म सूत्रों में बाल विवाह का निर्देश दिया गया तथा लड़की के रजश्वला होने के पूर्व ही उसका विवाह कर देने का प्राविधान है। विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। ***मनु स्मृति*** में पत्नी धर्म की व्याख्या करते हुए कहा गया है ''जो साध्वी स्त्री पति की मृत्यूपरान्त आविरल पवित्र आचरण करती है वह पवित्र पुरुष

---

1. देसाई नीरा - भारतीय समाज में नारी, 1982, पृष्ठ 7.
2. एन साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इण्डिया, वाल्यूम दो, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया पब्लिकेशन डिवीजन, इण्डिया 1968.
3. अल्तेकर ए०एस० पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन 1956, पृष्ठ 203.

की भाँति स्वर्ग प्राप्त करती है।''[1] महिलाओं की स्वतंत्रता एवं सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों पर भी अंकुश लगा। ''स्त्री सम्पत्ति की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती थी और उसका उपार्जित धन उसके पति या पिता के संरक्षण में जा सकता था। कन्या जन्म दुःख का विषय समझा जाता था महिलायें जातीय परिषदों या सभाओं में प्रवेश नहीं कर सकती थीं।''[2] इन तथ्यों से स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल के अन्तिम वर्षों में स्त्रियों के शोषण में वृद्धि हुई तथा उनके धार्मिक सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध के परिणाम स्वरूप उनकी स्थित में गिरावट आई है।

मध्यकाल के आते-आते महिलाओं की स्थिति का पूर्णतः ह्रास हो गया वह भोग-विलास की वस्तु समझी जाने लगी। इस समय विशेष रूप से भारत पर मुसलमानों के आक्रमणों एवं मुगलों के राज्य के बाद स्त्रियों की स्थिति में और गिरावट आयी। हिन्दू धर्म तथा संस्कृति की रक्षा के नाम पर महिलाओं पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये, उन्हें अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उनकी अनेक प्रकार से आलोचना होने लगी। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति हीन हो गयी परिवार में लड़की का जन्म अभिशाप समझा जाने लगा। माता-पिता कन्या को पराई सम्पत्ति मानकर उसके लालन-पालन में भेद-भाव करने लगे। 5-6 वर्ष की अबोध कन्याओं का विवाह किया जाने लगा। रक्त की शुद्धता बनाये रखने एवं महिलाओं के सतीत्व की रक्षा के उद्देश्य से बाल विवाह को विशेष प्रोत्साहन मिला। उल्लेख है कि ''गुप्त काल में बाल विवाह का प्रचलन अत्याधिक हो गया था। स्मृतियों के अनुसार

---

1. पिकहैम एम0-वीमेन इन दि सैक्रेड स्त्रिप्चर्स पृष्ठ 87.
2. लूनिया वी0एन0 भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास, 1955, पृष्ठ 67.

यौवनावस्था प्राप्त होने और रजश्वला होने से पूर्व ही कन्याओं के विवाह करने की पृथा हो चली थी। फलितः कन्याओं को अपने विवाह के सम्बन्ध में मत प्रकट करने का कोई अवसर ही नहीं था।"[1] "सामन्तों एवं कुलीन परिवारों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित हो गयी थी राजाओं द्वारा अनेक पत्नियाँ रखना आम बात थी। दहेज प्रथा का बोल बाला था। इस कारण बेमेल विवाह तथा कन्या वध प्रथा प्रारम्भ हुई। लोग वरमूल्य प्रथा की परेशानियों से बचने के लिये लोग नवजात कन्याओं की हत्या कर देते थे।"[2] इस काल में वैधन्य जीवन की यातनायें बढ़ने लगी विधवाओं के रहन-सहन पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये गये तथा विधवा महिलाओं के साथ कई प्रकार की हिंसक गतिविधियाँ होने लगी। विधवाओं को पुर्नविवाह का अधिकार नही था उनकी मुक्ति के लिए सती प्रथा तथा जौहर वृत जैसी अमानवीय एवं हिंसक रीतियां प्रचलित थी पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जीवन निरर्थक मानने वाले हिन्दू समाज तथा उसके विचारकों ने अपनी मान्यताओं को रिवाजों और परम्पराओं में परिवर्तित कर दिया अंगीरस और हरीश जैसे आचार्यो ने सती प्रथा का अनुमोदन किये।

साध्विनामिह नारीणामग्नि प्रदुपतनाते

नान्या धर्मोऽस्ति विज्ञेयो मृते र्मतरि कुत्रचित् !!

अर्थात सती साध्वी स्त्री के लिए तो अग्नी प्रवेश ही एक मात्र धर्म है इसका कोई दूसरा विकल्प तो हो ही नहीं सकता।"[1] पर्दा प्रथा का इस युग में कठोरता से पालन किया जाने लगा तथा स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर की चहार दीवारी तक सीमित कर दिया गया स्त्री शिक्षा

---

1. लूनिया बी०एन० भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, 1955, पृष्ठ 178
2. शर्मा कैलाश नाथ - भारतीय समाज संस्कृति तथा संस्थायें 1952, पृष्ठ 213

प्रतिबन्धित हो गयी उनका व्यक्तित्व व कृतित्व विघटित माना जाने लगा। स्वतंत्र रूप से पुरुषों के साथ धार्मिक संस्कारों में भाग नहीं ले सकती थी। ''स्त्रियों के ग्रहस्थ जीवन की मान्यताओं में भी वृद्धि हुई ग्रहस्थ जीवन में पतिव्रता स्त्रियों को एक आदर्श के रूप में चित्रित किया गया महिलाओं के लिए पति ही उसका परमेश्वर है जो सर्व सुख शान्ति-ईश्वर की अराधना से प्राप्त हो सकती है वहीं उपलब्धियों पति पूजा से प्राप्त होती हैं।''[2] ''पति भले ही खुलेआम अनीतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें किन्तु पत्नी को तो उसे देवता के समान ही समझना चाहिए। ''सती प्रथा के प्रचलन विधवा पुर्नविवाह पर प्रतिबन्ध पर्दापृथा के विस्तार एवं बहु-विवाह की व्यापकता ने स्त्री की स्थिति को बहुत गिरा दिया।''[3] इस प्रकार सामाजिक प्रथाओं, मान्यताओं एवं कुरूतियों में स्त्रियों की स्वतंत्रता को पूर्णतः प्रतिबन्धित कर उनके शोषण एवं अत्याचारों में तीब्र वृद्धि हुई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ब्रिटिशकाल में यद्यपि स्त्रियों की स्थिति सुधारने के प्रयत्न हुए तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती, ईश्वर चन्द विद्यासागर, राजाराम मोहन राय, महात्मा गाँधी आदि जैसे समाज सुधारकों ने भारतीय समाज में प्रचलित कुरीतियों एवं महिलाओं की निम्न स्थिति की ओर जन मानस का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया किन्तु इस सम्बन्ध में विदेशी हुकूमत की प्रत्यक्ष रुचि न होने से इन प्रयत्नों को खास सफलता प्राप्त नहीं हुई तथा महिलाओं की निर्योग्यताओं में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया।

---

1. पटेल तारा, भारतीय समाज व्यवस्था, पृष्ठ 274.
2. पदम पुराण, भाग1, 41-45, 41-70.
3. अल्तेकर ए0एस0, पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, 1956, पृष्ठ 359-60.

स्वतंत्रता के पश्चात इस दिशा में समाज सुधारकों के प्रयत्नों महिला आन्दोलनों, महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी अध्ययनों आदि के परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं उनकी सुरक्षा हेतु अनेक प्रयत्न किये गये। स्त्रियों की निर्योग्यताओं को दूर करने, उनके प्रति आत्याचारों एवं हिंसा की रोकथाम तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु अनेक अधिनियम पारित किये गये तथा नवीन कानूनों का सृजन किया गया। इन अधिनियमों एवं कानूनों ने सिद्धान्तः महिलाओं को सुरक्षा एवं समानता का अधिकार प्रदान किया किन्तु महिला साक्षरता की निम्न दर पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था परम्परावादी सामाजिक व्यवस्था तथा बनाये गये कानूनों की विसंगतियों एवं खामियों आदि के कारण इन कानूनों एवं प्रयत्नों की उचित व्यावहारिक परिणति न हो सकी तथा सैद्धन्तिक तौर पर महिलाओं को दी गई कानूनी समानता एवं व्यवहारिक समानता में अन्तर बना रहा। परिणामतः बनाये गये कानून महिलाओं की स्थिति और सुरक्षा की दृष्टि से अधिक प्रभावी भूमिका न निभा सके।

वास्तव में वर्तमान समय संक्रमण का समय है। इस समय सम्पूर्ण समाज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुँचने हेतु प्रयत्नशील है। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था भौतिकतावादी सोच, सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा संस्थात्मक परिवर्तनों आदि के कारण यद्यपि वर्तमान में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक गतिशीलता में वृद्धि हुई। किन्तु इस गतिशीलता ने महिलाओं के शोषण एवं उनके प्रति अपराधों एवं हिंसा के प्रकारों में वृद्धि हुई है।

आज समय की आवश्यकतानुसार महिलाओं की व्यावसायिक, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक सहभागिता में वृद्धि हुई है किन्तु इसका

प्रतिशत कम है तथा साथ ही कार्यशील महिलाएं आज एक नवीन आधुनिक प्रकार के शोषण की शिकार है। जिसके अन्तर्गत जहां पूर्व में उनका कार्यक्षेत्र घर की चार दिवारी तक सीमित था वहीं आज पुनः घर के पम्परागत कार्य तो करने ही पड़ते है साथ ही व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक दायित्वों का बोझ भी उठाना पड़ता है इतना ही नहीं गृहस्थी सम्बन्धी घर के बाहर के कामों का भार भी उन्हीं पर आन पड़ा है। जिससे अपनी इन दोहरी तिहरी भूमिकाओं के सफल निर्वाह में उन्हें भूमिका संघर्ष, मानसिक सन्ताप तथा पारिवारिक तनाव का सामना करना पड रहा है महिलाओं की आर्थिक सक्रियता में उनके प्रति अत्याचारों अपराध एवं हिंसा के अवसरों में भी वृद्धि की है। उनके सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों में कार्यशील महिलाएँ अपने नियोक्ता, सहभागी या अन्य पुरुष वर्ग द्वारा अश्लील छेड़-छाड़, यौन-शोषण, अत्याचार की शिकार है और इस शोषण एवं हिंसा में अशिक्षित महिलाएँ ही नहीं बल्कि उच्च्य शिक्षित महिलाएं भी शामिल है। आश्चर्य जनक तथ्य यह है कि सामाजिक लोक लाज आदि के भय से बहुसंख्यक महिलाएँ इस शोषण एवं हिंसा का विरोध नहीं कर पाती।

यद्यपि आज सैद्धान्तिक व संवैधानिक रूप से महिला-पुरुष में समानता स्थापित हो चुकी है किन्तु व्यावहारिक सत्यता के रूप में गर्भस्थ शिशु लिंग परीक्षण के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या के अनेक प्रकरण सामने आ रहे हैं। स्त्री शिक्षा के प्रति समाज का रुझान बढ़ा है किन्तु शिक्षित कन्या हेतु शिक्षित व योग्यवर एवं तद्नरूप अधिक दहेज, वैवाहिक कुसमायोजन आदि के रूप में इसके नकारात्मक परिणाम सामने

आ रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से महिलाओं की सहभागिता एवं सक्रियता में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु सरला मिश्रा व मधुमिता शुक्ला तथा ***नैना साहनी तन्दूर हत्याकाण्ड*** आदि प्रकरणों की भाँति अनेक ऐसी ज्ञात व अज्ञात घटानाएं जो महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता के कारण उनके प्रति होने वाले अपराधों का खुलासा करते हैं।

स्पष्ट है कि भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति तथा उनके प्रति शोषण हिंसा एवं अत्याचार की जड़े मुख्यतः यहां के पुरुष प्रधान समाज में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में विद्यमान है यही कारण है कि केवल अशिक्षित अपितु शिक्षित महिलाएं आज भी शोषण हिंसा एवं अत्याचार की शिकार हैं वे अपने समान सामाजिक स्थिति की प्राप्ति तो दूर उसकी सोंच से भी परे हैं। देश की अधिकांश महिलाएं अब भी कूप-मण्डूक है उन्हें न तो महिला आन्दोलनों का ज्ञान है, न प्रगति से परिचय है और न ही अपनी हीन दशा के प्रति असन्तोष। उनकी कर्म भूमि तो घर की चार दिवारी तक सीमित होकर रह गई है शोषण को स्वीकार करना सम्भवतः उन्होंने अपनी नियति मान लिया है यद्यपि संविधान में उनके हित उनकी सुरक्षा की दृष्टि से अनेक अधिनियम व कानून बनाये है किन्तु बहुत कम महिलाएँ ऐसी है जिन्हें इनकी पर्याप्त जानकारी है और जो इनसे परिचित भी है। वे भी इनका पर्याप्त लाभ नही उठा पाती है। स्वयं भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी अध्ययन हेतु बनी राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार ''सैद्धान्तिक रूप से जो कुछ स्त्रियों के लिए सम्भव है वास्तव में वे यदा-कदा ही उन तक पहुँच

पाती है।''[1] वास्तव में परम्परा गत पुरुष वर्ग आज भी महिलाओं पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है इसलिए वह सदियों से उपेक्षित एवं शोषित महिला वर्ग को व्यावहारिक दृष्टि से बराबरी का दर्जा देने हेतु स्वयं को मानसिक तौर पर तैयार नहीं कर पा रहा है। फलस्वरूप अधिकांश भारतीय महिलाएं सामाजिक प्रतिबन्धों तथा हिंसाओं में जकड़ी हुई है। पुरुष वर्ग के अत्याचार की शिकार हो रही हैं। यही कारण हैं कि पिछले दशकों में महिलाओं पर होने वाली हिंसा अत्याचारों ज्यादतियों तथा बलात्कारों आदि में आश्चर्यजन वृद्धि परिलक्षित हुई है। ''दहेज निरोधक अधिनियम के बावजूद दहेज, की बलिबेदी पर न जाने कितनी ललनायें और बेटियां कुर्बान हुई और कितनी ही बालायें और महिलायें नर पशुओं की वासना की शिकार हो रही है। आधुनिक सभ्य समाज का प्रणेता मनुष्य उच्च सामाजिक आदर्शो को भूलकर इस कदर चारित्रिक, मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक पतन की ओर अग्रसर है कि आज अपवाद स्वरूप ही सही किन्तु भाई द्वारा बहने, ससुर द्वारा बहू जेठ द्वारा अनुज पत्नी, पुत्र द्वारा सौतेली माँ एवं पिता द्वारा पुत्री के साथ बलात्कार एवं हत्या जैसी हिंसक जघन्य घटनाएँ सामने आ रही है।''[2]

''आये दिन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में छपने वाली तथा आस-पास घटित होने वाली महिलाओं के विरूद्ध हिंसक एवं क्रूर घटनाएँ रोगटे खड़े कर देती हैं। - ''छः सात वर्ष की मासूम बच्ची के साथ

---

1. भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति भारत में महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट का सार संक्षेप, अलाईड पब्लिशर्स, पृष्ठ 14.
2. दैनिक स्वदेश, ग्वालियर, दिसम्बर 4, 1994.

बलात्कार।''[1] ''अध्यापक द्वारा छात्रा के साथ छेड़-छाड़ एवं बलात्कार का प्रयास।''[2] ''स्वयं माँ-बाप द्वारा पुत्री को अनैतिक एवं जिस्म फरोशी धंधे के कार्य हेतु विवश करना।''[3] ''दहेज के कारण चार बहनों द्वारा फाँसी लगाकर सामूहिक आत्महत्या कानपुर नगर की।''[4] ''मजबूर एवं बेसहारा महिलाओं की सौदेबाजी एवं उच्च्य वर्ग द्वारा उनका शारीरिक शोषण।''[5]

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की निरन्तर बढ़ती हुई दर न केवल चिन्तनीय है बल्कि हमारी नैतिकता के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। तथा इस सन्दर्भ में गहन अध्ययन एवं शोध की आवश्यकता हेतु समाज शास्त्रियों को विवश करती है। इस व्यवस्था से प्रेरित होकर शोधकर्ता ने महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय बनाया। यद्यपि पूर्व में इस दिशा में अध्ययन हुए हैं किन्तु समस्या की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस सन्दर्भ में किये गये अध्ययन न केवल अपर्याप्त है। अपितु समस्या के किन्हीं विशिष्ट पक्षो तक ही सीमित है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन बुन्देलखण्ड सम्भाग के ***जनपद बाँदा के विशेष सन्दर्भ में हिंसा की शिकार महिला के अध्ययन पर आधारित है।*** अध्ययन का उद्देश्य भारतीय सामाजिक परिवेश में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा सामाजिक, आर्थित, धार्मिक एवं राजनीतिक भेद-भाओं की जड़ो को खोजना एवं हिंसा ग्रस्त महिलाओं की पुर्नस्थापना

---

1. दैनिक स्वदेश, ग्वालियर, दिसम्बर 4, 1994.
2. दैनिक पंजाब केसरी, दिल्ली फरवरी 3, 1993.
3. दैनिक भास्कर, ग्वालियर, अगस्त 16, 1996.
4. मनोरमा, अगस्त 15, 1997.
5. दैनिक भास्कर, ग्वालियर, मार्च 16, 1997.

एवं उनके संरक्षण एवं पुर्नवास हेतु सम्भावित आयामों का पता लगाना है। जिससे महिलाएँ आत्मसम्मान एवं इज्जत के साथ सुरक्षित अपना जीवन व्यतीत कर सकें और समाज की मुख्य धारा के साथ-साथ चल सकें।

अध्याय–2

शोध प्रचरना

शोध प्ररचना

''विज्ञान प्राकृतिक हो या सामाजिक दोनों में ही घटनाओं की व्यवस्था होती है। प्राकृतिक घटनाओं से सम्बन्धित विज्ञानों की विषय वस्तु की निश्चितता, नियमितता, प्रमाणिकता तथा सार्वभौमिक गुणों के कारण उनकी वैज्ञानिकता निर्विवादित है। किन्तु सामाजिक घटनाओं की अभूर्त प्रकृति, व्यक्तिनिष्ठता, जटिलता तथा सामाजिक घटनाक्रम की गतिशीलता एवं परिवर्तनशीलता आदि तथ्य। ''विश्वसनीय एवं प्रामाणिक निष्कर्ष में बाधक होते है।''[1] यही कारण है कि सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई जाती है किन्तु विषय वस्तु को विज्ञान न मानते हुए वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से निश्चित तार्किक एवं वस्तुनिष्ठ निष्कर्षो को प्राप्त करने की मान्यता के विकसित होने से सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन सम्भव हुआ है[2]।

''विज्ञान का सम्बन्ध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से।''[3] ''समस्त विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में निहित है न कि विषय वस्तु में।''[4] ''समस्त शाखाओं में वैज्ञानिक पद्धति एक ही है।''[5] अतः निरीक्षण परीक्षण प्रयोग और नवीनीकरण की वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं की जटिलता के बीच एक निश्चित प्रतिमान व क्रम देखा जा सकता है। तथा वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष प्राप्त किये जा सकते हैं।

वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति, विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है वैज्ञानिक

---

1. लुण्डबर्ग जॉर्ज ए0, सोशल रिसर्च, 1948, पृष्ठ 11.
2. चेस स्टुअर्ट, द प्रोपर स्टडी ऑफ मेन टाइम, 1956, पृष्ठ 6.
3. चेस स्टुअर्ट, द प्रोपर स्टडी ऑफ मेन टाइम, 1956, पृष्ठ 6.
4. पियर्सन कार्ल, द ग्रामर ऑफ साइन्स, 1911, पृष्ठ 10.
5. लुण्डवर्ग जॉर्ज ए0, सोशल रिसर्च, 1942 पृष्ठ 5.

दृष्टि से हम क्या अध्ययन करने जा रहे है यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह किस पद्धति से अध्ययन किया जा रहा है अतः किसी भी विषय या समस्या के सम्बन्ध में क्रमबद्ध, व्यवस्थित, एवं वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त करने हेतु वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। वैज्ञानिक पद्धति ही वह प्रशस्ति पत्र है जिस पर चलकर मानव सत्य के द्वार तक पहुँच सकता है। "सत्य तक पहुँचने के कोई संक्षिप्त पथ नहीं है। विश्व के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरना पडेगा।"[1] वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर तथ्यों का ठीक उसी रूप में अवलोकन संकलन तथा विश्लेषण किया जाता है जिस रूप में कि वह वास्तव में है। इस प्रकार के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता के बनाये रखना सम्भव हो पाता है।

अतः वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा अध्ययन में वैषयिकता लाने के लिए एक निश्चित क्रम में योजनाबद्ध तरीके से शोध का आयोजन करना आवश्यक होता है। इसी योजना की रूप रेखा को शोध की रूप रेखा या शोध प्ररचना कहते है। इसके अन्तर्गत शोधकर्ता द्वारा अध्ययन की आवश्यकता एवं उद्देश्य, अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन हेतु आवश्यक तथ्य एवं उनकी उपलब्धता, निर्देशन व इसके चयन का आधार तथा तथ्य संकलन की प्रविधि आदि के सम्बन्ध में अध्ययन के पूर्व निर्णय लिये जाते हैं अतः शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए शोध की प्रक्रिया को सरल उपयोगी एवं व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से शोध की प्ररचना को निम्न संघटकों में विभाजित किया है।

---

1. पियर्सन कार्ल, द ग्रामर ऑफ साइन्स, 1911 पृष्ठ 1.

शोध का विषय -

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का विषय *''महिलाओं के प्रति हिंसा का समाज शास्त्रीय अध्ययन (बुन्देलखण्ड सम्भाग के जनपद बाँदा के विशेष सन्दर्भ में) है।''* इसके अन्तर्गत हिंसा की शिकार हुई महिलाओं से हिंसा के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य -

प्रत्येक वैज्ञानिक शोध के मूल्य में कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मोटे तौर पर सामाजिक शोध के दो प्रमुख उद्देश्य होते है। - प्रकाशदायी एवं फलदायी अर्थात सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक।

प्रथम पक्ष के अनुसार ज्ञान पिपासा ही शोधकर्ता को शोध के क्षेत्र में आमंत्रित करती है। इस दृष्टि से शोध का उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि करना ही होता है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति ही शोधकर्ता का पारिश्रमिक होता है जबकि ''आवश्यकता अविष्कार की जननी है।'' यह उक्ति शोध के व्यावहारिक उद्देश्य को चरित्रार्थ करती है। जिसके अनुसार प्रत्येक शोध की व्यावहारिक उपयोगिता होती है जिसके अन्तर्गत अध्ययन समस्या के कारणों की खोज का समाधान हेतु महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करना ही शोध का प्रमुख उद्देश्य होता है।

सामाजिक विज्ञानों में उन अध्ययनों का विशिष्ट महत्व होता है जो केवल ज्ञान में वृद्धि ही नहीं करते बल्कि जिनके व्यावहारिक प्रयोग से समग्र मानव समाज अथवा किसी समूह या समुदाय विशेष के जीवन में उपयोगी परिवर्तन घटित किये जा सके प्रस्तुत अध्ययन भी इन्हीं

उद्देश्यों को समाहित किये हुए हैं। जिसके अन्तर्गत महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या को इसके संरचनात्मक सन्दर्भ में समझा गया है। साथ ही समस्या के समाधान हेतु इसकी पृष्ठभूमि में विद्यमान सोंच तथा सामाजिक एवं संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता को उजागर किया गया है। मुख्य रूप से प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नानुसार है।

अध्ययन के उद्देश्य -

1. महिलाओं के प्रति हिंसा सम्बन्धी तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना।
2. महिलाओं के विरूद्ध हिंसा हेतु उत्तरदायी कारणों एवं परिस्थितियों का पता लगाना।
3. हिंसा की शिकार महिलाओं के जीवन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर अपराध के पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाना।
4. हिंसा से ग्रस्त महिलाओं के प्रति समाज के व्यवहार या दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना।
5. पीड़ित महिलाओं के पुर्नवास सम्बन्धी स्थिति का विश्लेषण करना।
6. महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को कम करने एवं उनकी रोकथाम हेतु सम्भावित तरीकों एवं साधनों का पता लगाना।

अध्ययन का क्षेत्र एवं समग्र -

किसी भी शोध कार्य के सफल सम्पादन के लिए अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण आवश्यक होता है। अध्ययन क्षेत्र से तात्पर्य उन सीमाओं से है जिनके अन्तर्गत रहकर शोध कार्य किया जाना है। अध्ययन क्षेत्र अनिश्चित होने की दिशा में किया गया अध्ययन विस्तृत एवं अस्पष्ट हो जाता है। तथा उसका छोर पाना कठिन हो जाता है।

अतः अध्ययन की वैज्ञानिकता तथा उससे प्राप्त होने वाले निष्कर्षों की वैधता के लिए शोध के क्षेत्र का निर्धारण करना होता है। शोध के क्षेत्र के अन्तर्गत दो बातों का समावेश होता है - एक तो भौगोलिक क्षेत्र अर्थात शोधार्थी अपना अध्ययन क्षेत्र कहाँ करेगा, दूसरा शोधार्थी को अपने विषय की व्यापकता का निर्धारण करना होता है कि वह विषय के किन-किन पहलुओं पर शोध कार्य करेगा।

बाँदा दुर्भाग्यवश एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जबकि भौगोलिक तौर पर यह इलाहाबाद और झाँसी के मध्य है, फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि इन दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हुआ है किन्तु यह क्षेत्र विकास गति से अछूता तो नहीं, किन्तु बहुत ही पिछड़ा है। जबकि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है फिर भी यह क्षेत्र विकास करने में निचला स्थान ग्रहण किये है।

अतः सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जनपद बाँदा एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। आर्थिक विकास गतिशीलता में परिवर्तन के बाद देश की राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है परन्तु जनपद बाँदा में आज भी भुखमरी है। औसत रूप से वास्तविक राष्ट्रीय आय कम है रोजगार की कमी है, कीमत में स्थिरता है, स्थिर विनिमय दरें हैं, भुगतान मजदूर वर्ग का समय से नहीं होता है जो आर्थिक विकास का मुख्य बाधक है।

प्राकृतिक सम्पदा प्रकृति की देन है। इस सम्पदा का कुछ लोग ही दोहन कर पाते हैं और कुछ इन संसाधनों की जानकारी भी प्राप्त नहीं कर पाते है जबकि प्रकृति ने सबको पर्याप्त साधन विकसित किये है। आज जो क्षेत्र इन प्रकृति प्रदत्त साधनों का प्रयोग द्रुत गति से

कर रहा है। परन्तु जनपद बाँदा में मजदूर एवं गरीब वर्ग का उच्च्व वर्ग द्वारा शोषण किया जाता है और प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग सम्पन्न एवं उच्च्व वर्ग कर रहा है।

जहाँ तक आर्थिक अनुकूलता का प्रश्न है इसके लिए पर्याप्त पूँजी की मात्रा उपलब्ध हो, जिसे लोग खेती, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि क्षेत्रों में लगाने को तैयार हों। स्पष्टतः यह तभी सम्भव है जबकि आय की तुलना में लोग कम खर्च करें और बचत को प्रोत्साहित किया जाये जिससे पूँजी लगाने एवं प्राकृति साधनों का सही उपयोग करके जनपद को विकासोन्मुख की तरफ ले जाया जाये। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। विकास में भूमि का आधार होता है सच तो यह है कि समाज का सारा अस्तित्व इसी पर आश्रित है।

जनपद बाँदा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड का वह क्षेत्र है जो कि चित्रकूटधाम मण्डल में स्थित है और बुन्देलखण्ड के पिछड़े क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जनपद की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। इस क्षेत्र की उत्तरी सीमा यमुना तथा बेतवा नदियों द्वारा, पूर्वी सीमा यमुना नदी द्वारा तथा पश्चिमी सीमा केन नदी द्वारा तथा दक्षिण विन्ध्याचल पर्वत श्रेणियों से जुड़ा है। सामान्यतः जनपद में नदियों का जाल सा बिछा है। बाँदा में केन नदी, बदौसा में बागै नदी, चित्रकूट में मन्दाकनी, कर्वी में पैश्वनी तथा कमासिन बबेरू तिन्दवारी एवं जसपुरा की सीमा से यमुना नदी का प्रभाव होता है। हमारे जनपद की केन नदी चिल्ला में यमुना नदी में मिलकर प्रभावित होती है।

जनपद में महिलाओं के साथ कई प्रकार के अपराध किये जाते हैं जैसे कि उच्च एवं धनाढ्य वर्ग द्वारा दलितों की बहू-बेटियों के साथ व्यभिचार एवं दुराचार करने का प्रयास किया जाता है। गाँव का दबंग वर्ग/इसके अतिरिक्त जनपद में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार और फाँसी पर लटका देना, जमीन के विवाद में विधवा भाभी की हत्या, क्वांरी माँ बनने पर बेटी व शिशु की हत्या, कन्या भ्रूण हत्या एवं सामूहिक बलात्कार के मामले भी प्रकाश में आये। इस तरह से जनपद बाँदा में अपराध की दर, सामाजिक लिंग भेद और नारी का शोषण अन्य जनपदों से अधिक है, इसका कारण अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी एवं भुखमरी इत्यादि।

प्रस्तुत अनुसंधान अध्ययन में समय व साधनों को ध्यान में रखते हुए विषय की प्रकृति के अनुरूप शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र के रूप में जनपद बाँदा को चुना है। अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध किये गये हिंसा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि हिंसा, बलात्कार, अपहरण, छेड़-छाड़, अश्लील हरकते, दहेज उत्पीड़न, अन्य समाजिक व मानसिक उत्पीड़न समाजिक शोषण की मुख्य हिंसाएं हैं। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध हिंसा के इन्हीं स्वरूपों के अध्ययन पर आधारित है। तथा इसके अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के कारणों, परिणामों तथा पीड़ित महिलाओं के पुर्नवास सम्बन्धित पहलुओं को समाविष्ठ किया गया है।

निर्धारित क्षेत्र के अन्तर्गत अध्ययन विषय से सम्बन्धित सभी इकाइयों को समग्र कहा जाता है। समग्र अथवा समष्टि की परिभाषा उन इकाइयों के समूह के रूप में की जा सकती है। जिनमें कुछ

सामान्य विशेषताएँ विद्यमान है। एक समग्र इकाइयों का एक सम्पूर्ण समूह होता है जिनके बारे में जानकारी की जाती है और उनमें से प्रत्येक इकाई में कुछ निश्चित विशेषताएँ होती है।

समग्र का आकार निर्धारित क्षेत्र के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है समग्र में से अध्ययन हेतु सभी इकाइयों अथवा न्याय दृश्य का चुनाव करना होता है अतः समग्र को स्पष्ट एवं निश्चित करना आवश्यक होता है । अतः प्रस्तुत अध्ययन को जनपद बाँदा क्षेत्रान्तर्गत बलात्कार, अपहरण, छेड़-छाड़, अश्लील हरकतें, दहेज प्रताड़ना, मानसिक एवं सामाजिक शोषण की पंजीकृत हिंसाओं की शिकार कुल महिलाएँ अध्ययन का समग्र है।

अध्ययन विधि -

शोध का आयोजन करते समय यह प्रश्न उठता है कि तथ्यों के संकलन हेतु संगणना विधि को अपनाया जाये या निदर्शन विधि को क्योंकि इन दोनों विधियों की अपनी कुछ सीमाएं व विशेषताएं हैं।

उपकल्पना का अर्थ -

किसी भी अनुसंधान में और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव बे बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्यकाल सम्बन्धों का पर्वानुमान लगा लेता है या पूर्व चिन्तन कर लेता है यह पूर्व चिन्तन या पूर्वानुमान ही प्राकल्पना, परिकल्पना या उपकल्पना (Hypothesis) कहलाती है।

उपकल्पना की परिभाषा -

लुण्डवर्ग के अनुसार - "एक सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परिभाषा अभी बांकी है।[1]"

गुड एवं हाट के शब्दो में - प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परिक्षण किया जा सकता है।[2]

उपकल्पना के प्रकार -

समाजशास्त्र एवं समाज विज्ञानों में अनेक प्रकार की प्राकल्पनाओं या उपकल्पनाओं का प्रचलन है। सामाजिक तथ्यों, सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के प्रकति एवं अनुसंधान के उद्देश्य एवं तथ्यों के प्रकार के अधार पर प्राकल्पनाऐं भी कई प्रकार की हो सकती है। जैसे अनुभवात्मक समानताओं से सम्बन्धित, जटिल आदर्श प्रारूपों से सम्बन्धित, विश्लेषणात्मक चरों से सम्बन्धित, सकारात्मक कथनों से सम्बन्धित नकारात्मक कथनों से सम्बन्धित, शून्य कथनों से सम्बन्धित।

निदर्शन का अर्थ -

समग्र में से चुने गये ऐसे कुछ को जोकि समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता है। उसे निदर्शन कहते है। निदर्शन किसी भी चीज या समूह का सम्पूर्ण भाग या समस्त इकाइयाँ नहीं होती हैं अपितु उस समग्र का एक भाग एक छोटा भाग या केवल कुछ इकाइयाँ भी होती हैं, पर समग्र का कोई भी कुछ इकाई निदर्शन नहीं है। जब

---

1. Luyderg-G.A Social Research, p9
2. फेअर चाइल्ड, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, पृष्ठ 265.

तक कि ये कुछ इकाइयां समग्र की आधारभूत विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व न करें इस अर्थ में उचित प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाईयों को निदर्शन कहा जाता है।

ई० एस० बोगार्डस के शब्दों में – "निदर्शन प्रविधि एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुशार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चुनाव है।[1]"

फेयर चाइल्ड के अनुसार –

एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों, मामलों या नीरिक्षणों को एक समग्र विशेष में से निकालने की प्रक्रिया पद्धति अथवा अध्ययन के समग्र समूह में से एक भाव को चुनना निदर्शन पद्धति कहलाती है।[2]"

निदर्शन के प्रकार –

निदर्शन प्रविधि का तात्पर्य उस विधि से है जिसकी सहयता से प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चुनाव किया जाता है। अध्ययन निष्कर्षों की यथार्थता के लिए यह आवश्यक है कि निदर्शन समस्त का उचित प्रतिनिध ात्व कर सके। इसलिए निदर्शन चुनाव का काम मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। इसके लिए सुनिश्चित प्रविधियाँ को अपनाना आवश्यक है। निदर्शन के चुनाव की ये प्रविधियां निम्नलिखित हैं –

1. दैव निदर्शन
2. उद्देश्यपूर्ण निदर्शन अथवा सविचार निदर्शन
3. संस्तरिक अथवा वर्गीकृत निदर्शन
4. बहुस्तरीय निदर्शन

---

1. Bogardus, Sociology, P-548
2. Fair Chield Pictionarg of Sociology

5. स्वयं निर्वाचित निदर्शन

6. क्षेत्रीय निदर्शन

निदर्शन विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अध्ययन का क्षेत्र अधिक विस्तृत या समग्र विशाल हो तथा अध्ययन से सम्बन्धित इकाई शीघ्र परिवर्तनशील हो किन्तु यदि शोध का क्षेत्र निश्चित, स्पष्ट व सीमित हो तो अध्ययन में विश्वनीयता एवं परिशुद्धता लाने के लिए संगणना विधि का प्रयोग अधिक प्रयुक्त माना जाता है। शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र एवं समग्र के आकार को दृष्टिगत रखते हुए संगणना विधि का प्रयोग किया है। ताकि प्रस्तुत अध्ययन में अपेक्षाकृत अधिक परशुद्धता एवं विश्वनीयता की प्रति सम्भव हो सके।

संगणना विधि के प्रयोग द्वारा अध्ययन को सम्पादित करने के लिए शोधार्थी ने बाँदा के विभिन्न पुलिस थानों तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सम्बन्धित हिंसात्मक विषयक विवरण तथा पीड़ित महिलाओं के पते सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करके तत्सम्बन्धी हिंसाओं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

इस प्रकार हिंसा से प्रभावित 300 महिलायें अध्ययन हेतु चुनी गई किन्तु तथ्य संकलन के समय पाया गया कि इनमें से कुछ महिलाओं की मृत्यु हो चुकी थी एवं कुछ महिलायें दर्ज पतों पर उपलब्ध नहीं थी। सम्पूर्ण प्रयासों के उपरान्त भी उनके परिवर्तित पते प्राप्त न हो पाने के कारण उनसे सम्पर्क नहीं हो सका। अतः प्रस्तुत अध्ययन हिंसा की शिकार 300 उत्पीड़ितों के अध्ययन एवं सर्वेक्षण पर आधारित है इनमें बालात्कार की 26 महिलाएँ, अपहरण की 12 छेड़-छाड़ की 75, दहेज उत्पीड़न की शिकार 50 महिलाएँ एवं अन्य सामाजिक पारिवारिक व हिंसा की शिकार 137 महिलाएं हैं।

तथ्य संकलन -

सामाजिक शोध के विषय से सम्बन्धित तथ्यों का अत्यधिक महत्त्व

तालिका क्रमांक-2.1

2007में बाँदा जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की रिपोर्ट

क्र. सं.	पुलिस थाने का नाम	अपराधवार दज प्रकरणों की संख्या					
		बलात्कार	अपहरण	छेड़-छाड़	दहेज उत्पीड़न	अन्य उत्पीड़न	योग
1.	तिन्दवारी	2	1	5	3	10	21
2.	चिल्ला	2	–	5	3	8	18
3.	जसपुरा	2	–	7	4	9	22
4.	मटौंध	2	1	6	4	7	20
5.	मर्का	1	1	3	2	7	14
6.	कमासिन	2	–	8	2	9	21
7.	बदौसा	1	1	3	2	9	16
8.	गिरवां	1	–	3	3	7	14
9.	कालिंजर	1	1	3	2	7	14
10.	विसण्डा	2	–	3	2	9	16
11.	नरैनी	2	2	4	5	10	23
12.	अतर्रा	2	1	5	4	11	23
13.	बबेरू	2	1	5	4	10	22
14.	कोतवाली नगर	2	2	8	5	12	29
15.	कोतवाली देहात	2	1	7	5	12	27
	योग	**26**	**12**	**75**	**50**	**137**	**300**

होता है तथा शोध के आयोजन के पश्चात इन तत्वों का संकलन करना होता है। तथ्य सामग्री मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। प्राथमिक तथ्य एवं द्वितीयक तथ्य।

प्राथमिक तथ्य वे होते है जिन्हें शोधकर्ता द्वारा आपने प्रयोग के हितार्थ पहलीबार स्वयं घटना स्थल पर जाकर अथवा सम्बन्धित व्यक्तियों से सम्बन्धित प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार या अवलोकन द्वारा संग्रहीत किया जाता है। अतः प्राथमिक तथ्यों को शोधार्थी पहली बार मूल स्रोत से प्राप्त करता है।

द्वितीयक तथ्य वे होते है जो पहले से ही किसी उद्देश्य के हितार्थ किसी पूर्व समय पर किसी अन्य शोधकर्ता या व्यक्ति द्वारा एकत्रित किये गये होते है। इस एकत्रित सामग्री को जब वर्तमान शोधार्थी द्वारा प्रयोग किया जाता है तो यह सामग्री इसके लिए द्वितीयक बन जाती है।

प्रस्तुत अध्ययन अनुभवात्मक होने के कारण मुख्यतः प्राथमिक तथ्यों से सम्बन्धित है तथापि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा सम्बन्धी तथ्यात्मक जानकारी, विषय से सम्बन्धित साहित्य, चिन्तकों एवं विचारकों की अवधारणाओं से द्वितीयक सामग्री का भी संकलन किया गया है इस हेतु विभिन्न समाजशास्त्रीय पुस्तकें, हिन्दी एवं अंग्रेजी के राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्र, जर्नल्स तथा प्रकाशित प्रतिवेदनों का प्रयोग किया गया है। साथ ही आई0सी0एस0एस0आर0 दिल्ली, सेन्टर फॉर वूमेन डेवलपमेंट स्टडीज दिल्ली, अपराधिक जाँच एवं प्रकोष्ठ विभाग लखनऊ एवं बाँदा, दिल्ली के पुस्तकालयों, जिला क्राइम रिकार्ड व्यूरो बाँदा, स्टेट क्राइम रिपोर्ट लखनऊ तथा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के विषय

से सम्बन्धित सामग्री का आवश्यकतानुसार उपयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध अपराध सम्बन्धी जानकारी स्थानीय पुलिस थानों एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के रिकार्ड से ली गई हैं।

प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत हिंसा की शिकार महिलाओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों को एकत्र किया गया है। अध्ययन विषय की प्रकृति के अनुरूप शोधार्थी ने इस प्रविधि के प्रयोग को सर्वाधिक उपर्युक्त माना है। क्योंकि इस प्रविधि के प्रयोग से जहाँ अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप अन्तरंग एवं यथार्थ तथ्य एवं सूचनायें एकत्रित करने में सहायता मिली वहीं अशिक्षित उत्तर दाताओं से उनकी बुद्धि स्तर अनुसार प्रश्नों को समझाकर वास्तविक एवं अध्ययन हेतु उपयोगी जानकारी का संकलन किया जा सका है तथा भ्रमात्मक उत्तरों की सम्भावना से भी बचा जा सका है। साथ ही इस प्रविधि में अवलोकन तथा अन्य औपचारिक वार्तालाप का अतिरिक्त अवसर भी उपयोगी रहा है।

साक्षात्कार का अर्थ -

साक्षात्कार प्रविधि के अन्तर्गत अनसुधानकर्ता किसी व्यक्ति या समूह को जिसमें कि सूचना प्राप्त करनी है, आमने-सामने बैठकर, कुछ प्रश्न पूछकर, अध्ययन विषय से सम्बन्धित सूचनाएँ संकलित करने का प्रयत्न करता है।

साक्षात्कार की परिभाषा -

श्री मानेन्द्रनाथ बसु के अनुसार, ''एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर के आमने-सामने का मिलन कहा जा सकता है''।

साक्षात्कार-अनुसूची -

यह अनुसूची संभवतः सबसे प्रचलित एवं उपयोगी अनुसूची है। इसका प्रयोग व्यवस्थित एवं संरचित साक्षात्कार के उपकरण के रूप में किया जाता है। अशिक्षित जनसमूह के लिए प्रश्नावली उपयोगी विधि नहीं हैं अतः, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा साक्षात्कार-अनुसूची का प्रयोग अशिक्षित व्यक्तियों से तथ्य-संकलन संभव बनाता है। मानक प्रश्न संरचना, शब्दावली एवं भाषा और व्यवस्थित प्रश्नक्रम के कारण यह प्रामाणिक एवं विश्वसनीय तथ्य-संकलन का उपयोगी माध्यम है। साक्षात्कार-अनुसूची की उपयोगिता एवं प्रचलन के कारण ही अनुसूची एवं साक्षात्कार-अनुसूची पर्यायवाची से हो गये हैं। यह अनूसूची साक्षात्कारी द्वारा साक्षात्कार-उपकरण के रूप में प्रयुक्त प्रश्नों की तालिका है, जिसे वह आमने-सामने की स्थिति में उत्तरदाता से पूछकर सूचनाएँ भरता है। इसे ही साक्षात्कार-अनुसूची कहते हैं।

साक्षात्कार-अनुसूची की उपयोगिता -

साक्षात्कार-अनुसूची स्वरूप में प्रश्नावली तथा प्रयोग में साक्षात्कार के समान होती है। अतः इसमें प्रश्नावली की एकरूपता एवं वस्तुनिष्ठता का गुण तो है ही, इसमें साक्षात्कार का वैयक्तिक संपर्क का लाभ भी सम्मिलित है। मुख्य रूप से अनुसूची निम्नलिखित हैं -

1. प्रत्यक्ष संपर्क-द्वारा सूचना-संकलन
2. नियोजित तथ्य-संकलन का आधार
3. विस्तृत सूचनाओं का संकलन
4. विस्तृत सीमा

5. उच्च प्रत्युत्तर-दर
6. अवलोकन का मार्ग सूचक
7. तथ्य-संकलन की सीमा का व्यावहारिक निर्धारण
8. आलेखन की एकरूपता

अनुसूची की सीमाएँ या दोष -

सामाजिक शोध में तथ्य-संकलन के लिए अनुसूची एक मुख्य यंत्र भी है और उसका उपयोग एक पूरक उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है। तथ्य-संकलन के उपकरण के रूप में साक्षात्कार-अनुसूची की प्रमुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं -

1. सार्वभौम प्रश्न के निर्माण में कठिनाई
2. सीमित उपयोग
3. पक्षपात या अभिनति की संभावना

संगणना प्रणाली -

इस प्रणाली के अनुसार संकलन में समूह की प्रत्येक इकाई का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा तत्सम्बन्धित आँकड़े इकट्ठा किये जाते हैं। संगणना प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण जन गणना है। जन-गणना में जिस प्रकार जन-संख्या के प्रत्येक व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित किया जाता है तथा उसकी सूचना प्राप्त की जाती है। उसी प्रकार संगणना पद्धति में अनुसंधान के विषय से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति से सीधे सूचना प्राप्त की जाती है। इसलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। प्रायः इसका उपयोग वहीं किया जाता है जहाँ खोज का क्षेत्र बहुत सीमित हो अथवा इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे से इतनी भिन्न हों कि नमूना न निकाला जा सकता हो।

संगणना प्रणाली से लाभ -

(1) विस्तृत सूचना - इस प्रणाली के द्वारा सामग्री की प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित किया जाता है और उसकी विशेष जानकारी ली जाती है। उदाहरणार्थ जनगणना में व्यक्तियों की केवल गणना ही नहीं की जाती है बल्कि उनकी आयु, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाती है।

(2) अधिक विश्वसनीय एवं शुद्ध - इस प्रणाली में शुद्धता एवं विश्वसनीयता की मात्रा अधिक होती है क्योंकि इस विधि के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया जाता है।

पूर्व परीक्षण -

पूर्व परीक्षण का उद्देश्य उपकरण, यंत्रों निर्देशनों आदि की उपयुक्तता की जाँच करना होता है। पूर्व परीक्षण सूचनाओं के स्रोतो तथा पद्धतियों व उपकरणों की त्रुटियों व उपयोगिताओं के सम्बन्ध में जानकारी देना सर्वोत्तम विकल्पों को चुनने में सहायक सिद्ध होता है। अतः इस हेतु प्रस्तुत शोध अध्ययन में पूर्व निर्मित साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से विभिन्न हिंसाओं की शिकार महिलाओं का साक्षात्कार लेने के उपरान्त उनकी प्रतिक्रिया तथा साक्षात्कार से प्राप्त अनुभव के अनुरूप कुछ पूर्व निर्मित प्रश्नों की भाषा तथा विकल्पों में आवश्यक संशोधन किया गया है। हिंसा की प्रकृति एवं स्वभाव के अनुरूप कुछ नये प्रश्नों को भी अनुसूची में जोड़ा गया है तथा असम्भव प्रश्नों को हटाया गया है। इस प्रकार पूर्व परीक्षण के द्वारा साक्षात्कार अनुसूची में आवश्यक संसोधन एवं परिवर्तन करके इसे अध्ययन हेतु सर्वाधिक सार्थक एवं जनपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है।

वर्गीकरण एवं विश्लेषण -

साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन इकाइयों से तथ्य संकलन के पश्चात संकलित सामग्री के युक्ति युक्त विश्लेषण हेतु संकलित तथ्यों के ढेर को उनकी समानता तथा विभिन्नता सम्बन्धी गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों के वर्गीकृत किया गया है। अतः संकेतन की सहायता से वर्गीकृत तथ्यों को टेली सीट पर एकत्रित कर सारणीयन के माध्यम से उनका सांख्यिकीय और तार्किक आधार पर विश्लेषण किया गया है। सारणीयन करने में उन तत्वों के मध्य जो कि शोध अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण थे सम्बन्ध स्थापित किया गया है इस हेतु आयु, जाति, शिक्षा, स्थिति आदि स्वतंत्र परिवर्त्यो का अन्य चरो से सह-सम्बन्ध स्थापित किया गया है। साथ ही आवश्यकतानुसार अपराध की प्रकृति एवं स्वभाव का विभिन्न परिवर्त्यो से सम्बन्ध सुनिचित किया गया है। तत्वों को अधिक स्पष्ट, सरल, सुगठित, सुपरिभाषित व आकर्षक बनाने हेतु पुनः चित्रों, ग्राफों एवं बार डाइग्राम के माध्यम से भी दर्शाया गया है।

अध्ययन की कठिनाइयाँ -

शोध एक जटिल एवं श्रम साध्य कार्य है। इस कार्य के दौरान अनेक विसंगत कठिनाइयां आती हैं जिनका समाधान शोधार्थी को करना होता है इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके ही शोधार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी को निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी को पुलिस, अधीक्षक कार्यालय, पुलिस थानों, कोतवाली एवं चौकियों से महिलाओं के प्रति हिंसा सम्बन्धी

आँकड़े तथा पीड़ित महिलाओं के निवास स्थान सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करने में असुविधा हुई। प्रारम्भ में सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, सदर कांस्टेबल, सब-इंसपेक्टर्स, अरक्षी, रिपोर्टर, पैरोकार एवं कर्मचारियों का व्यवहार उपेक्षात्मक या तथा इस सम्बन्ध में जानकारी के गोपनीय होने से किसी प्रकार का सहयोग करने हेतु तैयार नहीं थे किन्तु अध्ययन के उद्देश्य एवं महत्व को स्पष्ट करने तथा जानकारी को पूर्णतः शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक एवं शोधमय उद्देश्यों में ही उपयोग करने का लिखित आश्वासन देकर पुलिस अधीक्षक महोदय से तथ्य संकलन हेतु अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित सकारात्मक सहयोग मिला तथापि पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अत्याधिक व्यस्तता से आवश्यक जानकारी एकत्र करने में अत्याधिक समय व श्रम लगा।

अनेक प्रकरणों में पुलिस थानों, कोतवाली एवं चौकियों से संकलित महिलाओं के प्रति हिंसा की जानकारी अपूर्ण पाई गई अतः इस हेतु शोधार्थी को अत्याधिक श्रम करना पड़ा तथा सम्बन्धित विवेचना एवं विश्लेषण करने के लिए विभिन्न अधिकारियों की मदद ली गई।

शोध कार्य के दौरान सर्वाधिक परेशानी उत्तरदाताओं से तथ्य संकलन में हुई। उत्तरदाताओं के महिला होने तथा एकत्र की जाने वाली सूचना उनके व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित होने के कारण वे सहजता से इस हेतु तैयार नहीं हुई। किन्तु शोधार्थी द्वारा परिवार के मुखिया पुरुष, पीड़ित महिला के पति, पीड़ित महिला के भाई तथा स्वयं हिंसा की शिकार महिला को अध्ययन के महत्व से परिचित

कराकर इस हेतु आश्वस्त किया गया कि प्रस्तुत अध्ययन महिलाओं के हित से ही सम्बन्धित अभिप्रेरित है उनके द्वारा दी जाने वाली समस्त जानकारी गोपनीय एवं संरक्षित रखी जायेगी। तथापि प्रारम्भ में कुछ संकोच, हिचकिचाहट अवश्य रही किन्तु धीरे-धीरे साक्षात्कार हेतु सौहार्द एवं प्रैमत्व स्थापित हो गया तथा अवश्यक एवं सही जानकारी एकत्रित करने में उनका अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि तथ्य संकलन हेतु हिंसा से प्रभावित महिलाओं के परिवारों से सम्बन्ध स्थापित करेन के लिए सम्पर्क सूत्रों की सहायता अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई।

उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के समय परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित हो जाते थे तथा उत्तरदाता से पूँछे गये प्रश्नों का स्वयं ही उत्तर देने लगते थे। परिणामतः साक्षात्कार दाता से अन्तरंग चर्चा तथा यथार्थ उत्तरों की प्राप्ति सही एवं शुद्ध नहीं हो पाती थी। अतः इन अफसरों पर उनकी मनस्थिति को समझाते हुए उनके मनोभावों को सन्तुष्ट करने हेतु साक्षात्कार रोककर सामान्य बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता था। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त अवसर पाकर पुनः साक्षात्कार लेना पड़ता था अथवा साक्षात्कार को किसी अन्य दिवस के लिए स्थगित करना पड़ता था। कई बार उत्तरदाता की व्यस्तता, मन असन्तुष्ट अथवा साक्षात्कार के समय उपलब्ध न होने के कारण असुविधा हुई। अस्तु तथ्य संकलन हेतु उत्तरदाता से अनेक बार सम्पर्क स्थापित करना पड़ा जिससे सामग्री संकलन में अत्याधिक ऊर्जा व समय लगा।

प्रस्तुत अध्ययन के विषय से सम्बन्धित साहित्य का विखराव तथा कम उपलब्धता होने से द्वितीयक सामग्री के संकलन में

कठिनाई हुई। इस हेतु शोधार्थी द्वारा जिला अपराध व्यूरो बाँदा, राजकीय अपराध व्यूरो लखनऊ, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थान दिल्ली, फारेसिंक साइन्स विज्ञान सागर म0प्र0, फारेसिक साइंस विज्ञान मेरठ उ0प्र0 एवं विश्वविद्यालयों में अपराध शास्त्र के पुस्तकालयों से सम्पर्क किया। कई पुस्तकालयों में अपेक्षित सहयोग के अभाव में न केवल सम्बन्धित साहित्य को चिन्हित करने में कठिनाई हुई अपितु इस हेतु अनेक बार सम्पर्क स्थापित करना पड़ा। कुछ पुस्तकालयों जैसे - आई0आई0टी0 कानपुर, टैगोर पुस्तकालय लखनऊ, चन्द्रभान गुप्त पुस्तकालय लखनऊ का सहयोग प्रशंसनीय रहा।

कठिनाइयों में प्रयत्न ही सफलता एवं लक्ष्य का रहस्य है। अर्थात शोधार्थी उपर्युक्त कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में धैर्यवान एवं सहनशील रहा।

अध्याय–3

प्रासंगिक साहित्य का सिंहावलोचन

प्रासंगिक साहित्य का सिंहावलोकन

महिलायें साधारणतः प्रत्येक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जिनकी संख्या लगभग पुरुषों के समान ही होती है जहाँ तक भारतीय समाज का प्रश्न है, स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी रही है। विशेषतः हिन्दू समाज में पुरुष के अभाव में स्त्री को, स्त्री के अभाव में पुरुष को अपूर्ण माना गया है। इस कारण हिन्दू समाज में स्त्री को पुरुष की अर्धाग्नी कहा गया है। धीरे-धीरे स्मृतिकाल, धर्मशास्त्रकाल तथा मध्य काल में इनके अधिकार छिनते गये और पुरुषों की तुलना में इनकी स्थिति में गिरावट आई। इन्हें परतंत्र, निःसहाय और निर्बल बना दिया। अंग्रेजी शासन काल में देश की राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में जागृति आने लगी समाज सुधारकों और चिन्तकों ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया।

महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराध कोई आज के युग की घटना नहीं है वरन् प्राचीन भारत में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाभारतकाल में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रोपदी को जुये के दाव में लगा दिया था और दुर्योधन ने भरी सभा में उसका चीर हरण कर अपमानित किया था। रामायण काल में रावण ने सीता का अपहरण किया था, विधवाओं को भारत में अनेक अधिकारों से वंचित किया जाता रहा तथा नाना प्रकार के कष्ट दिये जाते रहे हैं। दहेज को लेकर नारी को जलाना या हत्या कर देना आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। सतीत्व के नाम पर महिलाओं की इसी देश में जिन्दा जलाया जाता रहा है।

राजाराम मोहन राय के अनुसार सती प्रथा भारतीय समाज एवं संस्कृति के लिए अभिशाप है जिसमें कई प्रकार की मानसिक विकृतियाँ एवं विसंगतियां समाहित हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पश्चमी बंगाल में इस आधुनिक युग में सती प्रथा आज को महिमा मडित करने के प्रयास आज भी देखने का मिलजाते है।

छेड़-छांड एवं बलात्कार की घटनायें प्रतिदिन समाज में होती रहती है जिनमें से कुछ में तो पुलिस और प्रशासन भी शामिल रहता है इस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न एवं शोषण (दैहिक, मानसिक एवं आर्थिक, समाजिक शोषण) उन्हें बहला फुसलाकर भगा ले जाना, एवं वेश्यावृत्ति के लिए बेच देना, उनके साथ मारपीट एवं गाली-गलौज करना उन्हें जला देना, उनकी हत्या कर देना आदि महिला हिंसा के प्रमुख उदाहरण हैं।

वर्तमान में समाजशास्त्र में ''महिलाओं के प्रति हिंसा'' एक रुचिकर शोध का विषय है। रेडिकल समाजशास्त्री जो समाज के दरिद्र एवं उपेक्षित वर्ग में रुचि रखते हैं, भी महिलाओं के प्रति अध्ययन में काफी रुचि रखते हैं, समाज सुधारकों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्थापित्व महिला अध्ययन प्रकोष्ठों मनोरोग विशेषज्ञों, अपराशास्त्रियों आदि ने भी महिला अध्ययन में रुचि दर्शाई है और महिलाओं से सम्बन्धित अनेक आयामों का अध्ययन किया जा रहा है वर्तमान में कुछ लोग अपराध की भूमिका एवं महिलाओं के प्रति हिंसा अपराध विषयों पर भी रुचि लेने लगे हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा से तात्पर्य है महिलाओं के निकट रिश्तेदारों, जैसे माता-पिता, भाई-बहन, सास-ससुर, देवर, ननद, भाभी या परिवार के किसी सदस्य अथवा अन्य

व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार एवं उत्पीड़न जो नारी को शारीरिक मानसिक आघात पहुँचाता है।

"नंदिता गांधी एवं नंदिता सहाय ने स्पष्ट करते हुए लिखा है, महिला के प्रति हिंसा के अन्तर्गत बलात्कार, दहेज हत्याएं, पत्नी को यात्नायें देने यौनिक हतोत्साहन तथा संचार माध्यम में स्त्री को गलत ढंग से प्रस्तुतकरण समाहित किया जा सकता है।"[1]

टेबिल नं0-3.1

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को तीन भागों में विभक्त किया गया है।

आपराधिक हिंसा	घरेलू हिंसा	सामाजिक हिंसा
जैसे बलात्कार एवं अपहरण आदि।	दहेज सम्बन्धी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार आदि।	जैसे पत्नी एवं पुत्रबधू को कन्या भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़-छाड़, विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, दहेज के लिए तंग करना एवं स्त्री को सम्पत्ति में हिस्सा न देना।

भारत में महिलाओं के प्रति किये जाने वाले अपराधों एवं हिंसा की जानकारी हमें गृह मंत्रालय तथा नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सोसल डिफेंस द्वारा प्रसारित आंकडों से होती है। 2002-03 में भारत में महिलाओं के प्रति किये जाने वाली हिंसा में 43.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है इस अवधि में दहेज सम्बन्धी हत्या में 178.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत में प्रत्येक 33 मिनट में महिलाओं के प्रति अपराध की घटना होती है।

---

1. प्रो० एम०एल० गुप्ता एवं डी०डी० शर्मा, समाजशास्त्र पृष्ठ नं० 802, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

टेबिल नं0-3.2
महिलाओं के साथ किये जाने वाले अपराधों में 2/3 अपराध भारत के पाँच राज्यों में

मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	महाराष्ट्र	आन्ध्र प्रदेश	राजस्थान	केन्द्रशासित प्रदेश
17.6%	15.7%	13.9%	7.9%	7.5%	37.4%

"देश में मौजूद कई कानूनों के बावजूद समाज में महिलाओं के प्रति विभिन्न तरह की हिंसाओं का ग्राफ बढता ही जा रहा है। इसका उदाहरण है राष्ट्रीय महिला आयोग के पिछले छः महीने में 6000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। और इसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। जनवरी 2006 से जून 2006 तक अकेले उत्तर प्रदेश में 2978 मामले महिलाओं के दर्ज हुये, जिस पुलिस के हाँथों महिलाओं की रक्षा का दायित्व है वे भी कहर ढाने में कोई कसर नहीं छोडते।"[1]

अतः भारत में महिलाओं के प्रति अत्याचार की समस्या कोई आज की नहीं है। आज इस समस्या की प्रकृति, क्षेत्र एवं गम्भीरता में परिवर्तन आवश्यक हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, दूरदर्शन, आदि संचार माध्यमों ने इस समस्या को प्रमुखता देकर जन-मानस का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। परिणामतः महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को वर्तमान समय की एक प्रमुख सामाजिक समस्या माना जाने लगा है।

"**डा0 आहूजा** ने राजस्थान में बलात्कार से पीडित महिलाओं का अध्ययन करने पर पाया कि बलात्कार की घटना सदैव अपरिचित लोगों में नहीं होती बलात्कार एक व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता

1. दैनिक अमर उजाला, 14 अगस्त 2006, पृष्ठ कानपुर-1, कानपुर संस्करण।

है और एक से अधिक समूह द्वारा भी। बलात्कार के लिये आर्थिक प्रलोभन भी दिया जाता है। उन्होंने पाया कि सर्वाधिक बलात्कार 15 से 20 वर्ष की आयु की स्त्रियों के साथ हुये तथा सर्वाधिक बलात्कार 23 से 30 वर्ष की आयु समूह के पुरूषों द्वारा किये गये।''[1]

आज महिलाओं के विरूद्ध अनेक हिंसक घटनायें दर्ज होने लगी हैं। गृह मंत्रालय के अपराध अन्वेषण ब्यूरों के अनुसार आज प्रत्येक छठे मिनट में महिला के विरुद्ध हिंसा की घटना दर्ज होती है। प्रत्येक 47 मिनट में बलात्कार 44 मिनट में अपहरण तथा एक दिन में 17 महिलाओं की दहेज के लिये हत्या सम्बन्धी प्रकरण सामने आते हैं। साथ ही अनेक ऐसे प्रकरण हैं जो सामाजिक निन्दा आदि के भय से दर्ज ही नहीं किये जाते। इस प्रकार यह समस्या एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। किन्तु इसके उपरान्त भी सामाजिक समस्या अथवा आपराधिक हिंसा पर उपलब्ध साहित्य में अपराध की शिकार महिलाओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया।

भारत में विशेष रूप से हिन्दुओं में विधवाओं की समाजिक स्थिति एक गम्भीर समस्या है क्योंकि हिन्दुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया है। और यह पति पत्नी का जन्म जन्मांन्तर का बन्धन है जिसे तोडा नहीं जा सकता। अतः पति की मृत्यू के बाद पत्नी को दूसरा विवाह करने की छूट नहीं है। यही कारण है कि पति की मृत्यू के बाद से ही विधवा स्त्री के दुख प्रारम्भ हो जाते हैं। उसके सिर को मुंडवा दिया जाता है, वह अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकती, श्रृंगार नहीं कर सकती, इत्र व तेल का प्रयोग नहीं कर सकती, सार्वजनिक उत्सवों एवं शुभ कार्यो में उसकी उपस्थिति को अपशकुन

1. प्रो० एम०एल० गुप्ता डा० डी०डी० शर्मा समाजशास्त्र पृष्ठ नं० 803 साहित्य भवन, पब्लिकेशन, आगरा।

माना जाता है। सास-ससुर एवं पति के परिवार के लोग विधवा पर अत्याचार करते हैं तथा उसे डायन की संज्ञा देते हैं।

विधवाओं के प्रति हिंसा एक गम्भीर समस्या है उसे पीटा जाता है, गालियाँ दी जाती हैं उनके साथ व्यभिचार एवं लैंगिक दुर्व्यवहार का प्रयत्न किया जाता है, उन्हें पति की सम्पत्ति से वंचित किया जाता है भारत में अशिक्षा की अधिकता के कारण उन्हें पति के व्यापार, सम्पत्ति बीमे की रकम व जमा पूँजी आदि की जानकारी नहीं होती। इसका लाभ उठाकर उसकी वैधानिक सम्पत्ति को हडपने का प्रयत्न करते हैं।

''**आरती आर. जैरथ (1978)** ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा सम्बन्धी अपने अध्ययन में प्रमुखतः बलात्कार, महिलाओं की हत्या एवं आत्म हत्या, सोने की चेन खींचना जैसे सम्बन्धी अपराधों के बारे में स्पष्ट किया है कि भारत में बलात्कार सम्बन्धी अपराध की दर में निरन्तर वृद्धि हुई। और यह हमारे पुरूष प्रधान समाज में एक सामान्य लक्षण के रूप में परिलक्षित हो रहा है जिसके अन्तर्गत महिलायें पुरूषों द्वारा किये जाने वाले हिंसाओं की असहाय उत्पीडक बनके रह गई हैं। इस हेतु उन्होंने समाज में महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति एवं पुरूषों की तुलना में नाजुक शारीरिक क्षमता को उत्तरदायी माना है।'' ''वेश्यावृत्ति एक सामाजिक बुराई के रूप में अति प्राचीन काल से प्रचिलित रही है। वेश्यावृत्ति को यौन तृप्ति का एक विकृत एवं घृणित साधन माना गया है। इससे व्यक्ति का शारीरिक एवं नैतिक पतन होता है, उसे आर्थिक हानि उठानी पडती है तथा मानव के पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में विष घोल देती है।

टेबिल नं0-3.3

विधवाओं के प्रति हिंसा एवं वैधानिक सम्पत्ति को हड़पने का प्रयास

1. विधवाओं के उत्पीडन के कारण 1. शक्ति, सम्पत्ति और काम वासना की पूर्ति 2. आयु शिक्षा और वर की सदस्यता का भी विधवा उत्पीड़न से घनिष्ट सम्बन्ध है।	2. वृद्ध विधवाओं की तुलना में युवा विधवाओं का अधिक शोषण।	3.शिक्षित विधवाओं की तुलना में अशिक्षित तथा उच्च वर्ग की विधवाओं की तुलना में मध्यम एवं निम्न वर्ग की विधवाओं को अधिक उत्पीड़ित किया जाता है।	4.विधवा स्त्री की निष्क्रिय कायरता उसके उत्पीडन का प्रमुख कारक है।	5.विधवाओं को पुर्नविवाह की छूट देने की दृष्टि से भारत में पुर्नविवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ किन्तु विधवा विवाह बहुत कम ही किये जाते हैं।	6.सत्तवादी व्यक्तित्व एवं पती के भाई-बहनों का असाममंजस्य विधवा विवाह के उत्पीड़न का प्रमुख कारण है।	7.परिवार की रचना, उनके व्यवहार से भी विधवा का उत्पीड़न होता है।	8.महिला हिंसा के अपराध कर्ता मुख्यतः पति के परिवार के होते हैं।

''**इलियट एवं मैरिल के अनुसार** ''वेश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन के लिये स्थापित किया गया अवैध यौन सम्बन्ध है जिसमें भावात्मक उदासीनता होती है।'' वेश्यावृत्ति को रोकने के लिये 1956 में स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पारित किया गया फिर भी यह अप्रकट और प्रकट दोनों ही रूप में भारत में विद्यमान है।''[1]

डी० आर० सिंह[2] (1981) में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की प्रवृत्ति एवं प्रकार सम्बन्धी अपने शोध पत्र में पाया कि पड़ोसी देशों तथा विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना में भारत में यद्धपि बलात्कार सम्बन्धी अपराधों में कमी परिलक्षित हुई है तथापि भारत में बलात्कार एवं स्त्रियों का अनैतिक व्यापार सम्बन्धी अपराध निरन्तर बढ़ रहे हैं।

शोधकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के अनेक प्रकार ऐसे हैं जिन्हें दर्ज ही नहीं किया जाता। मात्र बलात्कार, अपहरण एवं बहलाकर ले जाना, लड़कियों एवं महिलाओं का अनैतिक व्यापार, दहेज, हत्या एवं आत्म हत्या सम्बन्धी अपराधों को प्रमुखता दी जाती है। अध्ययनकर्ता ने दहेज लेने व देने, भारतीय विवाह, महिला उत्तराधिकार आदि से सम्बन्धित महत्वूर्ण एवं समाज द्वारा स्वीकृत अपराधों के पृथक रूप से अध्ययन किये जाने पर बल दिया।

शोधकर्ता ने महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु विद्यमान कानूनों को वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति के अनुरूप

---

1. Jerath Arati R., Crime Against Women Mainstream 16(27), March 4, 1978, P.-8.

रूपान्तरित करने की आवश्यकता बतायी साथ ही महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के सन्दर्भ में जनचेतना जागृत करने, अपराधी को न्यायालय पहुँचाने में मददगार बनने, अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार करने, महिलाओं के अधिकारों एवं हितों सम्बन्धी कानूनों से उन्हें अवगत कराने, महिलाओं की सहायता हेतु स्थानीय, जिलास्तरीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिला संघों की स्थापना करने एवं वैधानिक परिवर्तन तथा परिमार्जन सम्बन्धी सुझावों पर अमल लाने की आवश्यकता भी प्रतिपादित की।

राजेन्द्र पाण्डे''[1] (1986) ने अपने शोध-पत्र में पाया कि भारत में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जिसका प्रमुख कारण प्रशासनिक दृष्टि से बलात्कार को गम्भीर अपराध न मानना तथा बलात्कार से सम्बन्धित कानूनों का लचर होना है''[2]।

अध्ययनकर्ता ने यह मत भी प्रतिपादित किया कि बलात्कार से पीड़ित महिला को शारीरिक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक अनेक तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है। समाज में उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। सामाजिक प्रथायें एवं पुरुष प्रधान सांस्कृतिक अधोसंरचना बलात्कार से पीड़ित महिला को सहानुभूति के स्थान पर अपराध की ओर ढकेलते हैं।

लेखक का यह निष्कर्ष है कि महिलाओं के विरूद्ध बलात्कार जैसे अपराध को रोकने में तभी कोई मदद मिल सकती है जबकि सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना एवं संस्थाओं में मूलभूत परिवर्तन है। तथा

---

1. प्रो० एम०एल० गुप्ता डा० डी०डी० शर्मा समाजशास्त्र पृष्ठ नं० ८०6 साहित्य भवन, पब्लिकेशन, आगरा।
2. Singh D.R. : Current Trends and form of crime against Women, Indian Journal of Social work 42(1), April 1981, P. 33-40.

महिला एवं पुरुष दोनों ही इस समस्या के समाधान के लिए अपने मन तथा मस्तिष्क को खुला रखें।

राम आहूजा[1] (1987) ने राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराध के सन्दर्भ में किये गये अपने अध्ययन में निम्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रतिपादित किये।

बलात्कार सम्बन्धी अध्ययन में शोधकर्ता ने पाया कि बलात्कार सदैव पूर्णतया अपरिचित व्यक्तियों के मध्य नहीं होता, लगभग पचास प्रतिशत प्रकरणों में पीड़ित महिला बलात्कारी से परिचित थी।

आयु के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में पाया गया कि महिलाओं में बहुधा (60) प्रतिशत अत्याधिक युवा (18 वर्ष से कम) तथा शेष महिलायें युवा आयु (18 से 30 वर्ष) वर्ग की थीं। जबकि तुलनात्मक रूप से उनके हमलावरों में 47.5 प्रतिशत युवा (18 से 30) एवं 52.5 प्रतिशत मध्यम (30 से 45 वर्ष) आयु वर्ग के थे। इस प्रकार शिकार के चुनाव में युवावस्था को विशेष महत्व दिया जाता है तथा उत्पीड़ित एवं उनके अपराधी अधिकांशतया भिन्न-भिन्न आयु समूह के होते हैं।

बलात्कार की शिकार पीड़ितों में दो तिहाई महिलाएँ अविवाहित थी जबकि अपराधियों में तीन चौथाई से अधिक (83.3 प्रतिशत) पुरुष अविवाहित पाये गये। लगभग 60 प्रतिशत प्रकरणों में उत्पीड़ित महिला अविवाहित तथा उनके अपराधी विवाहित थे। अतः इस अपराध की शिकार अधिकांशतः अविवाहित महिलाएँ होती है। एवं उनके उत्पीड़ित अधिकांशतः विवाहित पुरुष होते हैं।

---

1. Pandey Rajendra, Rape crimes and victimization of Rape vectins in free India, Indian Journal of Social work, 47(2), July 1986, P 169-186.

अधिकांश प्रकरणों में पीड़ित महिलायें निम्न आय वर्ग की थीं जबकि बलात्कारी पुरुष मध्यम आय वर्ग के। इस सम्बन्ध में शोधकर्ता ने सांखयिकी परीक्षण के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि की कि बलात्कार एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के मध्य महत्वपूर्ण सम्बन्ध होता है।

महिलाओं की जननी और वात्सल्यता की देवी वाली छवि दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। तथा उनके साथ विभिन्न प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियाँ एवं हिंसायें की जाती है जिससे उनकी गरिमा एवं नैतिकता की पृष्ठभूमि के मध्य विभिन्न प्रकार की उलझनें एवं समस्यायें विकसित हो रही है। आज समाज में महिलाएँ एक उपभोग की वस्तु बन गई है। इस सम्बन्ध में शोधकर्ता ने सांख्यकीय परीक्षण के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि की कि बलात्कार एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के बीच महत्वपूर्ण सम्बन्ध होता है। साथ ही निम्न आर्थिक स्थित वाली महिलाएँ अपनी दरिद्रता के कारण प्रताड़ित होने का अधिक खतरा रखती हैं।

बलात्कारी मानसिक रूप से कुसुनियोजित विचारधारा का होता है जिस कारण से उसके मस्तिष्क में महिलाओं के प्रति हिंसा करने की भावनायें पनपती है। जिस कारण से कई प्रकार की समाज में लोमहर्षक घटनायें घटती हैं।

Woman's era[1] नामक पत्रिका के अनुसार Sex is a blast - "Sex is a blast both for your brain and your body when you are ereative and you creative explore your fantasies," said Abie, a journalist. Julic said, "Don't be hung up on sports and multiple argasm. And remember, clitoral stimulation helps a lot !"

''बलात्कार का विश्लेषण करें तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्षणिक कामोत्तेजना के वशीभूत होकर व्यक्ति अपना विवेक खोकर इंसान

1. Ahuja Ram : Crime Against Women : Rawat Publication, Jaipur 1987.

से शैतान बन जाता है। मगर जब उसे इस घिनौने अपराध की सजा मिलती है तब उसे होश आता है।''[1]

बलात्कार के प्रत्येक प्रकरण में पीड़ित एवं अपराधी के धर्म सम्बन्धी घटनाक्रम के तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि दो तिहाई प्रकरण में हमलावर ने अपने ही धर्म की महिला को निशाना बनाया।

अध्ययनकर्ता के अनुसार प्रत्येक 10 में से 9 बलात्कार में किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा या क्रूरता नहीं होती व अधिकांशतः महिला को वश में करने के लिए प्रलोभन व मौखिक दबाव का प्रयोग किया जाता है।

शोधकर्ता के निष्कर्षानुसार बलात्कार मौसम की दृष्टि से वन्दनीय नहीं है यह वर्ष के सभी ऋतुओं एवं महीनों में होते हैं। अधिकांशतः बलात्कार सामान्य व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं केवल कुछ अल्पसंख्यक अपराधी मौन एवं सामाजिक रूप से विचलित व्यक्ति होते हैं।

महिलाओं के अपहरण एवं भगा ले जाने सम्बन्धी अध्ययन के निष्कर्ष में शोधकर्ता ने पाया कि विवाहित स्त्रियों की अपेक्षा अविवाहित लड़कियों के भगा ले जाने के शिकार बनने की अधिक सम्भावना होती है।

अपहरणकर्ता एवं उनके शिकार अधिकांश प्रकरणों में एक-दूसरे से परिचित होते है एवं उनका प्रायः प्रारम्भिक सम्पर्क उनके घरों एवं पड़ोस में होता है।

भगा ले जाने के पीछे दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन पाये जाते हैं। (अ) सम्भोग की तृप्ति (ब) आर्थिक अथवा धन प्राप्ति के लिए किये जाते हैं।

---

1. Woman's Era : August (First) 2006.

अधिकांश प्रकरणों में भगा ले जाने के बाद यौन आक्रमण होता है किन्तु अनुसंधान के अनुसार महिला को भगा ले जाने के पीछे केवल यौन संतुष्टि नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसे प्रकरणों में महिला स्वेच्छा से अपहर्ता के साथ अपना घर छोड़कर जाती है यौन एक उद्देश्य होता है जिसमें यौन सम्बन्धों को बलात्कार के रूप में दर्ज किया जाता है।

भगा ले जाने में अधिकांशतया एक ही व्यक्ति लिप्त होता है। इस प्रकार अपराधी की ओर से धमकी या उत्पीड़क की ओर से विरोध इस प्रकार के प्रकरणों में अधिक आम नहीं पाया गया।

सामान्यतः अविवाहित लड़कियां अविवाहित पुरुषों द्वारा एवं विवाहित तथा परित्यक्ता महिलायें विवाहित पुरुषों द्वारा भगाई जाती हैं। साथ ही अपहर्ता एवं उत्पीड़ित दोनों ही मुख्यतः युवावयस्क होते हैं। अध्ययन में पीड़ित (78 प्रतिशत) 10 से 25 वर्ष जबकि अपराधी अधिकांशतः 22-29 वर्ष की आयु के पाये गये। भगा लें जाने सम्बन्धी घटनाओं में अधिकांशतया समान सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। समान्यतया पीड़ित एवं अपराधी दोनों निम्न-मध्यम आय वर्ग के तथा कम शिक्षित पाये गये।

शोधकर्ता ने यह भी पाया कि माता-पिता का नियंत्रण एवं परिवार में स्नेहपूर्ण सम्बन्धों का अभाव भगा ले जाने वाले और पीड़ित के सम्पर्कों तथा लड़की के (पीड़ित के) किसी परिचित व्यक्ति (जिसे बाद में दबाव में आकर भगा ले जाने वाला कहा जाता है) के साथ घर से भाग जाने के निर्णायक कारण होते हैं।

दहेज के लिए हत्या सम्बन्धी निष्कर्षो में शोधकर्ता ने पाया कि लगभग 70 प्रतिशत ऐसी महिलाएँ जिनकी दहेज के कारण हत्या की जाती है। 21 से 24 वर्ष आयु समूह की होती है अर्थात वे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं अपितु सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से परिपक्व होती है।

मध्यम वर्ग की महिलाओं के उत्पीड़न की दर निम्न अथवा उच्च वर्ग की महिलाओं से अधिक होती है। महिला के शैक्षिक स्तर तथा दहेज के लिए की गई उसकी हत्या में कोई पारस्परिक सम्बन्ध नहीं होता है।

वर्तमान समय में कई परिवारों में बधू को दहेज के लिए एवं भ्रूण कन्याओं की हत्या के लिए कई प्रकार के हिंसक अपराध किये जाते हैं। तथा ऐसे घरों में बहुओं के उत्पीड़न की दर उच्च होती है जहाँ गैर समझौतावादी पति तथा मुखिया के रूप में सास प्रधान होती है।

''अभी हाल में ही लखनऊ विश्वविद्यालय में एक गोष्ठी हुई जिस गोष्ठी में **गिरजा व्यास** अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के अनुसार यू०पी० महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य है। इसमें हर घंटे में एक बलात्कार और 48 घंटे में एक अपहरण हो जाता है। जिस कारण से अपराध दर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तथा संगोष्ठी का मुख्य विषय महिला उत्पीड़न एवं यौन हिंसा थी।''[1]

शोधकर्ता ने यह भी पाया कि दहेज हत्या के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय कारक अपराधी पर वातावरण का

---

1. अमर उजाला कानपुर संस्करण 25 जुलाई 2006.

दबाव या सामाजिक तनाव है जो उसके परिवार के आन्तरिक और बाह्य कारणों से उत्पन्न होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारकों में हत्यारे का सत्तावादी व्यक्तित्व एवं उसके व्यक्तित्व का कुसमायोजन पाया गया।

यौन शोषण एवं दहेज हत्याओं के सन्दर्भ में पुलिस की भूमिका अधिकांशतः क्रूर एवं पक्षपात पूर्ण पायी गयी, कभी-कभी तो वे अपराधी परिवारों से मिलकर साक्ष्य मिटाने हेतु गुप्त सहयोग भी करते हैं।

यद्यपि शिक्षित पत्नियों की अपेक्षा अनपढ़ पत्नियों को पति द्वारा पीटे जाने की अधिक सम्भावना रहती है। फिर भी पीटने एवं शैक्षणिक स्तर के मध्य कोई महत्वपूर्ण सम्बन्ध नहीं पाया गया।

अध्ययन में पाया गया कि कम आय वाले (500 रु० मासिक से कम आय वाले परिवारों में महिलाओं का अधिक उत्पीड़न एवं शोषण होता है, यद्यपि परिवार की आय को उत्पीड़न से जोड़ना कठिन है।

अध्ययनकर्ता के अनुसार यद्यपि उन पत्नियों का जिनके पति शराबी होते हैं उत्पीड़न का अनुपात अधिक होता है किन्तु अधिकांश पति अपनी पत्नियों को होशो-हवाश में पीटते हैं न कि नशे की अवस्था में। साधारतया पतियों के पीटने के कारण पत्नियों को कोई गहरी चोट भी नहीं लगती।

शोधकर्ता ने प्रमुख मत यह प्रतिपादित किया है कि पति द्वारा पीटे जाने के प्रति सहनशीलता की जड़े हमारी संस्कृति में इतनी गहरी है कि अनपढ़ कम पढ़ी-लिखी अथवा आर्थिक रूप से निर्भर महिलायें ही नहीं आधुनिक, उच्च शिक्षित तथा आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर

महिलायें पीटे जाने पर पुलिस या अन्य विधिक सहायता नहीं लेती हैं। तथा पीटे जाने पर पड़ोसियों तथा वाह्य व्यक्तियों की सहानुभूति रूपी मदद भी स्वीकार नहीं करती।

कई परिवारों में विधवा भाभी का देहक, मानसिक एवं शारीरिक शोषण किया जाता है। तथा सच्चाई को छिपाने के लिए कई प्रकार की तरकीबें अपनाई जाती हैं।

भारत के कई राज्यों में डायन या चुड़ैल समझकर जिन्दा जला दिया जाता है। ज्यादातर बूढ़ी विधवा बेसहारा औरतों का सक्रिय औरतें इस हिंसा का शिकार करती हैं।

एक कुँआरी लड़की का गर्भवती होना शारीरिक व मानसिक अत्याचार का कारण बनता है। पुरुष यदि अपने पिता बनने के कर्तव्य से मुँह फेर ले तो उस पर कोई आँच नहीं आती परन्तु स्त्री को तरह-तरह के शारीरिक जोखम एवं बदनामी का सामना करना पड़ता है।

अध्ययनकर्ता ने पाया कि महिला हत्या की घटना तथा पारिवारिक कुसमायोजन के स्तर में सकारात्मक सम्बन्ध होता है अर्थात महिला हत्या हेतु समान्यतः पारिवारिक कुसमायोजन एवं विशिष्टतः वैवाहिक सम्बन्ध निर्णायक होते है।

यूनेस्को[1] द्वारा प्रकाशित (भारत एवं कोरिया गणराज्य में) ''महिलाओं के विरूद्ध हिंसा'' सम्बन्धी प्रतिवेदन में भारत के सन्दर्भ में निम्न प्रमुख तथ्य स्पष्ट किये गये हैं।

---

1. UNESCO Principal Regional office for Asia and the pacific violence Against women : Report from India and the Republic of Korea, ed by yugesh Atal and Meera Kosanbi, Bangkok, 1993.

समाज की सामाजिक संरचना को निर्धारित करने वाली पितृसत्तात्मक वैचारिकी महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के लिए प्रमुखतः उत्तरदायी है। पुरुष प्रभुत्व पर आधारित समाज ही जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की अधीनता, अनुसेवा तथा निर्भरता स्वीकार करने हेतु बाध्य करता है। इसी कारण केवल युवा महिलायें ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण महिला प्रजाति पुरुषों के अत्याचारों एवं यौन आक्रमणों का केन्द्र है। प्रतिवेदन के अनुसार महिलाओं के प्रति यौन-वस्तु सम्बन्धी दृष्टिकोंण इतना प्रबल है कि किसी भी आयु की महिला यौन आक्रमण का शिकार हो सकती है। भारत में चार वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार की हत्या का उल्लेख किया गया है।

महिला के विरूद्ध हिंसा सम्बन्धी क्षेत्रीय भाषा की पत्रिकाओं एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर आधारित इस प्रतिवेदन में बताया गया है कि पत्नी को पीटना, जलाना, हत्या, बालिका भ्रूण हत्या, विधवाओं के साथ दुराचार, दहेज उत्पीड़न, पति द्वारा परित्याग, घरेलू हिंसा व बलात्कार महिलाओं के उत्पीड़न एवं हिंसा के प्रमुख प्रकार हैं। इस प्रताड़ना हेतु उत्तरदायी सामान्य कारणों में दहेज की माँग, पत्नी के पतिव्रता धर्म के प्रति सन्देह तथा पुत्र जन्म की असफलता बताये गये हैं। पत्र-पत्रिकाओं में महिला मुद्दो सम्बन्धित प्रमुख प्रकरण महिलाओं का ससुराल में प्रताड़ित होना एवं एक उत्पीड़क के रूप में उनका असहाय होना पाये गये हैं।

दैनिक समाचार पत्र ''टाइम्स ऑफ इण्डिया'' पर आधारित अध्ययन के प्रतिवेदन में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा सम्बन्धी सर्वाधिक प्रकरण बलात्कार के पाये गये हैं। साथ ही गन्दी बस्तियों

में रहने वाली युवा महिलाओं के प्रति इस प्रकार की हिंसा का सर्वाधिक खतरा बताया गया है।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के बेरोक-टोक जारी रहने का प्रमुख कारण प्रतिवेदन के अनुसार इनकी रोकथाम हेतु निर्मित कानूनो का लचीलापन एवं प्रभाव हीनता है। दहेज लेन-देन, दहेज हत्या, युवा वधुओं को प्रताड़ित करने एवं बलात्कार आदि अपराधों के रोकथाम हेतु बनाये गये नवीन कानून व विद्दमान कानूनों के संशोधन महिलाओं के प्रति अपराधों में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि की रोकथाम में प्रभावहीन साबित हुए हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालयों का अपराधियों के प्रति दृष्टिकोंण भी अनुत्तरदायी उदारता का रहा है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के सम्बन्ध में बहुत ही कम अध्ययन हुए हैं। इन अध्ययनों में समस्या के संरचनात्मक विश्लेषण एवं पीड़ित महिलाओं के समाज में पुर्नस्थापना सम्बन्धी पहलू की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है। अतः यह अध्ययन वर्तमान भौतिकवादी समाज में हिंसाओं की निरन्तर बढ़ती हुई दर तथा समस्या की प्रकृति प्रयोजन एवं स्वरूप की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

अस्तु इस दिशा में अध्ययन की आवश्यकता महसूस करते हुए शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध अध्ययन में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के कारणों को समाज के संरचनात्मक एवं संस्थात्मक सन्दर्भ में खोजने की चेष्ठा की साथ-साथ ही हिंसा से ग्रस्त महिलाओं के प्रति समाज के रवैये का समीक्षात्मक विवेचना करते हुए उनके संरक्षण एवं पुर्नवास सम्बन्धी व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किये।

अध्याय–4

महिला हिंसा एक समाजशास्त्रीय विवेचना

महिला हिंसा एक समाजशास्त्रीय विवेचना

हिंसा एक शास्वत घटना है यह अदिम काल से प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। आदिम जीवन का अध्ययन करने वाले अनुसंधान कर्ताओं ने कोई भी ऐसा समाज नहीं पाया जिसमें हिंसा सम्बन्धी व्यवहार न थे। अतः हमें इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि अस्तित्व रहित स्वप्न चिन्तन के अतिरिक्त अपराध का पूर्णतः उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। समाज आदिम हो अथवा आधुनिक शिक्षित हो अथवा अशिक्षित हर समाज में अपराध पाये जाते रहे हैं किन्तु सार्वभौमिक होते हुए भी हिंसा की व्याख्या में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। एक ही कार्य एक स्थान पर हिंसा माना जाता है। किन्तु दूसरे स्थान पर उसी कार्य के लिए पुरष्कृत किया जाता है। सामान्यतः हत्या करने पर हत्यारे को मृत्यु दण्ड की सजा दी जाती है जबकि युद्ध में अधिकाधिक दुश्मनों को मारने वालों को पुरस्कारित किया जाता है। अपराध के द्वारा समाज में अनेक विसंगतियां एवं विकृतियाँ पैदा होती हैं किन्हीं अनजाने कारणों वश यह समझ पाना कठिन है कि वे कौन सी दशायें, कारण या शक्तियाँ है जो व्यक्ति को परम्परागत व्यवहार की लीक से हटकर हिंसा करने को प्रेरित करते हैं। अभी तक कोई ऐसी योजना तैयार नही हो सकी है जिससे सद्व्यवहारात्मक जीवन स्थापित हो सके और मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

हिंसा मानव में समाज विरोधी आचरण है जो सामाजिक या बैधानिक नियमों के विपरीत होते हैं। वैधानिक दृष्टिकोंण से कानून द्वारा

निषिद्ध किसी भी कार्य को करना हिंसा है। हिंसा कानूनी तौर पर वर्जित और साभिप्राय (Intentianal) का है, जिसका सामाजिक हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसका अपराधिक उद्देश्य है और जिसके लिए कानूनी तौर से दण्ड निर्धारित है।[1]

हिंसा मानवीय जीवन को पंगु बना देती है। हिंसा के द्वारा कानून तोड़ने तथा कानून तोड़ने के प्रति प्रतिक्रियाओं को समाविष्ट किया है। कुछ ऐसी हिंसक प्रक्रियायें हैं जिन्हें अवांछनीय समझा जाता है। कुछ लोग इन हिंसक प्रतिक्रियाओं के पोषक होते हैं जो मानवीय मूल्यों का हनन करते हैं। इस प्रकार कानूनी दृष्टि से कोई भी मानव व्यवहार या कार्य तभी अपराध है जबकि उसका कोई बाहरी परिणाम या हानि हो, वह कानून द्वारा निषिद्ध हो, उसका अपराधिक इरादा या नीयत हो, वह साभिप्राय क्रिया हो तथा उसके लिए कानूनी तौर पर निर्धारित प्रक्रिया से दण्डित किया जाये। इस प्रकार अपराध की कानूनी व्याख्या अपराध के परिणाम और दण्ड पर अधिक जोर देती है। किन्तु समाजशास्त्रीय व्याख्या में अपराध की परिस्थितियों पर अधिक जोर दिया जाता है। सामाजिक दृष्टिकोंण से समाज के नियमों का उल्लंघन अपराध माना जाता है। इसे एक असामाजिक कार्य कहा गया है।[2] समाजिक दृष्टिकोंण से अपराध व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है जो उन मानव सम्बन्धों की व्यवस्था में बाधा डालता है जिन्हें समाज अपने अस्तित्व के लिए मौलिक शर्त के रूप में मानता है।[3] इस दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं या मूल्यों के विरूद्ध कार्य करके

---

1. हाल जिरोम, जनरल प्रिसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, इण्डियन पोलिस, 1947, पृष्ठ 8-18.
2. मोरर अर्नेस्ट - डिस्आर्गेनाइजेशन : सोशल एण्ड पर्सनल, 1959.
3. हैकर बाल - इकोनामिक एण्ड सोशल आस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम इन इण्डिया, 1927 पृष्ठ 27.

अपर्याप्त सबूतों या कानूनों में बचाव के कारण भले ही कानूनी तौर पर न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिया जाये किन्तु समाज विरोधी कार्य के कारण सामाजिक दृष्टि से उसे हिंसक माना जाता है तथा सामाजिक निन्दा आदि के रूप में दण्ड का भागीदार बनना पड़ता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक समाज विरोधी कार्य कानूनी दृष्टि से हिंसा हो अथवा कानूनी दृष्टि से सभी हिंसा समाज विरोधी हो।

वास्तव में हिंसा एक जटिल सापेक्ष एवं बहुआयामी प्रत्यय है जो सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास के अनुरूप परिवर्तित होता है। प्रारम्भ में जब समाज का रूप सरल था एवं समाज में नैतिक एवं धार्मिक एकता थी उस समय हिंसा की दर कम थी। परन्तु भोगी-विलासी जीवन के कारण नैतिक एवं मानवीय मूल्य घटे और हिंसक प्रवृत्तियाँ बढ़ी।

मूल्यों तथा सामाजिक प्रतिमानों एवं नियमों का उल्लंघन किसी भी आयु एवं लिंग के व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है और इस दृष्टि से हिंसा की अनेक श्रेणियाँ होती हैं। एक बृद्ध महिला द्वारा की जाने वाली हिंसा कम आयु वाली बालिका द्वारा हिंसक व्यवहार तथा शारीरिक दृष्टि से कामन महिला वर्ग द्वारा किये जाने वाली हिंसा में अनेक आधारों पर भिन्नता होती है।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा से आशय हिंसक नियति से किये जाने वाले कानूनी दृष्टि से निषिद्ध व दण्डनीय ऐसे कार्यो से है जो विशेष तौर पर महिलाओं के विरूद्ध किये जाते हैं। अर्थात इस प्रकार की हिंसा महिला के विरूद्ध किये जाने वाले वे हिंसा युक्त कार्य है जिसमें उत्पीड़ित महिला होती है। इस दृष्टि से महिलाओं के प्रति हिंसा से

तात्पर्य है। महिलाओं के निकट रिश्तेदारों जैसे माता-पिता, भाई-बहन, सास-ससुर, पति, देवर, ननद या परिवार के किसी भी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार एवं उत्पीडन जो महिला को शारीरिक, मानसिक आघात पहुँचाता है। **नदिता गाँधी एवं शाह के अनुसार-** "महिला के प्रति हिंसा के अन्तर्गत बलात्कार, दहेज हत्यायें, पत्नी को यातनायें देने, यौनिक हतोत्साहन तथा संचार माध्यम में स्त्री को गलत ढंग से समाहित किया जा सकता है।"[1]

किरन बेदी के अनुसार "यदि लड़कियों को शिक्षित किया जाये तो समाज में कई प्रकार की हिंसाओं को रोका जा सकता है।

हमारा समाज पीढ़ियों से बेटी को साक्षर व स्वावलम्बी बनाने का विरोधी रहा है। यह विरोध आगे भी इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन समझदार माता-पिता को अपनी बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़कार अपने साहस व सूझबूझ का परिचय देना होगा तभी उनकी बेटियों का भविष्य सुरक्षित व खुशहाल होगा।[2]

महिलाओं के प्रति हिंसा केवल आज के युग की घटना नहीं है बल्कि भारत में महिलाओं का उत्पीड़न प्राचीन काल से होता रहा है। जिसका उल्लेख यहाँ के प्राचीन धर्म ग्रन्थों एवं पुस्तकों में मिलता है। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रोपदी को जुये के दाँव में लगा दिया था और दुर्योधन ने भरी सभा में चीर हरण कर अपमानित किया था। विधवाओं को भारत में अनेक अधिकारों से वंचित विभिन्न प्रकार के कष्ट दिये जाते रहे हैं। सतीतत्व के नाम पर इसी

---

1. Gandhi N. and Shah N., the issues at stake, theory and practice in the contemborary Women's Movement in India, Page-32-33.
2. डा० किरन बेदी - जैसा मैने देख, पेज नं० 100.

देश में महिलाओं को जिन्दा जलाया जाता रहा। वास्तव में राजा को विजय करके उसकी पुत्री तथा पत्नी को भोग्या की वस्तु माना है। हमारे यहाँ सदियों से महिलाओं को कभी धर्म के नाम पर कभी सामाजिक व्यवस्था के नाम स्त्री सुलझ कोमल भावना को दबाकर रखा गया है।

किरन बेदी के अनुसार महिलाओं को असक्षम बनाने के लिए सामाजिक नीतियाँ जिम्मेदार हैं, ''विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, जिसके परिवार भी है ऐसी महिला किसी भी अन्य महिलाओं की अपेक्षा अधिक तनावयुक्त रहती है। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ वह है महिलाओं में व्यक्तिगत अपूर्णता, अक्षमता की भावना।''[1]

''प्रायः प्रत्येक धर्म में स्त्री को पुरुष से निम्न ठहराया गया है। इसाई धर्म में स्त्री की उत्पत्ति पुरुष की पसली से मानी जाती है। बाइबिल में स्त्री को एक लुभाने वाली और पथ भ्रष्ठ करने वाली नारी के रूप में चित्रित किया गया है।''[2]

''समानता का दावा करने वाले इस्लाम में एक पुरुष एवं दो स्त्रियों की गवाही बराबर है। पुरुष को तीन बार तलाक-तलाक कह देने मात्र से ही पत्नी को छोड़ देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्त्री को परदे में रहना आवश्यक है तथा मस्जिद में जाने का भी उसे अधिकार प्राप्त नहीं है। हिन्दू धर्म में यह असमानता मनु से लेकर तुलसीदास तक अनवरत विद्यमान रही है। मनु ने स्त्रियों को शारीरिक एवं नैतिक दृष्टि से दुर्बल माना है तथा उन्हें सभी

---

1. डा० किरन बेदी - जैसा मैने देख, पेज नं० 195.
2. भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट का सार संक्षेप अलाईड पब्लिशर्स, दिल्ली, पृष्ठ 17.

अवस्थाओं में रक्षा एवं सुरक्षा की आवश्यकता बताते हुए स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाया है।''[1] स्त्रियों को बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के साथ तथा बृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने की आवश्यकता बताते हुए हमें सुरक्षा के नाम पर नारी को अनावश्यक रूप से पराधीन बना दिया है। तुलसीदास ने स्त्रियों की तुलना ढ़ोल, गँवार, शूद्र तथा पशु, से करते हुए इन्हें ताड़ना का अधिकारी बताया है। इसी समाज में नारी को वस्तु की भाँति पांच भाइयों में बराबर बाँट दिये जाने को धार्मिक मान्यता प्राप्त हुई है, यहाँ पतिवृत के उदाहरण स्वरूप गांधारी तथा सीता जैसे चरित्र गढ़े गये है।

हिन्दू धर्म में स्त्रियों पर कई अपमानजनक गुण आरोपित किये गये हैं। केवल माता व पत्नी के रूप में ही स्त्री की भूमिका को आदर्श भूमिका माना जाता है। एक आदर्श पत्नी निष्ठावान और सहनशील होती है और पति की सेवा करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। वंश परम्परा को अवच्छिन्न बनाये रखने के लिए पुत्र को अधिक महत्व देना तथा पुत्र द्वारा अग्नि देने पर मोक्ष की प्राप्ति सम्बन्धी मान्यताओं एवं प्रथाओं ने हिन्दू धर्म में पितृवंशीय सामाजिक संरचना को दृढ़ बनाया है। रजोधर्म और प्रसूतिकाल में स्त्रियाँ को अपवित्र मानना तथा इस अवधि में धर्मानुष्ठानों में उनकी सहभागिता को वर्जित किये जाने से यह धारणा दृढ़ होती है कि स्त्रियां प्राकृतिक रूप से पुरुषों से निकृष्ट है। विवाह और मातृत्व आवश्यक माने जाने के कारण एक हिन्दू स्त्री से यह आशा की जाती है कि वह अपने

---

1. मनु, अध्याय 9, संस्कृति संस्थान, बरेली, 1967, पृष्ठ 93.

पति व पुत्रों की दीर्घायु हेतु व्रत रखे। दूसरी ओर वैधव्य को दुर्भाग्य से सम्बद्ध किया जाता है और उसे अशुभ माना जाता है। किन्तु हिन्दू पुरुष इस प्रकार के प्रतिबन्धों से परे है। उसे अपनी विवाहिता स्थिति प्रदर्शित करने के लिए महिला की भाँति कोई विशेषक चिन्ह नहीं लगाना पड़ता न ही अपनी पत्नी के लिए कोई व्रत रखना पड़ता है और न ही उस पर पुनर्विवाह के लिए कोई प्रतिबन्ध ही है।

महिला हिंसा समाज के लिए अभिशाप है जिसमें महिलाओं के कई प्रकार के अमानवीय कृत किये जाते हैं जो परिवार एवं समाज के लिए घातक होते हैं। महिलाओं को शारीरिक दृष्टि से दुर्बल माना जाता है उन्हें पुरुषों की अपेक्षाकृत कम बुद्धिमान एवं सक्षम माना जाता है। महिला हिंसा के द्वारा महिलाओं में जीवन की आधारभूत आवश्यकतायें एवं प्रकृति प्रदत्त स्वाभाविक गुणों का भी विनाश होता है। ''स्त्रियों की जैविक विशिष्टता तथा मानसिक शक्तियों के कारण समाज उनसे विशेष प्रकार के कर्तव्य पालन की अपेक्षा रखता है।''[1] ''फ्रायड के अनुसार पुरुष और स्त्री में मानसिक भिन्नता है। इस भिन्नता के कारणों के अन्वेषण से हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि पुरुषत्व कार्यशीलता में विलीन हो जाता है और स्त्रीत्व निष्क्रियता में विराम लेता है।''[2] ''दूसरों को बदलने से पहले अपने आपको बदलो।''[3]

अमृता प्रीतम के अनुसार ''महिलाओं को अपने जीवन में जागरूक होना चाहिए जिससे उसका जीवन स्पष्ट रूप से सुसज्जित बन सके।''

---

1. एलिस, हैवलाक - मैन एण्ड वूमन, पृष्ठ-5.
2. क्लेन, वायोला - दि फैमिनिन कैरेक्टर, पृष्ठ-81.
3. किरण बेदी, हिम्मत है। -

''मैं औरत थी, चाहे बच्ची-सी, और यह खौफ सा विरासत में पाया था कि दुनिया के भयानक जंगल में से मैं अकेली नहीं गुजर सकती, और शायद इसी भय में से अपने साथ के लिए मर्द के मुँह की कल्पना करना-मेरी कल्पना का अन्तिम साधन था..............

पर इस मर्द शब्द के मेरे अर्थ कहीं भी पढ़े, सुने या पहचाने हुए अर्थ नहीं थे। अन्तर में कहीं जानती अवश्य थी, पर अपने आपको भी बता सकने की समर्थ्य मुझमें नहीं थी। केवल एक विश्वास-सा था-कि देखूंगी तो पहचान लूंगी।

पर दूर मीलों तक कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता था और इस प्रकार वर्षों के कोई अड़तीस मील गुजर गये।

मैंने जब उसे पहली बार देखा........................तो मुझसे भी पहले मेरे मन ने उसे पहचान लिया। उस समय मेरी आयु कोई अड़तालिस वर्ष थी.................

यह कल्पना इतने वर्ष जीवित रही, और इसके अर्थ भी जीवित रहे - इस पर चकित हो सकती हूं पर हूँ नहीं, क्योंकि जान लिया है कि यह मेरे 'मैं' की परिभाषा थी - थी भी, और है भी।

मैं उन वर्षों में नहीं मिटी, इसलिए वह, भी नहीं मिटी......

यह नहीं कि कल्पना से शिकवा नहीं किया, उस आयु की कई कविताएँ निरी शिकवा ही हैं, जैसे -

लक्स मेरे अम्बारा बिच्चों, दस्स की लम्भा सान्नू
इक्को तंद प्यार दी लम्भी, ओह वी तंद इकहरी.....[1]

(सिर्फ औरत पृष्ठ नं० 54

---

1. अमृता प्रीतम-रसीदी टिकट, पेज 54-55 हिन्दी पॉकेट बुक्स प्राइवेट लि०, नई दिल्ली।

1. तेरे लाखों अम्बरों में से बताओ हमें क्या मिला

प्यार का एक ही तारा मिला, वह भी इकहरा.........

आधुनिक समाज में महिलाओं के साथ कई प्रकार की हिंसाये की जा रही हैं। घरेलू हिंसा में ब्रिटेन भी भारत से पीछे नहीं है। ब्रिटेन में कई प्रकार के अपराध महिलाओं द्वारा किये जाते हैं। अभी हाल में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष गिरिज ब्यास हाल में ही ब्रिटेन से दौरा करके लौटी हैं। वे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण भारत से ब्रिटेन में व्याही गयी लड़कियों की वैवाहिक हालत की समीक्षा करने गई थीं। वहाँ उन्होंने कई ऐसी महिलाओं से मुलाकात की, जो शादी के बाद किसी न किसी रूप में प्रताड़ित की गई हैं। व्यास कहती हैं कि प्रवासी भारतीय लड़के यहाँ की लड़कियों से दहेज के चलते शादी तो कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने बताया कि अक्सर पति पहले से शादीशुदा होता है। ऐसे में, ज्यादातर महिलाओं को या तो नौकरानी बनाकर जुल्म किये जा रहे हैं। या उन्हें बन्द कमरे में रखा जाता है। उन्होंने बताया कि कई मामले एंसे भी है जहाँ शादी के बाद पत्नी को उसके मायके में ही छोड़ दिया गया है।

व्यास का कहना है कि बेटे को विदेश में व्याहने से परिवार के अन्य सदस्यों के लिए विदेश जाने के दरवाजे खुलने की मानसिकता के चलते माँ-बाप लड़कों के बारे में बिना जानकारी जुटाये अधाधुंध ा अपनी बेटियों की शादी विदेश में कर रहे हैं। व्यास ने बताया कि भारत में परिवार द्वारा तय की शादी को इग्लैण्ड में फोर्स्ड मैरेज के तौर पर जाना जाता है। फोर्स्ड मैरेज सेल ऑफ द ब्रिटिश होम

ऑफिस में हर साल भारत समेत अन्य दक्षिण एशियाई देशों से 300 फोर्स्ड मैरेज के मामले दर्ज होते हैं। इससे ब्रिटिश सरकार काफी चिंतित हैं। ब्रिटिश सरकार मानती है कि फोर्स्ड मैरेज के चलते ही ब्रिटेन में घरेलू हिंसा की दर में इजाफा हुआ है।[1]

स्त्री का कार्य इस निष्क्रियता के अनुरूप ही होना चाहिए। महिलाओं के सम्बन्ध में ऐसा माना जाता है कि उनकी ही स्थिति स्वाभाविक एवं ईश्वर प्रदत्त है। वौद्ध कथा के अनुसार ईश्वर ने पुरुष को पुरुषार्थ, कठोरता, साहस, बल और पराक्रम के रूप में और स्त्री को सौन्दर्य, सौम्यता, कोमलता, सहनशीलता, करुणा व प्रेम के प्रतीक के रूप में बनाया और दोनों को अलग-अलग यह विशेषताएँ प्रदान कीं। परिणामतः पुरुष कठोरता, साहस और बल आदि से भरपूर हो गया किन्तु सौन्दर्य, सौम्यता आदि से वंचित होने से कुरूप और क्रूर हो गया। उधर स्त्री सुन्दरता, कोमलता आदि गुणों से सम्पन्न तो हो गयी पर उसमें कठोरता, साहस बल आदि गुणों की कमी रह गयी।[2] इस प्रकार लगभग सभी धर्मो में प्रचलित तत्सम्बन्धी पौराणिक कथाओं ने महिलाओं को निम्न स्थिति प्रदान करने तथा उनके सामाजिक शोषण के अवसरों में वृद्धि की है। यद्धपि यह सत्य है कि मातृत्व तथा प्रसूति आदि के रूप में महिला-पुरुष के मध्य कुछ जैविकीय भिन्नताएँ है किन्तु प्रमाणों से स्पष्ट है कि यह भिन्नताएँ महिला-पुरुष के मध्य किसी प्रकार की अधीनता या आधिपत्य का कारण नहीं है। आज के प्रजातांत्रिक मूल्यों व समतावादी समाज की मान्यताओं के अनुरूप इन्हें किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तथापि

---

1. दैनिक अमर उजाला, कानपुर संस्करण पेज-2 26 अक्टूबर 2006.
2. निरोगधाम - अंक 93, अप्रैल 2, 1993 पृष्ठ 49-50.

यह दकियानूसी सोच स्त्रियों के विरूद्ध अपराध का एक बड़ा कारण रहा है और किसी हद तक परम्परावादी समाज में यह अभी भी स्त्रियों के शोषण का कारण बना हुआ है।

महिलाओं में धर्म के प्रति उदारवादिता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। जिस कारण से महिलायें वैदिक युग से वर्तमान युग तक सामाजिक शोषण की शिकार होती रहीं हैं। औरत को उपेक्षिता की दृष्टि से देखा गया है। समाज के लोगों ने उसको हीन दृष्टि से विभिन्न प्रकार की व्यंगोंक्तियों एवं व्यंग कसके उसको मानसिक चोट पहुँचाई जिससे उसका जीवन हमेशा उपेक्षित प्रतिमानों पर केन्द्रीभूत रहा।

बंग्लादेश की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार तस्लीमा नसरीन के अनुसार -

It is one of the greatest friends on the people to suggest the religions affinity can unite areas which are geognaphically, economically, linguistically and culturally different. It is true that Islam sought to establish a society which transcends racial. linguisitic, economic and political frontiers. History has between proved that after the first few decades or at the most after the first century. Islam was not able to unite all the muslim countries on the basis of Islam alone."[1]

आज नारी के प्रति अनेक प्रकार के अपराध हो रहे हैं। 'अपराध' कानूनी रूप से भी परिभाषित शब्द है। सामाजिक दृष्टि से इसे समाजिक नियमों का उल्लघंन या विचलन कहा जाता है। नारी को शारीरिक व मानसिक यातनाएँ देना, उसके साथ मार-पीट करना,

---

1. अनुवाद मुनमुन सरकार, तस्लीमा नसरीन-उपन्यास लज्जा पेज नं0-10 वाणी प्रकाशन नई दिल्ली।

उसका शोषण करना नारीत्व को नंगा करना, भूखा-प्यासा रखकर या जहर आदि देकर उसको दहेज की बलि चढ़ा देना निश्चित रूप से नारी के प्रति अपराध ही कहे जायेगें।

पूरे देश में नारियों के प्रति अपराधों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। विभिन्न पत्रिकाओं के द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट के संकेत मिलते है कि नारी का शोषण और उसकी गरिमा एक दूसरे के विरोधाभास है। आधुनिक और रूढ़िवादी परिवारों में शोषण दोनों में है परन्तु उसके पास वह वाणी और शब्द नहीं है जिससे कि पुरुष वर्ग को नग्न करके सारे समाज के समक्ष सच्चाई को उजागर कर सके क्योंकि पुरुष और नारी प्राकृतिक तरीके से दुर्बलताओं क्षमताओं एवं लिंग भेदता के पूरक हैं।

आंकड़ों के माध्यम से भारत के 1998 ई0 से 2001 ई0 तक नारियों के विरूद्ध अपराध के आंकड़ों को दरशार्या जा रहा है।

भारत में 1998 ई0 से 2001 ई0 में हुए नारियों के विरूद्ध अपराध

तालिका-4.1

क्र. सं.	अपराध	वर्ष				2001में 2000से प्रतिशत
		1998	1999	2000	2001	
1.	बलात्कार	15151	15468	16496	16075	2.5
2.	अपहरण व व्यभिचार	16351	15962	15023	14645	2.5
3.	दहेज हत्या	6975	6699	6995	6851	2.0
4.	उत्पीड़न	41376	43823	45778	49170	7.4
5.	छेड़छाड़	30959	32311	32940	34124	3.6
6.	यौन उत्पीड़न	8054	8858	11024	9746	11.6
7.	लड़कियों का व्यापार	146	1	64	114	78.1
8.	सती निरोधक अधिनियम	0	0	0	0	-
9.	अनैतिक व्यापार रोकने सम्बन्धी अधिनियम	8695	9363	9515	8796	7.6
10.	अनैतिक प्रदर्शन रोकने सम्बन्धी अधिनियम	190	222	662	1052	58.9
11.	दहेज निरोधक अधिनियम	3578	3064	2876	3222	12.0
	कुल	131475	135771	141373	143795	1.7

स्रोत क्राइम इन इण्डिया : 2001, पृष्ठ 256

आज नारी के प्रति आपराधिक हिंसा ही नहीं बढ़ रही है अपितु घरेलू हिंसा में भी अत्यधिक बृद्धि हो रही है। घरेलू हिंसा का सम्बन्ध घर-गृहस्थी में नारी का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। विवाह के समय नारी सुनहरे स्वप्न देखती है अब प्रेम, शान्ति व आत्म-उपलब्धि का जीवन प्रारम्भ होगा। परन्तु इसके विपरीत सैकड़ों विवाहित नारियों के यह सपने क्रूरता से टूट जाते हैं। वे पति द्वारा मार-पीट और यातना की अन्तहीन लम्बी अंधेरी गुफाओं में अपने आपको पाती हैं जहाँ उनकी चीख-पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। दुख तो यह है कि ऐसी मार-पीट का जिक्र करने में भी उन्हें लज्जा अनुभव होती है और यदि वे शिकायत भी करे तो खुद उन्हें ही दोषी माना जाता है या उन्हें भाग्य के सहारे चुपचाप सहने की सलाह दी जाती है। पड़ोसी ऐसे मामलों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि यह पति-पत्नी के बीच निजी मामला समझा जाता है। यदि पुलिस में रिपोर्ट करने जायें तो वहाँ भी पुरुष प्रधान संस्कृति में पले पुलिस अधिकारी पहले नारी का ही मजाक उड़ाते हैं और रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करते हैं। पुरुष को पत्नी की पिटाई का निरपेक्ष अधिकार है और आम आदमी यह मानकर चलता है कि नारी पिटने लायक ही होगी अतः पिटेगी ही। दुर्भाग्य की बात है कि ऊपर से शान्त और सम्मानित प्रस्थिति वाले अनेक परिवारों में जहाँ पति-पत्नी दोनों शिक्षित और आत्म-निर्भर हैं, वहाँ भी मार-पीट की घटनाएँ हो जाती हैं और यह नियमितता का रूप लेने लगती हैं। कहीं-कहीं पिता भी अपनी अविवाहित बेटियों के साथ बहुत मार-पीट करते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक दृष्टि से नारी बड़ा असहाय महसूस

करती हैं। क्योंकि वह जहाँ कहीं शिकायत करे, चाहे पड़ोसी हों, चाहे उसके सगे-सम्बन्धी, चाहे पुलिस, वकील या जज, सभी उसे समझौता करने की सलाह देते हैं।

''**सोनल के अनुसार** घरेलू हिंसा के विरूद्ध संगठित प्रयास किया जाना जरूरी है। नगरों में नारियों को परस्पर बातचीत करना सीखना चाहिए और एक दूसरे के अनुभवों से फायदा उठाना चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत तो ऐसे संरक्षण गृहों की है जहाँ ऐसी परिस्थिति में नारी अपने बच्चों के साथ सिर छुपा सके और फिर इसी दिशा में आवश्यकतानुसार कदम उठा सके।''[1]

1. See, savvy, Oct, 1986, P.P. 47-53

उत्तर प्रदेश में नारियों के प्रति अपराध की संख्या अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक है। भारत में प्रतिशत के आधार पर मध्यप्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में नारियों के प्रति विभिन्न प्रकार के अपराधों की स्थिति को निम्नांकित तालिका 2 में दर्शाया गया है।

तालिका-4.2

क्र. सं.	राज्य/केन्द्रशासित राज्य	बलात्कार	अपहरण व व्यपहरण	दहेज हत्या	पति व रिश्तेदारों द्वारा क्ररता	छेड़छाड	भद्दी टिप्पणी
1.	आन्ध्र प्रदेश	871	765	420	5791	3544	2271
2.	अरुणांचल प्रदेश	33	55	0	11	78	3
3.	असम	817	1070	59	1248	850	4
4.	बिहार	888	518	859	1558	562	21
5.	छत्तीसगढ़	259	171	70	840	1763	161
6.	गोवा	12	6	2	11	17	7
7.	गुजरात	286	857	67	3667	756	111
8.	हरियाणा	398	297	285	1513	478	401
9.	हिमांचल प्रदेश	124	105	10	317	310	14
10.	जम्मू काश्मीर	169	504	13	50	622	288
11.	झारखण्ड	567	279	217	484	297	5
12.	कर्नाटक	293	271	220	1755	1665	81
13.	केरल	562	97	27	2561	1942	81
14.	मध्य प्रदेश	2851	668	609	2562	7063	751
15.	महाराष्ट्र	1302	611	308	6090	2823	1120
16.	मणिपुर	20	62	0	5	21	0
17.	मेघालय	26	11	0	4	25	0
18.	मिजोरम	52	1	0	16	52	0
19.	नागालैण्ड	17	6	0	0	6	0
20.	उड़ीसा	790	434	294	1266	1655	458
21.	पंजाब	298	324	159	1128	372	47
22.	राजस्थान	1049	2165	376	5532	2878	56
23.	सिक्किम	8	2	0	0	0	14
24.	तामिलनाडु	423	607	191	815	1773	1012
25.	त्रिपुरा	102	35	16	227	58	0
26.	उत्तर प्रदेश	1958	2879	2211	7365	2870	2575
27.	उत्तरांचल	74	126	56	301	103	84
28.	पश्चिम बंगाल	709	695	265	3859	954	48
	कुल राज्य	15658	13621	6734	48976	33537	9613

क्र. सं.	राज्य/केन्द्रशासित राज्य	बलात्कार	अपहरण व व्यपहरण	दहेज हत्या	पति व रिश्तेदारों द्वारा क्ररता	छेड़छाड	भद्दी टिप्पणी
29	अण्डमान और नीकोबार द्वीप समूह	3	2	0	9	19	1
30.	चण्डीगढ़	18	50	3	36	24	15
31.	दादर नगर हवेली	6	2	0	4	7	0
32.	दमन और द्वीप	0	3	0	4	0	0
33.	दिल्ली	381	964	113	138	502	90
34.	लक्ष्यद्वीप	0		0	0	0	0
35.	पाण्डिचेरी	9	3	1	3	35	27
	कुल केन्द्रशासित राज्य	417	1024	117	194	587	133
	कुल समपूर्ण भारत	16075	14645	6851	49170	34124	9746

तालिका-4.3

क्र. सं.	राज्य/केन्द्रशासित राज्य	लड़कियो का व्यापार	स्त्री निरोधक अधिनियम	अनैतिक व्यापार रोकने सम्बन्धी अधिनियम	अनैतिक प्रदर्शन रोकने सम्बन्धी अधिनियम	दहेज निरोधक अधिनियम	कुल मामले
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	0	1332	925	551	16477
2.	अरुणांचल प्रदेश	0	0	0	0	0	180
3.	असम	0	0	6	10	179	4243
4.	बिहार	83	0	29	3	835	5356
5.	छत्तीसगढ़	0	0	12	0	13	3989
6.	गोवा	0	0	28	0	0	83
7.	गुजरात	0	0	61	0	0	5805
8.	हरियाणा	0	0	21	0	0	3393
9.	हिमांचल प्रदेश	0	0	1	0	9	890
10.	जम्मू काश्मीर	0	0	7	0	3	1656
11.	झारखण्ड	2	0	3	0	375	2229
12.	कर्नाटक	0	0	1356	0	361	6002
13.	केरल	0	0	132	42	6	5450
14.	मध्य प्रदेश	0	0	15	0	30	14549
15.	महाराष्ट्र	1	0	233	9	27	12524
16.	मणिपुर	0	0	4	0	0	112
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	66
18.	मिजोरम	3	0	2	0	0	126
19.	नागालैण्ड	0	0	1	0	0	30
20.	उड़ीसा	0	0	24	0	436	5357
21.	पंजाब	0	0	32	1	0	2361
22.	राजस्थान	1	0	68	46	4	12175
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	24
24.	तामिलनाडु	14	0	5232	11	33	10111
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	438
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	26	3	340	20227
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	5	749
28.	पश्चिम बंगाल	3	0	31	0	6	6570
	कुल राज्य	114	0	8656	1050	3213	141172

क्र. सं.	राज्य/केन्द्रशासित राज्य	लड़कियो का व्यापार	स्त्री निरोधक अधिनियम	अनैतिक व्यापार रोकने सम्बन्धी अधिनियम	अनैतिक प्रदर्शन रोकने सम्वन्धी अधिनियम	दहेज निरोधक अधिनियम	कुल मामले
29	अण्डमान और नीकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	34
30.	चण्डीगढ़	0	0	0	1	0	150
31.	दादर नगर हवेली	0	0	0	0	0	19
32.	दमन और द्वीप	0	0	3	0	0	10
33.	दिल्ली	0	0	25	1	7	2291
34.	लक्ष्यद्वीप	0		0	0	0	0
35.	पाण्डिचेरी	0	0	39	0	2	119
	कुल केन्द्रशासित राज्य	0	0	140	2	9	2632
	कुल समपूर्ण भारत	114	0	8796	1052	3222	143795

स्रोत क्राइम इन इण्डिया : 2001 पृष्ठ 261-267

वास्तव में भारतीय समाज की पित्र-सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में वैवाहिक एवं पारिवारिक संगठन के अन्तर्गत स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में निम्न स्थान ही मिला है। समाज में प्रचलित प्रथायें, परम्परायें, रीति-रिवाज, सामाजिक-सांस्कृतिक दशायें, विशेषतः स्त्रियों हेतु स्थापित सामाजिक संहिताएं तथा कर्मकाण्डीय पवित्रता आदि से सम्वन्धित धारणाएँ स्त्रियों के विरूद्ध है। उन्हें पुरुषों के अधीन बनाती हैं। वैयक्तिक एवं पारिवारिक स्तर पर स्त्री की अस्मिता की व्याख्या में पुरुष प्रधान पूर्वाग्रह है, वह पिता की पुत्री, भाई की बहन, पति की पत्नी और पुत्री की माँ है। उसके अस्तित्व एवं व्यक्तित्व की कोई स्वायत्त पहचान नहीं है। वह अबला एवं पराश्रित है।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था में वंश व कुल पुरुष से चलता है। लड़कियाँ दूसरे कुल गोत्र से आती हैं तथा विवाह के समय पुत्री अपने पिता का कुल-गोत्र त्यागकर अपने पति के कुल गोत्र में शामिल होती है। इससे समाज में स्त्री की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। परिवार के धार्मिक कर्तव्य केवल पुत्र ही कर सकता है। पुत्री के विवाह की सामाजिक-सांस्कृतिक अनिवार्यता के कारण लड़की को भार स्वरूप तथा 'पराया धन' माना जाता रहा है। इसलिए माता-पिता उससे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की आशा किये बिना उसका पालन-पोषण करते हैं तथा उसके विकास पर किया जाने वाला कोई भी निवेश निरर्थक माना जाता है। स्त्रियों के प्रति शोषण चिकित्सा सम्बन्धी देख-रेख तथा शिक्षा आदि के मामलों में किया जाने वाला भेद-भाव प्रत्यक्ष रूप से इसी प्रवृत्ति से सम्बन्धित है। इसके विपरीत पुत्र को बृद्धावस्था का सहारा तथा स्वर्ग के पथ को प्रकाशमान करने वाला माना जाता है।

परिणामतः परिवार में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है तथा कन्या जन्म अशुभ माना जाता है। पूर्व में जहाँ जन्म के पश्चात् कन्याओं की हत्या कर दी जाती थी वहीं वर्तमान समय में उनकी गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है।

लिंग भेद तथा यौन असमानता सम्बन्धी समाजीकरण की सीख लड़की के जीवन में प्रायः शीघ्र प्रारम्भ हो जाती है। चूंकि विवाह के बाद उसे अपने पिता का घर छोड़ना होता है अतः लड़कियों पर छोटी आयु से ही उन गृहकार्यों को सीखने सम्बन्धी दबाव रहता है जिनका भार विवाह के बाद उन्हें ही वहन करना होता है। एक स्त्री से यह अपेक्षा की जाती है कि विवाह के बाद वह अपने ससुराल की गृहस्थी के अनुरूप स्वयं को ढाले। परम्परागत सोंच के लोगों में आज भी पिता के घर से विदाई पिता के चुनाव तथा अन्य विभिन्न निर्णयों में स्त्रियों की सहभागिता की दर अत्यधिक कम है एवं उनके महत्व को स्वीकारा नहीं जाता। स्त्री के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित निणयों में भी उसकी स्वयं की कोई भूमिका नहीं होती है तथा उस पर सभी निर्णय थोपे जाते हैं, जिन्हें स्वीकार करने की सीख समाजीकरण की प्रक्रिया में उसे बाल्यकाल से ही दी जाती है।

सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत पुरुषों को विभिन्न सुविधाएँ एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जबकि इसके विपरीत महिलाओं को खान-पान, रहन-सहन, आचार-विचार आदि सम्बन्धी विभिन्न प्रतिबन्धों एवं संहिताओं का पालन करना पड़ता है। सामाजिक लोक-लाज तथा मान-मर्यादा सम्बन्धी आदर्श समाज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति को निम्न बनाते हैं। तथा उनके शोषण व उनके विरूद्ध

होने वाले अत्याचारों में वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार भारत की स्त्री जनसंख्या के कुछ जनांकिकीय लक्षण, जैसे अल्प आयु में विवाह, मृत्यु और निरक्षरता की ऊँची दर, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का कम अनुपात (लिंग अनुपात), शैशवावस्था एवं प्रसूति काल में स्त्रियों की उच्च्य मृत्यु संख्या, तुलनात्मक रूप से निम्न जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य का निम्न स्तर तथा श्रम-शक्ति में सहभागिता की निम्न दर आदि समाज में उनकी निम्न स्थिति का परिचय देते हैं। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में सुधार हुआ है तथापि यह निर्विवादित है कि पुरुष और स्त्री में स्थिति की असमता अभी तक विद्यमान है जो उनके शोषण का एक प्रमुख कारण है।

महिलाओं की पराधीनता एवं उनके आर्थिक शोषण का प्रमुख कारण उनकी एक दासता एवं मजबूरी है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय एवं संकीर्णता से ग्रस्त है। महिलाओं का दैहिक एवं यौनिक शोषण आर्थिक प्रबन्धन के दृष्टिकोण का पटाक्षेप करता है। महिलाओं का अतीत काल से उच्च्य, मध्यम एवं निम्न वर्ग में शोषण की प्रक्रिया होती रही महिलाओं का सतीतत्व एवं कौमार्यपन को भंग करने में पुरुष वर्ग रहा है। आदि काल से वर्तमान काल तक महिलाओं के साथ होने वाले दुराचार और व्यभिचार को विभिन्न बिन्दुओं एवं प्रतिमानों पर केन्द्रित किया जाता है। महिलाओं की कोमल प्रकृति के अनुरूप उनका कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित रखा गया है किन्तु घर के आर्थिक प्रबन्धन की पूर्ण जिम्मेदारी पुरुष को सौपी गई है।

वर्तमान समय में यद्यपि आर्थिक दबावों तथा वीमन लिबरेशन आदि के परिणामस्वरूप महिलाओं को श्रम बाजार में प्रवेश करने की

स्वतंत्रता दी गई है किन्तु यह स्वतंत्रता जहाँ एक ओर अल्प संख्यक महिलाओं तक ही सीमित है वहीं इस स्वतंत्रता से महिलाओं की भूमिका का विषय वाद-विवाद का बिन्दु बन गया है। कार्यस्थल के दायित्वों के अतिरिक्त परम्परागत गृह कार्यों सम्बन्धी अपेक्षाएं यथावत हैं। कार्यशील महिलाओं के प्रति स्वयं इनके परिवार तथा समाज का दृष्टिकोण भी कोई अधिक सकारात्मक या सहयोगी नहीं है। महिलाओं को मूलतः निम्न क्षमतावान माना जाता है किन्तु समान क्षमता एवं योग्यता के बावजूद कुछ व्यवसाय व वाणिज्य के क्षेत्रों में महिला कर्मचारी को पुरुष की तुलना में समान कार्य के लिए भी असमान वेतन मिलता है।

महिलाओं में नारीत्व, मातृत्व एवं वात्सल्यता जैसे बीजों को संचालित किया जाता है जिससे महिला हमेशा समाज की भागीदार बने। महिलाओं को पुरुष के समान भागीदार एवं प्रतिरोध पूर्ण होना चाहिए।

अध्याय–5

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की स्थिति एवं प्रकार

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की स्थिति एवं प्रकार

"अरस्तु ने स्त्री की परिभाषा यह कहकर दी कि औरत कुछ गुणवत्ताओं की कमियों के कारण ही औरत बनती है। हमें स्त्री के स्वभाव से यह समझना चाहिए कि प्राकृतिक रूप में उसमें कुछ कमियाँ हैं। वह एक प्रासंगिक जीव है। वह आदम की एक अतिरिक्त हड्डी से निर्मित है। अतः मानवता का स्वरूप पुरुष है और पुरुष औरत को औरत के लिए परिभाषित नहीं करता, बल्कि पुरुष से सम्बन्धित ही परिभाषित करता है। वह औरत को स्वायत्त व्यक्ति नहीं मानता। यहां तक कहा जाता है कि औरत अपने बारे में नहीं सोंच सकती और वही बन सकती है, जैसा पुरुष उसको आदेश देगा। इसका अर्थ यह है कि वह अनिवार्यतः पुरुष के लिए भोग की एक वस्तु है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। वह पुरुष के सन्दर्भ में ही परिभाषित और विभेदित की जाती है। वह आनुषंगिक है, अनिवार्य के बदले नैमित्तिक है, गौड़ है। पुरुष आत्म है, विषयी है। वह पूर्ण है, जवकि औरत बस 'अन्या' है।"[1]

महिलाओं पर विभिन्न प्रकार की हिंसा की जाती है हिंसा के अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, दैहिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं लैंगिक हैं। हिंसा करते समय हिंसक समस्त धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों को त्याग देता है। वह मात्र केवल अपनी मानसिक सोंच के द्वारा हिंसा का क्रियान्वयन करता है हिंसा वास्तव में जीवन के लिए एक बाधक है जिससे महिला की मनोदशा को भयभीत किया जाता है। हिंसा एक

---

1. डॉ० प्रभा खेतान - स्त्री उपेक्षिता पेज नं०-23.

विकास के लिए अवरूध्द का कार्य करती है जो महिलाओं को चेतन से अचेतन बनाती है एवं समाज में उनको उपेक्षा एवं नगण्ड्यता की दृष्टि से देखा जाता है जो उनके जीवन के विकास के लिए एक बाधा है।

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और विश्व में एक नवीन राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया अपराध व हिंसा समाज विरोधी कार्य है और इसकी सार्वभौमिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता हिंसा की मात्रा में दिन-प्रतिदिन वृध्दि हो रही है।[1]

महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार की हिंसा की जाती है। हिंसाओं का जन्म नैतिक एवं मानविकी मूल्यों के ह्रास से होता है। सभ्यता भौतिक होती है जबकि संस्कृति का स्वरूप अभौतिक होता है। भौतिक और अभौतिक का अर्थ है नयी संस्कृति का उत्पन्न होना जो आन्तरिक और बाहरी रूप में है।

महिलाओं के साथ हिंसा का मुख्य कारण पुरुष वर्ग के विचारों में अस्पष्टता और घिनौनापन जो सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर कुठाराघात करते हैं। महिलायें समाज की इकाई है पुरुष उनके जीवन का कवच है। प्रत्येक भारतीय का धर्म है कि महिलाओं की रक्षा करना विभिन्न हिंसाओं से उनको बचाना एवं उन पर होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न जैसे यौनाचार, व्यभिचार, बलात्कार इत्यादि।

महिलाओं पर हिंसा करना एक अमानवीय और दानवत्व का प्रतीक है आज भौतिक वादी युग में देवत्व के स्थान पर दानवत्व के बीज अंकुरित हो गये है जिस कारण से पुरुष ने महिलाओं को

---

1. डी०एस० बघेल, अपराधशास्त्र पेज नं० 142, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली।

एक भोग्या वस्तु समझा जिसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष उसको परोसा गया। आज पूरे विश्व में महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार की हिंसाएं की जा रही हैं जिस हिंसा के कारण महिलाएं विक्षिप्त एवं दमघोटू जीवन जी रही हैं। परिवारों में भौतिकवादिता के सुख है पर शान्ति नहीं। इस भौतिकवादी जीवन के कारण महिलाओं का जीवन नारकीय बन गया है।

महिलाओं के साथ शुरू से ही यौनाचार एवं दुराचार करके समाज के अभिजात एवं श्वेतवस्त्र वेशधारियों द्वारा जघन्य अपराध किये जाते हैं उसको हमेशा निरीह और दबा-कुचला समझकर वास्तव में महिलाओं के साथ एक समाज की अभिव्यक्ति भी जुड़ी रहती है जिससे परिवार सुख और दुख की सीमा विभाजन में बट जाता है। महिलाओं का जीवन हमेशा तिरस्कृत एवं उपेक्षापूर्ण रहा है।

आज वर्तमान युग में महिलाएँ आदमखोर एवं नरभक्षियों से महफूज नहीं है निगाहों एवं विचारों में कामुकता है जिस कारण से महिलाओं के साथ अन्य अव्यावहारिक हिंसक गतिविधियाँ की जाती है जो एक मानवता के लिए अभिशाप है। महिलाओं के साथ हिंसा करना एक मानवता को मारना है।

''अभी हाल में ही **डा० कविता चौधरी** कांड ने राजनीति में महिलाओं के चरित्र को भले ही बेनकाब किया है, पर सच्चाई यह है कि यू०पी० महिलाओं के लिए महफूज नहीं रहा। चाहे महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो, अपहरण, दहेज हत्या या फिर हत्या उत्तर प्रदेश ने देश के दूसरे प्रदेशों को काफी पीछे छोड़ दिया है। यू०पी० यौन उत्पीड़न में सबसे अव्वल है ही यहाँ महिलाएं सबसे ज्यादा अपहरण

का शिकार होती हैं और तो और महिलाओं की हत्या और देहज के लालच में उन्हें जलाने की सबसे ज्यादा वारदाते भी यहीं ही होती है। देश की आपराधिक नब्ज पर नजर रखने वाली संस्था नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की माने तो यू0पी0 में महिलाओं के लिए वहुत ही खौफनाक तस्वीर सामने आती है।''[1]

महिलाओं पर हिंसा करना एक कमजोर वर्ग का शोषण करना है आदि काल से पुरुष ने महिलाओं का शोषण किया जिसमें मानवीय और अमानवीय मूल्यों को कुचला तथा भारतीय संस्कृति की शक्ति का दोहन किया जिसमें धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों को पंगु बना दिया जिसमें समस्त मानवता एक आस्था की चौखट पर खड़ी हुई है।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एक अमानवीय कृत्य है जो मानवता की कसौटी एवं पराकाष्ठा को दूषित करता है आज समाज में भौतिकवादी जीवन के कारण मनुष्य नारी के साथ कई प्रकार के दुराचार कर रहा है जो एक समस्त सृष्टि के लिए अभिशाप है आज मनुष्य ने विभिन्न अपराधों के कारण समस्त रिश्ते एवं मानवीय मूल्यों को त्याग दिया। उसकी सोच में स्वार्थ परायणता, उच्च्य श्रखलता एवं कामुकता के बीज प्रगति में हैं जो मनुष्य को विकास के साथ-साथ विनाश की ओर ले जाते हैं। मनुष्य को अच्छी प्रवृत्तियाँ कुप्रवृत्तियों में परिवर्तित हो गयीं हैं जिससे पूरी मानव जाति घृणित एवं असम्माननीय बनती जा रही है।

मनुष्य में प्रेम, भावना, सद्‌गुणता एवं सहजचरिता के बीज दिन प्रतिदिन लोप होते जा रहे हैं। मनुष्य आज महिलाओं के साथ विभिन्न

---

1. अमर उजाला कानुपर 27 दिसम्बर 2006, पेज-3.

प्रकार के दुष्कर्म करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। 2001 के सण्डे आवजर्बर के सम्पादकीय लेख के अनुसार आज महिलाओं को महानगरों में उनके जिस्म को विभिन्न होटलों, क्लबों, एवं चकला घरों में उनके जिस्म को परोसा जा रहा है। उनके सामने आर्थिक मजबूरियां है समाज उनको घिनौनी एवं हीनदृष्टि से देखता है उनके लिए समाज में कोई अच्छा स्थान नहीं है मनुष्य ही उनको कुकर्म के रास्ते ले जाता है और मनुष्य ही उनकी अवहेलना एवं आलोचना करता है। क्या वास्तव में समाज की स्थिति आदर्शमयी एवं यथार्थमयी है जो उसके जीवन की कुंठित एवं घिनौना बनाता है। यह समाज की किस तरह की बिडम्बना है जिससे नारी की गरिमा एवं प्रतिष्ठा धूल-धूसर हो रही है।

"***सतीशचन्द्र भटनागर*** के अनुसार यदि हत्या मानव शरीर के विरूद्ध होने वाला सबसे बड़ा अपराध है तो महिलाओं के साथ यौन अपराध विशेष तौर पर बलात्कार, अपहरण या अप्राकृतिक मैथुन भी जघन्य अपराध है जो महिलाओं के विरूद्ध होने वाले गम्भीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। इसका सीधा सम्बन्ध समाज की नैतिकता से है। इससे जहाँ समाज की व्यवस्था को आघात पहुँचता है वहीं महिलाओं की नैतिकता एवं सार्थकता भी प्रभावित होती है। जब भी कभी किसी महिला या युवती के साथ बलात्कार किया जाता है तो उसका सीधा प्रभाव उसकी सामाजिक प्रतिष्ठाओं के साथ-साथ उसके भविष्य पर भी पड़ता है। भारतीय समाज में आज भी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से अपेक्षा के अनुसार नहीं हो पायी है।"[1]

महिलाओं के साथ हिंसा करते समय मुनष्य वास्तव में अपनी आत्मा एवं विचारों को कुचल देता है हिंसा के कारण बहुत सी नारियाँ मानसिक बिछुब्ध्द एवं अपनी गरिमा को खो बैठी हैं। बहुत सी महिलाएँ हिंसा के कारण विभिन्न प्रकार के मनोरोगों से पीडित हो जाती है उसके लिए उत्तरदायी उसके स्वयं के नजदीक एवं प्रिय लोग हैं जो हिंसा करके एक प्रतिशोध की भावना को पूरा करते हैं। उसके व्यक्तित्व की भी हत्या करते हैं। बहुत से पुरुष कामवासना की पूर्ति हेतु उसके साथ घिनौने एवं जघन्य कृत्य करके उसके जीवन को हिंसक कर देते हैं।

नारी के साथ हिंसा करते समय मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है वह अपने विवेक को लेकर असमर्थता के प्रतिमानों पर केन्द्रभूत होकर उसके साथ हिंसा करता है। हिंसक द्वारा हिंसा करते समय वह खूँखार एवं असभ्य बन जाता है। समस्त नैतिक एवं मानवीय मूल्य उसके दृष्टिकोंण में उपेक्षनीय एवं नगण्य होते हैं वह सकारात्मकता के स्थान पर नकारात्मकता को अपना लेता है। वह एक महिला के लिए राक्षसत्व एवं दानवत्व के रूप में आता है जो महिलाओं को अपनी हिंसा के द्वारा उनके सुगठित एवं संगठित जीवन की गरिमा को दूषित कर देता है। यही वास्तव में उसके जीवन के लिए घातक परिणाम साबित होते हैं।

आज महिलाओं के साथ होने वाली हिंसाएं समाज के लिए हास्यास्पद एवं व्यंगात्मक घटनाएँ बन गयीं हैं। हम लोगों की शिष्टता में अशिष्टता छिपी हुई है। शिष्ट और अशिष्ट का आपस

---

1. लेखक सतीशचन्द्र भटनागर, आपराधिक विवेचना, सुविधा लौह हाउस प्रा० लि० मालवीय नगर भोपाल, पृष्ठ नं०-211.

में गठबन्धन है हिंसा और अहिंसा एक दूसरे के पूरक हैं। ''महात्मा गाँधी के अनुसार किसी निरीह पर हिंसा करना समस्त मानवता को मारना है। गाँधी के दर्शन में हिंसा को त्यागने के लिए कहा और अहिंसा को अपनाने के लिए कहा गया मनुष्य हिंसा और अहिंसा में भेद नहीं कर पाता है। जिससे उसे जीवन में कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। (My experiment with truth)।

महिलाओं के साथ आज हिंसा की स्थिति बड़ी दयनीय एवं सोचनीय है। सभ्य समाज को इस बात पर चिन्तन करना चाहिए कि पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं अर्थात पुरुष नारी पर निर्भर है और नारी पुरुष पर। उसकी इच्छा और अनिच्छा का भी ख्याल रखना चाहिए उसके साथ अमानवीय एवं अनैच्छिक व्यवहार करना एक हिंसा का रूप है।

बौद्ध दर्शन के अनुसार महिलाएँ समाज की सहभागी हैं उनके साथ किसी प्रकार का दुष्कर्म एवं दुष्चरित्रता को करना एक समस्त समाज की गरिमा को विलुप्त करना। महिलाओं के साथ हिंसा करने से परिवार एवं समाज की विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ भी प्रभावित होती हैं जो अपनी कर्तव्यनिष्ठ की विमुखता एवं स्थायित्व का अपमान करता है। आज सारा समाज भौतिकवादिता के पदचिन्हों पर अग्रसर है परन्तु हिंसायें दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। हम लोग सुविधा भोगी हुए है नैतिक एवं धार्मिक मूल्य खोये हैं। समाज की गतिशीलता एवं गरिमा को नष्ट किया है जिससे समस्त सृष्टि एक विनाश की कगार पर खड़ी है।

अपराध एक सार्वभौमिक सामाजिक घटना है। प्रत्येक समाज में तथा प्रत्येक समय में आपराधिक घटनाएँ किसी न किसी स्वरूप व

मात्रा में पाई जाती रहीं हैं। इस दृष्टि से महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं अपराध की समस्या नई नहीं है। भारत में महिलाओं का उत्पीड़न प्राचीन काल से ही होता रहा है। जिसका उल्लेख यहाँ के प्राचीन धर्म ग्रन्थों एवं पुस्तकों में मिलता है। समाज में प्रचलित रीति-रिवाजों, मूल्यों, विश्वासों एवं विचारधाराओं का भी महिला उत्पीड़न में योगदान रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं के कल्याण हेतु अनेक वैधानिक प्रयत्न किये गये, उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ तथा वे आर्थिक कार्यों में संलग्न भी हुई, किन्तु इसके वावजूद उनके प्रति किये जाने वाले अत्याचारों एवं अपराधों में अपेक्षित कमी नहीं आई है। यों तो महिलाएँ किसी भी प्रकार के अपराध (धोखा-धड़ी, हत्या, डकैती आदि) की शिकार हो सकती हैं ***किन्तु ऐसे अपराध जिनमें केवल महिला ही उत्पीड़ित होती है एवं जो विशिष्ट तौर पर महिलाओं के विरूद्ध ही किये जाते हैं 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा' की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।*** राष्ट्रीय अपराध अभिलेख व्यूरो[1] द्वारा ऐसे अपराधों को दो प्रकार की श्रेणियों में बाँटा गया है -

1. **भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) के अन्तर्गत पहचाने गये अपराध -**

    (क) बलात्कारी (धारा-376 आई०पी०सी०)।

    (ख) विभिन्न उद्देश्यों हेतु अपहरण एवं भगा ले जाना (धारा-363-373 आई०पी०सी०)।

---

1. Crime against Women : Crime in India, National crime records burear (Ministry of Home Affairs), Govt. of India, 1993, P.249.

(ग) दहेज हेतु हत्या, दहेज हत्याएँ अथवा इनका प्रयास (धारा-302/304-बी, आई0पी0सी0)।

(घ) मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना (धारा 498-ए आई0पी0सी0)।

(च) छेड़खानी अथवा लज्जाभंग (धारा 354 आई0पी0सी0)।

(छ) बदसलूकी (धारा 509 आई0पी0सी0)।

2. विशिष्ट विधानों के अन्तर्गत पहचाने गये अपराध :

महिलाओं एवं उनके हितों की सुरक्षा हेतु सती प्रथा, दहेज की माँग, अनैतिक उद्देश्यों हेतु महिलाओं का व्यापार आदि निन्दनीय सामाजिक व्यवहारों को अपराधों की श्रेणी में रखा गया है एवं निम्न सामाजिक अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डनीय माना गया है -

(क) सती-प्रथा पर अधिनियम, 1987.

(ख) दहेज-निरोधक अधिनियम, 1961.

(ग) अनैतिक व्यापार रोक सम्बन्धी अधिनियम, 1956.

(घ) महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन पर रोक सम्बन्धी अधिनियम 1986.

डॉ0 राम अहूजा[1] ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को तीन भागों के विभक्त किया है -

(1) अपराधिक हिंसा; जैसे बलात्कार, अपहरण, हत्या आदि।

(2) घरेलू हिंसा; जैसे दहेज सम्बन्धी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार आदि।

---

1. डॉ0 अहूजा राम, सामाजिक समस्यायें, रावत पब्लिकेशन, जयपुर 1994, पृष्ठ 228.

(3) सामाजिक हिंसा; जैसे पत्नी एवं पुत्रवधू को मादा भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़, विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, दहेज के लिए तंग करना आदि।

भारत में महिलाओं के प्रति किये जाने वाले अपराधों की जानकारी गृहमंत्रालय पुलिस अन्वेषण विभाग, राष्ट्रीय एवं राजकीय अपराध अभिलेख ब्यूरो तथा नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स विभाग द्वारा संकलित एवं प्रसारित आँकड़ों से प्राप्त होती है। भारत सरकार के आँकड़ों के अनुसार (जनवरी 29, 1993) 1987 से 1991 के बीच भारत में महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले हिंसाओं में 37.6 प्रतिशत की बृद्धि हुई है। दहेज सम्बन्धी हत्याओं में इस अवधि में 169.7 प्रतिशत की बृद्धि हुई। औसतन हर 33 मिनट में महिलाओं के विरूद्ध एक अपराध की घटना होती है। गृह मंत्रालय के अपराध पंजीकरण व्यूरो के अनुसार[1] प्रत्येक 47 मिनट में कोई न कोई महिला बलात्कार का शिकार होती है जबकि हर 44 मिनट में औसतन एक महिला का अपहरण किया जाता है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि महिलाओं के विरूद्ध अपहरण सम्बन्धी अधिकांश मामले प्रकाश में आने से पूर्व ही दबा दिये जाते हैं। जहाँ तक पुलिस थानों में महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं के दर्ज होने का सम्बन्ध है, यह सर्वविदित है कि इस प्रकार के सब मामलों की विभिन्न कारणों से या तो शिकायत ही नहीं होती अथवा उन्हें दर्ज नहीं किया जाता है। घरेलू हिंसा सम्बन्धी मामलों जैसे पत्नी को पीटना आदि की शिकायत दुर्लभ ही की जाती है। पुलिस की ज्यादतियों, पुलिस व न्यायालय की पेचीदी कार्यवाही तथा सामाजिक निन्दा आदि

---

1. सुरुचि, नवभारत, दिसम्बर 4, 1996. पृष्ठ 1.

के भय से बलात्कार जैसे अनेक गम्भीर अपराधों की पुलिस में शिकायत ही नहीं की जाती तथा साथ ही अनेक मामले पुलिस द्वारा आसानी से दर्ज ही नहीं किये जाते। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस रिकार्डो में इस प्रकार की घटनाओं में प्रतिवर्ष हो रही बृद्धि के आंकड़े काफी चौंकाने वाले एवं चिन्तनीय हैं। भारत में विगत पाँच वर्षो में (1991-1995) भारतीय दण्ड संहिता (I.P.C.) के अन्तर्गत घटित कुल अपराधों में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों का अनुपात निम्न तालिका में दर्शाया गया है -

कुल अपराधों (I.P.C.) की तुलना में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों का अनुपात -

तालिका नं0 5.1

क्र. सं.	वर्ष	कुल दर्ज I.P.C. अपराध	महिलाओं के विरूद्ध दर्ज I.P.C. अपराध	प्रतिशत बृद्धि	कुल अपराधों I.P.C. का प्रतिशत
1	1991	16,78,375	74,093	8.5	4.4
2.	1992	16,89,341	79,037	6.7	4.7
3.	1993	16,29,936	83,954	6.2	5.2
4.	1994	16,35,251	98,948	17.9	6.0
5.	1995	16,95,696	1,06,471	7.6	6.3

स्रोत क्राइम इन इण्डिया : 1995 पृष्ठ 223

विगत पाँच वर्षों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत भारत में दर्ज कुल अपराधों की तुलना में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों में उत्तरोत्तर बृद्धि हुइं है। जहाँ 1991 में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराध कुल अपराधों का 4.4 प्रतिशत थे वहीं 1994 तथा 1995 में यह प्रतिशत 6.0 तथा 6.3 रहा है। साथ ही वर्ष 1994 की तुलना में 1995 में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में 7.6 प्रतिशत की बृद्धि हुई है।

महिलाओं के साथ हिंसा करना प्रकृति एवं वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात करना है। आदि काल से महिलायें हमेशा पूज्यनीय और सम्मानीय रही है परन्तु अधुनिकता की दौर में समस्त मानव प्राणी अपने वास्तविक मूल्यों को खोता जा रहा है औरत को एक बाजारू वस्तु बना दिया उसके साथ समाज के बाहरी रूप से देखने वाले परिष्कृत लोग शिष्ट व्यवहार करते है। और अन्दर से कामी और अशिष्टता का परिचय देते हैं।

शिष्टता और अशिष्टता को मापने के कई पैमाने होते हैं। महिलाओं के साथ हिंसा करना हिंसक आचरण करना तथा अमानवीय कृत्य को करने का प्रयास करना ये समस्त आचरण मानव की दूषित गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज मनुष्य की सोंच में कई प्रकार के दिन-प्रतिदिन हिंसक परिवर्तन होते जा रहे हैं। जिससे आज का मानव विभिन्न प्रकार की कुण्ठाओं से ग्रस्त है। पुरुष महिलाओं के लिए अपरिहार्य है, रक्षक है, कवच है तथा उसके साथ-साथ महिलाओं का भक्षक भी बना है।

विकास और विनाश में अनुशासन और हिंसा का वास्तविक

रुप छिपा हुआ है। महिलाओं के साथ हिंसा करना एक भारतीयता की संगति के वास्तविक रूप को बिगाड़ना और उसकी छबि को कलंकित करना महिलाओं का दृष्टिकोण हमेशा पुरुष के लिए एक अपेक्षनीय और गरिमायुक्त नहीं रहा है। महिलाएँ भी पुरुषों के लिए एक मित्रवत का व्यवहार करती है क्योंकि दोनों ही समाज की धुरी हैं। महिलाएँ पुरुषों की विरोधी और प्रतिरोधात्मक व्यवस्था की प्रतीक हैं।

भारत में वर्ष 1991 से 1995 तक महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराधों की अपराधवार संख्या तथा 1991 व 1994 की तुलना में 1995 में प्रतिशत उतार-चढ़ाव को निम्न तालिका में केन्द्रीभूत किया गया है जो एक प्रकार से अपराध की स्थिति को प्रदर्शित करता है।

तालिका नं0 5.2

क्र. सं.	वर्ष	1991	1992	1993	1994	1995	91 की अपेक्षा 95 में	94 की अपेक्षा 95 में
1.	बलात्कार	9,793	11,112	11,242	12,351	13,754	40.4	11.3
2.	अपहरण एवं बहलाये जाना	12,300	12,077	11,837	12,998	14,063	14.3	8.2
3.	दहेज हत्याएँ	5,157	4,962	5,817	4,935	5,092	-1.3	3.2
4.	उत्पीड़न	15,949	19,750	22,064	25,946	31,727	95.2	20.0
5.	छेड़खानी	20,611	20,385	20,985	24,117	28,475	38.1	18.1
6.	बदसलूकी/ यौन उत्पीडन	10,283	10,751	12,009	10,496	4,756	-53.7	-54.7
7.	अन्य लड़कियों का आयात, सती, अनैतिक व्यापार, स्त्रियों पर का अश्लील प्रदर्शन	-	-	-	8,105	9,204	-	13.5
	योग	74,093	79,037	83,954	98,948	1,06,471	43.7	7.6

तालिका से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण भारत में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की दर 1991 की तुलना में 43.7 प्रतिशत तथा वर्ष 1994 की तुलना में 7.6 प्रतिशत अधिक है।

यौन दुर्व्यवहार की घटनाएं भी 54.7 प्रतिशत हुई। महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ अपहरण एवं भगा ले जाना भी दुष्कृत एवं अमानवीय कृत्य है।

चित्र क्रमांक - 5.3

वर्ष 1995 में महिलाओं के विरूद्ध घटित विभिन्न अपराधों का प्रतिशत विवरण -

भारत में

प्रताड़ना
यौन उत्पीड़न
महिलाओं का अनैतिक व्यापार
अन्य
छेड़-छाड़
बलात्कार अपहरण एवं भगा ले जाना
दहेज हत्याएं

प्रताड़ना
दहेज हत्याएं
अपहरण एवं भगा ल जाना
बलात्कार
छेड़-छाड़
अन्य
यौन उत्पीड़न

महिलाओं के साथ हिंसा, छेड-छाड़, प्रताड़ना दहेज हत्याएं अपहरण करके भगा ले जाना यौन उत्पीड़न आदि बुराइयाँ एक हिंसा का ही रूप है। भारत के विभिन्न प्रान्तों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के महिला हिंसा की दर अलग-अलग है। भारत वर्ष के विभिन्न प्रान्तों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पाण्डिचेरी एवं दादर नगर हवेली में महिलओं के

साथ हिंसा का प्रतिशत अलग-अलग है। हिंसा का प्रतिशत दर प्रत्येक प्रान्त तथा केन्द्र शासित राज्यों के अलग-अलग है जो अपराध के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। कई प्रान्तों में अपराधवार की स्थिति का उतार-चढ़ाव का होना वहाँ की क्षेत्रीय परिस्थिति पर निर्भर करता है।

वर्ष 1995 में सम्पूर्ण भारत में महिलाओं के विरूद्ध घटित कुल अपराधों के राज्यानुसार प्रतिशत वितरण सम्बन्धी चित्र क्रमांक-2 से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण भारत में घटित कुल अपराधों का एक बहुत बड़ा भाग (77.7 प्रतिशत) केवल आठ राज्यों में घटित हुआ है। इनमें महाराष्ट 15.3 प्रतिशत के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा है जबकि 14.4 प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर तथा 11.2 प्रतिशत के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। लक्ष्यद्वीप में इस प्रकार के अपराध की कोई भी घटना दर्ज नहीं की गई तथा दमन व द्वीप वर्ष भर में इस प्रकार के मात्र दो अपराधों के साथ सर्वाधिक सुरक्षित रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के विरूद्ध घटित विभिन्न प्रकार के अपराधों के अन्तर्गत वर्ष 1995 में बलात्कार की सर्वाधिक 22.7 प्रतिशत घटनाएँ मध्य प्रदेश में घटित हुई हैं। अपहरण एवं बहला ले जाने की सर्वाधिक 18.3 प्रतिशत घटनाएँ राजस्थान में सर्वाधिक 36.3 प्रतिशत दहेज हत्याएँ उत्तर प्रदेश में पति व उसके रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न की सर्वाधिक 28.1 प्रतिशत घटनाएँ महाराष्ट्र में, सर्वाधिक छेड-छाड की घटनाएँ उत्तर प्रदेश में 29.8 प्रतिशत तथा यौन दुर्व्यवहार की सर्वाधिक 22 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं।

चित्र क्रमांक - 5.4

वर्ष 1995 में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज कुल अपराधों का राज्यानुसार प्रतिशत विवरण -

वास्तव में अपराध की संख्या स्वयं में अपराध की स्थिति की सही सूचक नहीं भी हो सकती है क्योंकि विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व अलग-अलग है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में अपराधवार वहाँ के घनत्व पर निर्भर करता है।

आजादी के बाद बहुत से भारतीयों ने ग्रामीण संस्कृति को त्याग कर शहरी संस्कृति को अपनाया और भौतिकवादी संस्कृति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया इस कारण से आज अपराध का प्रतिशत प्रत्येक प्रान्त, जनपदों, कस्बों एवं तहसील एवं ब्लाकों में अलग-अलग होता है। भारत में अपराध की संख्या विभिन्न प्रान्तों में प्रतिवर्ष घटती-बढ़ती रहती है। विभिन्न राज्यों के कई जनपदों में महिलायें आज भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि उनके साथ कई प्रकार की प्रतिकूल एवं अनुकूल परिस्थितियाँ जुड़ी हुई हैं।

अधिक सम्पन्न प्रान्तों एवं जिलों में अपराध की दर अधिक है जहाँ पर भौतिकवादिता एवं भोग विलासता की सुविधा अधिक होती है वहाँ पर कई प्रकार के अपराध किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में भुखमरी एवं बेरोजगारी के कारण कई प्रकार के हिंसक कार्य महिलाओं के साथ किये जाते हैं।

चित्र क्रमांक - 5.5

वर्ष 2001 में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराध की दर

(भारत के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के आधार पर)

बलात्कार - (Rape)

हमारे देश की कानून व्यवस्था आज भी ऐसी है कि बलात्कार जैसे घृणित अपराध करने के उपरान्त किसी भी दोषी को सजा नहीं मिलती है इसका मुख्य कारण न्याय व्यवस्था में कमी। आज समस्त समाज में अपराधियों का इतना बोलबाला है कि वे अपने मानवीय मूल्यों से पूर्ण रूप से हट चुके हैं। भारतीय दण्ड विधान की धारा 376-377 में उपर्युक्त अपराधों के सन्दर्भ में प्रावधान दिये गये हैं, इसके साथ ही साथ भारतीय दण्ड विधान की धारा 497-498 यद्यपि इन अपराधों से सीधे सम्बन्ध नहीं रखती है किन्तु इसके बावजूद भी इन अपराधों के सम्बन्ध में जानकारी होना आवश्यक है। 376 धारा के अनुसार जब कोई पुरुष किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरूद्ध या स्त्री की सम्मति से जबकि उसकी सम्मति उसे मृत्यु या चोट का भय दिखाकर प्राप्त की गई हो या स्त्री की सम्मति से जबकि वह पुरुष जानता है कि उसका पति नहीं है और वह उसके साथ लैंगिक सम्भोग करता है तो स्पष्ट है कि उस पुरुष ने उसके साथ बलात्कार किया है।

376 बलात्संग के लिए दण्ड निम्न प्रकार से हैं जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होती है या बलात्कारी को आजीवन कारावास भी हो सकता है या जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा। किन्तु यदि वह स्त्री जिससे बलात्संग किया गया है उसकी पत्नी है और 12 वर्ष से कम आयु की नहीं है, तो वह दोनों में से किसी भाँति से

कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

हमारा देश आमतौर पर कृषि प्रधान देश है और इसलिए बलात्कार के प्रकरण देहात के क्षेत्रों में अधिक संख्या में घटित होते हैं। आमतौर पर सुबह के समय या महिलाएँ सौच के लिए जाती है तब अथवा खेत पर अपनी मजदूरी का समय पूरा करके शाम के समय लौटते समय अकेले होने पर इस प्रकार की घटनाएँ घटित हो सकती है और इसलिए घटना स्थल पर यदि महिला भोजन लेकर गई तब रास्ते में भी घटना घट सकती है। जिस स्थान पर अपराध ा घटित किया जाता है वहाँ की खेती या मिट्टी के कुछ अंश अपराध ी के नाखूनों या कपड़ों में मिल सकते हैं इसलिए घटना स्थल से उस जमीन का, मिट्टी का नमूना, भी साक्ष्य की दृष्टिकोण से जप्त कर लिया जाना चाहिए जिससे सही रूप में अभियुक्त को सजा मिल सके।

बलात्कार की समस्या सभी समाजों में पाई जाती है किन्तु भारत की तुलना में पाश्चात देशों में ऐसी घटनाएँ अधिक घटित होती हैं जहाँ अमरीका में प्रति लाख प्रति वर्ष 26, कनाडा 8, तथा इग्लैण्ड में 5.5 बलात्कार घटित होते हैं, वहीं भारत में यह दर 0.5 प्रति एक लाख जनसंख्या है।[1]

विगत वर्षो में भारत में बलात्कारों की संख्या में तीव्र बृद्धि हुई है केन्द्र सरकार द्वारा 27 जनवरी 1993 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें हमारे देश में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला का

---

1. राम अहूजा, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1994, पृष्ठ 228

बलात्कार होता अर्थात एक माह में ८०० तथा एक वर्ष में ९६०० बलात्कार होते हैं।[1]

राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो[2] द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1991 में 9793, 1992 में 11,112, 1993 में 11,242, 1994 में 12,351 तथा 1995 में 13,754 बलात्कार की घटनाएँ हुई हैं। 1991 की तुलना में 1995 में भारत में बलात्कारों में 40.4 प्रतिशत तथा 1994 की तुलना में 1995 में 11.3 प्रतिशत की बृध्दि हुई है। भारत में 2001 में महिलाओं के विरूद्ध घटित कुल अपराधों में इस अपराध का प्रतिशत 12.9 रहा है। इस वर्ष सम्पूर्ण भारत में घटित कुल 13,754 बलात्कारों में मध्य प्रदेश में बलात्कार की सर्वाधिक 3119 घटनायें हुई जो कि सम्पूर्ण भारत में घटित कुल बलात्कारों का 22.7 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 13.1 प्रतिशत (1808 घटनाएं), महाराष्ट्र में 9.9 प्रतिशत (1362 घटनाएं), बिहार में 9.5 प्रतिशत (1312 घटनाएं) तथा राजस्थान में 7.5 प्रतिशत (1036 घटनाएं) रहा है। इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में घटित कुल बलात्कारों का 62.2 प्रतिशत इन चार राज्यों में घटित हुआ है।

भारत में वर्ष 2001 में बलात्कार सम्बन्धी अपराध की दर (प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध की संख्या) 1.5 पाई गई जो कि विगत वर्ष (1.4) की तुलना में 0.1 अधिक है। मिजोरम में यह दर सर्वाधिक 5.2 थी तथा इसके पश्चात क्रमशः मध्य प्रदेश

---

1. हिन्दुस्तान टाइम्स, जनवरी 29, 1993
2. क्राइम इन इण्डिया, 1995 पृष्ठ 226

(4.3) तथा दिल्ली (3.4) का स्थान था। कुल दर सम्पूर्ण भारत के औसत 1.5 से अधिक दर्ज की गई।

आयु के आधार पर भारत में वर्ष 2001 में बलात्कार के शिकार की प्रतिशत 16 से 30 वर्ष के आयु समूह में सर्वाधिक (56.3) है। जबकि 10 वर्ष से कम आयु के शिकार 5.4 प्रतिशत, 10 से 16 वर्ष की आयु के शिकार 24.1 प्रतिशत तथा 30 वर्ष से ऊपर के शिकार 14.2 प्रतिशत हैं।[1] मध्य प्रदेश में वर्ष 1995 में घटित कुल 3119 बलात्कारों में सर्वाधिक 54.8 प्रतिशत बलात्कार 16 से 30 वर्ष आयु की महिलाओं के साथ 3.4 प्रतिशत मामले 10 वर्ष से कम आयु 26.6 प्रतिशत तथा 10 से 16 वर्ष की आयु की लड़कियों के साथ जबकि शेष 15.2 प्रतिशत मामले 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के साथ घटित हुए हैं।

भारत के विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में 2001 ई० में बलात्कार की शिकार नारियों का आयु समूह।

---

1. क्राइम इन इण्डिया, 1995 पृष्ठ 226

भारत में विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में 2001 में बलात्कार की शिकार नारियों का आयु समूह

तालिका नं0 5.6

क्र. सं.	राज्य/केन्द्रशासित राज्य	कुल मामले दर्ज	10वर्ष से कम	10से 14वर्ष	14से 18वर्ष	18से 30वर्ष	18से 30वर्ष	50वर्ष से अधिक	कुल पीडित नारियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	871	57	138	254	328	80	14	871
2.	अरुणांचल प्रदेश	33	0	0	1	28	4	0	33
3.	असम	817	8	73	245	370	119	2	817
4.	बिहार	888	1	15	198	562	112	0	888
5.	छत्तीसगढ़	959	25	191	218	384	137	4	959
6.	गोवा	12	3	7	1	0	1	0	12
7.	गुजरात	286	15	23	87	125	36	0	286
8.	हरियाणा	398	34	62	125	134	40	3	398
9.	हिमांचल प्रदेश	124	20	15	43	35	9	2	124
10.	जम्मू काश्मीर	169	0	24	41	84	20	0	169
11.	झारखण्ड	567	9	3	4	478	73	0	567
12.	कर्नाटक	293	24	63	62	123	21	0	293
13.	केरल	562	19	46	126	306	64	1	562
14.	मध्य प्रदेश	2851	86	304	557	1250	627	27	2851
15.	महाराष्ट्र	1302	89	152	419	503	135	4	1302
16.	मणिपुर	20	3	1	4	9	2	1	20
17.	मेघालय	26	3	2	4	14	3	0	26
18.	मिजोरम	52	0	0	30	14	8	0	52
19.	नागालैण्ड	17	0	0	8	6	3	0	17
20.	उड़ीसा	790	8	9	297	402	74	0	790
21.	पंजाब	298	8	30	137	98	24	1	298
22.	राजस्थान	1049	16	44	229	606	147	2	1049
23.	सिक्किम	8	1	0	4	2	1	0	8
24.	तामिलनाडु	423	6	15	174	192	34	2	423
25.	त्रिपुरा	102	0	0	50	47	5	0	102
26.	उत्तर प्रदेश	1958	34	122	406	1082	314	0	1958
27.	उत्तरांचल	74	6	7	16	38	7	0	74
28.	पश्चिम बंगाल	709	4	3	5	594	103	0	709
	कुल राज्य	15658	479	1349	3745	7814	2203	68	15658

क्र. सं.	राज्य/केन्द्रशासित राज्य	कुल मामले दर्ज	10वर्ष से कम	10से 14वर्ष	14से 18वर्ष	18से 30वर्ष	18से 30वर्ष	50वर्ष से अधिक	कुल पीडित नारियां
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	0	0	3	0	0	0	3
30.	चण्डीगढ़	19	0	8	4	4	3	0	19
31.	दादर नगर हवेली	6	0	0	3	3	0	0	6
32.	दमन और द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	383	48	81	154	59	41	0	383
34.	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पाण्डिचेरी	9	3	2	2	1	1	0	9
	कुल केन्द्रशासित राज्य	420	51	91	166	67	45	0	42
	समपूर्ण भारत	16078	530	1440	3911	7881	2248	68	16075

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि राज्यों में बलात्कार के सबसे अधिक मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किये गये, जबकि सबसे कम सिक्किम में दर्ज किये गये। केन्द्र शासित प्रदेशों में दिल्ली बलात्कार के मामलों में सबसे आगे रहा। आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 18 से 30 वर्ष की महिलाएँ बलात्कार की सबसे अधिक शिकार रही है।[1]

1. क्राइम इन इण्डिया 2001, पृष्ठ 273.

भारतीय दण्ड विधान में उपरोक्त सभी परिस्थितियों का समावेश कर लिया गया है जो आज के भारतीय समाज में प्रशासनिक और समाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से उन सम्भावित स्थितियों का निर्माण करने में सहायक होते है जिसके अधीन महिला की स्थिति का लाभ उठाकर, उससे, उसकी सहमति के बिना और इच्छा के विरूद्ध संभोग किया जा सकता है। प्रायः बलात्कार के मामलों में चश्मदीद गवाह उपलब्ध नहीं होते, अर्थात पीड़ित महिला के अतिरिक्त कोई मौखिक साक्ष्य आम तौर पर उपलब्ध नहीं होता हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में चिकित्सीय साक्ष्य अवश्य विवेचना अधिकारी की सहायता के लिए उपलब्ध रहती है इसी बात को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-क का निर्माण किया गया है और अब न्यायालय भी केवल पीड़ित महिला के कथनों के आधार पर निर्णय देने में कोई हिचक नहीं रखती है।

घटना स्थल के पश्चात् विवेचक के लिए दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य पीड़ित महिला का शरीर होता है, क्योंकि कामांध व्यक्ति जहाँ पीड़ित महिला के विरूद्ध बल का प्रयोग करता है वहीं उसकी क्रिया से, महिला के शरीर पर क्षति के चिन्ह, जेसे नाखूनों के चिन्ह, काटने के निशान आदि बनते हैं और ये चिन्ह महिला के गले, गाल, चेहरा, होठ, स्तन, पीठ, गर्दन और शरीर के अन्य अंगों पर पाये जा सकते हैं, इसलिए विवेचना अधिकारी को चाहिए कि वह महिला का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर से निवेदन करे कि वह अपने चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट में इन बातों का उल्लेख विस्तारपूर्वक करें।

यहाँ यह उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण होगा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यदि पीड़ित महिला नाबालिग है तो चिकित्सीय परीक्षण कराने से पूर्व, उसके अभिभावकों में से किसी एक, अर्थात माता अथवा पिता या परिवार के अन्य किसी बालिग सदस्य की लिखित सहमति ली जानी आवश्यक है। इसी प्रकार यदि महिला वयस्क और बालिग है तो उस स्थिति में पीड़ित महिला की सहमति, चिकित्सीय परीक्षण के पूर्व जीजानी आवश्यक है, इसलिये प्रत्येक पुलिस अधिकारी को इस महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति को ध्यान अवश्यक ही रखना चाहिए।

जब कभी किसी विवाहित व्यक्ति को उसकी पत्नी के साथ बलात्कार का दोषी माना जाता है तो ऐसी स्थिति में महिला की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गयी है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के विवाह की वैधानिक आयु पुरुष को 21 वर्ष और महिला को 18 वर्ष निर्धारित की गयी है। इस प्रकार बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम के अनुसार योग्य पुरुष की आयु 18 वर्ष और महिला की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गयी है।

बलात्कार वास्तव में एक अमानवीय और नैतिक विरूद्ध कार्य है। इस दुष्कर्म को करने की प्रवृत्तियाँ मनुष्य में विक्षिप्त मनोविकार एवं मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाने से होती है इस प्रकार के व्यक्ति कुंठाग्रस्त होते हैं।

भगा ले जाना और अपहरण करना -

(Elopement and Kidnapping)

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 के अनुसार एक नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु की लड़की व 16 वर्ष से कम आयु का लड़का) को उसके माता-पिता या वैधानिक संरक्षण की सहमति के बिना ले जाने या फुसलाने को अपहरण कहते हैं। जबकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अनुसार भगा ले जाने का अर्थ है कि महिला को इस उद्देश्य से जबरदस्ती, कपटपूर्ण या धोखे से ले जाना कि उसे बहका कर उसके साथ अवैध यौन सम्बन्ध स्थापित किया जाये या उसकी इच्छा के विरूद्ध उसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने हेतु बाध्य किया जाये। अपहरण में जिसका अपहरण किया जाता है उसकी सहमति नहीं होती है। जबकि भगा ले जाने में उत्पीड़क की स्वैच्छिक सहमति अपराध को माफ करवा देती है।

हमारे देश में बलात्कार की भांति अपहरण व भगा ले जाने की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 43 मिनट में एक महिला का अपहरण होता है। प्रति वर्ष अपहरण व भगाये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या में से 86.5 प्रतिशत महिलाएं तथा 13.5 प्रतिशत पुरुष होते हैं[1]।

---

1. ''हिन्दुस्तान टाइम्स जनवरी 27, 1993

तालिका नं० 5.7

महिला उत्पीड़न सम्बन्धी हिंसा

क्र0स0	अपराध शीर्षक	2004	2002	2000 के सापेक्ष 2004 अपराध में कमी/बृद्धि का प्रतिशत
1.	दहेज हत्या	1624	1792	-10%
2.	बलात्कार	1263	1289	-02%
3.	शीलभंग	1810	2126	-15%
4.	अपहरण	2130	2305	-08%
5.	महिला उत्पीड़न	4635	5442	-15%
	योग	11462	12959	-11.5%

प्रदेश की उक्त अवधि में महिला उत्पीड़न एवं अपराधों के अन्तर्गत दहेज हत्या के अपराधों में 10 प्रतिशत बलात्कार के अपराधों में 2 प्रतिशत, शीलभंग (धारा 354 भा0द0वि0) के अपराधों में 15 प्रतिशत, अपहरण सम्बन्धी अपराधों में 8 प्रतिशत एवं महिला उत्पीड़न (धारा 498-ए भा0द0वि0) सम्बन्धी अपराधों में 15 प्रतिशत की कमी तथा कुल मिलाकर महिला उत्पीड़न सम्बन्धों में 11.5 प्रतिशत की कमी आई है।[1]

वर्तमान समय में भौतिकवादिता के कारण आज युवक और युवतियाँ अपने लक्ष्य से भटक गये हैं जिस कारण से अधिकतर अपराधिक्य मस्तिष्क के युवक व युवतियाँ अपनी शिक्षा को अपूर्ण छोड़कर भावुक जीवन जीने लगे और बौद्धिक व नैतिक मूल्य एवं प्रतिमानों से हट गये है। जिस कारण से अपराधिक युवक एवं युवतियाँ अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को न प्राप्त कर रोमानी जीवन जीकर महिला अपराध में महिला हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं।

1. उत्तर प्रदेश, 2006, कानून व्यवस्था (पुलिस)/899

भारत में वर्ष 1995 में महिलाओं के विरूद्ध कुल अपराधों में अपहरण व भगा ले जाने की घटनाओं का प्रतिशत 13.2 पाया गया। इस वर्ष भारत में महिलाओं के अपहरण व भगा ले जाने की 14063 घटनाएँ दर्ज हुई जो कि वर्ष 1991 की तालिका में 14.3 प्रतिशत तथा 1994 की तुलना में 8.2 प्रतिशत अधिक है। सम्पूर्ण भारत में घटित इस प्रकार के अपराधों की कुल घटनाओं में सर्वाधिक 18.3 प्रतिशत घटनाएँ राजस्थान में, 16.6 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 8.0 प्रतिशत आसाम में तथा 7.3 प्रतिशत मध्य प्रदेश में घटित हुई।

बुन्देलखण्ड के बाँदा जनपद में अलग-अलग तहसील एवं ब्लाकों में लड़कियों को भगा ले जाने की प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार की घटनाएँ होती है। जिस कारण से शहरी एवं ग्रामीण परिवारों में आपसी तनाव रंजिश एवं प्रतिशोध की भावना व्याप्त रहती है। जो सामाजिक गरिमा और नैतिक मूल्यों के अनुसार उपेक्षनीय एवं नगण्ड्य मानी जाती है।

वर्तमान समय में भगा ले जाना और अपहरण करना प्रमुख रूप से एक संस्कृति का हिंसा बन गयी है जिससे समाज में कई प्रकार के प्रतिशोध रूपी कमांगिनी एक ज्वाला के रूप में धधकने लगी है।

छेड़-छाड़ एवं लज्जा भंग (Molestation) -

भारतीय दण्ड सहिता की धारा 354 के अनुसार किसी स्त्री की बेइज्जती करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग करना छेड़-छाड़ कहलाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री की बेइज़्जती करने या लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर

हमला या आपराधिक बल प्रयोग कर तो उसका यह कृत्य इस अपराध की श्रेणी में आता है।

आज शहरों एवं कस्बों में महिलाओं के साथ विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर छेड़-छाड़ की जाती है। ऐसी घटनाएँ बस स्टैण्ड, कालेज परिसर, रेलवे परिसर, रेलवे प्लेटफार्म, आंचलिक ग्रामीण मेलों, धार्मिक समारोहों एवं उत्सवों, पर्यटक स्थलों, तीर्थ स्थलों एवं सार्वजनिक पार्कों में विभिन्न प्रकार की घटनाएँ आम तौर पर की जा सकती हैं।

भारत में वर्ष 1995 में इस अपराध की 28475 घटनाएँ दर्ज हुई हैं जो कि वर्ष 1991 की तुलना में 38.1 प्रतिशत तथा वर्ष 1994 की तुलना में 18.1 प्रतिशत अधिक है। बीते वर्षों में भारत में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों में इस अपराध का प्रतिशत 26.7 पाया गया। सम्पूर्ण भारत की तुलना में इस प्रकार के अपराध की सर्वाधिक 7355 (25.8 प्रतिशत) घटनाएँ मध्य प्रदेश में दर्ज की गई जबकि महाराष्ट्र में 3475 (12.2 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश में 2677 (9.4) और उत्तर प्रदेश में 2631 (9.2 प्रतिशत) घटनाएं दर्ज की गई। इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में घटित इस अपराध का 56.6 प्रतिशत इन चार राज्यों में घटित हुआ। उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध छेड़-छाड़ की सर्वाधिक घटनाएँ 322 घटनाएं हुई।

उत्तर प्रदेश में कानपुर, आगरा, लखनऊ, बाँदा की विभिन्न तहसीलों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों, कस्बों एवं छोटे शहरों में भी आमतौर पर महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार की छेड़-छाड़

की जाती है ये छेड़-छाड़ विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं विभिन्न वार्षिक पर्वो पर देखी जा सकती है। छेड़-छाड़ आम तौर पर अविवाहित लड़कियों एवं जवान शादी-शुदा महिलाओं के साथ अक्सर देखी जा सकती है। छेड़-छाड़ करते समय बहुत सा युवा एवं पुरूष वर्ग असामान्य व्यवहार करता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षित एवं संस्कारित नहीं है।

बदसलूकी - (Eve Teasing) -

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 509 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा का अपमान करने की आशय से कोई व्यंग करता है, कोई आवाज शब्द या इशारा करता है या कोई चीज दिखलाता है जिससे उस स्त्री द्वारा वह शब्द या ध्वनि सुनी जाये या ऐसा इशारा, चेष्टा या उस स्त्री की तनहाई में उसे या उसका मानसिक उत्पीड़न हो तो उस व्यक्ति का यह कृत्य इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय माना जायेगा।

भारत में वर्ष 1991 से 1994 तक इस अपराध की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जहां वर्ष 1991 में इसकी 10283 घटनाएँ दर्ज हुई हैं। वहीं 1994 में इनकी संख्या 10496 रही हैं। किन्तु वर्ष 1995 में इस अपराध में 54.7 प्रतिशत गिरावट आई है एवं इस वर्ष इसकी 4756 घटनाएँ दर्ज हुई हैं। महिलाओं के विरूद्ध घटित विभिन्न अपराधों में इस अपराध का प्रतिशत 4.5 पाया गया है। इस अपराध की सर्वाधिक घटनाएँ तामिलनाडु में 1078 (22.7 प्रतिशत) तथा महाराष्ट्र में 808 (17.0 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश में 769 (16.2 प्रतिशत) एवं उत्तर प्रदेश में 765 (16.1 प्रतिशत) दर्ज

की गयीं हैं। इस प्रकार इस अपराध के कुल दर्ज प्रकरणों का 72.0 प्रतिशत केवल इन चार राज्यों में घटित हुआ है।

उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत भी कानुपर एवं लखनऊ जैसे महानगरों के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों, औद्योगिक बस्तियों में भी छेड़-छाड़ की बदसलूकी अधिक होती है। बदसलूकी घटनाएँ अधिकाशतः सुबह के समय जब बहुत सी लड़कियाँ विद्यालय एवं महाविद्यालयों, विभिन्न कार्यालयों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जाते समय इन घटनाओं का अनुपात अधिक होता है क्योंकि अधिकांशतः युवकों को बहुत सी महिलाओं के आवागमन के समय की जानकारी रहती है कि किस वक्त यहाँ से गुजरेगीं।

बदसलूकी समाज में अशिक्षित वर्ग में अधिक पायी जाती है। शिक्षित वर्ग की तुलना में बदसलूकी की सामान्य तौर पर अशिक्षित समाज में उसका अनुपात अधिक है जो एक प्रकार से मानवीय चरित्र एवं नैतिकता का उत्पीड़न एवं हनन करता है।

दहेज उत्पीड़न - (Dowry Harassment/Torture) -

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अनुसार उत्पीड़न से आशय किसी भारतीय स्त्री को पति या उसके सम्बन्धियों द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताडित किया जाता है। जब यह उत्पीड़न दहेज की माँग हेतु किया जाता है तो यह उत्पीड़न या दहेज प्रताडना कहलाता है।

भारत में दहेज एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। दहेज की चाह में हजारों स्त्रियों को प्रतिवर्ष जलाया जाता है, किन्तु सास-ससुर, देवर, जेठ, ननद, पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा अनेक प्रकार की

यातनाएँ दी जाती है। उन्हें भूखा रखा जाता है, मारा-पीटा जाता है, मायके से पैसा आदि माँगने के लिए तंग किया जाता है तथा आत्म हत्या करने एवं घर छोडकर चले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। यद्यपि दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध माने गये हैं किन्तु वास्तविक रूप में यह बहुत कम सुनने में आता है कि विवाह के पूर्व किसी परिवार पर दहेज लेने के आग्रह को लेकर कोई मुकदमा चलाया गया हो। वास्तविक स्थिति यह है कि दहेज समाज में कैंसर की भाँति बढ़ता ही जा रहा है। गत वर्षो में स्त्रियों के प्रति दहेज उत्पीड़न की घटनाओं में बृध्दि हुई है तथा केवल अशिक्षित अपितु उच्च शिक्षित महिलाएँ भी इसका शिकार है यद्यपि दहेज उत्पीड़न के अनेक मामलों की विभिन्न कारणों से शिकायत नहीं की जाती तथापि विगत वर्षो के आंकड़े निश्चित ही चिन्ताजनक हैं।

वेश्यावृत्ति -

यह विश्व का सबसे पुराना व्यवसाय माना जाता है। शायद जबसे संगठित समाज है तब से वेश्यावृत्ति है 1959ई0 में महिलाओं में अनैतिक व्यापार दमन का कानून पारित किया गया था परन्तु आज भी वेश्यावृत्ति संगठित रूप में पायी जाती है। प्रायः यह दो रूपों में प्रचलित है - एक तो परम्परागत वेश्याएँ है जो बाजार में कोठों पर धन कमाने के लिए देह व्यापार करती हैं और दूसरी तरफ वे श्वेत वस्त्रधारी तथा कथित सम्मानित नारियाँ जो धन के लिए या अन्य भैतिक उद्देश्य के लिए बड़े-बड़े होटलों में या निजी कोठी या किसी अन्य संगठित अड्डे पर यौन का धंधा करती हैं। इस दूसरी श्रेणी की नारियों को कालगर्ल कहा जाता है।

आकुलर (Onlooker)[1] नामक पत्रिका में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की सांसी जाति की लड़कियों के सम्बन्ध में एक लेख में यह बताया गया है कि कैसे वे मुम्बई के देह व्यापार की ओर आकर्षित कर दी गई हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनमें से उनतीस सांसी लड़कियों को वेश्यालयों से पुलिस की सहायता से जब निकाला गया और वापस गाँव में लाकर उनके पुर्नवास का प्रयास किया गया तो उनमें से अधिकांश ने वापस पुनः धंधे में लौटना पसन्द किया। उन लड़कियों का कहना था कि वे गाँव के अनपढ़ व गरीब युवकों के साथ शादी करके गरीबी की जिन्दगी बिताने से कहीं बेहतर मुम्बई और पूना के वेश्यालयों में जिन्दगी गुजारना समझती हैं। यह उदाहरण पूरी सांसी की आर्थिक दयनीय दशा की और इशारा करता है।

देवदासी -

आज भी कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में मेलम्मा और पोचम्मा के ऐसे मन्दिर हैं जहाँ संख्या में प्रतिवर्ष देवदासियों के रूप में लड़कियों को समर्पित किया जाता है। परम्परा की दृष्टि से उनका कार्य देवता की सेवा करना है परन्तु वे पुजारी और गाँव के जमीदारों की यौन भूख का शिकार बनती हैं और आखिर में वेश्यावृत्ति द्वारा अपनी जीविका चलाती हैं। धार्मिक अंधविश्वास गरीब लोगों को ऐसी प्रथा का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। कानून के द्वारा देवदासी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है परन्तु फिर भी स्वस्थ जनमत के अभाव में कानून इस प्रथा को रोकने में नपुंसक सिद्ध हो रहा है। अब महिला संगठन भी इस दिशा में

1. See, Onlooker, January 15-23, 1986, PP. 26-29.

जागरूक हुए हैं और वे देवदासियों के पुर्नवास का कार्य कर रहे हैं और इस प्रथा के खिलाफ जन आन्दोलन चला रहे हैं। उनके प्रयासों में आशा की किरण दिखाई देती है।

अश्लील साहित्य -

नग्न एवं अर्धनग्न नारी की तस्वीरों, काम चेष्टाओं और कुत्सित किस्सों पर आधारित अश्लील साहित्य भी बाजार में धन कमाने का एक सरल साधन बन गया है। अनेक पत्र पत्रिकायें इस प्रकार की सामग्री द्वारा मानव की काम भावनाओं का शोषण करती है। अश्लील साहित्य किशोर-किशोरियों और युवाओं के नैतिक पतन का कारण बनती हैं और उन्हें गुमराह करता है ऐसे साहित्य पर भी कानूनी रोक लगी है पर वह चोरी छिपे बाजार में ऊँचे दामों पर मिल ही जाता है इस व्यापार का आधार भी नारी का यौन शोषण या नारी हिंसा है।

विज्ञापन -

आज के व्यवसाय का मुख्य आधार विज्ञापन है और विज्ञापन नारी के अंग प्रदर्शन पर आधारित है। चाहे किसी वस्तु का नारी के जीवन से सीधा सम्बन्ध हो या न हो परन्तु उसके शरीर के उत्तेजक चित्रों के अभाव में विज्ञापन अधूरा समझा जाने लगा है। यही कारण है कि माडलिंग का व्यवसाय लोकप्रिय होता जा रहा है। यह विज्ञापन भी राष्ट्र के नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी है। आज समाज के लिए विज्ञापन बहुत बड़ी आवश्यकता है विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान अर्धसरकारी कार्यालय या निगम अपनी गुणवत्ता के

संचालित करने के लिए बहुत सी महिलाओं को टी0वी0 एवं समाचार पत्र-पत्रिकाओं के अग्र एवं पिछले पृष्ठों पर बहुत सी नवयुवतियों को प्रदर्शित करके अपने उत्पाद को बेचता है।

चलचित्र -

अधिकांश चलचित्र नारी के यौनशोषण के ज्वलन्त उदाहरण है व्यावसायिक रूप से चलचित्र की सफलता के लिए यह आवश्यक समझा जाता है कि उसमें अर्धनग्न नारी के द्वारा कैबरे के दृश्य और असहाय नारी पर पुरूष के पुरूषत्व की ताकत को प्रकट करते हुए क्रूर बलात्कार के दृश्य अवश्य हों। अधिकतर चलचित्र पुरूष प्रधान होते हैं। नायिका तो प्रदर्शन के लिए एक गुड़िया मात्र दिखाई जाती है। जब लम्बे कामुक दृश्यों के द्वारा दर्शकों की काम वासनाओं को उत्तेजित किया जाता है तो नारी का अपमान भी होता है सच तो यह है कि नारी की देह उसकी निजी पवित्र धरोहर है जिस पर उसी का निरपेक्ष अधिकार होना चाहिए और किन्ही भी मजबूरियों प्रलोभनों से उसका सार्वजनिक प्रदर्शन सारे राष्ट्र के लिए लज्जा का विषय है। इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

कैबरे नृत्य -

नगरों में रेस्तरां और होटलों में कैबरे नृत्य एक साधारण बात बनती जा रही है जहाँ नृत्य के नाम पर नारी के अंगों को उत्तेजक रूप में प्रदर्शन होता है और कहीं-कहीं तो धीरे-धीरे नाचते हुए कपड़े उतारते हुए पूर्ण नग्नता का भी प्रदर्शन किया जाता है। शराब की गंध, सिगरेट के धुए और मध्यम रोशनी में खचाखच भरे

हाल के बीच उत्तेजक म्यूजिक के साथ मासल देह के लिए थिरकती हुई नारी की उत्तेजक चेष्ठाओं से सारा वातावरण ही कामुक बन उठता है धन के लिए आज भी नारी उसी तरह नाचती जा रही है जैसे वह सदियों से नचायी जा रही थी।

नारी हत्या तथा भ्रूण हत्या -
(Femiade and foeticide)

नारी हत्या वह हत्या कही जा सकती है जो उस समय हो जबकि वह माँ के गर्भ में है, या जन्म लेने के बाद नारी शिशु हत्या के रूप में है और चाहे जलती बहू या किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न से मारने के रूप में है। इतना ही नहीं, इसमें ऐसी घटनाएँ भी शामिल हैं जिनमें ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी गई हो कि नारी ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली हो। ऐसी घटनाएँ नारी के उत्पीड़न की बड़ी दर्दनाक कहानियां प्रस्तुत करती हैं और वह इक्का-दुक्का घटनाएँ भी है कि जिन्हें अपवाद समझकर टाल दिया जाये। यह तो एक अन्तर्राष्ट्रीय खोज का विषय है।[1] बारबरा **डी० मिलर[2] के अनुसार-** (Barbara D. Miller) ने उचित ही लिखा है कि नारी शिशु हत्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो रूपों में हो सकती हैं, प्रत्यक्ष रूप में मारने-पीटने से, जहर देकर या गला घोटकर से हत्या होती है और अप्रत्यक्ष रूप से उनके लालन-पालन, पोषण या देखभाल की उपेक्षा करके उन्हें मारने का प्रयास किया जाता है। अब तो एक नया तरीका गर्भ में लिंग निर्धारण या मेडिकल परीक्षण जैसे

---

1. See, seminar, No. 331 March 1987.
2. See, seminar, No. 331 March 1987. P. 19

एमनियोसेंटसिस (Amniqcementesis) कहा जाता है जिसके द्वारा यह पता चल जाता है के गर्भ में लड़का है या लड़की और हजारों की संख्या में लोग, यह पता लगाने पर कि गर्भ निर्धारण में लड़की है, गर्भपात करा लेते हैं। जन्म लेने से पहले ही नारी की हत्या हो जाती है।

बहुत से कुतर्की कहते हैं कि अगर पहले से ही किसी के कई लड़कियाँ होती है तो ऐसे माँ-बाप का जहां केवल लड़के की ही चाह है, ऐसा करना अनुचित नहीं है अनचाहे शिशु को जन्म देने से क्या लाभ? परन्तु यह तर्क ऐसा होता है जैसे यह कहना कि हम गरीबी नहीं चाहते तो गरीबों को मार ही क्यों दिया जाये या फिर जिस माता-पिता के पहले से कई लड़के है और गर्भ परीक्षण से पता चले कि गर्भ में फिर एक लड़का है तो क्या ऐसे में भी वह गर्भपात कराना चाहेंगे? कदापि नहीं। वास्तव में पुत्र या पुत्री में अन्तर किया जाना ही दोषपूर्ण है। सच तो यह है कि पुत्र या पुत्री के चरित्र व आचरण से परिवार का नाम चलता है न कि मात्र पुत्र के द्वारा। महात्मा गाँधी के चार लड़के थे पर आम आदमी उनका नाम तक नहीं जानता जबकि पंण्डित जवाहरलाल नेहरू के एक पुत्री थी और सारी दुनिया उसका नाम जानती है। इसी भाँति लड़की माँ-बाप की ज्यादा सेवा करती है और नालायक बेटा तो माता-पिता के लिए मृत्युपर्यन्त जी का जंजाल बना रहता है।

बाल विवाह भी कभी-कभी संस्कार के रूप में नारी की हत्या ही है। ***नीना कपूर***[1] ने ऐसे उदाहरण दिये हैं जहाँ बाल उम्र में विवाह होने से पति द्वारा यौन क्रिया के कारण नारी की मृत्यु हो जाती है।

---

1. See, seminar, No. 331 March 1987. P. 31

आधुनिक भारतीय समाज आज भी रुढ़िवादी परम्परा में जकड़ा हुआ है। कानून बनाये जाने के बाद भी कन्या भ्रूण हत्याओं की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार 1000 पुरुषों पर 822 महिलाओं का अनुपात है। वहीं गैर सरकारी आँकड़ों में यह अनुपात कुछ और है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस स्थिति के लिए काफी हद तक अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिकों के संचालक ही जिम्मेदार हैं, जो चन्द पैसों के लिए इस प्रकार के गैर कानूनी काम करते हैं। इस प्रकार से महिला हिंसा पर शोध करना और महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि ऐसे कृत्य करने वालों को समझाया जा सके और उनका इस हिंसा से अवगत कराकर महिला हिंसा या कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोका जा सके।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि हमारे देश में विगत वर्षों में महिलाओं के प्रति किये जाने वाले अपराधों में निरन्तर बृद्धि हुई है। यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात स्त्री शिक्षा, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता आदि लाने की दृष्टि से अनेक प्रयास किये गये हैं किन्तु इस सबके बावजूद उनके प्रति आक्रमक अपराधों में उत्तरोत्तर बृद्धि इस सम्बन्ध में बढ़ी हुई चिन्ता का प्रमुख कारण है।

(ब) महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के कारण एवं परिणाम -

~~हिंसा या अपराध~~ मनुष्य का कानून विरोधी या समाज विरोधी कृत्य है। ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पर अपराध न होता हो और ऐसा कोई समय भी नही है जब हिंसा या अपराध की बात

न सुनी गई हो अर्थात् अपराध एक सार्वजनिक घटना है प्रश्न यह उपस्थित होता है कि मनुष्य अपराध या हिंसा क्यों करता है? इस सम्बन्ध में किसी ने प्राकृतिक दशाओं को अपराध का कारण माना है, किसी ने शारीरिक व मानसिक दोषो, किसी ने आर्थिक अभाव को किसी ने निवास स्थान की सोचनीय अवस्था को, कोई सिनेमा को अपराध का कारण मानता है तो कोई अस्वस्थ पारिवारिक व सामाजिक परिस्थितियों को। वास्तव में मानव व्यवहार इतना सरल नहीं है कि उसे किसी एक कारण के आधार पर समझा या समझाया जा सके। साथ ही मानव व्यवहार के सन्तोषजनक विश्लेषण में पृथक-पृथक कारणों के योग को नहीं बल्कि सम्पूर्ण से सम्बन्धित अनेक कारणों को ध्यान में रखना आवश्यक है। मानव व्यवहार एक व्यक्ति पर पड़ने वाली समस्त शक्तियों तथा उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का परिणाम होता है।[1] अपराध भी इसी जटिल मानव व्यवहार की एक अभिव्यक्ति है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं के विरूद्ध अपराध हेतु उत्तरदायी कारणों को उपरोक्त के सन्दर्भ में समझने का प्रयास किया गया है।

आज नारी के प्रति अनेक प्रकार की हिंसाएं हो रही हैं। अपराध कानूनी रूप से ही परिभाषित शब्द नहीं है अपितु सामाजिक दृष्टि से भी परिभाषित शब्द है सामाजिक दृष्टि से इसे सामाजिक नियमों का उल्लघंन या विचलन कहा जाता है। नारी को शारीरिक व मानसिक यातनायें देना, उसके साथ मारपीट करना, उसका शोषण करना, नारीत्व को नंगा करना, भूखा-प्यासा रखकर या जहर आदि देकर उसको दहेज

---

1. Ellots Merrill - social Disarganization, Harper & Bros. Newyark, 1950. P-110

की बलि चढ़ा देना निश्चित रूप से नारी के प्रति हिंसा के कारण ही हैं।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा केवल आज की समस्या नहीं है, प्राचीन धर्म ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख मिलता है। हमारे समाज में प्रचलित प्रथाओं, रीति-रिवाजों, मूल्यों, विश्वासों एवं विचारधाराओं का महिला उत्पीड़न में योगदान रहा है। देवदासी प्रथा, पर्दा-प्रथा, कुलीन विवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं का शिकार महिलओं को ही होना पड़ता है और उनसे सम्बन्धित अत्याचार भी महिलाओं को ही सहने पड़ते हैं। विधवा विवाह निषेध ने यौन अपराधों में बृद्धि की है। विवाह सम्बन्धी मूल्यों व आदर्शों में परिवर्तन के कारण प्रथक्करण एवं तलाक की संख्या में बृद्धि हुई है। इससे स्त्रियों में भी नियंत्रण शिथिल हुआ है तथा वे स्वच्छन्द प्रकृति की हुई है। परिणामतः न केवल उनके विरूद्ध अपराधों को बढ़ावा मिला है बल्कि वे स्वयं भी अपराधी कार्यो की ओर प्रेरित होने लगी हैं। समाज द्वारा विशेषतः महिलाओं हेतु लागू आदर्श आचार संहिता न केवल शोषणकारी है बल्कि उन्हें इस शोषण को चुपचाप सहने हेतु विवश करती है और यदि महिला स्वयं के शोषण या स्वयं के विरूद्ध किये गये अपराध के खुलासे हेतु अग्रसर होती है तो उसे जन आलोचना व सामाजिक निन्दा का पात्र बनना पड़ता है।

वर्तमान उपभोक्तावादी तथा बाजारवादी संस्कृति ने नारी स्वतंत्रता तथा महिला उदारता की आड़ में उन्हें अपना शिकार बनाया है। बाजारवाद ने बड़ी चतुराई से औरत के सन्दर्भ को स्वास्थ्य का नाम

दे दिया। स्वस्थ बाल व त्वचा की देखभाल के चक्रब्यूह में औरत को ऐसा फांसा कि व्यक्तित्त्व के दूसरे पहलू दब गये। प्रायः अपने उत्पादों की बिक्री हेतु विज्ञापनों में महिलाओं का अभद्र रूप में प्रयोग किया जाता है। साबुनों आदि के विज्ञापनों में कैमरे की आँखे उत्पाद से अधिक महिला के शरीर पर केन्द्रित रहती हैं। कोरी व्यावसायिकता के उद्देश्य से विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, दूरदर्शन एवं सिनेमा में अश्लील, नग्न, उत्तेजक व रोमांस के दृश्यों की भरमार होने लगी है। इस प्रकार के दृश्य व्यक्ति को काम वासना को भड़काते हैं जिनकी तृप्ति हेतु व्यक्ति यौन अपराधों की ओर अग्रसर होता है। साथ ही दूरदर्शन एवं अन्य सिनेमा चैनलों पर दिखाये जाने वाले धारावाहिक स्वच्छन्द यौनाचार एवं विवाहेत्तर यौन सम्बन्धों को बढ़ावा देकर किशोरों व युवाओं की मानसिकता को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं और यह स्थितियाँ महिलाओं को उनके विरूद्ध होने वाली हिंसाओं की दृष्टि से असुरक्षित बनाती हैं।

महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार की हिंसा करके पुरुषों ने उनकों अबला, कोमलांगिनी एवं दासी के रूप में देखा। महिलायें अपनी अन्तः शक्ति को जाने जिससे कि वह हिंसा, बलात्कार, आगजनी, अत्याचार व शोषण से मुक्त होकर स्वावलम्बी बन सकें तथा समाज में समान सहभागिता कर समाज के विकास व प्रगति में अपनी भूमिका का निर्धारण कर सकें।

आधुनिक समाज में अस्वस्थ पारिवारिक दशायें, पारिवारिक तनाव, महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना, अपराधी के प्रति निष्क्रियता स्त्रियों की व्यावसायिक गतिशीलता, सहशिक्षा, रहन-सहन व आस-पास का

वातावरण, गन्दी बस्तियाँ, संकीर्ण विचार धारायें अव्यवस्थित आवागमन के साधन आदि ऐसे कुछ प्रमुख कारण हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महिलाओं को प्रभावित करते हैं।

9 मार्च 2007 जनसत्ता एक्सप्रेस लखनऊ पेज-9 के अनुसार डब्लू०एच०ओ० की रपट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनियाँ में तेजी से बढ़ रही यौन हिंसा के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा है कि 15 साल की आयु में पहुँचने के पहले हर पाँच में से एक लड़की यौन हिंसा का शिकार होती है। डब्लू० एच० ओ० की महानिदेशक **मारगेट चांग** ने कहा कि पुरुष सहयोगी द्वारा अपनी महिला सहयोगी के साथ शारीरिक और यौन हिंसा के उच्च्य स्तर को पार करना महिला स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चांग ने कहा कि वर्तमान समय में 15 साल की आयु में पहुँचने से पहले हर पाँच में से एक लड़की यौन हिंसा का शिकार होती है। उन्होंने कहा कि यदि इस बात को गम्भीरता से नहीं लिया गया तो यह संख्या आगे और भी बढ़ सकती है। इसका सीधा प्रभाव महिला के स्वास्थ्य पर पड़ता है जिसे ठीक होने में सालों लग जते हैं। संगठन की प्रमुख ने कहा कि एक अजनबी पुरुष द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार करने की अपेक्षा एक पुरुष सहयोगी द्वारा अपनी महिला सहयोगी के साथ हिंसा करना अब आम बात हो गयी है। महिला को स्वस्थ बना रहना उसकी आवश्यकता है लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। डब्लू०एच०ओ० के अनुसार पाँच लाख महिलाएँ प्रतिवर्ष गर्भधारण सम्बन्धी और प्रसव के दौरान होने वाली समस्याओं के कारण मर जाती हैं। पिछले बीस सालों में कोई अधि क अन्तर नहीं आया है।

महिलाओं के प्रति वर्तमान समय के देश में 70 फीसदी महिलायें घरेलू हिंसा की शिकार तथा 37.2 फीसदी पति की हिंसा से पीड़ित हैं। देश में घरेलू हिंसा का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। दरअसल भारत में अब भी 70 प्रतिशत महिलायें कानूनों से अनजान हैं या फिर उसके प्रति उदासीन है। इसका एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जिसका अमूमन सभी सरकारों ने कानून बनाते समय उपेक्षा की है। अब भी महिलाओं का सुरक्षा कवच परिवार है न कि कानून। उनकी दिलचश्पी कानून में नहीं के बराबर है वे अपने पारिवारिक विवाद को पुलिस या कचेहरी के बजाय आपस में ही सुलझाने का प्रयास करती है। इसके चलते ही महिलाएँ घरेलू हिंसा पर उफ नहीं करती जब तक पानी सिर से ऊपर नहीं निकल जाता वे सहन करती रहती हैं। 26 अक्टूबर 2006 से अमल में घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 महिलाओं को सुरक्षा के व्यापक कवच प्रदान करता है जिसके अन्तर्गत निम्न बिन्दु आते हैं।

26 अक्टूबर 2006 से अमल में आया घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 महिलाओं को सुरक्षा के व्यापक कवच प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत आते हैं।

1) शारीरिक, मानसिक व यौन प्रताड़ना के साथ मारपीट की धमकी।
2) बात-बात पर गुस्सा उतारना, लड़का न होने पर ताने देना, मर्जी के बगैर शारीरिक सम्बन्ध बनाना व लड़की की जबरन शादी करना।
3) अश्लील चित्रों, फिल्मों को देखने के लिए विवश करना।

4) नौकरी छोड़ने पर मजबूर करना या नौकरी करने से रोकना। पत्नी को मकान या फ्लैट में रहने के हक से वंचित करना।

5) साठ दिन यानी दो माह के भीतर फैसला देने का प्रावधान।

महिलाओं के साथ अनेक प्रकार की आकस्मिक हिंसा भी होती है जो उनके नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को प्रभावित करती है। नारी अंधकारों को चीरकर समाज में एक उच्च्य स्थान प्राप्त करना चाहती है जिससे उसका समाज में मूल्य बढ़े परन्तु पुरुष वर्ग द्वारा कई प्रकार की हिंसाएं की जाती है जिससे उसका मनोबल टूट जाता है। महिलाओं के साथ हिंसा करना एक मानवता को मारना है महिलायें प्रकृति है और पुरुष संस्कृति है महिलायें सृष्टि है और पुरुष सृष्टा है। महिलाएँ (प्रकृति) और पुरुष (संस्कृति) का समागम है। लेकिन पुरुष द्वारा उसको शोषित किया जाता है।

''आज विश्व में हर कोने में महिलाओं के पक्ष में हवा चल रही है सन् 1990 से 2000 तक का दशक 'महिला दशक' के रूप में मनाया गया। तथा प्रतिवर्ष सम्पूर्ण विश्व में 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में सन् 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया गया धीरे-धीरे विकसित एवं विकासशील समाज में महिलाओं को समुचित विकास व सशक्तीकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किया गया। स्थिति में है कि 21वीं सदी को लोग महिलाओं की शताब्दी के नाम से जानने लगे हैं।''[1]

---

1. आरजू एम.एच. (1993), भारतीय महिला और आधुनिकीकरण कामनबेल्थ पब्लिशर्स, नईदिल्ली।

हिंसा की शिकार महिलाओं की सामान्य पृष्ठभूमि -

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा सम्बन्धी पुरुषों के दृष्टिकोण का समाजशास्त्रीय अध्ययन बाँदा के विशेष सन्दर्भ में, शोधकर्ता ने हिंसा की शिकार महिलाओं से बहुत से तथ्य संकलित किये। यह सत्य है कि एक समाज, समुदाय या वर्ग के सदस्यों के बीच समानता होने के बावजूद व्यक्तिगत, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवं नैतिक दशाओं के आधार पर बहुत सी भिन्नतायें पायी जाती हैं जो मनःस्थिति, रुचि, विचार और क्रियाओं को प्रभावित करती है। इस दृष्टि से किसी भी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक दशायें व्यक्तितत्व निर्माण में अहम भूमिका का निर्वाह करती है। अतः प्रस्तुत शोध में हिंसा की शिकार महिला उत्तरदाताओं से सम्बन्धित समान्य जानकारी आयु, जाति, वर्ग, शैक्षणिक स्थिति, पारिवारिक, मासिक आय आदि चारो के माध्यम से एकत्रित की गई है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि यह स्वतंत्रता परिवर्त्य महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से किस प्रकार सम्बन्धित है। तत्सम्बन्धी जानकारी का विश्लेषण निम्नवत है।

आयु -

आयु व्यक्ति की ऐसी जैविकीय विशेषता है जो व्यक्ति को शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के विभिन्न स्तरों में विभाजित करती है। आयु का व्यक्ति के विचारों पर प्रभाव पड़ता है। तथा आयु बढ़ने के साथ विचारों में परिपक्वता आती है। आयु का सम्बन्ध शारीरिक विकास से जिज्ञासाओं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण तथा भौतिक चकाचौध का प्रभाव एक विशिष्ट आयु वर्ग पर तुलनात्मक रूप से अधिक होता है।

अतः हिंसा एवं आयु में सम्बन्ध होता है तथा हिंसक द्वारा शिकार के चुनाव में युवा अवस्था को विशेष महत्व दिया जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में हिंसा की शिकार महिलाओं से घटना के समय उनकी आयु सम्बन्धी तथ्यों को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

हिंसा की शिकार महिलाओं की आयु सम्बन्धी विवरण

तालिका क्रमांक-5.8

क्र. सं.	आयु समूह	बलात्कार		अपहरण		छेड़-छाड़		दहेज		अन्य मानसिक परिवारिक व मासिक		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	18 वर्ष से कम	9	3	8	2.67	18	6	–	–	40	13.33	75	25
2.	18-30 वर्ष	13	4.33	4	1.33	48	16	45	15	50	16.67	160	53.33
3.	30 वर्ष व अधिक	4	1.33	–	–	9	3	5	1.67	47	15.67	65	21.67
योग		26	8.67	12	4	75	25	50	16.67	137	45.67	300	100

(बहुलक आयु 23.4 वर्ष)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि हिंसा की शिकार महिआलाओं में 18 से 30 वर्ष आयु समूह की युवा महिलाओं की संख्या सर्वाधिक 160 (53.33 प्रतिशत) है, जबकि 18 वर्ष से कम आयु की अत्याधिक युवा महिलाओं की संख्या 75 (25 प्रतिशत) तथा 30 वर्ष व अधिक आयु की शिकार ग्रस्त महिलायें सबसे कम (21.67 65 प्रतिशत) है।

उत्पीड़ितों की आयु 9 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य है तथा बहुलक आयु 23.4 वर्ष है अर्थात इस आयु की सर्वाधिक महिलायें हिंसा का शिकार हुई हैं।

तालिका क्रमांक-5.9

क्र. सं.	आयु समूह	बलात्कार		अपहरण		छेड़-छाड़		दहेज		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	18 वर्ष से कम	9	34.6	8	66.7	18	25.0	-	-	35	21.9
		25.7		22.9		51.4				100.0	
2.	18-30 वर्ष	13	50.0	4	33.3	45	62.5	45	90.0	107	66.9
		12.1		3.7		42.1		42.1		100.0	
3.	30 वर्ष व अधिक	4	15.4	-	-	9	12.5	5	10.0	18	11.2
		22.2				50.0		27.8		100.0	
	योग	26	100.0	12	100.0	72	100.0	50	100.0	160	100.0

(बहुलक आयु 23.4 वर्ष)

शिकारग्रस्त महिलाओं की आयु का उनके प्रति किये गये अपराध के प्रकार के साथ सम्बन्ध की दृष्टि से स्पष्ट है कि अन्य मानसिक पारिवारिक व सामाजिक हिंसा के शिकार 137 (53.33 प्रतिशत महिलाएँ 18 से 30 वर्ष की हैं जो युवा व परिपक्व हैं व जिन्हें घर के बाहर काम लिए जाना पड़ता है तथा बलात्कार की 4.33 प्रतिशत महिलाएं 18 से 30 वर्ष आयु समूह की हैं। किन्तु अपहरण की कुल शिकार में 1.33 प्रतिशत महिलाएँ 18 वर्ष से कम आयु की हैं। इस प्रकार बलात्कार छेड़छाड़ व दहेज की शिकार सर्वाधिक महिलाएं 18 से 30 वर्ष आयु की हैं, जबकि अपहरण की शिकार सर्वाधिक महिलाएँ 18 वर्ष से कम आयु समूह की हैं। सम्भवतः इसका कारण कम आयु की महिलाओं व लड़कियों की मानसिक अपरिपक्वता है जिसके कारण उन्हें विवाह आदि के प्रलोभन द्वारा बहला ले जाना आसान होता है। विभिन्न आयु समूहों में धारित कुल अपराधों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सभी आयु समूहों में महिलाएँ छेड़छाड़ की सर्वाधिक शिकार हुई है।

हिंसाग्रस्त महिलाओं की आयु एवं हिंसा का प्रकार

ग्राफ

(1) बलात्कार (2) अपहरण (3) छेड़छाड़ (4) दहेज उत्पीड़न

हिंसाग्रस्त महिलाओं की आयु एवं हिंसा का प्रकार

ग्राफ

जाति -

भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आदि काल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। पश्चिमी देशों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग रहा है तो भारत में जाति एवं वर्ण। जाति हिन्दू सामाजिक संरचना का एक मुख्य आधार रहा है जिससे हिन्दुओं का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक और राजनैतिक जीवन प्रभावित होता रहा है हिन्दुओं के सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र का अध्ययन बिना जाति के विश्लेषण के अपूर्ण ही रहता है।

श्रीमती कार्वे के अनुसार यदि हम भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझना चाहते है तो जाति प्रथा का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। यही कारण है कि समय-समय पर इतिहासकारों, जनगणना आयुक्तों, समाज शास्त्रियों, मानव शास्त्रियों एवं अन्य देशी तथा विदेशी विद्वानों ने जाति प्रथा का अध्ययन किया।

डॉ0 मजूमदार के अनुसार जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है सामान्यतः भारत जातियों एवं सम्प्रदायों की परम्परात्मक स्थली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी जाति घुली हुई है यहाँ तक कि मुसलमान और इसाई भी इससे अछूते नहीं है।

"जाति निःसन्देह अखिल भारतीय प्रवृत्ति है।"[1] "भारतीय हिन्दू सामाजिक व्यवस्था पूर्णतः जातीय संरचनाकृत है, जो हिन्दुओं के साथ रह रहे हैं वे भी जाति से अप्रभावित नहीं है।"[2] जाति का निर्धारण जन्म से होता है भारत में जाति सामाजिक ढ़ांचे का एक आवश्यक अंग मानी जाती है व इसी के आधार पर समाज में परिवार की स्थिति का निर्धारण होता है। सामाजिक स्तरीकरण में भारतीय जाति व्यवस्था अद्वितीय है।"[3]

प्रस्तुत अध्ययन के उत्तरदाताओं से जाति सम्बन्धी एकत्रित करने का उद्देश्य जाति का हिंसा के साथ सम्बन्ध ज्ञात करना है। तत्सम्बन्धी आँकड़े निम्न तालिका में सम्बन्ध है।

तालिका नं0 5.10

हिंसाग्रस्त महिला की जाति सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	जाति समूह	बलात्कार		अपहरण		छेड़-छाड़		दहेज		मानसिकअन्य परिवारिक व सामाजिक		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	उच्च	6	2	6	2	15	5	26	8.67	37	12.33	90	30
2.	पिछड़ी	10	3.33	3	1	30	10	16	5.33	60	20	119	39.67
3.	निम्न	10	3.33	3	1	30	10	8	2.67	40	13.33	91	30.33
	योग	26	8.67	12	4	75	25	50	16.67	137	45.67	300	100

---

1. Shrinivas M.N. - Social charge in modern India orient logman, New Delhi, Page 3.
2. Atal Yogesh - changing frontiers caste, concept frame work, National Publishing House New Delhi, 1968, Page-3.
3. Kaching Sanewell - Sociology - An Introduction to the science of society, Ch. 16 Social Graup & Class.

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल उत्पीड़ित 300 महिलाओं में सर्वाधिक 119 (39.67 प्रतिशत) पिछड़ी जाति की तत्पश्चात 91 (30.33 प्रतिशत) निम्न जाति की तथा सबसे कम 90 (30 प्रतिशत) उच्च जाति की महिलाएँ हिंसा का शिकार हुई हैं।

एकत्रित तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बलात्कार व दहेज उत्पीड़न की शिकार महिलाओं में सर्वाधिक (70 प्रतिशत) पिछड़ी जाति व निम्न जाति की हैं जबकि छेड़-छाड़ की शिकार महिलाएँ पिछड़ी व निम्न जाति की अधिक हैं। अपहरण के प्रकरणों में अपराधियों ने उच्च जाति को अधिक निशाना बनाया है। अतः जाति के आधार पर हिंसा की शिकार महिलाओं के सन्दर्भ में स्पष्ट है कि यद्धपि किसी भी जाति महिला हिंसक का शिकार बन सकती है। तथापि उच्च व पिछड़ी जाति की उत्पीड़ित महिलाओं का सम्मिलित अनुपात निम्न जाति की तुलना में लगभग दुगना है अतः यह धारणा कि निम्न जाति की महिलाएं हिंसा का अधिक शिकार बनती है निर्मूल है।

उत्पीड़ितो के उन्हीं की जाति के अन्तर्गत घटित अपराधों से स्पष्ट है कि उच्च जाति की महिलाएं दहेज उत्पीड़न का सर्वाधिक शिकार हैं पिछड़ी जाति में दहेज उत्पीड़न व छेड़-छाड़ की शिकार उत्पीड़ितों का प्रतिशत समान है जबकि निम्न जाति की महिलाओं के साथ अन्य अपराधों की तुलना में छेड़-छाड़ की घटना सर्वाधिक हुई हैं।

हिंसा ग्रस्त महिलाओं की जाति एवं हिंसा का प्रकार ग्राफ

(1) बलात्कार (2) अपहरण (3) छेड़छाड़ (4) दहेज उत्पीड़न

धर्म -

धर्म मानव समाज का एक ऐसा व्यापक स्थाई एवं साश्वत तत्व है, जिसको सम्यक रूप से समझे बिना हम समाज के रूप को समझने में असफल रहेंगे। वर्तमान में मानव ने विज्ञान के सहारे हमारे पर्यावरण पर काफी नियंत्रण प्राप्त किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि कई समाज या तो धर्म निरपेक्ष हो गये या धर्म में रूचि नही रखते और धार्मिक विश्वासों की वेधता को स्वीकार नहीं करते। सभी धर्म आज भी एक सार्वभौमिक तथ्य बना हुआ है धर्म मानव का अलौकिक सम्बन्ध जोड़ता है इसका सम्बन्ध मानव की भावनाओं भक्ति और श्रृद्धा से है। धर्म मानव के आन्तिरिक जीवन को भी प्रभावित करता है। व उसके सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। यूरोप में जब प्रोटेस्टैन्ट धर्म का उदय हुआ तो पूँजीवाद ने जन्म

लिया क्योंकि धार्मिक आधार ही धार्मिक क्रियाओं को निर्धारित करता है। जब धर्म में परिवर्तन होता है तो आर्थिक क्रियाओं में भी परिवर्तन होता है इस प्रकार धर्म मानव जीवन का एक प्रमुख अंग है।

स्टीफन फ्चूस के मतानुसार ''धर्म शब्द Religar से बना है जिसका अर्थ है ''बांधना'' अर्थात् मनुष्य को ईश्वर से सम्बन्धित करना।

प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय की अनेक शाखायें उपशाखायें है जिनमें इस्लाम, ईसाई, पारसी धर्म विदेशों से आये जबकि बौद्ध, जैन, तथा सिक्ख धर्म को हिन्दू धर्म का एक अंग माना जाता है। भारतीय जनसंख्या में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का प्रतिशत तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका 5.11

क्र. सं.	धर्म	1992	1993	1994	1995
1.	हिन्दू	82.82	82.63	82.46	82.75
2.	मुसलमान	11.20	11.36	11.67	13.81
3.	ईसाई	2.59	2.42	2.32	2.40
4.	सिक्ख	1.89	1.96	1.99	1.92
5.	बौद्ध	0.71	0.71	0.77	0.79
6.	जैन	0.40	0.48	0.41	0.42
7.	पारसी व अन्य	0.41	0.43	0.43	0.66

धर्म एक सार्वभौमिक अमूर्त तत्व है। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास इन विश्वासों से सम्बन्धित वाह्य व्यवहार, भौतिक वस्तुएँ और प्रतीक तथा मानवोपरि शक्तियों के प्रति अभिवृत्ति है। यह सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है जो मूल्यों में सामंजस्य द्वारा समाज में एकीकरण व व्यवस्था बनाये रखने में सहायक है।

धर्म हर समाज में पाया जाता है। भारतीय समाज धर्म पर अवलम्बित है। हमारे यहां खान-पान, रहन-सहन, सामाजिक सम्पर्क, विवाह, आर्थिक क्रियाओं व मनोरंजन आदि के क्षेत्र में धर्म का स्पष्ट प्रभाव है। भारत में हिन्दू धर्मावलम्बी अत्यधिक है किन्तु यह धर्म मत-मतान्तरों वाला धर्म है जो अन्य धर्मों को भी स्वयं में समाहित कर लेता है तथापि विभिन्न धर्मों के आचार-विचार एवं मान्यताओं का प्रभाव सामाजिक घटना पर पड़ता है। उत्तरदाताओं से प्राप्त धर्म सम्बन्धी जानकारी निम्नवत तालिका में है।

हिंसाग्रस्त महिलाओं का धर्म

तालिका 5.12

क्र. सं.	धर्म समूह	बलात्कार		अपहरण		छेड़-छाड़		दहेज		अन्य मानसिक सामाजिक व परिवारिक		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	हिन्दू	24	8	10	3	68	22.67	40	13.33	127	42.33	169	89.67
2.	अहिन्दू	2	67	2	67	7	2.33	10	3	10	3	31	10.33
	योग	26	8.67	12	4	75	25	50	16.67	137	45.67	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि हिंसा की शिकार कुल महिलाओं में हिन्दुओं का प्रतिशत अहिन्दुओं की तुलना में अधिक है, जनसंख्या की दृष्टि से भी बांदा जनपद में हिन्दुओं का बाहुल्य ही है।

धर्म के अन्तर्गत गैर हिन्दू धर्म की शिकार कुल 31 महिलाएँ सारणीगत हिंसा का शिकार हुई हैं जिसमें 2 बलात्कार, दो अपहरण, सात छेड़-छाड़ 3 प्रतिशत दहेज उत्पीड़न का शिकार हैं।

वर्तमान समय में धर्म के नाम पर कई प्रकार की हिंसा महिलाओं पर होती हैं ग्रामीण समाज की अशिक्षित महिलायें एवं शहरी समाज की निम्न वर्ग की महिलाएँ धर्मान्धता से जुड़ी हुई हैं। तांत्रिकों, ओझाओं, भक्तों मन्दिर के पुजारियों महन्तों के द्वारा बहुत सी महिलाओं के साथ दुश्चरित्र एवं दुष्कर्म करके अपनी कामांग्नि की पूर्ति करते हैं। बहुत से लोग धर्म के प्रतीक बनकर उनमें साधुता के लक्षण नहीं होते बल्कि उनमें शैतानियत के लक्षण पाये जाते हैं जो समाज के प्रति बड़े घातक एवं हिंसक होते हैं।

चमत्कार एवं धर्म दोनेां अलग-अलग शाखाये है बहुत से अनपढ़ एवं अशिक्षित लोग चमत्कार को धर्म मान बैठते है। धर्म और चमत्कार एक दूसरे के विरोधी है उनकी स्थिति उसी प्रकार से है जैसे उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव।

शैक्षिक स्थिति -

मानव द्वारा आदिकाल से ही ज्ञान का संचय किया जाता है प्रत्येक नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा कुछ ज्ञान सामाजिक विरासत में प्राप्त होता है। और वह कुछ स्वयं अर्जित करता है। ज्ञान की परम्परात्मक श्रृंखला ही शिक्षा है जिसके द्वारा मानव ने अपनी मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति की है। शिक्षा ने ही मानव को पशु स्तर से ऊंचा उठाया है। और श्रेष्ठ सांस्कृतिक प्राणी बनाया है।

चीनी संत **कन्फ्यूशियस के अनुसार** अज्ञानता एक ऐसी रात्रि के समान है जिसमें न चांद है न तारे हैं। शिक्षा का उद्देश्य

ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर अज्ञान रूपी अन्धेरी रात के अन्धकार को दूर करना है।

शिक्षा व्यक्ति को अपने समाज की आदर्शात्मक व्यवस्था से परिचित कराती है जिसके अनुसार आचरण कर व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुरूप ही आचरण करना सीखता है।

शिक्षा के कार्य (महत्व)

चित्र

वर्तमान समाज में शिक्षा मानव की मौलिक आवश्यकता है। यह ऐसी चाबी है जिससे जीवन के द्वार खुलते है शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान एवं चरित्र को विशेष सांचे में ढालकर उसे परिष्कृत करने के साथ आध्यात्मिक गुणों का विकास करती है। वास्तविकता यह है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में विवेकशीलता का विकास होता है यह व्यक्ति के विचारों एवं सम्भावनाओं को प्रभावित कर उसकी सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है। एक शिक्षित व्यक्ति का

व्यक्तित्व, उसका दृष्टिकोंण एवं विचार करने का ढंग अशिक्षित की तुलना में भिन्न होता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में महिलाओं के शैक्षिणिक स्तर का उनके विरूद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभाव जानने की दृष्टि से एकत्रित तथ्यों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

उत्पीड़ित महिलाओं का शैक्षिक स्तर

तालिका- 5.13

क्र. सं.	शैक्षिक स्तर	बलात्कार		अपहरण		छेड़-छाड़		दहेज		अन्य मानसिक सामाजिक व परिवारिक		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	अशिक्षित	11	3.67	5	1.67	40	13.33	20	5	65	21.67	141	47
2.	विद्यालयी स्तर	13	4.33	5	1.67	25	8.33	25	8.33	55	18.33	123	41
3.	महाविद्यालयी स्तर	2	67	2	67	10	3.33	5	3.33	17	5.67	36	12
	योग	26	8.67	12	4	75	25	50	16.67	137	45.67	300	100

उपरोक्त तालिका में उत्पीड़ित महिलाओं की शैक्षिणिक पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि हिंसा की शिकार कुल महिलाओं में सर्वाधिक 47 प्रतिशत आशिक्षित का है जबकि महाविद्यालयी स्तर तक शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत सबसे कम (12 प्रतिशत) है। अतः स्पष्ट है कि यद्यपि किसी भी शैक्षणिक स्तर की महिला उत्पीड़न का शिकार हो सकती है तथापि अशिक्षित एवं कम पढ़ी लिखी महिलाओं के हिंसा का शिकार होने की सम्भावना अधिक होती है।

वैवाहिक स्थिति -

मानव की विभिन्न प्राणीशास्त्रीय अवश्यकताओं में यौन सन्तुष्टि एक

आधारभूत आवश्यकता है। मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणी भी यौन-इच्छओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन उनमें केवल उनका नैतिक आधार है। मानव में यौन इच्छाओं की पूर्ति का आधार अंशतः दैहिक, अंशतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक है। यौन इच्छाओं की सन्तुष्टि ने ही विवाह, परिवार तथा नातेदारी को जन्म दिया है। परिवार के बाहर भी यौन सन्तुष्टि सम्भव है, किन्तु समाज ऐसे सम्बन्धों को अनुचित मानता है। कभी-कभी कुछ समाजों में परिवार के बाहर यौन सम्बन्धों को संस्थात्मक रूप में स्वीकार किया जाता है, किन्तु वह भी एक निश्चित सीमा तक हो। यौन इच्छाओं की पूर्ति स्वस्थ जीवन एवं सामान्य रूप से जीवित रहने के लिए भी आवश्यक मानी गयी है। इसके अभाव में कई मनोविकृतियाँ पैदा हो जाती हैं। यौन इच्छा की पूर्ति किस प्रकार की जाये, यह समाज और संस्कृति द्वारा निश्चित होता है। विवाह का उद्देश्य यौन सन्तुष्टि ही नहीं होता है, वरन् कभी-कभी तो यह केवल सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही किया जाता है। उदाहरण के लिए नागाओं में एक पुत्र अपनी सगी माँ को छोड़कर पिता की अन्य विधवा स्त्रियों से विवाह कर लेता है। इसका कारण यौन सन्तुष्टि नहीं, वरन् स्त्रियों को मिलने वाली सम्पत्ति में उत्तराधिकार को प्राप्त करना है।

स्त्रियों को किस अंश तक स्वतंत्रता प्राप्त रहे, इस प्रश्न पर कौटलीय अर्थशास्त्र में विवेचन किया गया है। इस सम्बन्ध में कौटिल्य ने पुराने आचार्यों का यह मत उद्धृत किया है - यदि कोई स्त्री अपने पति के निकट सम्बन्धी सुखावस्थ (सुख समृद्धि से युक्त व्यक्ति),

ग्रामिक (ग्राम के मुखिया), अन्वाधि (संरक्षक) भिक्षुकी कुल (भिक्षुणी स्त्री के परिवार का पुरुष) के पास जाये तो इसमें कोई दोष नहीं है। पर कौटिल्य पुराने आचार्यों के इस मत से सन्तुष्ट नहीं थे। उनका कथन था, कि यह जान सकना सुगम नहीं है कि अपने ज्ञातियों तक के परिवार में कौन-कौन से पुरुष सन्देह के ऊपर हैं या विश्वास के योग्य हैं। कौटिल्य को केवल यह स्वीकार्य था, कि स्त्रियाँ अपने ज्ञातियों के कुल में भी केवल उस दशा में जा सकती हैं जबकि वहाँ कोई मृत्यु हो गयी हो, या कोई रोगी हो, या उस पर कोई विपत्ति आ गई हो या वहाँ कोई बच्चा होने वाला हो। ऐसे अवसरों पर स्त्री को अपने जाति कुल में जाने से नहीं रोका जाता था। यदि कोई रोके तो उसे बारह पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। तीर्थ यात्रा आदि के प्रयोजन से स्त्रियों को घर से बाहर जाने की अनुमति प्राप्त थी।[1]

यह चिन्तन का विषय है कि क्या महिलाओं का जन्म पुरुषों की दासी बनकर जीने के लिए हुआ है। भारतीय समाज में पुरुष हमेशा परिवार का मुखिया रहता है जिस कारण से उसी के अनुसार परिवार में शादी की परम्पराओं एवं प्रथायें चलती रहती हैं। भारतीय समाज में विवाह एक संस्कार है। बिना विवाह के मनुष्य अपूर्ण एवं अपूर्व माना जाता है।

विवाह सफलतम जीवन का आधार है बिना विवाह के मनुष्य का समाज में कोई स्थान नहीं है जिस कारण से वह यहाँ-वहाँ अस्थिर जीवन जीता है। हिन्दू समाज में सोलह संस्कार है जिनमें विवाह एक प्रमुख संस्कार माना जाता है।

---

1. सत्यकेतु विधालंकार - पश्चिमी भारत का धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पेज-245.

विवाह एक धार्मिक संस्कार है संस्कार से अन्तः शुद्धि होती है और अन्तःकरण के तत्व ज्ञान एवं भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होता है जो जीवन का परम पुरुषार्थ है। विवाह समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण इकाई है। अनुशासन को बनाये रखने का एक साधन है जिसमें व्यक्ति का पूर्ण सुख निर्भर है। विवाह एक ऐसी संस्था है[1] जो समाज की निरन्तरता को बनाये रखती है तथा पारिवारिक जीवन को आधार प्रदान करती है।[2] स्त्री पुरुष को परिवार का वास्तविक सुख विवाह के पश्चात ही प्राप्त होता है क्योंकि विवाह के पश्चात! ही स्त्री पुरुष का समन्वय होता है। अतः विवाह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के रूप में स्त्री पुरुष को कुछ नियमों के अन्तर्गत यौन संतुष्टि के अवसर प्रदान करती है। कहा गया है कि "विवाह में एक ऐसा औपचारिक रिवाज निहित है जो पति-पत्नी का एक दूसरे के प्रति उनकी सन्तानों व सम्बन्धियों के प्रति व विस्तृत रूप से समाज के प्रति उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों को निश्चित करता है।[3]

स्पष्ट है कि विवाह एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के जीवन को अनेक रूपों में प्रभावित करती है। किन्तु पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव में यह संस्था भी अछूती नहीं है। जन्म जन्मान्तर का बंधन मानी जाने वाली विवाह संस्था आज एक समझौते का रूप ले रही है। जन्म-जन्म का बन्धन अब ऐच्छिक है। पूर्व में माता-पिता द्वारा ही तय किये जाने वाले रिश्ते अब बाग-बगीचों व

---

1. Bogardus E.S. : Sociology, P.-5
2. Lowele R.H. : Marriage, Encyclopedia of social sciences, volume 10,P.-114.
3. Lundbery & others : Types of marrige, famity and society, kamal Publication, Indore, P.-153

होटलों में लड़के-लड़की की रजामंदी से भी तय होते हैं। अन्तरजातीय व प्रेम विवाहों को सामाजिक मान्यता प्राप्त हो रही है। स्वैच्छिक विवाह हेतु पारिवारिक विरोध के फलस्वरूप मनचाहे जीवन साथी के साथ भाग जाने एवं यौन उत्पीड़न की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी ओर दहेज की चाह में बेमेल विवाहों को भी बढ़ावा मिला है।

शोधकर्ता द्वारा हिंसा की शिकार महिलाओं से घटना के समय उनकी वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी एकत्रित आंकड़ों को निम्न तीन वर्गों में विभक्त किया गया है।

वैवाहिक स्थिति का सम्बन्धी विवरण

तालिका- 5.14

क्र. सं.	शैक्षिक स्तर	बलात्कार		अपहरण		छेड़-छाड़		दहेज		अन्य मानसिक सामाजिक व परिवारिक		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	विवाहित	14	4.67	-	-	47	15.67	47	15:67	60	20	168	56
2.	अविवाहित	10	3.33	12	4	20	6.67	-	-	62	14	84	28
3.	विधवा	2	67	-	-	8	2.67	3	1	35	11.67	48	16
	योग	26	8.67	12	4	75	25.01	50	16.67	137	45.67	300	100

एकत्रित तथ्यों से स्पष्ट है कि हिंसा की शिकार महिलाओं में विवाहित महिलओं का प्रतिशत 56.5 है, अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत 28 प्रतिशत है, जबकि विधवा महिलायें सबसे कम 6.3 प्रतिशत हिंसा का शिकार हुई हैं।

अपराध के प्रकार के आधार पर तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि दहेज, बलात्कार एवं छेड़-छाड़ व अन्य के प्रकरणों में

विवाहित महिलायें हिंसा का अधिक शिकार हुई हैं जबकि अपहरण की शिकार शत-प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित हैं।

अपहरण की शिकार शत-प्रतिशत महिलाओं का अविवाहित होना इस ओर ध्यान आकर्षित करता है कि सम्भवतः कुछ महिलायें अपने पसन्द के जीवन साथी से विवाह हेतु अपनी इच्छा से घर से भागी हैं। तथा पकड़े जाने पर पारिवारिक सदस्यों के दवाव में घटना को अपहरण या भगा ले जाने का रूप दिया गया हो।

महिलाओं के उन्हीं के वैवाहिक स्तर के अन्तर्गत घटित विभिन्न अपराधों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि विवाहित, अविवाहित तथा विधवा महिलायें छेड़छाड़ का अधिक शिकार हुई हैं।

वर्तमान समय में आधुनिकता के कारण आज वैवाहिक स्थिति का रूप बदल गया है। जिस कारण से परिवार और समाज में कई प्रकार के मानसिक तनाव और सामाजिक अवमूल्यन पाया जाता है जिससे विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रथायें एवं रीति रिवाज प्रभावित होते हैं। आज विवाह करने के उपरान्त भी शारीरिक सन्तुष्टि की प्राप्ति हो सकती है। परन्तु मानसिक सन्तुष्टि नहीं जिस कारण से वैवाहिक जीवन तुष्टिकरण के बिन्दुओं पर आधारित है।

परिवार का स्वरूप -

अनेक समाजशास्त्रियों का मत है कि परिवार समाज रूपी भवन के कोने का हिस्सा है। यह सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है। परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना भी करना कठिन प्रतीत होता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या है। "समाज में परिवार ही अत्याधिक महत्वपूर्ण

समूह है।'' मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। संस्कृति के सभी स्तरों में चाहे उन्नत कहा जाये या निम्न किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अनिवार्यतः पाया जाता है। शारीरिक वासनाओं एवं कामवासना की पूर्ति ने ही परिवार को जन्म दिया। परिवार ही नवजात शिशुओं एवं गर्भवती माताओं की देखभाल करता है। यौन सम्बन्धों एवं सन्तानोंत्पत्ति का नियमन कर उन्हें सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। यह भावनात्मक घनिष्ठता का वातावरण प्रदान कर बच्चे के समुचित लालन-पालन समाजीकरण और शिक्षण में योग देता है। यही नहीं बल्कि परिवार अपने सदस्यों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक आवश्कताओं की पूर्ति में भी योग देता है। परिवार मानव जाति के आत्म संरक्षण, वंशवर्धन और जातीय जीवन की निरन्तरता बनाये रखने का प्रमुख साधन है। मनुष्य मरणशील है, किन्तु मानव जाति अमर है। मृत्यु और अमृत्व इन दो विरोधी अवस्थाओं का समन्वय परिवार में ही हुआ है। मानव के सदैव जीवित रहने की इच्छा होती है। इसके लिए उसने अनन्त काल से अनेक उपाय किये, जड़ी-बूटी ढूँढी, रसायन और अमृत की खोज की, अनेक परीक्षण भी किये। किन्तु वह परिवार के अतिरिक्त इसका कोई अन्य हल नहीं खोज पाया। विवाह द्वारा परिवर का निर्माण कर सन्तानों के माध्यम से व्यक्ति का विस्तार होता है और वह मर कर भी अमर रहता है। मनुष्य को एक तरफ अपनी मृत्यु का दुःख है तो दूसरी तरफ उसे यह भी सन्तोष है कि वह परिवार द्वारा अपने वंशजों के रूप में अनन्त काल तक जीवित रहेगा। हमारे जीवन में जो कुछ भी सुन्दरता है,

परिवार ने उसकी सुरक्षा की है, उसी ने मानव को सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान की है। स्त्री और पुरुष दोनों ही परिवार के मूल हैं, नदी के दो तटों के समान हैं, जिनके बीच जीवन रूपी धारा का लगातार प्रवाह हो रहा है। परिवार नये प्राणियों को जन्म देकर मृत्यु से रिक्त होने वाले स्थानों को भरता है तथा समाज की निरन्तरता बनाये रखता है। यही कारण है कि परिवार मानव के साथ प्रारम्भ से ही है।

मैलिनोवस्की कहते हैं कि "परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है।"

फैमली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द फैमुलस शब्द से हुआ है जिसमें माता-पिता और बच्चे संयुक्त रूप से आते हैं।

परिवार सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण व मौलिक इकाई है। यह सामाजिक जीवन की आधारशिला तथा समाजीकरण के अभिकरण में एक विशिष्ट अभिकरण, अधिक स्थायी समिति है।[1] स्वीकृत प्रतिमानों के माध्यम से परिवार, समाज एवं संस्कृति के विचार एवं अनुभूतियों को सदस्यों में उतार देता है।[2] व्यक्ति की जीवन शैली, उसके जीवन अवसर व उपलब्धियों के स्वरूप तथा मनोवृत्ति के विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण में परिवार का प्रभाव महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

प्राचीन काल से भारत की पारिवारिक रचना की आधारशिला संयुक्त परिवार व्यवस्था रही है। भारत में परिवार का शास्त्रीय स्वरूप संयुक्त रहा है।[1] पूर्व वैदिक युग से लेकर आधुनिक युग तक संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय समाज की विशेषता रही है।

---

1. Ogburn and Nimkoff : A land book of sociology, P.-182.
2. Parsons Talkott & Robert B.F. : Family socilization and Imteraction Pracess, 1956, P.-35.

वर्तमान युग में औद्योगीकरण, नगरीकरण, शिक्षा का प्रसार, आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों आदि के परिणाम स्वरूप परिवारों के संगठन में परिवर्तन आया है। आज संयुक्त परिवार की संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक विशेषताओं में परिवर्तन हो रहा है। तथा बड़े संयुक्त परिवारों का स्थान छोटी एकाकी इकाईयाँ ले रही हैं। शिक्षा के प्रसार व मुख्यतः स्त्री-शिक्षा ने एकाकी परिवार को अधिक सफलता प्रदान की है। तथा आधुनिक युग की स्त्रियों के विचार एकाकी परिवार के प्रति ही अधिक आकृष्ट होते हैं। किन्तु एकाककी परिवार में सीमित सदस्य संस्था तथा धनोपार्जन हेतु परिवार के मुखिया पुरुष की अनुपस्थिति एकाकी परिवार की महिलाओं को तुलनात्मक रूप से अधिक असुरक्षित बनाती है। प्रस्तुत अध्ययन में सूचनादाताओं के परिवार के स्वरूप का हिंसा के साथ सम्बन्ध जानने की दृष्टि से एकत्रित तथ्य इस प्रकार हैं।

तालिका- 5.15

हिंसाग्रस्त महिलाओं के परिवार का स्वरूप

क्र. सं.	परिवार का स्वरूप	बलात्कार		अपहरण		छेड़-छाड़		दहेज		अन्य मानसिक सामाजिक परिवारिक		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	संयुक्त	9	3	4	1.33	36	12	40	15	65	21.67	154	51.33
2.	एकांकी	17	5.67	8	2.67	39	13	10	3.33	72	24	146	48.67
	योग	26	8.67	12	4	75	25	50	18.33	137	45.67	300	100

1. Karve Irawati : Kinship organisation in India, P.-8

उपरोक्त आँकड़े दर्शाते है कि हिंसा की शिकार महिलाओं में 48.67 प्रतिशत एकाकी परिवार की जबकि 57.33 प्रतिशत संयुक्त परिवार में रहने वाली हैं।

तथ्यों के गहन अध्ययन से स्पष्ट है कि बलात्कार, अपहरण व छेड़छाड़ की शिकार लगभग दो तिहाई महिलाएँ एकाकी परिवार में रहने वाली हैं किन्तु दहेज उत्पीड़न के प्रकरण में स्थिति इसके विपरीत है। दहेज उत्पीड़न की शिकार महिलाओं में 15 प्रतिशत महिलाएँ संयुक्त परिवार में निवास करती हैं। जहां उन्हें सास, ससुर, ननद, आदि के द्वारा प्रताड़ित होने का खतरा अधिक रहता है।

संयुक्त परिवार की कुल 15 दहेज उत्पीड़ित का है। जबकि छेड़छाड़, बलात्कार व अपहरण में इनका प्रतिशत क्रमशः 12 प्रतिाश्त, 3 प्रतिशत 1.33 प्रतिाशत है। विभिन्न अपराधों की शिकार एकाकी परिवार की 146 उत्पीड़ितों में (48.67 प्रतिशत) महिलाएँ छेड़-छाड़ की शिकार हुई हैं। जबकि बलात्कार, दहेज व अपहरण की शिकार इन महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 5.67 प्रतिशत 13 प्रतिशत तथा 2.67 प्रतिशत है।

प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। संकट के समय व्यक्ति अपने समाज व देश के लिए त्याग व बलिदान करता है, परन्तु परिवार के लिए तो वह सदैव ही कुछ न कुछ करता रहता है। परिवार के लिए वह बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहता है। सदस्य सदा एक दूसरे के हित व सुख-सुविधाओं की बात सोचते हैं। माता-पिता स्वंय कष्ट उठाकर भी बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। सदस्यों की इसी भावना के कारण ही परिवार का संगठन स्थायी बना रहता है।

परिवारिक मासिक आय -

परिवार समाज की एक सार्वभौमिक इकाई है। प्रमुख कार्यात्मक इकाई के रूप में प्रत्येक व्यक्ति व समाज के लिए परिवार द्वारा पूर्वाभ्यास से असीमित उत्तरदायित्व निर्वहन करने के कारण इसका योगदान अद्वितीय है।[1] परिवार के आर्थिक स्तर की पारिवारिक परिवेश के निर्माण में अहम भूमिका होती है। पारिवारिक व्यवसाय की प्रकृति एवं आय का स्तर सम्पूर्ण पारिवारिक सदस्यों की जीवनशैली, जीवन अवसर एवं मनोवृत्तियों के स्वरूप को प्रभावित करता है। परिवार के सदस्यों की उपलब्धि व अकांक्षा के स्वरूप तथा व्यवहार निर्धारण में परिवार का आर्थिक स्तर अत्याधिक सहायक होता है। इस दृष्टि से परिवार के स्तर का सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन व मूल्यांकन में सदैव महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति जहाँ अशिक्षा, अधिकारों के प्रति अज्ञानता, भरण-पोषण हेतु महिला व बालश्रम की आवश्यकता, निम्न स्थिति वाले व्यवसाय तथा परिवार में महिलाओं की निम्नस्थिति हेतु उत्तरदायी है वहीं उच्च्य आय वर्ग वाली स्त्रियाँ शौक के रूप में नौकरी करके तथा अनेक क्लबों आदि की सदस्य बनकर आधुनिकता के नाम पर परिश्चमी संस्कृति का अनुसरण कर रही हैं और यह दोनों ही स्थितियां हिंसा को प्रभावित करती हैं।

अतः परिवार के आर्थिक स्तर का महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बन्ध ज्ञात करने के उद्देश्य से उत्पीड़ितों की पारिवारिक मासिक आय सम्बन्धी जानकारी निम्न है :-

---

1. वेदालंकार हरिदत्त : हिन्दू परिवार मीमांशा, सरस्वती सदन, दिल्ली, 1973, पृष्ठ-11.

उत्तरदाताओं की पारिवारिक मासिक आय

तालिका क्रमांक 5.16

क्र. सं.	परिवार की मासिक आय	बलात्कार		अपहरण		छेड़-छाड़		दहेज		अन्य मानसिक परिवारिक सामाजिक		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	3000 रु0 तक	13	4.33	3	1	35	11.67	15	5	55	18.33	121	40.33
2.	3000 रु0 से 6000 रु0 तक	10	3.33	4	1.33	32	10.67	23	7.67	45	15	114	38
3.	6000 रू0 से अधिक	3	1	5	1.67	8	2.67	12	4	37	12.33	65	21.67
	योग	26	8.67	12	4	75	25.1	50	16.67	137	45.66	300	100

तालिका के अवलोकरन से ज्ञात होता है कि अपराध की शिकार 3000 से 6000 रुपये पारिवारिक मासिक आय वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक 38 प्रतिशत प्रतिशत है, 3000 रुपये से कम तथा 6000 रुपये से अधिक पारिवारिक मासिक आय वाली उत्पीड़ितों का प्रतिशत क्रमशः 40.33 प्रतिशत तथा 21.67 प्रतिशत है।

अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट है कि बलात्कार व छेड़छाड़ के प्रकरणों में निम्न आर्थिक स्थिति वाली महिलाएँ अपराध का अधिक शिकार है जबकि दहेज उत्पीड़िन की शिकार मध्यम आय वर्ग की महिलाएँ अधिक हैं किन्तु अपहरण के प्रकरण में स्थिति विपरीत है अर्थात् अपहरण उच्च आय वर्ग की महिलाओं का अधिक हुआ है।

अतः पारिवारिक आय व उत्पीड़न के मध्य सम्बन्ध से स्पष्ट है कि यद्यपि सभी आय वर्ग की महिलायें अपराध का शिकार है

तथापि उच्च आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं की तुलना में निम्न व मध्यम आय वर्ग की उत्पीड़ित महिलाओं का पृथक-पृथक प्रतिशत लगभग दुगना है।

उत्पीड़ितों का उन्हीं के आय वर्ग के अन्तर्गत घटित अपराधों के अध्ययन से स्पष्ट है कि सभी आय वर्ग की महिलाएँ छेड़छाड़ से सर्वाधिक पीड़ित हैं। उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत महिलाओं के साथ घटित दहेज प्रताड़ना तथा छेड़छाड़ की घटनाओं का प्रतिशत समान (25.01 प्रतिशत) है।

आज व्यक्ति के जीवन में द्वैतीयक समूहों एवं औपचारिक सम्बन्धों की प्रधानता है जो आर्थिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। द्वैतीयक समूहों में महिलाओं को स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, सन्तोष एवं शान्ति आदि आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है जबकि व्यक्ति को अपनी भावात्मक सन्तुष्टि के लिए इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है जो आर्थिक स्थिति के कारण अत्याधिक प्रभावित होते हैं। अतः इस सबके लिए आर्थिक स्थिति सुद्रढ़ होना आवश्यक है इसके लिए महिलाओं को भी घर के बाहर का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जो हिंसा के लिए उत्तरदायी कारण है।

परिवारों की मासिक आय एवं वार्षिक आय अलग-अलग होती है आय के आधार पर परिवार के स्तर का निर्माण होता है बिना आय के मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता आय के द्वारा ही भौतिकवादी सुख-सुविधाओं को भोगता है जिस कारण से जीवन में कृत्रिमता एवं बनावटीपन आ जाता है। अधिक आय होने से मनुष्य कामी एवं भोगी हो जाता है वह दामनी और कामनी को अपने जीवन का मित्र बनाता है।

हिंसा का स्थान -

हिंसा का स्थान अधिकांशतः एकांकी और अधिक कोलाहल से दूर होता है। क्योंकि हिंसक के मन में कई प्रकार की शंकायें एवं दुराभाव होते हैं जिस कारण से वह हिंसा करने के लिए एकान्त स्थान को अधिक पसन्द करता है एकान्त स्थान में वह भले ही मनुष्य न हो परन्तु वहाँ के प्राकृतिक सुरम्य एवं छटायें उस हिंसा को देखती हैं। जो उसके मस्तिष्क को कचोटती हैं परन्तु हिंसा करने वाला व्यक्ति स्त्री या पुरुष विवेक शून्य होता है जिसके पास कोई सही पहलू या अवधारणायें नहीं होती हैं।

हिंसा करने के स्थान को हिंसक व्यक्ति बदलता रहता है क्योंकि उसके मस्तिष्क में सुरक्षित एवं एकान्त स्थान की तलाश रहती है जिस कारण से वह हर समय अपने लक्ष्य की पूर्ति की तलाश में घूमता रहता है। हिंसा करने वाले पुरुष या महिलाओं को विशेष तौर से सुख की अनुभूति होती है या प्रतिशोध की अभिव्यंजना होती है।

समय और स्थिति हिंसक क्रियायें करने के लिए हमेशा स्थित नहीं होती है क्योंकि उनमें कई प्रकार के गलत उद्देश्य के प्रतिकूल होते हैं जिससे समस्त मानवता प्रभावित होती है और कई प्रकार की उपलब्धता सार्थक एवं सृजनात्मक न होकर विनाशात्मक होती है जिससे मानवीय गतिविधियाँ एवं समस्त जनमानस को प्रभावित करती हैं जिससे बहुत से हिंसा करने वाले लोग अपने वजूद एवं नैतिकता को ताक पर रखकर कई प्रकार के गलत निर्णय ले लेते हैं जो एक प्रकार से चौंका देने वाली घटनायें समाज के सामने प्रकट होती हैं।

हिंसा के स्थान का हिंसा के साथ सम्बन्ध की दृष्टि से कुछ विशेष स्थान या स्थितियों (Locations) में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की

सम्भावना अधिक होती है। एक अकेली महिला को अपने मोहल्ले की तुलना में किसी अन्य एकान्त या सार्वजनिक स्थान पर अधिक खतरा होता है। बलात्कार एवं छेड़-छाड़ जैसे अपराधों में अपराधी अपने कार्य को अंजाम देनें हेतु प्रायः ऐसे क्षेत्र का चुनाव करता है जहाँ उसके कृत्य पर दूसरों के नजर पड़ने की कम सम्भावना हो ताकि वह सुरक्षित तरीके से अपनी मंशा पूर्ण कर सके तथा अपराध के खुलासे की स्थिति में स्वयं का शीघ्र बचाव कर सके। इसी प्रकार सुनसान रोड व भीड़ वाले सार्वजनिक स्थान महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ को अधिक आसान बनाते हैं।

तालिका क्रमांक - 5.17
हिंसक से पूर्व परिचय व हिंसा का प्रकार

क्र. सं.	अपराधी से पूर्व परिचय	बलात्कार		अपहरण		छेड़छाड़		अन्य मानसिक पारिवारिक च सामाजिक		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	हाँ	15	5	7	2.33	45	15	115	38.33	182	60.67
2.	नहीं	11	3.67	5	1.67	30	10	72	24	118	39.33
	योग	26	8.67	12	4	75	25	187	62.33	300	100

उल्लेखनीय है कि अपराधी से पूर्व परिचय व हिंसा के प्रकार के आधार पर तथ्यों के गहन अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि (5 प्रतिशत) बलात्कार उत्पीड़ितों के परिचितों द्वारा किये गये जबकि अपहरण व छेड़-छाड़ के क्रमशः 2.33 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत प्रकरणों में हिंसक व उत्पीड़ित एक-दूसरे से पूर्व परिचित थे। डॉ. राम आहूजा[1] द्वारा राजस्थान में किये गये अध्ययन के निष्कर्षानुसार बालात्कार

की शिकार 52.4 प्रतिशत तथा अपहरण की शिकार लगभग 85 प्रतिशत महिलाएँ अपराधियों से पूर्व परिचित थीं। अतः उपरोक्त निष्कर्ष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उनके परिचितों द्वारा ही अधिक होते हैं।

हिंसक के नशे की अवस्था -

हिंसा व हिंसक के नशे की अवस्था के मध्य सम्बन्ध पाया जाता है। शराब के नशे में व्यक्ति का उन्माद तथा मस्तिष्क की उत्तेजित व आक्रामक अवस्था व्यक्ति को क्रूर बना देती है और वह अपने आपराधिक कृत्य के अंजाम से कुछ देर के लिये बेखबर हो जाता है। यही कारण है कि पिता द्वारा नशे की अवस्था में पुत्री के साथ बलात्कार तक की घटना सुनने को मिली है[2] व साथ ही पति द्वारा नशे की अवस्था में पत्नी को पीटने की घटनायें भी आम होती जा रही हैं। शराबीपन और हिंसा के मध्य सम्बन्ध की दृष्टि से राम आहूजा[3] ने अपने अध्ययन में पाया कि 30.7 प्रतिशत प्रकरणों में पत्नी को पीटना व मदिरापान साथ-साथ चलते हैं। **हिल्वरमेन और मनसन**[4] ने ऐसा 93 प्रतिशत प्रकरणों में पाया जबकि वुल्फगैंग[5] ने 67 प्रतिशत और टिन्किलवर्ग[6] ने 71 प्रतिशत प्रकरणों में। अतः अपराध की अनेक घटनायें

---

1. Ahuja, Ram : Crime Againt Women : Rawat Publications, Jaipur. 1987. P.44 & 82
2. Ahuja, Ram : Crime Againt Women : Rawat Publications, Jaipur, 1987. P.60.
3. Ahuja, Ram : Crime Againt Women : Rawat Publications, Jaipur, 1987. P.130.
4. Hiibermen E. and Munson M. : "Sixty battered women" in victimology : An International Journal, 1977 - 78, P. 460 - 471.
5. Wolfgang Me. : "Violence in the Family" in Kutash, et. al., Perspectives in Murdor and Aggression, John wiley, New york 1978.
6. Tinkleberg J.R. : "Alcohol and Violence" in Bourne & Fox (eds.), Alcoholism : Progress in Research and Treatment, Academic press, New york, 1973

उस समय होती हैं जबकि अपराधी नशे में एवं अत्युत्तेजक मनःस्थिति में होते हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में, हिंसा की शिकार महिलाओं से यह जानने के लिये कि क्या हिंसा के समय हिंसक नशे में था, एकत्रित तथ्यों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है –

तालिका - 5.18

हिंसा के समय हिंसक की नशे की अवस्था

क्र. सं.	अपराधी नशे में था	वलात्कार		अपहरण		छेड़–छाड़		अन्य मानसिक परिवारिक व सामाजिक		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	हाँ	10	3.33	3	1	35	11.67	115	38.33	163	54.33
2.	नहीं	5	1.67	5	1.67	25	8.33	60	20	95	31.67
3.	मालुम नहीं	11	3.67	4	1.33	15	5	12	4	42	14
	योग	26	100.0	12	100.0	72	100.0	50	100.0	160	100.0

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक लगभग दो तिहाई (54.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार हिंसा के समय हिंसक नशे की अवस्था में था जबकि 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं को हिंसक के नशे की अवस्था के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं था। किन्तु 31.67 प्रतिशत महिलाएं हिंसक के नशे में न होने के प्रति आश्वस्त थीं।

तथ्यों के विस्तृस्त विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 3.33 प्रतिशत बलात्कार नशे की अवस्था में किये गये जबकि भगभग 3.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं को हिंसक के नशे में होने की जानकारी नहीं थी।

11.67 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार हिंसक ने नशे की अवस्था में उनके साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अपहरण की शिकार 1 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार उनका अपहरणकर्ता नशे में नहीं था। अपहरण की शिकार लगभग 15 प्रतिशत महिलाओं को अपहर्त्ता के नशे में होने की जानकारी नहीं थी, केवल एक चौथाई महिलाओं ने अपहर्ता के नशे में होने की पुष्टि की।

हिंसा की शिकार महिलाओं के निवास स्थान के आस-पास का वातावरण :

औद्योगीकरण तथा नगरीकरण से, तथा नगरीकरण से संयुक्त परिवारों के विघटन तथा रोजगार की तलाश में लोगों के नगरों की ओर पलायन के माध्यम से हिंसा को बढावा मिला है। नगरों में आवास की समस्या के कारण अनेक लोग पत्नी बच्चों व परिवार से दूर होटल व हॉस्टल आदि में रहते है और इस प्रकार पारिवारिक नियन्त्रण से परे रहने वाले इन व्यक्तियों के हिंसा की ओर प्रेरित होने की सम्भावना अधिक होती है। साथ ही मकानों की कमी के कारण नगरों में गंदी बस्तियाँ विकसित हो जाती हैं। इन बस्तियों में एक-एक कमरे में अनेक सारे लोगों के रहने के कारण न तो स्त्रियों के कारण न तो स्त्रियों के शील की रक्षा सम्भव होती है और न ही पुरुष का चारित्रिक विकास हो पाता है व स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों की गोपनीयता भी सम्भव नहीं हो पाती। यह स्थितियां बस्तियो में तथा उनके आस-पास रहने वाली महिलाओं को भी उनके विरुद्ध होने वाले हिंसा की दृष्टि से असुरक्षित बनाती हैं। यूनेस्को द्वारा प्रकाशित 'महिलाओं के विरुद्ध हिंसा' सम्बन्धी प्रतिवेदन में गंदी बस्तियों में रहने वाली युवा

महिलाओं के प्रति हिंसा का सर्वाधिक खतरा बताया गया है।[1] अतः शोधकर्ता ने निवास स्थान के आस-पास के वातावरण तथा हिंसक के मध्य सम्बन्ध की दृष्टि से उत्तरदाताओं से एकत्रित तथ्यों को तालिका क्रमांक-11 में दर्शाया है -

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं में से 65.67 प्रतिशत के अनुसार उनके निवास स्थान के आस-पास कलारी या गंदी बस्ती स्थित है अथवा वह स्वयं गंदी बस्ती में ही रहते हैं। शेष 34.33 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में नकारात्मक मत व्यक्त करते हैं।

ऐसे उत्तरदाताओं में जिनके निवास के पास कलारी या गंदी बस्ती स्थित है निम्न जाति के, अहिन्दू तथा 3000 रु० पारिवारिक मासिक आय वाले लगभग 2 प्रतिशत उत्तरदाता शामिल हैं। इसी प्रकार अशिक्षित 8.33 प्रतिशत, विवाहित, 18 से 30 वर्ष आयु के 10 प्रतिशत तथा संयुक्त परिवार में निवास करने वाले दो तिहाई उत्तरदाता भी इसी श्रेणी के हैं।

6000 रु. से अधिक पारिवारिक मासिक आय वाले तीन चौथाई (14.00 प्रतिशत), महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त 1.33 प्रतिशत, उच्च जाति के 3.33 प्रतिशत एवं विधवा 1 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में विपरीत मत व्यक्त करते हैं।

---

1. UNESCO, Principal Ragional office for Asia and the Pecific, VIOLENCE AGAINST WOMEN : Report from India and the Republic of Korea, ed. by Yogesh Atal and Meera Kosambi, Bangkok, 1993

तालिका क्रमांक - 5.19

निवास के पास कलारी या गन्दी बस्ती से सम्बन्धित जानकारी

क्र0 सं0	निवास के पास कलारी या गंदी बस्ती है	आयु						वैवाहिक स्थिति						शैक्षणिक स्थिति						धर्म				योग	
		18 वर्ष से कम		18 से 30 वर्ष		30 वर्ष व अधिक		विवाहित		अविवाहित		विधवा		अशिक्षित		स्कूली शिक्षा		महा0 शिक्षा		हिन्दू		अहिन्दू			
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0
1.	हाँ	18	6	30	10%	6	2%	35	11.67	20	6.67	3	1	25	8.33	30	10	4	1.33	20	6.67	6	2	197	65.67
2.	नहीं	8	2.67	15	5%	3	1%	15	5	12	4	3	1	10	3.33	10	3.33	10	3.33	15	5	2	.67	103	34.33
	योग	26	8.67	45	15%	9	3%	50	16.67	32	10.67	6	2	35	11.66	40	13.33	14	4.66	35	11.67	8	2.67	300	100

क्र0 सं0	निवास के पास कलारी या गंदी बस्ती है	जाति						परिवार की प्रकृति				परिवार की मासिक आय						योग	
		उच्च		पिछड़ी		निम्न		संयुक्त परिवार		एकाकी परिवार		3000 रु0 तक		3000रु0 से 6000 तक		6000 रु0 से अधिक			
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0
1.	हाँ	6	2	20	6.67	36	12	20	6.67	57	17	30	10	27	9	5	1.67	195	65
2.	नहीं	10	3.33	12	4	22	7.33	10	3.33	14	4.67	9	3	16	5.33	12	4	105	35
	योग	16	5.33	32	10.67	58	19.33	30	10	65	21.67	39	131	43	14.33	77	5.67	300	100

पीड़ितों के नित्यकर्म (शौच व स्नान) स्थल सम्बन्धी जानकारी -

सामान्यतः निम्न पारिवारिक स्थिति व दरिद्रता के कारण रोजगार की तलाश में अनेक श्रमिक परिवारों को बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन व सड़क किनारे कच्चे झोपड़ों आदि में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसे परिवारों तथा गंदी बस्तियों की महिलाएँ अपने दैनिक नित्यकर्मों के लिए सार्वजनिक स्नानागार, शौचालयों व खुले स्थानों का उपयोग करती हैं। नित्यकर्मों हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले यह स्थल तथा इन कर्मों हेतु प्रातः व सायं के समय का एकान्त व अन्धकार, महिलाओं को हिंसा की दृष्टि से असुरक्षित बनाता है। प्रस्तुत अध्ययन में हिंसा की शिकार महिलाओं से एकत्रित तत्सम्बन्धी जानकारी का विश्लेषण तालिका क्रमांक-12 में दर्शाया गया है।

तालिका में प्रस्तुत तथ्यों से स्पष्ट है कि 54.67 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार उन्हें नहाने या शौच के लिए घर से बाहर अन्य जगह जाना पड़ता है। इनमें 30 वर्ष व अधिक आयु की विवाहित तथा संयुक्त परिवार में निवास करने वाली लगभग 26.67 प्रतिशत तथा निम्न जाति की, अशिक्षित व 3000 रुपये तक पारिवारिक मासिक आय वाली लगभग 19.33 प्रतिशत महिलाएँ शामिल हैं। उच्च जाति की 0.33 प्रतिशत महिला शौच हेतु घर से बाहर व अन्य जगह जाना स्वीकार करती हैं।

इसके विपरीत आधे से अधिक (45.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें शौच आदि के लिए घर से बाहर नहीं जाना

पड़ता। इनमें 6000 रुपये से अधिक पारिवारिक मासिक आय वाली व महाविद्यालयीय शिक्षा प्राप्त शत-प्रतिशत, उच्च जाति की 15 प्रतिशत तथा 18 वर्ष से कम आयु की व अविवाहित महिलाएँ हैं।

पीड़ितों के परिवार में मद्यपान या अन्य नशे की आदत -

परिवार में मद्यपान की आदत का दुष्प्रभाव सामान्यतः महिलाओं को ही अधिक भोगना पड़ता है। मद्यपान की स्थिति में व्यक्ति आक्रामक व उत्तेजित अवस्था में होता है, अनेक बार वह अपना आत्मसंयम खो देता है तथा अनुत्तरदायी कार्यों की ओर अग्रसर होता है। साथ ही मद्यपान की आदत अनुकूल परिस्थितियों को निर्मित कर हिंसा हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने में भी सहायक है। प्रस्तुत अध्ययन की उत्पीड़ितों से उनके परिवार में मद्यपान की आदत सम्बन्धी जानकारी तालिका क्रमांक-13 में प्रस्तुत है।

सर्वेक्षित आँकड़े दर्शाते हैं कि 60.33 प्रतिशत उत्पीड़ितों के पारिवारिक सदस्य शराब या अन्य नशे का सेवन करते हैं, एक तिहाई से अधिक (39.67 प्रतिशत) उत्तरदाता इस सम्बन्ध में नकारात्मक मत व्यक्त करते हैं।

सर्वाधिक निम्न जाति की 14.33 प्रतिशत, अशिक्षित 7.33 प्रतिशत, 18 से 30 वर्ष आयु समूह की 15 प्रतिशत, विवाहित एवं 3000 से 6000 रुपये पारिवारिक मासिक आय वाली लगभग 25.34 प्रतिशत, संयुक्त परिवार की लगभग दो तिहाई व अहिन्दू 8.67 प्रतिशत महिलाओं के पारिवारिक सदस्य मद्यपान या अन्य नशा करते हैं।

तालिका क्रमांक - 5.20

उत्पीड़ितों के स्नान व शौच स्थल सम्बन्धी जानकारी

क्र0 सं0	नहाने या शौच हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है	आयु						वैवाहिक स्थिति						शैक्षणिक स्थिति						योग	
		18 वर्ष से कम		18 से 30 वर्ष		30 वर्ष व अधिक		विवाहित		अविवाहित		विधवा		अशिक्षित		स्कूली शिक्षा		महाविद्यालय शिक्षा			
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0
1.	हाँ	15	5	35	11.67	9	3	35	11.67	10	3.33	3	1	37	12.33	20	6.67	-	-	164	54.67
2.	नहीं	12	4	20	6.68	3	1	24	8	27	9	2	0.67	15	5	21	7	12	4	136	45.33
	योग	27	9	55	28.35	12	4	59	19.67	37	12.33	5	1.67	52	17.33	41	13.67	12	4	300	100.

क्र0 सं0	नहाने या शौच हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है	धर्म				जाति						परिवार की प्रकृति				परिवार की मासिक आय							
		हिन्दू		अहिन्दू		उच्च		पिछड़ी		निम्न		संयुक्त परिवार		एकाकी परिवार		3000 रु0 तक		3000रु0 से 6000 तक		6000 रु0 से अधिक			
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0
1.	हाँ	25	8.33	6	2	1	33	15	5	21	7	18	6	21	7	21	7	9	3	12	4	149	49.67
2.	नहीं	20	6.67	3	1	15	5	12	4	12	4	15	5	27	9	10	3.33	12	4	15	5	151	50.33
	योग	45	15	9	3	16	5.33	27	9	33	11	43	11	48	16	31	10.33	21	7	27	9	300	100

उल्लेखनीय है कि 18 वर्ष से कम आयु की, महाविद्यालयीय शिक्षा प्राप्त एवं अविवाहित लगभग 5 प्रतिशत तथा उच्च्य जाति एवं उच्च्य आय वर्ग की लगभग 7.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भी यह स्वीकार किया है कि उनके पारिवारिक सदस्य मद्यपान करते हैं।

हिंसा की शिकार महिला के परिवार में मद्यपान की आदत (तालिका क्रमांक-13 तथा हिंसा के समय हिंसक के नशे की अवस्था (तालिका क्रमांक-10) के संयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जहाँ तीन चौथाई से थोड़ी अधिक (60.33 प्रतिशत) उत्पीड़ितों के पारिवारिक सदस्यों में मद्यपान की आदत है वहीं दो तिहाई (39.67 प्रतिशत) महिलाएँ यह स्वीकार करती हैं कि हिंसा के समय हिंसक नशा किये था। यह तथ्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा व मद्यपान के मध्य सम्बन्ध की पुष्टि करते हैं।

हिंसा का उद्देश्य -

हिंसा की शिकार महिलाओं से यह पूँछे जाने पर कि हिंसा का उनके विरूद्ध अपराध का मुख्य उद्देश्य क्या था, एकत्रित जानकारी निम्न तालिका में दर्शायी गयी है :-

तालिका क्रमांक - 5.21

उत्पीड़ितों के परिवार में मद्यपान या अन्य नशे की आदत

क्र0 सं0	परिवार में मद्यपान की आदत	आयु						वैवाहिक स्थिति						शैक्षणिक स्थिति						योग	
		18 वर्ष से कम		18 से 30 वर्ष		30 वर्ष व अधिक		विवाहित		अविवाहित		विधवा		अशिक्षित		स्कूली शिक्षा		महाविद्यालय शिक्षा			
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0
1.	हाँ	12	4	45	15	9	3	50	16.67	15	5	3	1	22	7.33	25	8	-	-	181	60.33
2.	नहीं	9	3	18	6	6	2	25	8.33	21	7	6	2	9	3	21	7	4	1.33	119	39.67
	योग	21	7	63	21	15	5	75	25.00	36	12	9	3	31	10.33	46	15.33	4	1.33	300	100

क्र0 सं0	नहाने या शौच हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है	धर्म				जाति						परिवार की प्रकृति				परिवार की मासिक आय						योग	
		हिन्दू		अहिन्दू		उच्च		पिछड़ी		निम्न		संयुक्त परिवार		एकाकी परिवार		3000 रु0 तक		3000रु0 से 6000 तक		6000 रु0 से अधिक		18 वर्ष से कम	
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0
1.	हाँ	21	7	6	2	7	2.33	20	6.67	43	14.33	20	6.67	25	8.34	20	6.67	26	8.67	5	1.67	193	64.33
2.	नहीं	12	4	3	1	17	5.67	5	1.67	13	4.33	10	3.33	15	5	10	3.33	16	5.33	6	2	107	64.33
	योग	33	11	9	3	27	8	25	8.34	56	18.66	30	10	40	13.34	30	10	42	14	11	3.67	1300	100

तालिका क्रमांक - 5.22

हिंसा का मुख्य उद्देश्य

क्र. सं.	अपराधी का उद्देश्य	बलात्कार		अपहरण		छेड़-छाड़		दहेज		अन्य मानसिक परिवारिक व सामाजिक		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	विवाह	10	3.33	2	0.67	25	8.33	15	5	80	26.67	132	44
2.	शारीरिक शोषण	5	1.67	6	2	20	6.67	10	3.33	35	11.67	76	25.33
3.	धन का लालच	7	2.33	3	1	15	5	20	6.67	12	4	57	19
4.	अन्य	4	1.33	1	0.33	5	5	5	1.67	10	3.33	35	11.67
	योग	26	8.66	12	4.00	75	25.0	50	16.67	137	45.67	300	100

स्पष्ट है कि (25.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार हिंसक का उनके विरूद्ध हिंसा का उद्देश्य उनका शारीरिक शोषण करना था। धन के लालच व विवाह के उद्देश्य से क्रमशः 19.00 प्रतिशत एवं 44 प्रतिशत हिंसा किये गये। जबकि 11.67 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार उनके विरूद्ध हिंसा किसी पुरानी दुश्मनी, मकान सम्बन्धी विवाद या हिंसक द्वारा दूसरी शादी आदि के उद्देश्य से किये गये।

सर्वाधिक बलात्कार हिंसक द्वारा यौन शोषण के उद्देश्य से किये गये। बलात्कार की शिकार निम्न जाति की एक 13 वर्षीय अविवाहित उत्तरदाता के अनुसार उसके पड़ोसी ने अपने सहयोगियों के साथ फरियादी के घर में पिता को रस्सी से बाँधकर पुरानी रंजिश के कारण जबरन बलात्कार किया। जबकि 38 वर्षीय पिछड़ी जाति की एक अशिक्षित विधवा महिला के अनुसार उसके रिश्तेदारों ने मकान खाली कराने हेतु उसके साथ बलात्कार किया।

अपहरण की शिकार पिछड़ी जाति की एक अशिक्षित व अविवाहित उत्तरदाता के अनुसार गाँव की पुरानी दुश्मनी के कारण

उसका अपहरण किया गया। दहेज प्रताड़ना की शिकार तीन महिलाओं के अनुसार उन्हें इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि उनके पति या ससुराल वाले दूसरी शादी करना चाहते हैं इनमें दो महिलाएँ निःसन्तान हैं जिनमें एक महिला उच्च जाति की व स्कूली शिक्षा प्राप्त हैं व दूसरी मुस्लिम व अशिक्षित है। जबकि पिछड़ी जाति की व संयुक्त परिवार की स्कूली शिक्षा प्राप्त मध्यमवर्गीय एक अन्य महिला के अनुसार उसकी निरन्तर बीमारी पर होने वाले खर्च के कारण उसे मायके से पैसे मंगवाने के लिए प्रताड़ित किया जाता है व इसके अभाव में दूसरी शादी की धमकी दी जाती है।

छेड़छाड़ की शिकार सात महिलाओं के अनुसार हिंसक उनके साथ विवाह करना चाहता था इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ की गई। जबकि एक-पंचम (लगभग 20 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पूर्व दुश्मनी, जलन तथा जातिगत अपमान के उद्देश्य से उनके साथ छेड़छाड़ की गई, किन्तु सर्वाधिक 34.00 प्रतिशत उत्पीड़ितों ने यौन या शारीरिक शोषण को अपराधी का मुख्य उद्देश्य बताया।

हिंसक द्वारा प्रयुक्त हिंसा, पीड़ित का विरोध -

हिंसा के विश्लेषण में हिंसा के दौरान हिंसक द्वारा की गई हिंसा तथा पीड़ित द्वारा किया गया प्रतिरोध महत्वपूर्ण है। हिंसक द्वारा अपने शिकार को वश में करने हेतु शारीरिक या गैर शारीरिक हिंसा का प्रयोग किया जाता है। किन्तु हिंसा एवं इसका प्रयोग हिंसा की प्रकृति एवं पीड़ित द्वारा किये जाने वाले विरोध पर निर्भर करता है। कुछ महिलाएँ अत्याधिक भय या

शारीरिक असमर्थता आदि के कारण विरोध नहीं कर पातीं जबकि कुछ महिलाएँ अपनी अस्मत की रक्षा हेतु हिंसक के साथ बराबर संघर्ष करती हैं।

प्रमुखतः किसी हथियार का भय या मौखिक हिंसा के रूप में जान से मार देने की धमकी का प्रयोग किया गया। इन महिलाओं में मुख्यतः विधवा 30 वर्ष व अधिक आयु की तथा संयुक्त परिवार व विद्यालयीय स्तर तक की शिक्षित महिलाएँ है।

मुख्यतः 18 वर्ष से कम आयु की तथा अविवाहितों में से एक चौथाई महिलाओं के अनुसार विवाह का प्रलोभन देकर हिंसक ने उन्हें अपना शिकार बनाया। संयुक्त परिवार की 20 वर्षीय स्कूली शिक्षा प्राप्त निम्न जाति की एक विवाहित महिला को उसके परिचित ने नौकरी का प्रलोभन देकर अपनी हवस का शिकार बनाया।

एक-पंचम से कुछ कम (18.1 प्रतिशत) उत्तरदाताओ के अनुसार हिंसक द्वारा उनके विरूद्ध हिंसा हेतु अन्य तरीकों का प्रयोग किया गया जिनमें मुख्यतः दहेज प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को भूखा रखकर व ताने आदि के द्वारा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना दी गई। उच्च्य जाति की स्कूली शिक्षा प्राप्त मध्यम आय वर्ग की एक विवाहित महिला के अनुसार अपराधी ने विवाह पूर्व के प्रेम सम्बन्धी राज फाश की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया एवं न्यायालय में स्वयं को निरपराधी साबित करने के लिए विवाह पूर्व के प्रेम-पत्रों के माध्यम से उसके चरित्र पर लांछन लगाया। छेड़छाड़ की शिकार कुछ महिलाओं के अनुसार हिंसक द्वारा उन पर आकस्मिक आक्रमण किया गया। 16 वर्षीय प्राथमिक

शिक्षा प्राप्त मुस्लिम महिला का बाजार से लौटते समय उसके भाई के मित्र व मोहल्लेवासियों ने अपने वाहन से घर छोड़ने का प्रलोभन देकर धोखे से अपहरण किया।

उत्पीड़ित द्वारा हिंसक के विरोध सम्बन्धी जानकारी-

हिंसक की तुलना में उत्पीड़ित की असमान शारीरिक ताकत, विवाह आदि का प्रलोभन, शारीरिक क्षति व मृत्यु का भय, आक्रमण के फलस्वरूप उत्पीड़ित की विस्मयकारी अवस्था आदि अनेक ऐसी समाज-मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उत्पीड़ित को दब्बू बनाती हैं एवं स्वयं के बचाव के प्रतिरोध की तीव्रता को प्रभावित करती हैं। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के सम्बन्ध में एक मान्यता यह है कि यदि महिला न चाहे तो उसके विरूद्ध हिंसा सम्भव नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि बलात्कार सम्बन्धी अनेक प्रकरणों में महिला की मौन सहमति होती है।[1] अतः प्रस्तुत अध्ययन में हिंसा के दौरान उत्पीड़ित के व्यवहार सम्बन्धी विश्लेषण हेतु-उत्पीड़ित द्वारा हिंसक का विरोध, विरोध का प्रकार तथा विरोध न किये जाने की स्थिति में कारण सम्बन्धी एकत्रित जानकारी तालिका क्रमांक-15 एवं तालिका क्रमांक-16 में प्रदर्शित की गई है।

तालिका क्रमांक-15 से स्पष्ट है कि तीन चौथाई उत्तरदाताओं ने हिंसक का विरोध किया जबकि शेष एक चौथाई उत्तरदाता इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का विरोध न करना स्वीकार करती हैं।

---

1. Radzinowicz : Sexual Cffences, Macmillan, London, 1957, P. 83.

सर्वाधिक 6000 रुपये से अधिक पारिवारिक मासिक आय वाले, विवाहित, 18 से 30 वर्ष आयु समूह के एवं उच्च शिक्षित 70.33 प्रतिशत से भी अधिक उत्तरदाताअें ने अपनी रक्षा में हिंसक का विरोध किया। जबकि हिंसक का विरोध न करने वाले उत्तरदाताओं में मुख्यतः 1.67 प्रतिशत विधवा, अशिक्षित एवं निम्न पारिवारिक मासिक आय वाले तथा 18 से कम आयु के 21.34 प्रतिशत उत्तरदाता किन्हीं कारणों से हिंसक का विरोध न कर सके।

विरोध के मुख्य स्वरूप तथा हिंसक का विरोध न कर सकने का मुख्य कारण सम्बन्धी तालिका क्रमांक-16 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 34 (11.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार हथियार व पारिवारिक विद्यटन आदि के भय के कारण जबकि 20 अर्थात एक चौथाई उत्तरदाताओं के अनुसार शारीरिक असमर्थता व शेष 26 (8.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार हिंसक द्वारा विवाह के आश्वासन, बच्चों के भविष्य की चिन्ता व सामाजिक लोकलाज के कारण वे हिंसक का विरोध न कर सके। उत्पीड़ित द्वारा हिंसक का विरोध न किये जाने की यह स्थिति आवश्यक रूप से उत्पीड़ित की हिंसक के साथ निश्चित सहमति को व्यक्त नहीं करती है।

हिंसक का विरोध करने वाली तीन चौथाई उत्तरदाताओं से विरोध के स्वरूप के सम्बन्ध में पूँछे जाने पर सर्वाधिक लगभग 33.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने हाथों आदि से झगड़कर व मुँह से काटकर शारीरिक प्रतिरोध किया। चिल्लाकर विरोध करने व सहायता के लिए पुकारने वालों का प्रतिशत 26.67

तालिका क्रमांक - 5.23
अपराधी के विरोध सम्बन्धी जानकारी

क्र० सं०	परिवार में मद्यपान की आदत	आयु						वैवाहिक स्थिति						शैक्षणिक स्थिति						योग	
		18 वर्ष से कम		18 से 30 वर्ष		30 वर्ष व अधिक		विवाहित		अविवाहित		विधवा		अशिक्षित		स्कूली शिक्षा		महाविद्यालय शिक्षा			
		सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०
1.	हाँ	15	5	40	13.33	6	2	40	13.33	18	6	5	1.67	35	11.67	40	13.33	12	4	211	70.33
2.	नहीं	10	3.33	21	7	3	1	12	4	9	3	3	1	190	3.33	12	4	9	3	89	29.67
	योग	25	8.33	61	20.33	9	3	52	17.33	27	9	8	2.67	45	14.00	52	17.33	21	7	300	100

क्र० सं०	नहाने या शौच हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है	धर्म				जाति						परिवार की प्रकृति				परिवार की मासिक आय						योग	
		हिन्दू		अहिन्दू		उच्च		पिछड़ी		निम्न		संयुक्त परिवार		एकाकी परिवार		3000 रु० तक		3000रु० से 6000 तक		6000 रु० से अधिक		18 वर्ष से कम	
		सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०
1.	हाँ	20	6.67	35	11.67	6	2	25	8.33	15	5	6	2	40	13.33	20	6.67	30	10	12	4	209	69.67
2.	नहीं	12	4	19	6.33	3	1	9	3	12	4	4	1.33	9	3	9	3	9	3	5	1.67	91	30.33
	योग	32	10.67	54	18	9	3	34	11.33	27	9	10	3.33	49	16.33	29	96	39	13	17	5.67	300	100

तालिका क्रमांक - 5.24

विरोध का मुख्य प्रकार तथा विरोध न कर सकने की स्थिति में सम्बन्धित प्रमुख कारण

क्र0	विरोध का मुख्य प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1.	शारीरिक गतिरोध	100	38.3
2.	चिल्लाकर	80	35.8
3.	अन्य	40	25.9
	योग	220	73.33

क्र0	विरोध न कर सकने सम्बन्धी प्रमुख कारण	संख्या	प्रतिशत
1.	शारीरिक असमर्थता	20	6.67
2.	भय के कारण	34	11.33
3.	अन्य	26	8.67
	योग	80	26.67

पाया गया जबकि शेष महिलाओं ने मौखिक चेतावनी एवं अनुनय विनय को अपनी ढाल बनाया। दहेज प्रताड़ना की शिकार कुछ महिलाओं ने अपने पति को समझाने का प्रयास भी किया एवं बच्चों के भविष्य का वास्ता दिया।

अतः स्पष्पट है कि हिंसा की शिकार तीन चौथाई महिलाओं ने हिंसा से स्वयं की रक्षा के लिए लड़-झगड़कर एवं चिल्लाकर प्रत्यक्ष विरोध किया जबकि कुछ ने अनुनय-विनय एवं समझाईश का सहारा लिया किन्तु कुछ महिलाएँ भय तथा अभियुक्तों की अधिक संख्या व शारीरिक असमर्थता के कारण विरोध न कर सकीं। अतः उपरोक्त

तथ्य दर्शाते हैं कि बहुसंख्यक उत्पीड़ित महिलाएँ हिंसक के यौन आक्रमण के विरूद्ध स्वयं को सहजता से समर्पित नहीं करतीं। राम अहूजा[1] के अध्ययन के निष्कर्ष भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।

घटना का बयान -

उत्पीड़ितों द्वारा पुलिस या न्यायालय में घटना के निर्भीकता से बयान सम्बन्धी संकलित जानकारी तालिका क्रमांक-17 तथा 18 में प्रदर्शित की गई है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि एक तिहाई से कुछ अधिक (44.33 प्रतिशत) उत्पीड़ित ही अपने साथ घटित घटना का पुलिस या न्यायालय में निर्भीकता से खुलासा कर सकीं। इनमें मुख्यतः महाविद्यालयीय शिक्षित 5.33 प्रतिशत, उच्च जाति की 5 प्रतिशत व 6000 रुपये से अधिक पारिवारिक मासिक आय वाली 4.33 प्रतिशत महिलाएं हैं। उल्लेखनीय है कि निम्न जाति की व निम्न पारिवारिक मासिक आय वाली लगभग समान (5 प्रतिशत) तथा 35.5 प्रतिशत अशिक्षित महिलाओं ने भी अपराधी को उसके कृत्य की सजा दिलवाने हेतु घटना का निर्भीकता से बयान किया। जबकि (6.67 प्रतिशत) महिलाएँ विभिन्न महिलाएं विभिन्न अपराधों का शिकार होने के बावजूद किन्हीं कारणों से घटना का पूर्ण निर्भीकता से बयान न कर सकीं।

तालिका क्रमांक-18 के सन्दर्भ में स्वयं के साथ घटित घटना का पुलिस या न्यायालय में निर्भीकता से बयान न कर पाने के कारण सम्बन्धी प्रश्न के प्रत्युत्तर में सर्वाधिक लगभग आधी

---

1. Ahuja, Ram : Crime Againt Women : Rawat Publications, Jaipur, 1987, P.53.

(50 प्रतिश्रत) उत्पीड़ित महिलाएँ परिवार टूटने का डर, भविष्य की चिन्ता तथा अपराधी पक्ष से भयभीत होने के कारण ऐसा न कर सकीं। इनमें विद्यालयीय शिक्षा प्राप्त, पिछड़ी जाति व निम्न पारिवारिक मासिक आय वाली महिलाओं का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक पाया गया।

लगभग एक तिहाई महिलाएँ जिनमें मुख्यतः महाविद्यालयीय शिक्षा प्राप्त 2 प्रतिशत तथा उच्च जाति व उच्च आय वर्ग की 8.33 प्रतिशत महिलाएँ हैं, सामाजिक लोकलाज व संकोच के कारण घटना का निर्भीकता से खुलासा न कर सकीं। जबकि 16 प्रतिशत उत्पीड़ित हिंसक द्वारा दिये गये विवाह के प्रलोभन तथा स्वयं या हिंसक पक्ष के दबाव आदि के कारण ऐसा न कर सकीं।

उत्पीड़ित के विरूद्ध हिंसा में महिलाओं की भूमिका-

सामान्य तौर पर कुछ लोगों का मानना है कि "महिला ही महिला की सबसे बड़ी शत्रु है।" पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में यदि महिला उपेक्षा का शिकार है तो इस उपेक्षा में स्वयं महिलाओं की भूमिका भी कम नहीं है। कन्या जन्म पर हर्षोल्लास का अभाव, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशुओं की उच्च मृत्युदर, परिवार में लड़के-लड़की में किया जाने वाला भेदभाव व लड़कियों पर लगाये जाने वाले अनेक प्रतिबन्ध आदि अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनकी पृष्ठभूमि में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भी उत्तरदायी हैं। ममता, त्याग व सहनशीलता के गुणों के साथ-साथ

तालिका क्रमांक - 5.25

पुलिस या न्यायालय में घटना के खुलासे सम्बन्धी जानकारी

क्र० सं०	निर्भीकता से बयान किया	शैक्षणिक स्थिति						जाति						पारिवारिक मासिक आय						योग	
		अशिक्षित		स्कूली शिक्षा		महाविद्यालय शिक्षा		उच्च		पिछड़ी		निम्न		3000 रु० तक		3000रु. से 6000रु. तक		6000रु. से अधिक			
		सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०
1.	हाँ	15	5	20	6.67	16	5.33	15	5	17	5.67	15	5	12	4	10	3.33	13	4.33	133	44.33
2.	नहीं	20	6.67	25	8.33	15	5	18	6	25	8.33	20	6.67	19	6.33	15	5	10	3.33	167	55.67
	योग	35	11.67	45	15.00	31	10.33	33	11	42	14.00	35	11.67	31	10.33	35	8.33	23	7.67	300	100

तालिका क्रमांक - 5.26

घटना का निर्भीकता से बयान न करने सम्बन्धी जानकारी

क्र० सं०	निर्भीकता से बयान न करने का कारण	शैक्षणिक स्थिति						जाति						पारिवारिक मासिक आय						योग	
		अशिक्षित		स्कूली शिक्षा		महाविद्यालय शिक्षा		उच्च		पिछड़ी		निम्न		3000 रु0 तक		3000रु0 से 6000रु0 तक		6000रु0 से अधिक			
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0
1.	संकोच	16	5.33	12	4	6	2	10	3.33	12	4	12	4	12	4	13	4.33	9	3	102	34
2.	भय के कारण	15	5	30	10	3	1	8	2.67	28	9.33	17	5.67	21	7	20	6.67	8	2.67	150	50
3.	अन्य	9	3	5	1.67	2	0.67	3	1	8	2.67	5	.67	5	1.67	9	3	2	0.67	48	16
	योग	40	13.33	47	15.67	11	3.67	21	7	48	16	34	11.35	38	12.67	42	14.00	19	6.35	300	100

महिलाओं की परस्पर ईर्ष्यालू प्रवृत्ति भी जग जाहिर है। सास-बहू के झगड़े तथा पुत्री व बहू में किये जाने वाले भेद के कारण ही कहा जाता है कि 'बहू कभी बेटी का स्थान नहीं ले सकती' व 'सास कभी माँ का'।

उपरोक्त तथ्य कामोवेश मात्रा में सत्य या असत्य हो सकते हैं किन्तु यह सत्य है कि दहेज की चाह में बहू के साथ किये जाने वाले दुर्व्यहार, उन्हें जलाने व प्रताड़ित करने में स्वयं महिलाएँ अहम् अथवा सहयोगी भूमिका निभाती हैं। यहाँ तक कि जहां अनेक बार वैश्यालयों आदि पर पहुँचायी जाने वाली लड़कियों को बरगलाने में महिलाओं का हाथ होता है वहीं अनेक वैश्यालयों का संचालन महिलाएँ करती हैं। अतः महिलाओं के विरूद्ध अनेक हिंसाओं में हिंसा द्वारा अन्य महिलाओं की सहायता ली जाती है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा यह जानने के लिए कि क्या उत्पीड़ितों के विरूद्ध घटित हिंसाओं में हिंसक ने किसी अन्य महिला की सहायता ली, एकत्रित तथ्य इस प्रकार हैं :-

तालिका क्रमांक - 5.27
उत्पीड़ित के विरूद्ध हिंसा में अन्य महिला द्वारा हिंसक की सहायता सम्बन्धी जानकारी

क्र0	महिला ने अपराधी की सहायता की	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	146	24.4
2.	नहीं	154	51.33
	योग	300	100.0

स्पष्ट है कि लगभग एक चौथाई प्रकरणों में हिंसक ने किसी अन्य महिला की सहायता से उत्पीड़ित को अपना शिकार बनाया किन्तु तीन चौथाई महिलाओं के अनुसार उनके विरूद्ध हिंसा हेतु किसी महिला ने हिंसक की सहायता नहीं की।

महिला-पुरुष असमानता -

लिंग असमानता न केवल राष्ट्रीय अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजविदों के ध्यानाकर्षण का केन्द्र है। मात्र एक विशिष्ट शारीरिक बनावट के आधार पर पुरुषों से भिन्न होने के कारण, सृष्टि की रचनाकार व पुरुष की पोषक नारी को, स्वयं सहभागी पुरुष वर्ग द्वारा एक सोची समझी चाल के तहत अनेक निर्भोग्यताओं का शिकार बनाया गया है। कभी सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताओं की आड़ में, कभी यौन तृप्ती के साधन मात्र की वस्तु के रूप में तो कभी कार्यक्षेत्र के बटवारे द्वारा आर्थिक रूप से स्वयं पर निर्भर बनाकर समाज के पुरुष वर्ग ने सदियों से अपने पूरक महिला वर्ग का शोषण किया है। महाभारत काल में युधिष्ठिर द्वारा अपनी पत्नी द्रोपदी को वस्तु की तरह जूए में हार जाना, राम द्वारा जन आलोचना से बचने हेतु अपनी पत्नी सीता का त्याग, मध्य काल में स्त्रियों के साथ किया जाने वाला पाशविक व्यवहार तथा वर्तमान में स्वयं के परिचितों, नियोक्ताओं एवं सहयोगियों द्वारा स्त्रियों के शोषण सम्बन्धी अनेक प्रमाण मिलते हैं। पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था द्वारा मुख्यतः महिलाओं पर लगाये गये अनेक सामाजिक प्रतिबन्धों व मान्यताओं के कारण महिलाएँ अज्ञानता, अशिक्षा, कुपोषण, उच्च मृत्यु दर व भ्रूण हत्या आदि की शिकार हैं। स्वयं के पारिवारिक सदस्यों द्वारा ही

उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उक्त परिस्थितियाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महिलाओं के विरूद्ध होने वाले शोषण व हिंसाओं में वृद्धि करती है।

अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्पीड़ितों से, परिवार में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी एकत्रित प्रतिक्रियाओं को तालिका क्रमांक-20 में दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका से विश्लेषण से स्पष्ट है कि हिंसा की शिकार (46 प्रतिशत) महिलाएँ यह स्वीकार करती हैं कि अधिकांशतः भारतीय संस्कृति में पुरुषों की तुलना में महिला को कम महत्व दिया जाता है। एक तिहाई से थोड़ी कम (32 प्रतिशत) महिलाएँ इस भेदभाव को आंशिक रूप से ही स्वीकार करती हैं। किन्तु (22 प्रतिशत) उत्तरदाता इस बात से बिल्कुल भी सहमत नही हैं।

उल्लेखनीय है कि परिवार में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम महत्व दिये जाने सम्बन्धी सत्य को आंशिक या अधिकांश रूप में स्वीकार करने वाले उत्तरदाता चार-पंचम से भी अधिक (78 प्रतिशत) हैं। इनमें 3000 रुपये से कम पारिवारिक मासिक आय वाली 8 प्रतिशत, निम्न जाति की अहिन्दू समान 7 प्रतिशत, 18 से 30 वर्ष आयु समूह की 10 प्रतिशत, विवाहित 10 प्रतिशत, संयुक्त परिवार की 6 प्रतिशत तथा अशिक्षित 8.33 प्रतिशत महिलाएँ शामिल हैं।

6000 रुपये से अधिक पारिवारिक मासिक आय वाली 2 प्रतिशत, उच्च जाति की 2 प्रतिशत एवं अविवाहित 2.67 प्रतिशत महिलाएँ उपरोक्त के सर्वथा विपरीत मत व्यक्त करती हैं एवं परिवार में महिला-पुरुष भेदभाव को स्वीकार नहीं करती हैं।

न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब का प्रभाव -

समाज द्वारा मान-मर्यादा व लाज-शर्म सम्बन्धी स्थापित प्रतिमानों, पारिवारिक प्रतिष्ठा, सामाजिक निन्दा का भय तथा पुलिस व न्यायालयीय पेचीदी प्रतिक्रिया के कारण महिलाओं के विरूद्ध हिंसा सम्बन्धी अनेक प्रकरण पुलिस में दर्ज ही नहीं किये जाते। न्याय प्राप्ति की चाह में, पुलिस व न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में, बचाव पक्ष के वकील द्वारा इस आशा के साथ कि, प्रकरण में जितना विलम्ब होगा प्रकरण उतना कमजोर होगा, कानूनी खामियों का फायदा उठाकर प्रकरण को जानबूझकर लम्बित किया जाता है। साथ ही पुलिस व न्यायालय की प्रक्रिया व पेचीदगियों के कारण भी प्रकरण में विलम्ब होता है। इस विलम्ब के परिणामस्वरूप पीड़ित पक्ष को वित्तीय हानि के साथ-साथ लम्बे समय तक अपमान सहना पड़ता है तथा पीड़ित पर सामाजिक दायरे का एक दबाव निरन्तर बना रहता है। उपरोक्त परिस्थितियां प्रकरण के प्रति पीड़ित पक्ष की रुचि को कम कर इसे विपरीत रूप से प्रभावित कर सकती हैं। अतः उत्तरदाताओं से प्रकरण के निपटारे में विलम्ब के प्रभाव सम्बन्धी संकलित तथ्य निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :-

तालिका क्रमांक - 5.29

न्याय में होने वाले विलम्ब का प्रभाव

क्र०	अपराधियों का हौंसला बढ़ता है	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	178	59.33
2.	नहीं	122	40.67
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक - 5.28

परिवार में पुरुष की तुलना में महिला की स्थिति सम्बन्धी दृष्टिकोण

क्र0 सं0	महिलाओं को कम महत्व दिया जाता	आयु						वैवाहिक स्थिति						शैक्षणिक स्थिति						योग	
		18 वर्ष से कम		18 से 30 वर्ष		30 वर्ष व अधिक		विवाहित		अविवाहित		विधवा		अशिक्षित		स्कूली शिक्षा		महाविद्यालय शिक्षा			
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0
1.	अधिकांशतः	9	3	30	10	5	1.67	30	10	8	2.67	5	1.67	25	8.33	15	5	11	3.67	138	46
2.	आंशिक रूप	12	4	15	5	8	2.67	11	3.67	10	3.33	3	1	15	5	17	5.67	5	1.67	96	32
3.	बिल्कुल नहीं	8	2.67	12	4	3	1	9	3	5	1.67	2	0.67	9	3	12	4	6	2	66	22
	योग	29	9.67	57	19	16	5.34	50	16	23	7.67	10	3.34	49	1633	44	14.67	22	7.67	300	100

क्र0 सं0	महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है	धर्म				जाति						परिवार की प्रकृति				परिवार की मासिक आय						योग	
		हिन्दू		अहिन्दू		उच्च		पिछड़ी		निम्न		संयुक्त परिवार		एकाकी परिवार		3000 रु0 तक		3000रु0 से 6000 तक		6000 रु0 से अधिक			
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0
1.	अधिकांशतः	15	5	10	3.33	6	2	9	3	10	3.33	18	6	12	4	13	4.33	9	3	6	2	108	36
2.	आंशिक रूप से	16	5.33	28	9.33	3	1	5	1.67	20	6.67	15	5	20	6.67	20	6.67	8	2.67	5	1.67	140	46.67
3.	बिल्कुल नहीं	9	3	9	3	2	0.67	3	1	5	1.67	5	1.67	6	2	9	3	2	0.67	2	0.67	52	17.33
	योग	40	13.33	47	15.67	11	3.67	17	5.67	35	11.67	38	12.67	38	12.67	42	13.33	19	6.34	13	4.39	300	100

प्रस्तुत अध्ययन पुलिस व न्यायालीय संस्थागत प्रक्रिया के गहन अध्ययन से सम्बन्धित नहीं है एवं इसके अन्तर्गत प्रकरणों के निपटारे में लगे समय सम्बन्धी तथ्य संकलित नहीं किये गये हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की राय जानने के उद्देश्य से एकत्रित तथ्यों से स्पष्ट है कि सर्वाधिक रूप से (59.33 प्रतिशत) उत्तरदाता यह मानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत न्याय मिलने में होने वाला विलम्ब पीड़ित पक्ष को हतोत्साहित करता है जिससे हिंसकों के हौसले में वृद्धि होती है। शेष लगभग 40.67 उत्तरदाता इस मत से असहमति दर्शाती हैं।

दूरदर्शन व संचार माध्यमों की भूमिका -

दूरदर्शन, सिनेमा, विज्ञापनों तथा अन्य संचार माध्यम जिनमें मदिरापान, क्रूरता, व्यभिचार एवं यौन स्वच्छन्दता का चित्रण होता है, व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं। पत्र-पत्रिकाओं व विज्ञापनों में दिखाये जाने वाले नायिकाओं के अर्द्धनग्न चित्रों से व्यक्ति की यौन भावनायें भड़कती हैं जिससे हिंसा को बढ़ावा मिलता है। सिनेमा व दूरदर्शन में दिखाये जाने वाले रोमांस व प्रेम के दृश्य, अश्लील गाने तथा नग्न दृश्य कामवासनाओं को जाग्रत कर और दिवा-स्वप्न देखने की आदत बनाकर हिंसक भावना उत्पन्न करते हैं।

अतः प्रस्तुत अध्ययन में दूरदर्शन व संचार माध्यमों में दिखाई जाने वाली अश्लीलता का महिलाओं के विरूद्ध हिंसाओं पर प्रभाव जानने के उद्देश्य से एकत्रित जानकारी को निम्न तालिका में दिखाया गया है :-

तालिका क्रमांक - 5.30

दूरदर्शन व संचार माध्यमों की अश्लीलता का महिलाओं के विरूद्ध हिंसा पर प्रभाव

क्र0	अपराधों को बढ़ावा देते हैं	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	135	45
2.	नहीं	70	23.33
3.	मालूम नहीं	95	31.67
	योग	300	100.00

स्पष्ट है कि लगभग 45 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि दूरदर्शन व संचार माध्यमों में दिखाये जाने वाले अश्लील, उत्तेजक व रोमांस के दृश्य महिलाओं के विरूद्ध हिसाओं को बढ़ावा देते हैं। जबकि (31.67 प्रतिशत) उत्तरदाता इस सम्बन्ध में अनभिज्ञता दर्शाती हैं। 23.3 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में अपनी असहमति दर्शाती हैं एवं उनके अनुसार सिनेमा व दूरदर्शन वही दिखाते है जो जनता चाहती है व पसंद करती है।

हिंसा हेतु उत्तरदायी अन्य कारणों सम्बन्धी दृष्टिकोंण-

महिलाओं के विरूद्ध हिसा हेतु उत्तरदायी अन्य कारणों या परिस्थितियों से सम्बन्धित प्रश्न के प्रत्युत्तर में उत्तरदाताओं के अनुसार मुख्यतः महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, समाज द्वारा महिलाओं हेतु स्थापित मान-मर्यादा, उत्पीड़ित महिलाओं. के प्रति समाज व स्वयं के परिवार का उपेक्षित दृष्टिकोंण, पुलिस व न्यायालयीय जटिल प्रक्रिया आदि ऐसे कुछ कारण है जो महिलाओं के विरूद्ध हिसाओं को बढ़ावा

ही नहीं देते अपितु उत्पीड़ित के पुनः शिकार होने की सम्भावना में भी वृद्धि करते हैं। कुछ महिलाएँ धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों को भी हिंसा की दृष्टि से असुरक्षित मानती हैं। उनके अनुसार मुलाकात का सुरक्षित स्थल होने से मुलाकात के अवसरों में वृद्धि करके तथा भीड़-भाड़ का लाभ लेकर हिसकों द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अनेक प्रकार की हिंसा की जाती हैं। महिलाएँ उन पर होने वाली हिसाओं के लिए उन महिलाओं को भी दोषी मानती हैं जो कि धन की चाह व आधुनिकता की होड़ में अंग प्रदर्शन के माध्यम से पुरुष की यौन भावनाओं को भड़काकर महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अवसरों में वृद्धि करती हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में हिंसा की प्रकृति के अनुरूप विशेषतः दहेज उत्पीड़ितों से विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से तथ्य एकत्र किये गये हैं। संकलित जानकारी का विश्लेषण निम्नवत है –

विवाह पूर्व दहेज निर्धारण सम्बन्धी जानकारी-

भारतीय समाज में इस तथ्य से लगभग सभी परिचित हैं कि विवाह में दहेज लेना व देना हिंसा है तथापि वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले अनेक रिश्तों की बुनियाद विवाह पूर्व दहेज में तय की गई राशि आदि पर निर्भर होती है। दहेज के कारण ही बेमेल विवाहों को प्रोत्साहन भी मिलता है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में दहेज उत्पीड़ितों से विवाह पूर्व दहेज निर्धारण सम्बन्धी संकलित जानकारी तालिका क्रमांक-23 में दर्शाई गई है।

तालिका से स्पष्ट है कि 46 प्रतिशत दहेज उत्पीड़ितों के अनुसार उनके विवाह से पूर्व दहेज सम्बन्धी निश्चित लेन-देन तय किया गया

तालिका क्रमांक - 5.31

विवाह पूर्व दहेज सम्बन्धी जानकारी

क्र0 सं0	निश्चित लेन-देन तय हुआ था	शैक्षणिक स्थिति						जाति						पारिवारिक मासिक आय						योग	
		अशिक्षित		स्कूली शिक्षा		महाविद्यालय शिक्षा		उच्च		पिछड़ी		निम्न		3000 रु0 तक		3000 से 6000 तक		6000 से अधिक			
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0
1.	हाँ	25	8.33	15	5	12	4	15	5	9	3	15	5	20	6.67	15	5	12	4	138	46
2.	नहीं	15	5	32	10.67	8	2.67	25	8.33	2	0.67	20	6.67	25	8.33	25	8.33	10	3.33	162	54
	योग	40	13.33	47	15.67	20	6.67	40	13.33	11	3.67	35	11.67	45	15.	40	13.33	22	7.33	300	100

क्र0 सं0	पूर्व में तय अनुसार दहेज दिया गया	शैक्षणिक स्थिति						जाति						पारिवारिक मासिक आय						योग	
		अशिक्षित		स्कूली शिक्षा		महाविद्यालय शिक्षा		उच्च		पिछड़ी		निम्न		3000 रु0 तक		3000 से 6000 तक		6000 से अधिक			
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0
1.	हाँ	20	6.67	16	5.33	14	4.67	12	4	20	6.67	19	6.33	15	5	12	4	15	5	143	47.67
2.	नहीं	25	8.33	19	6.33	17	5.67	21	7	22	7.33	16	5.33	16	5.33	13	4.33	8	2.67	157	52.33
	योग	45	15.00	35	11.66	31	10.34	33	11	42	14	35	11.66	31	10.33	25	8.33	23	7.67	300	100

था। इनमें से (47.67 प्रतिशत) उत्पीड़ितों के अनुसार उनके विवाह में पूर्व में तय अनुसार दहेज दिया भी गया। जबकि 52.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मुख्यतः निम्न आर्थिक स्थिति के कारण विवाह से पूर्व तय दहेज सम्बन्धी मांग पूर्णतः पूरी नहीं की जा सकी। उच्च जाति की, महाविद्यालयीय शिक्षा प्राप्त एक उत्पीड़ित के अनुसार यद्यपि उसके विवाह से पूर्व दहेज तय हुआ था, किन्तु ससुराल पक्ष के लालची स्वभाव तथा विवाह से पूर्व ही अन्य परिचितों के माध्यम से अनेक नई माँगे किये जाने के कारण विवाह में उन सभी मांगों को पूरा नहीं किया गया।

गहन विश्लेषण से स्पष्ट है कि मुख्यतः महाविद्यालयीय शिक्षा प्राप्त 4.67 प्रतिशत, उच्च आय वर्ग की 4 प्रतिशत तथा उच्च जाति की 5 प्रतिशत उत्पीड़ितों के अनुसार उनके विवाह से पूर्व दहेज सम्बन्धी निश्चित लेन-देन तय हुआ था एवं मात्र एक उत्तरदाता के अतिरिक्त अन्य के परिवार तत्सम्बन्धी पूर्व निश्चित दहेज दिया भी गया।

दहेज की मांग व इसके स्वरूप सम्बन्धी जानकारी-

सामान्य रूप से विवाह के तुरन्त बाद का समय नव दम्पत्ति तथा उनके परिवार वालों के लिए हर्ष व उल्लास का होता है, किन्तु प्रस्तुत अध्ययन में लगभग दो तिहाई उत्तरदाताओं के अनुसार यह माँग विवाह के 6 माह बाद प्रारम्भ हुई। चार उत्तरदाताओं ने विवाह के एक वर्ष बाद प्रथम बार दहेज की माँग होना बताया, इनमें एक निम्न जाति की स्कूली शिक्षा प्राप्त महिला शामिल है जबकि शेष तीन महिलाएँ उच्च जाति की व महाविद्यालयीय शिक्षा प्राप्त हैं।

दहेज की माँग किस रूप में की गई, इस सम्बन्ध में एकत्रित तथ्यों से ज्ञात हुआ कि विवाह के पश्चात् ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के रूप में प्रमुखतः नकद धनराशि की माँग करने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक था। स्कूटर, मोटर साइकिल आदि वाहन, स्वर्ण आभूषण तथा रंगीन टी०वी०, फ्रिज आदि वस्तुओं की माँग करने वालों का प्रतिशत क्रमशः पाया गया। चार उत्तरदाताओं ने दहेज के रूप में ससुराल पक्ष द्वारा पति की नौकरी या व्यवसाय में मायके पक्ष की मदद तथा पिता की जमीन-जायदाद में हिस्से की माँग किया जाना भी बताया। प्रताड़ना की शिकार तीन उत्तरदाताओं के अनुसार ससुराल वालों द्वारा उनसे दहेज के रूप में कोई निश्चित माँग नहीं की गई। उच्च जाति की महाविद्यालयीय शिक्षा प्राप्त व संयुक्त परिवार की एक उत्पीड़ित के अनुसार उसके विवाह में पति के जीजा को सोने की चेन न दिये जाने तथा विवाह में दिये गये कपड़ों के प्रति नापसंदगी आदि के सन्दर्भ में मुख्यतः सास द्वारा उसे ताने दिये जाते हैं व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है।

दहेज एवं दुर्व्यवहार -

ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की चाह में बहू को प्रताड़ित करने के लिए प्रमुखतः शारीरिक आक्रमण अर्थात् मारपीट की गयी। प्रताड़ना हेतु प्रयुक्त दुर्व्यवहार के अन्य तरीकों में क्रमशः जान से मारने की धमकी, उपेक्षित व्यवहार, उत्पीड़ित व उसके मायके वालों के सम्बन्ध में अपमान जनक व व्यंगात्मक टिप्पणी प्रमुख थे। इनके अतिरिक्त भूखा रखना, घर से बाहर न जाने देना, मायके जाने पर प्रतिबन्ध, मायके या बाहर के किसी व्यक्ति से मिलने

की मनाही, मारपीट कर घर से निकाल दिया जाना, कमरे में बन्द कर देना तथा तलाक या दूसरी शादी की धमकी आदि दुर्व्यवहार के ऐसे तरीके थे जिन्हें घर की बहुओं को प्रताड़ित करने हेतु प्रयुक्त किया गया। उच्च जाति की, स्कूली शिक्षा प्राप्त, संयुक्त परिवार में रहने वाली तथा तीन से छः हजार रुपये पारिवारिक मासिक आय वाली एक हिन्दू उत्तरदाता के अनुसार दहेज में तीस हजार रुपये व स्कूटर की माँग पूरी न होने की दशा में उसके पति व ससुराल वालों ने उसे पागल बताकर तलाक देने की कोशिश की। एक अन्य 18 वर्षीय अशिक्षित मुस्लिम उत्पीड़ित के पति ने दहेज हेतु उसके साथ न केवल मारपीट की बल्कि छुरी से उसकी नाक काट दी।

दहेज की माँग पूरी करने हेतु दुर्व्यवहार परिवार के प्रमुखतः किस-किस सदस्य द्वारा दिया गया, इस सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों से ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक उत्पीड़ित इस हेतु पति एवं सास को दोषी बताती हैं। प्रताड़ना में शामिल परिवार के अन्य लोगों में क्रमशः ससुर, ननद, देवर, जेठ व जिठानी शामिल पाये गये। एक उत्तरदाता द्वारा नन्दोई तथा सात उत्तरदाताओं द्वारा ससुराल पक्ष के अन्य रिश्तेदारों को भी दहेज प्रताड़ना में शामिल बताया गया। प्राप्त आँकड़ों से यह भी स्पष्ट हुआ कि एकाकी परिवार में अलग रहते हुए भी सास या अन्य महिला सदस्य यदाकदा उत्पीड़ित के पति को उकसाकर दहेज प्रताड़ना में सहभागी होती हैं।

दहेज हेतु प्रताड़ित किये जाने का कारण -

दहेज हेतु प्रताड़ित किये जाने के कारण सम्बन्धी उत्पीड़ितों की प्रतिक्रियाओं को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका क्रमांक - 5.32
दहेज हेतु प्रताड़ित किये जाने का कारण

क्र0	प्रताड़ना का कारण	संख्या	प्रतिशत
1.	लोभी प्रवृत्ति	107	35.67
2.	पारिवारिक आवश्यकता	80	26.67
3.	ससुराल पक्ष का प्रभावी होना	43	14.33
4.	अन्य	70	23.33
	योग	300	100.0

तालिका से स्पष्ट है कि लगभग (35.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार ससुराल वालों द्वारा उन्हें दहेज हेतु प्रताड़ित किये जाने का कारण धन के प्रति उनका मोह अर्थात् लोभी प्रवृत्ति था। 80 उत्तरदाता पारिवारिक आवश्यकता के कारण तथा 43 ससुराल पक्ष के प्रभावशाली होने को पताड़ना हेतु उत्तरदायी मानती हैं। अन्य कारणों में उत्पीड़ित की लम्बी बीमारी, निःसन्तान होने तथा उत्पीड़ित के मायके पक्ष की उच्च्य आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें दहेज हेतु तंग किया जाता था।

प्रताड़ना की अवधि -

उत्पीड़ितों से पूँछ जाने पर कि वे कितने समय तक दहेज प्रताड़ना की शिकार रहीं तालिका क्रमांक-25 के अन्तर्गत सर्वेक्षित आंकड़ों से स्पष्ट है कि दो तिहाई से थोड़ी कम (62 प्रतिशत) महिलाएं दो वर्ष से भी अधिक समय तक दहेज प्रताड़ना की शिकार रहीं। एक से दो वर्ष तथा 6 माह से एक वर्ष तक प्रताड़ना की शिकार रहने

वाली उत्पीड़ितों का प्रतिशत क्रमशः 22.0 तथा 14.0 पाया गया, जबकि 2 महिला ने 6 माह से कम समय तक ही दुर्व्यवहार को सहन किया।

तालिका क्रमांक - 5.33

प्रताड़ना की अवधि

क्र0 सं0	कितने समय तक दहेज प्रताड़ना की शिकार रही	आयु						वैवाहिक स्थिति						शैक्षणिक स्थिति						योग	
		18 वर्ष से कम		18 से 30 वर्ष		30 वर्ष से अधिक		विवाहित		अविवाहित		विधवा		अशिक्षित		स्कूली शिक्षा		महाविद्यालय शिक्षा			
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0
1.	6 माह	–	–	2	66	7	7	2	67	–	–	–	–	–	–	–	–	2	67	6	2
2.	6 से 12 माह	–	–	14	4.67	–	–	14	4.67	–	–	–	–	2	67	8	2.67	4	1.33	42	14
3.	1 से 2 वर्ष	–	–	20	6.67	2	67	22	7.33	–	–	–	–	4	1.33	12	4	6	2	66	22
4.	2वर्ष से अधिक	–	–	54	18	8	2.67	56	18.67	–	–	3	1	20	6.67	36	12	9	3	186	62
	योग	–	–	90	30	10	3034	94	31.67	–	–	3	1	26	8.67	56	18.67	21	7	300	100

क्र0 सं0	महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है	धर्म				जाति						परिवार की प्रकृति				परिवार की मासिक आय						योग	
		हिन्दू		अहिन्दू		उच्च		पिछड़ी		निम्न		संयुक्त परिवार		एकाकी परिवार		3000 रु0 तक		3000रु0 से 6000 तक		6000 रु0 से अधिक			
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0
1.	6 माह	6	2	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	2	67	–	–	–	–	2	67	13	4.33
2.	6 से 12 माह	10	3.33	–	–	13	4.33	15	5	2	67	5	1.67	6	2	–	–	4	1.33	3	1	58	14.33
3.	1 से 2 वर्ष	15	5	–	–	5	1.67	8	2.67	7	2.33	10	3.33	4	1.33	6	2	8	2.67	6	1.67	68	22.67
4.	2वर्ष से अधिक	29	9.67	13	4.33	15	5	25	8.33	10	3.33	24	8	7	2.33	21	7	20	6.67	6	2	161	53.67
	योग	51	20	13	4.33	36	12	48	16	19	6.33	39	13	19	6.33	27	9	32	10.67	16	5.34	300	100

प्रताड़ना की अवधि का विभिन्न चरों के साथ सम्बन्ध की दृष्टि से विधवा शत-प्रतिशत, 30 वर्ष व अधिक आयु की निम्न जाति व 3000 रुपये तक पारिवारिक मासिक आय वाली सभी 7 प्रतिशत, अशिक्षित 6.67 प्रतिशत तथा संयुक्त परिवार की (8 प्रतिशत) उत्पीड़ितों ने दो वर्ष से भी अधिक समय तक ससुराल वालों के दुर्व्यवहार को सहन किया। मुख्य तथ्य यह सामने आया कि एकाकी परिवारों में संयुक्त परिवार में निवास करने वाली महिलाएं लम्बे समय तक प्रताड़ना का शिकार रहीं।

उल्लेखनीय है कि एकाकी परिवार में रहने वाली उच्च-जाति व उच्च आय वर्ग की महाविद्यालयीय शिक्षित एक 22 वर्षीय सिख महिला ने दहेज हेतु अपने डाक्टर पति के दुर्व्यवहार को मात्र 6 माह तक ही सहन किया।

प्रताड़ना से बचाव हेतु किये गये प्रयत्न-

दहेज हेतु ससुराल पक्ष द्वारा किये जा रहे दुर्व्यवहार से बचने हेतु उत्पीड़ितों द्वारा किये गये प्रारम्भिक प्रयासों में सर्वाधिक उत्पीड़ितों ने समस्या से मायके पक्ष को अवगत कराया। उत्पीड़ितों द्वारा किये गये अन्य प्रयासों में क्रमशः मायके की शरण, पति का समझाने का प्रयत्न, पुलिस में जाने अथवा आत्महत्या करने की धमकी, पति से विलगाव तथा रिश्तेदार व समाजसेवी व्यक्ति या संस्था की मदद मुख्य थे। उल्लेखनीय है कि अत्याचार से दुःखी होकर स्कूली शिक्षा प्राप्त तीन उत्पीड़ितों ने आत्म-हत्या का प्रयास भी किया, इनमें दो पिछड़ी जाति की व एक उच्च जाति की महिला शामिल है।

दहेज हेतु किये जा रहे दुर्व्यवहार का पता चलने पर मायके पक्ष की प्रतिक्रिया –

दहेज हेतु किये जा रहे दुर्व्यवहार का पता चलने पर मायके पक्ष ने इस समस्या के समाधान हेतु प्रारम्भिक तौर पर क्या कोई प्रयास किए, प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तरदाताओं से एकत्रित तथ्य निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं –

तालिका क्रमांक – 5.34

दुर्व्यवहार का पता चलने पर मायके पक्ष की प्रतिक्रिया

क्र0	मायके की प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1.	ससुराल पक्ष को समझाने का प्रयास	125	41.67
2.	रिश्तेदार या प्रभावशाली व्यक्ति का दबाव	100	33.33
3.	समय के साथ सब ठीक हो जाने की समझाईश	75	25.00
	योग	300	100.0

दहेज हेतु किये जा रहे दुर्व्यवहार का पता चलने पर मायके पक्ष की प्रतिक्रिया व प्रयासों के सन्दर्भ में सर्वाधिक 41.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनके मायके वालों ने ससुराल पक्ष को समझाने का प्रयास किया। 33.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मायके वालों ने इस हेतु ससुराल पक्ष पर किसी सगे सम्बन्धी या प्रभावशाली व्यक्ति का दबाव डलवाया। 25 प्रतिशत उत्पीड़ितों के मायके वालों द्वारा समय के साथ सब ठीक हो जाने सम्बन्धी समझाईश भी उत्पीड़ितों को दी गयी।

दहेज समस्या का समाधान -

वर्तमान समय में दहेज की समस्या एक विकराल रूप धारण किये हुए है। प्रत्येक जाति, आय वर्ग तथा शैक्षणिक दृष्टि से उच्च शिक्षित व अशिक्षित सभी इस समस्या से ग्रस्त हैं। यह सत्य है कि अधिकांशतः न केवल अशिक्षित बल्कि उच्च शिक्षित परिवारों में आज भी बेटी के लिए उपयुक्त वर की तलाश माँ-बाप द्वारा ही की जाती है व इस सम्बन्ध में बेटी की राय खास महत्व नहीं रखती है। अतः जीवन साथी के चुनाव में महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता देकर क्या दहेज समस्या का हल खोजा जा सकता है, इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका क्रमांक - 5.35

जीवन साथी के चुनाव में महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता देकर समस्या के समाधान सम्बन्धी प्रतिक्रिया

क्र. सं.	समाधान संभव है	शैक्षणिक स्थिति						जाति						योग	
		अशिक्षित		स्कू. शि.		महा.शि.		उच्च		पिछड़ी		निम्न			
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	हाँ	12	4	42	14	18	6	30	10	30	10	12	4	144	48
2.	नहीं	9	3	24	8	9	3	15	5	18	6	9	3	84	28
3.	अनिश्चित	18	6	18	6	-	-	3	1	24	8	9	3	72	24
	योग	31	13	84	28	27	9	48	16	72	24	30	10	300	100

स्पष्ट है कि लगभग 144 उत्तरदाताओं का मानना है कि जीवन-साथी के चुनाव में महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता देकर दहेज समस्या हल हो सकती है। ऐसा मानने वालों में महाविद्यालयीय शिक्षित 6 प्रतिशत तथा उच्च जाति के 10 प्रतिशत उत्तरदाता हैं।

28 प्रतिशत उत्तरदाता मनपसंद जीवन साथी के चुनाव मात्र को दहेज समस्या का समाधान नहीं मानते जबकि शेष लगभग एक चौथाई (24.0 प्रतिशत) उत्तरदाता इस सम्बन्ध में अनिश्चित स्थिति में हैं।

उल्लेखनीय है कि छेड़-छाड़ की 41.6 प्रतिशत, अपहरण की एक चौथाई तथा दहेज की शिकार 6.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार वे घटना को लगभग भुला चुकी हैं। ऐसा मत व्यक्त करने वाली दहेज उत्पीड़ितों में उच्च जाति की महाविद्यालयीय शिक्षा प्राप्त एक उत्तरदाता ने अपने पूर्व पति से तलाक के पश्चात् दूसरा विवाह कर लिया है जबकि निम्न व पिछड़ी जाति की दो उत्तरदाता पति से अलग रहते हुए आर्थिक कार्यों में संलग्न हैं।

घटना का स्मरण होने पर उत्पीड़ित की प्रतिक्रिया-

स्वयं के साथ घटित घटना का स्मरण होने पर उत्पीड़ितों की प्रतिक्रिया स्वरूप प्राप्त उत्तरों में सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार इसका उनकी दैनिक दिनचर्या पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शेष प्रतिक्रियाओं में क्रमशः पुलिस व न्यायिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश, आत्मग्लानि का अहसास, हिंसक के प्रति बदले की भावना, स्वयं के परिवार वालों पर क्रोध तथा आत्महत्या की इच्छा मुख्य पाये गये हैं।

घटना का प्रभाव -

प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति, आयु व शैक्षणिक स्तर का हो, वह स्त्री हो या पुरुष समाज में उसकी एक पहचान, एक प्रतिष्ठा, एकआत्मसम्मान होता है जिसकी रक्षा वह हर हाल में करना

चाहता है क्योंकि इसके अभाव में वह स्वयं को अपनी अथवा समाज की नजरों में गिरा देता है तथा कुंठा, उपेक्षा आदि का शिकार हो जाता है। भारत में स्त्रियों हेतु स्थापित सामाजिक प्रतिमानों व मान्यताओं के सन्दर्भ में यदि एक महिला बलात्कार, छेड़छाड़ आदि हिंसा का शिकार बनती है तो स्वयं हिंसक न होते हुए भी वह एक हिंसा भावना से ग्रस्त होती है तथा स्वयं के ही सामाजिक दायरे द्वारा अपमान व उपेक्षा का शिकार बनती हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन में उत्पीड़ित पर घटना का प्रभाव जानने के उद्देश्य से एकत्रित तथ्य निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :-

तालिका क्रमांक - 5.36

घटना के पश्चात् आप कैसा महसूस करती हैं

क्र0	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1.	अपमानित	125	41.67
2.	भयभीत	90	30.00
3.	उपेक्षित	85	28.33
	योग	300	100.00

(यह तालिका बहुउत्तरित है)

तालिका से स्पष्ट है कि घटना के प्रभाव स्वरूप स्वयं को अपमानित महसूस करने वाली उत्तरदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक 41. 67 प्रतिशत है जबकि 30 प्रतिशत महिलाएं स्वयं को भयग्रस्त तथा 28.33 प्रतिशत उपेक्षित महसूस करती हैं।

प्रतिष्ठा पर प्रभाव -

प्रत्येक व्यक्ति का समाज में एक स्थान, एक प्रस्थिति होती है और उस प्रस्थिति से जुड़ी हुयी उसका एक प्रतिष्ठा होती है। इस प्रस्थिति व प्रतिष्ठा के अनुरूप अपनी भूमिका से व्यक्ति समाज में एक पहचान कायम करता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर पड़ने वाला अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव समाज में उसकी स्थिति व भूमिका को प्रभावित करता है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में हिंसाग्रस्त महिलाओं से उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर घटना के प्रभाव सम्बन्धी तथ्यों का संकलन कर तालिका क्रमांक-29 में दर्शाया गया है :-

तालिका क्रमांक - 5.37
प्रतिष्ठा पर प्रभाव

क्र0 सं0	प्रतिष्ठा प्रभावित हुई	शैक्षणिक स्थिति						जाति						परिवार की प्रकृति				परिवार की मासिक आय						योग	
		अशिक्षित		स्कूली शिक्षा		महाविद्यालय शिक्षा		उच्च		पिछड़ी		निम्न		संयुक्त परिवार		एकाकी परिवार		3000 रु0 तक		3000रु0 से 6000 तक		6000 रु0 से अधिक			
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0
1.	हाँ	10	3.33	20	6.67	12	4	20	6.67	20	6.67	20	6.67	36	12	32	10.67	30	10	14	4.67	0.5	1.67	226	75.33
2.	नहीं	7	2.33	10	3.33	2	.67	3	1	6	2	10	3.33	6	2	10	3.33	10	3.33	01	.33	09	3	74	24.67
	योग	17	5.66	30	10	14	4.67	23	7.67	26	8.67	30	100	42	14	42	14	40	13.33	15	5	14	4.67	300	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश (75.33 प्रतिशत) उत्तरदाता यह मानते हैं कि घटना से उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है, 24.67 प्रतिशत) उत्तरदाता इस सम्बन्ध में अपनी असहमति दर्शाते हैं।

तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक महाविद्यालयीय शिक्षा प्राप्त 4 प्रतिशत, उच्च जाति की 6.67 प्रतिशत, 6000 रुपये से अधिक पारिवारिक मासिक आय वाली 1.67 प्रतिशत तथा संयुक्त पारिवार की 12 प्रतिशत महिलाएं हिंसक के कृत्य को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ती हैं एवं ऐसा मानती हैं कि इससे उनकी प्रतिष्ठा गिरी है।

आपत्तिजनक टिप्पणी -

सामान्यतः यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को जन आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है न केवल मोहल्लेवासी व अन्य परिचित बल्कि अनेक बार स्वयं के पारिवारिक सदस्य व रिश्तेदार भी उनके विरूद्ध अपमानजनक व आपत्तिजनक टिप्पणी करने से नहीं चूकते। बलात्कार उत्पीड़ितों पर अनेक सामाजिक लाछंन लगाये जाते हैं, उन्हें जन आलोचनाओं एवं सामाजिक बहिष्कार तक का सामना करना पड़ता है। दहेज प्रताड़ना से त्रस्त मायके में रहने वाली अनेक महिलाओं को अपनी भाभी व अन्य सदस्यों की खरी-खोटी सुननी पड़ती हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन में तत्सम्बन्धी एकत्रित आंकड़ों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका क्रमांक - 5.38
घटना के पश्चात् अपत्तिजनक टिप्पणी या आलोचना सम्बन्धी प्रतिक्रिया

क्र0	टिप्पणी की गयी	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	175	58.33
2.	नहीं	125	41.67
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि विभिन्न हिंसाओं की शिकार लगभग दो तिहाई उत्पीड़ितों को घटना के पश्चात् विभिन्न जन आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। इन उत्पीड़ितों के अनुसार उन्हें न केवल पास-पड़ोस व अन्य सगे सम्बन्धियों के कटाक्ष सहने पड़े बल्कि स्वयं के पारिवारिक सदस्यों द्वारा भी उनके विरूद्ध टिप्पणी की गयी। अनेक उत्पीड़ितों ने पुलिस वालों की व्यंगात्मक एवं अपमानजनक सम्बन्धी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि अधिकांश उत्पीड़ितों के अनुसार हिंसा के पश्चात् उन्हें अधिकाशतः महिलाओं की ही आलोचना का शिकार होना पड़ा तथा महिला हृदय होते हुए भी उन्हें उनकी पर्याप्त सहानुभूति प्राप्त नहीं हुयी।

शारीरिक या मानसिक रोग -

हिंसक द्वारा अपने कृत्य को अंजाम देने हेतु शिकार के विरूद्ध हिंसा के प्रयोग अथवा इसके प्रयोग की धमकी से उत्पीड़ित को शारीरिक या मानसिक पीड़ा होती है। जबरन् बलात्कार व दहेज उत्पीड़न आदि की घटनाएं महिलाओं को अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त बनाती हैं।

शारीरिक क्षति के अति के अतिरिक्त एक प्रकार का भय इन उत्पीड़ितों को निरन्तर बना रहता है। निर्दोष होते हुए भी परिवार, सहयोगी पास-पड़ोस व अन्य सामाजिक वर्गों की शंकालु दृष्टि व उपेक्षा इन्हें मानसिक रूप से रोगग्रस्त बनाती है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं से तत्सम्बन्धी एकत्रित आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

तालिका क्रमांक - 5.39

घटना के कारण शारीरिक या मानसिक रोग

क्र0	रोग ग्रस्त हुयीं	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	180	60
2.	नहीं	120	40
	योग	300	100.00

तालिका से स्पष्ट है कि 60 प्रतिशत) महिलाओं के अनुसार, हिंसक द्वारा अपने दुष्कृत्य को अंजाम देने हेतु प्रयुक्त हथियार व हिंसक व्यवहार ने उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से रोगग्रस्त बनाया। गहन विश्लेषण में मुख्यतः बलात्कार व दहेज की शिकार अनेक उत्पीड़ित मानसिक तनाव, सरदर्द तथा घटना के खौफ आदि के रूप में मानसिक रोग की शिकार पाई गयीं जबकि हिंसक द्वारा अनेक महिलाओं को शारीरिक चोट भी पहुँचायी गयी। शेष महिलाओं (46.2 प्रतिशत) के अनुसार घटना के परिणामस्वरूप उन्हें शारीरिक व मानसिक पीड़ा अवश्य हुयी किन्तु उन्हें इस प्रकार का कोई शारीरिक या मानसिक रोग नहीं हुआ।

विवाह सम्बन्ध होने पर प्रभाव -

हिंसा की शिकार महिला को न केवल घटना का खामियाजा भुगतना पड़ता है बल्कि सामाजिक निन्दा, जन आलोचना तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं की दोहरी मार सहनी पड़ती है। बलात्कार, अपहरण आदि की शिकार महिलाओं को विवाह सम्बन्धी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की अविवाहित महिलाओं के अभिभावकों को जहाँ उनके विवाह की चिन्ता होती है वहीं घटना के कारण उनके विवाह में अनेक बाधाएँ आती हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में घटना का विवाह सम्बन्ध होने पर प्रभाव की दृष्टि से संकलित समंकों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका क्रमांक - 5.40

घटना के कारण विवाह सम्बन्ध होने में बाधा सम्बन्धी जानकारी पेज- (क)

क्र. सं.	विवाह सम्बन्ध में बाधा हुयी/हो रही है/हो सकती है	बलात्कार		अपहरण		छेड़-छाड़		महायोग		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	हाँ	12	4	4	1.33	35	31.67	75	25	126	42
2.	नहीं	10	3.33	5	1.67	20	6.67	50	16.67	85	28.33
3.	कह नहीं सकती	4	1.33	3	1	20	6.67	62	20.67	89	29.67
	योग	26	8.67	12	4	75	45.1	187	62.34	300	100

तालिका क्रमांक - 5.41
घटना के कारण विवाह सम्बन्ध होने में बाधा सम्बन्धी जानकारी

क्र. सं.	विवाह सम्बन्ध में बाधा हुयी/हो रही है/हो सकती है	बलात्कार		अपहरण		छेड़-छाड़		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	हाँ	75	25	50	16.67	15	5	140	46.67
2.	नहीं	25	8.33	80	26.67	7	2.33	112	37.33
3.	कह नहीं सकती	30	10	10	3.33	8	2.67	48	16
	योग	130	43.33	140	46.67	30	10	300	100.

तालिका से स्पष्ट है कि 46.67 प्रतिशत विवाहित उत्पीड़ित घटना के कारण स्वयं के विवाह सम्बन्ध होने में होने वाली बाधा को स्वीकार करती हैं अथवा इस सम्बन्ध में भविष्य की चिन्ता व्यक्त करती हैं। 37.33 उत्पीड़ित अपनी अल्प आयु के कारण इस सम्बन्ध ा में अनिश्चित स्थिति में हैं।

तालिका से यह स्पष्ट है कि हिंसा की प्रकृति के अनुसार घटना का प्रभाव पड़ता है तथा बलात्कार व अपहरण के प्रकरणों में उत्पीड़ितों को विवाह सम्बन्धी बाधा का अधिक सामना करना पड़ता है जबकि छेड़छाड़ की स्थिति में तत्सम्बन्धी अधिक परेशानी नहीं होती है।

वैयक्तिक एवं पारिवारिक जीवन पर प्रभाव -

हिंसा एक ऐसा कृत्य है जिसके परिणामस्वरूप उत्पीड़ित को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदि विभिन्न रूपों में हानि होती है। हिंसा की प्रकृति के अनुसार घटना का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के विभिन्न

पहलुओं पर पड़ता है। कुछ हिंसाओं में व्यक्ति को केवल शारीरिक या आर्थिक हानि होती है जबकि कुछ का प्रभाव व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन पर पड़ता है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले बलात्कार, लज्जाभंग आदि यौन हिंसाओं का उत्पीड़ितों के सम्पूर्ण वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्हें अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, वैवाहिक तथा सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार के सामंजस्य एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि हिंसा का शिकार हुयी महिलाएँ स्वयं हिंसा के मार्ग पर चलने तक को मजबूर हो जाती हैं। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा घटना का उत्पीड़ितों के व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन पर प्रभाव सम्बन्धी तथ्यों का संकलन किया गया जिसका विश्लेषण निम्नानुसार है :-

तालिका क्रमांक - 5.42
व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन पर प्रभाव

क्र0	प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
1.	स्वतंत्रता प्रभावित	103	34.33
2.	पारिवारिक तनाव	95	31.67
3.	पारिवारिक उपेक्षा	102	34.00
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि घटना का सर्वाधिक प्रभाव उत्पीड़ितों की स्वतंत्रता पर पड़ा है जबकि लगभग 31.67 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार घटना ने उनके परिवार में तनाव भी उत्पन्न किया है। 34 प्रतिशत महिलाएँ पारिवारिक उपेक्षा का शिकार भी हैं।

अन्य विपरीत परिणाम -

घटना से हुए अन्य विपरीत परिणामों सम्बन्धी संकलित प्रतिक्रियाओं में मुख्यतः दहेज उत्पीड़ितों के अनुसार उनके वैवाहिक विघटन की समस्या उत्पन्न हो गई है तथा पति से पुनर्मिलन की सम्भावनायें प्रायः समाप्त हो गई हैं। बलात्कार व छेड़छाड़ की शिकार अनेक उत्पीड़ितों के अनुसार घटना के कारण उनके पति से मनमुटाव तथा विलगाव की स्थिति भी निर्मित हुई। इसके अतिरिक्त पारिवारिक सदस्यों तथा मित्र व सहयोगियों से मनमुटाव, बच्चों के भविष्य की चिन्ता, भाई या परिवार के अन्य सदस्य द्वारा हिंसक से बदला लेने की चेष्टा, शिक्षा में व्यवधान, शीघ्र विवाह, बहिन के विवाह में कठिनाई सम्बन्धी प्रतिक्रियाएँ उत्पीड़ितों द्वारा मुख्यतः व्यक्त की गई। उल्लेखनीय है कि कमोवेश महिलाओं ने पारिवारिक सदस्यों द्वारा सहयोग या स्वीकार करने में हिचकिचाहट सम्बन्धी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। कुछ महिलाओं ने घटना व जन-आलोचना से दुखी होकर आत्म-हत्या का प्रयास भी किया।

समय के साथ घटना का जख्म भरने सम्बन्धी जानकारी-

कहा जाता है कि समय सबसे बड़ा मरहम है एवं कोई भी जख्म चाहे वह बाह्य रूप में शारीरिक हो या भावनात्मक रूप में आन्तरिक, समय के साथ भर जाता है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में हिंसा की शिकार महिलाओं से तत्सम्बन्धी एकत्रित जानकारी निम्न तालिका में दर्शायी गयी हैं -

तालिका क्रमांक - 5.43
वक्त बड़ा बेरहम है - सम्बन्धी प्रतिक्रिया

क्र0	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1.	पूर्णतः सत्य	150	50
2.	आंशिक सत्य	57	19
3.	बिलकुल नहीं	93	31
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि हिंसा की शिकार 50 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार स्वयं के साथ घटी घटना को भुला पाना उनके लिए लगभग असम्भव है। गहन विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि इनमें बलात्कार व दहेज उत्पीड़न की शिकार महिलाओं का प्रतिशत अत्याधिक है। 19 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य को, कि समय के साथ बड़े से बड़ा जख्म भी भर जाता है, भविष्य की स्थिति से सम्बन्धित करते हुए आंशिक रूप से सत्य मानती है। किन्तु 3 प्रतिशत उत्तरदाता जिनमें मुख्यतः छेड़छाड़ की शिकार महिलाएँ हैं या तो घटना को लगभग भुला चुकी हैं अथवा इस बात से पूर्ण सरोकार रखती हैं कि वक्त के साथ शनैः शनैः घटना की स्मृति भी धूमिल होती जायेगी।

द) हिंसा की शिकार महिलाओं के प्रति समाज के विभिन्न वर्गो का व्यवहार -

प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था एवं संगठन के उद्देश्य से अपने सदस्यों को प्रस्थिति एवं भूमिका प्रदान करती है। यह प्रस्थिति एवं भूमिका सामाजिक व्यवस्था के सुचारू संचालन एवं सामाजिक संतुलन को बनाये रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण होती है। इस प्रस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति विचार एवं मान्यताओ के अनुरूप होता है। **लिष्टन के अनुसार**[1] "सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की प्रस्थिति कहा जाता है।"

अतः प्रस्थिति व्यक्ति को समाज में मिलने वाला एक सामाजिक मान्यता प्राप्त स्थान है जिससे व्यक्ति की इस प्रतिष्ठा पर पड़ने वाला अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव न केवल समाज में उसकी स्थिति व भूमिका को प्रभावित करता है बल्कि उस व्यक्ति के प्रति समाज के अन्य सदस्यों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। महिलाओं के प्रति हिंसा की दृष्टि से यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण हैं।

महिलाओं के विरूद्ध अपराध समाज में महिला की स्थिति व प्रतिष्ठा को तो प्रभावित करता ही है साथ ही एक बड़ी सीमा तक महिला के प्रति स्वयं के परिवारिक सदस्यों तथा समाज के अन्य वर्गो के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। एक महिला बलात्कार एवं अपहरण का ही शिकार नहीं बनती बल्कि पुलिस, अस्पताल व न्यायालयीय कार्यवाही के दौरान तथा स्वयं के सगे

---

1. Linton - The cultural background of personality. P.-264.

सम्बन्धियों के दुर्व्यवहार व उपेक्षा की भी शिकार बनती है। महिला यदि पुरुष द्वारा बलात्कार, छेड़-छाड़, अपहरण आदि का शिकार होती है तो स्वयं का दोष न होते हुए भी उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है, उसे हर स्तर पर सताया जाता है, अपमानित किया जाता है उनसे भेदभाव किया जाता है तथा निर्दोष होते हुए भी उन पर दोषारोपण किया जाता है। स्वयं के पारिवारिक सदस्यों द्वारा उन्हें ताने दिये जाते हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है तथा अनेक बार उन्हें अमानवीय व्यवहार भी सहना पड़ता है। यौन अपराधों की शिकार ग्रस्त महिलाओं के प्रति उनके पास-पड़ोस व सगे सम्बन्धियों के व्यवहार में भी इस दृष्टि से परिवर्तन होता है मानो अपराध उत्पीड़ित के विरूद्ध न किया गया हो बल्कि वह स्वयं अपराधी हो। बलात्कार व अपहरण आदि की शिकार महिला को तो अनेक बार "चरित्रहीन महिला" सम्बन्धी सम्बोधन भी प्राप्त होता है तथा उसके नैतिक चरित्र पर सन्देह किया जाता है। ऐसी महिलाओं से मेल-जोल को अनेक बार स्वयं की प्रतिष्ठा के विरूद्ध माना जाता है। समाचार-पत्र व पत्रिकाओं द्वारा महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं को नमक-मिर्च लगाकर पठनीय दृष्टि से रोचक बनाना ही अधिकांशतः सम्बन्धित का उद्देश्य होता है। समाज का अंग होने से पुलिस वाले भी महिलाओं के प्रति अभिनति एवं यौन मनोवृत्ति से मुक्त नहीं होते हैं। पूँछ-ताँछ के दौरान उत्पीड़ित के प्रति सहानुभूति की बजाय उनसे उपेक्षित व्यवहार किया जाता है। उत्पीड़ित की मनोवैज्ञानिक मनःस्थिति को समझे बिना उससे अनेक ऐसे प्रश्नों की बौछार की जाती है जिनके प्रत्युत्तर में लोक लाज के कारण उत्पीड़ित को परेशानी होती है। न्यायालीय प्रक्रिया से उत्पीड़ित को उसी व्यक्ति

के समक्ष कठिन अग्नि परीक्षा देनी होती है जिसने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया होता है। इस प्रकार समाज के प्रत्येक स्तर पर उत्पीड़ित को सहानुभूति की बजाय प्रतिकूल रवैये का ही अधिकांशतः सामना करना पड़ता है। परिणामतः उत्पीड़िता में हीन भावना जन्म लेती है, वह हिंसा बोध की भावना से पीड़ित होती है तथा उसके मानो-सामाजिक पुनर्वास की अनेक समस्यायें उत्पन्न होती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में अपराध का शिकार हुई महिलाओं से उनेक प्रति उनके पारिवारिक सदस्यों, पास-पड़ोस, सगे-सम्बन्धियों, पुलिस तथा समाज के अन्य वर्गों के व्यवहार के मूल्यांकन के उद्देश्य से एकत्रित जानकारी का विश्लेषण इस प्रकार है।

घटना के पश्चात् कार्यवाही एवं प्रतिक्रियाओं सम्बन्धी विश्लेषण -

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा सम्बन्धी विश्लेषण का यह पहलू ''हिंसा के पश्चात्'' अर्थात् अपराध की दर्जगी व पुलिस की भूमिका आदि से सम्बन्धित है। घटना के पश्चात् उत्पीड़ित इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम किसे व कब सूचित करती है घटना की सूचना पुलिस को तत्काल दी जाती है या नहीं, पुलिस व न्यायालय से उत्पीड़ित व उनके परिवार वाले क्योंकि बचना चाहते हैं, उत्पीड़ित के प्रति पुलिस व पारिवारिक सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया होती है? तत्सम्बन्धी प्रश्नों का विश्लेषण निम्न तालिका में प्रस्तुत है -

तालिका क्रमांक 5.44

घटना की सूचना देने पर प्रतिक्रिया सम्बन्धी जानकारी

क्र.सं.	घटना की सूचना सर्वप्रथम किसे दी	संख्या	प्रतिशत
1.	पति	68	22.67
2.	माता-पिता या सास-ससुर	150	59.4
3.	रिश्तेदार या अन्य पारिवारिक सदस्य	271	9.4
4.	अन्य	55	10.0
	योग	**300**	**100.0**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 81.67 प्रतिशत उत्पीड़ितों द्वारा स्वयं के साथ घटी घटना के सम्बन्ध में सर्व प्रथम स्वयं के पारिवारिक सदस्यों को सूचित किया गया जबकि 18.33 प्रकरणों में तत्सम्बन्धी प्रथम सूचना पड़ोसी या अन्य को दी गई।

पारिवारिक सदस्यों में लगभग 50 प्रतिशत प्रकरणों में घटना की सूचना माता या पिता अथवा सास-ससुर को दी गयी, पति को सर्वप्रथम सूचित करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 22.67 पाया गया, जबकि भाई, भाभी या अन्य पारिवारिक सदस्यों या रिस्तेदारों को 9 प्रतिशत उत्पीड़ितों ने सर्वप्रथम स्वयं के साथ घटित घटना से अवगत कराया।

तालिका क्रमांक 5.45
घटना की सूचना देने पर प्रतिक्रिया सम्बन्धी जानकारी

क्र.सं.	सूचना देने पर प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1.	सहानुभूति	96	32
2.	आपकी निन्दा	30	30
3.	घटना का जिक्र किसी से न करने का कहा	50	16.67
4.	अन्य	64	21.33
	योग	**300**	**100.0**

तालिका दर्शाती है कि विभिन्न अपराधों की शिकार उत्पीड़ितों को घटना की सूचना देने पर मुख्यतः स्वयं के ही पारिवारिक सदस्यों की निन्दा का शिकार होना पड़ा इन उत्पीड़ितों के अनुसार उनके सगे सम्बन्धियों ने ही उन्हें बुरा-भला कहा तथा इस सम्बन्ध में उन्हें ताने दिये। 32 प्रतिशत उत्पीड़ितों के परिवार वालों ने उनके प्रति सहानुभूति दिखाई एवं उन्हें सांत्वना दी। मुख्यतः बलात्कार एवं छेड़-छाड़ की शिकार अविवाहित उत्पीड़ितों 16.67 प्रतिशत को सामाजिक निन्दा आदि के भय से घटना का जिक्र अन्य किसी से न करने सम्बन्धी हिदायत दी गई। जबकि 21.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें मुख्यतः पारिवारिक सदस्यों के आक्रोश तथा मारपीट का सामना करना पड़ा तथा दहेज उत्पीड़ितों को समय के साथ सब ठीक हो जाने सम्बन्धी एडवाइस दी गई।

पुलिस सम्बन्धी कार्यवाही -

हिंसा के सन्दर्भ में पुलिस कार्यवाही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। घटना की सही समय पर पुलिस में दर्जगी, घटना व अपराधी के सन्दर्भ में पूर्ण खुलासा तथा जनता द्वारा पुलिस व्यवस्था के सहयोग से ही हिंसा में कमी सम्भव है। हिंसा की रोकथाम के उद्देश्य से स्थापित पुलिस व्यवस्था को मिलने वाला जनसहयोग व्यवस्था के प्रति जन आस्था तथा विश्वास पर निर्भर है। यदि पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार व निष्ठावान है, वह पूर्ण प्रशिक्षित एवं व्यवहार कुशल है तथा यदि जनता में न्याय व सुरक्षा के प्रति विश्वास कायम करने में सफल है तो कोई कारण नहीं कि उसे जनसहयोग व समर्थन प्राप्त न हो। इसके विपरीत यदि पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह है, हिंसा की प्रकृति के अनुसार यदि वह पीड़ित की भावनाओं को समझने में असमर्थ है, भाषा में संतुलित प्रयोग के प्रति उदासीन है तथा दबाव लालच या लापरवाही में घटना के वास्तविक व उचित अनुसंधान के स्थान पर तथ्यों को तोड-मरोड कर प्रस्तुत करती है तो निश्चित रूप से वह व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास को कायम रखने में समर्थ नहीं हो सकती।

प्रस्तुत अध्ययन यद्यपि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के सन्दर्भ में पुलिस की गहन विवेचना पर आधारित नहीं है तथापि उत्पीड़ितों अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा घटना के सन्दर्भ में की गई पुलिस कार्यवाही तथा तत्सम्बन्धी पुलिस प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण निम्न तालिका अनुसार है।

तालिका 5.46

पुलिस को सूचना सम्बन्धी जानकारी की तालिका

क्र. सं.	सूचना तत्काल दी गई	बलात्कार		अपहरण		छेड़-छाड़		दहेज		अन्य मानसिक सामाजिक व परिवारिक		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	हां	15	5	7	2.33	65	21.67	35	11.67	80	26.67	202	67.33
2.	नहीं	11	3.67	5	1.67	10	3.33	15	5	57	19	98	32.67
	योग	26	8.67	12	4	75	25	50	16.67	137	45.67	300	100

प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि आधे से थोड़ा अधिक 67.33 प्रतिशत प्रकरणों में पुलिस को तत्काल सूचित किया गया जबकि शेष 32.67 प्रतिशत प्रकरणों में पुलिस को सूचना तत्काल न देकर विलम्ब से दी गई।

हिंसा के प्रकार के आधार पर तथ्यों के विश्लेषण से सर्वाधिक छेड़-छाड़ के 21.67 प्रतिशत बलात्कार के 5 प्रतिशत उत्पीड़ितों के अनुसार यद्यपि वे एक लम्बे समय तक दुर्व्यवहार के शिकार रहे किन्तु इस हेतु उनके साथ मार-पीट या अन्य हिंसा की स्थिति में उन्होंने पुलिस को इस सम्बन्ध में सूचित किया।

उल्लेखनीय है कि अपहरण के 1.67 प्रकरणों में तत्सम्बन्धी रिपोर्ट पुलिस में तत्काल नहीं की गई व इसी प्रकार दहेज उत्पीड़न की शिकार अधिकांश महिलाओं ने भी स्थिति सुधरने से नाउम्मीद होकर अन्ततः पुलिस की शरण ली। मुख्य तथ्य यह है कि बलात्कार के लगभग आधे प्रकरण में पुलिस को विलम्ब से सूचना दी गयी जबकि उत्पीड़ित की शीघ्र चिकित्सीय जाँच व उपचार स्वयं उत्पीड़िता व घटना के साक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा सम्बन्ध में स्वयं उत्पीड़िता अथवा उनके परिवारीजन सामाजिक निन्दा, लोकलाज, लोगों की चर्चा का केन्द्र तथा प्रतिष्ठा के भय आदि कारणों से घटना के खुलासे से डरते है साथ ही पुलिस व न्यायालीय व्यवस्था के अन्तर्गत पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों से होने वाली भावनात्मक हानि, पुलिस व न्यायिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास तथा हिंसक से परिचय एवं सगे सम्बन्धियों की सलाह आदि सम्बन्धी कारणों से भी अनेक प्रकरण पुलिस में विलम्ब से अथवा दर्ज ही नहीं किये जाते। इसी प्रकार सामाजिक व मनोवैज्ञानिक तौर पर उत्पीड़ितों के अभिभावकों द्वारा अपने नजदीकी सामाजिक दायरे से, घटना की दर्जगी आदि के सम्बन्ध में सहायता व सलाह विशेष महत्व रखती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी अनौपचारिक व अन्तः वैयक्तिक सम्बन्धों के रूप में प्राथमिक समूह का हमारी संस्कृति में एक विशेष महत्व है। अतः बलात्कार, अपहरण, दहेज प्रताड़ना आदि हिंसाओं में पीड़ित पक्ष द्वारा सलाह एवं सहायता हेतु अपने निकटतम परिचितों की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक है।

प्रस्तुत अध्ययन में घटना के सम्बन्ध में पुलिस को विलम्ब से सूचित करने का कारण जानने के उद्देश्य से एकत्रित तथ्यों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका पुलिस को विलम्ब से सूचित करने के कारणों की जानकारी 5.47

क्र. सं.	प्रमुख कारण	बलात्कार		अपहरण		छेड़-छाड़		दहेज उत्पीड़न		अन्य मासिक परिवारिक समाजिक		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	सामाजिक लोक लाज का भय	15	5	4	1.33	40	13.33	15	5	75	15	149	49.67
2.	अपराधी का भय	3	1	2	0.67	15	5	10	3.33	25	8.33	55	18.33
3.	कठिन पुलिस व न्यायालयीय प्रक्रिया में असन्तोष	5	1.67	3	1	10	3.33	20	6.67	20	6.67	58	19.33
4.	अन्य	3	1	3	1	10	3.33	5	1.67	17	5.67	38	12.67
	योग	26	8.67	12	4.00	25	25	50	16.67	137	35.67	300	100

विभिन्न हिंसाओं की शिकार 300 उत्पीड़ितों से पुलिस को विलम्ब से सूचना देने सम्बन्धी पूँछे गये कारणों की तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 49.67 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार सामाजिक लोकलाज व आलोचना के भय से पुलिस को देर से सूचित किया गया। इनमे अपहरण की 1.33 प्रतिशत, बलात्कार की 5 प्रतिशत, दहेज उत्पीड़न की 5 प्रतिशत, तथा छेड़-छाड़ की 13.33 प्रतिशत उत्पीड़ित शामिल है। अपराधी के दबदबे के भय से पुलिस को विलम्ब से घटना दर्ज करने वालों का प्रतिशत 18.33 प्रतिशत पाया गया, इनमें छेड़-छाड़ की

शिकार सर्वाधिक 5 प्रतिशत उत्तरदाता शामिल है। पुलिस विवेचना तथा न्यायिक पूँछ-ताँछ के दौरान किये जाने वाले सवालों सम्बन्धी कठिन परीक्षा के भय से 19.33 प्रतिशत प्रकरणों में पुलिस में विलम्ब से सूचना दर्ज करायी गयी। जबकि अन्य कारणों सम्बन्धी 12.67 प्रतिशत प्रकरणों में पुलिस व न्याय के प्रति अविश्वास, हिंसक के परिचित होने के कारण, सलाह मशविरा में विलम्ब के कारण जबकि दहेज के प्रकरणों में मुख्यतः समय के साथ स्थिति सुधरने की आशा के कारण पुलिस में विलम्ब से घटना दर्ज की गई।

पुलिस प्रतिक्रिया -

किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक संगठन एवं स्थिरता रखने एवं जनमानस की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की आवश्यकता होती है। अपराधों एवं हिंसाओं में कभी पुलिस की तत्परता एवं कुशलता पर निर्भर करती है किन्तु यह भी सत्य है कि हिंसक अथवा उसके सामाजिक सम्पर्क एवं रसूख के कारण, हिंसक पक्ष द्वारा जेब गर्म कर दिये जाने के कारण तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही आदि सम्बन्धी कारणों से अनेक बार पुलिस न केवल अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाती है अपितु उत्पीड़ित पक्ष को प्रताड़ित एवं हिंसक को संरक्षण देने का कार्य भी करती है। उत्पीड़ित पक्ष के प्रति सहानुभूति का अभाव, घटना की विवेचना में तथ्यों को तोड़-मरोड कर प्रस्तुत करना, हिंसा की दर्जगी सम्बन्धी आनाकानी, प्रकरण की विवेचना सम्बन्धी ढिलाई आदि कारण पुलिस व्यवस्था के प्रति आम लोगों के विश्वास को कमजोर बनाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में तत्सम्बन्धी, उत्पीड़ितों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण निम्नवत् है।

तालिका 5.48 प्रकरण दर्जगी सम्बन्धी पुलिस प्रक्रिया

क्र.सं.	पुलिस के ढुलमुल रवैया या आनाकानी	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	167	55.67
2.	नहीं	133	44.33
	योग	**300**	**100.00**

तालिका 5.49 हिंसा प्रकरण दर्जगी हेतु किया गया प्रयास

क्र.सं.	आनाकानी की स्थिति में किया गया प्रयास	संख्या	प्रतिशत
1.	वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से सम्पर्क	90	30.00
2.	प्रभावशाली व्यक्ति की मदद	100	33.33
3.	अन्य	110	36.67
	योग	**300**	**100.0**

तालिका से स्पष्ट है कि 55.67 प्रतिशत उत्पीड़ितों के अनुसार पुलिस ने घटना दर्ज करने में आनाकानी की एवं आसानी से हिंसा को दर्ज नहीं किया। हिंसक के विरूद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु किये गये प्रयासों में सर्वाधिक 52.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार किसी राजनीतिक नेता, समाजसेवी या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव से पुलिस द्वारा घटना दर्ज की गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से सम्पर्क के माध्यम से घटना दर्ज करने वालों का प्रतिशत 29.94 पाया गया जबकि 32.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस हेतु अन्य प्रयास करना पड़ा जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से पुलिस वालों के हाथ-पैर जोड़े गये, उन्हें

रिश्वत दी गई तथा कुछ प्रकरणों के जन सहयोग से पुलिस थाने पर प्रदर्शन भी किया गया।

तालिका कमांक 5.50

पूँछ-ताँछ के दौरान पुलिस का व्यवहार

क्र.सं.	पुलिस का व्यवहार	संख्या	प्रतिशत
1.	सहानुभूतिपूर्ण	189	63.00
2.	उपेक्षात्मक	75	25.00
3.	सामान्य	36	12.00
	योग	**300**	**100.00**

तालिका से स्पष्ट है कि 63.5 प्रतिशत उत्पीड़ितों के अनुसार पुलिस ने पूँछ-ताँछ आदि के दौरान उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण एवं सहयोगात्मक व्यवहार किया जबकि सर्वाधिक 25 प्रतिशत प्रकरणों में उत्तरदाताओं ने पुलिस के व्यवहार ने न केवल रूपेखन की शिकायत की बल्कि उनके अनुसार पुलिस ने उनकी शिकायत को गम्भीरता से नहीं लिया तथा उनके विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गयी। शेष 12 प्रतिशत प्रकरणों में पुलिस के सामान्य व्यवहार सम्बन्धी प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी जिसके अन्तर्गत उत्तरदाताओं के अनुसार पुलिस ने उनके प्रति कोई खास सहानुभूति का प्रदर्शन नहीं किया एवं अपनी दिनचर्या के रूप में घटना के सम्बन्ध में कार्यवाही की।

तालिका क्रमांक 5.51

पुलिस कार्यवाही के प्रति संतुष्टि सम्बन्धी प्रतिक्रिया

क्र.सं.	सन्तुष्ट हैं	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	195	65.00
2.	नहीं	105	35.00
	योग	**300**	**100.00**

प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही के प्रति संतुष्टि सम्बन्धी उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि एक तिहाई से भी कम 65 प्रतिशत उत्तरदाता पुलिस कार्यवाही के प्रति संतुष्टि व्यक्त करती है। जबकि अधिकांश 35 प्रतिशत उत्पीड़ित प्रकरण में पुलिस द्वारा की गयी विवेचना व कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं है। अधिकांश उत्पीड़ितों के अनुसार प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव तथा रिश्वत लेकर पुलिस हिंसक पक्ष से मिल गई एवं प्रकरण में साक्ष्यों को छुपाया गया तथा तथ्यों को तोड-मरोड कर प्रस्तुत किया गया।

यद्यपि प्रस्तुत अध्ययन में पुलिस के व्यवहार सम्बन्धी प्रतिक्रियाएँ व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है क्योंकि प्रकरणों की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों से तत्सम्बन्धी साक्षात्कार नहीं लिया गया है। तथापि व्यवस्था के मूल्यॉकन की दृष्टि से यह प्रतिक्रियाएँ महत्वपूर्ण हैं जो व्यवस्था के प्रति जनभावनाओं को प्रकट करती है।

महिला हिंसा प्रकरण में की गई कार्यवाही सम्बन्धी विपरीत प्रतिक्रिया -

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा सम्बन्धी अनेक प्रकरण जन-आलोचना, सामाजिक अपमान, प्रतिष्ठा का भय तथा अन्य सामाजिक कारणों से पुलिस में दर्ज ही नहीं किये जाते। यदि पीड़ित पक्ष द्वारा न्याय प्राप्ति हेतु प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस कार्यवाही की जाती है तो प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक बार उन्हें विभिन्न विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। हिंसक पक्ष द्वारा पीड़ित पक्ष को धमकाने व अन्य तरीकों से प्रकरण को प्रभावित करने की चेष्ठा की जाती है तथा पुलिस के साथ मिलकर अथवा राजनीतिक प्रभाव से प्रकरण वापसी हेतु पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाया जाता है अनेक बार स्वयं के रिश्तेदार सगे सम्बन्धी भी पुलिस कार्यवाही करने पर खानदान की इज्जत समाज में अपमान के भय से पीड़ित पक्ष के विरोधी हो जाते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में पीड़ित पक्ष द्वारा की गई कार्यवाही की विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तरदाताओं ने मुख्यतः निम्न प्रतिक्रियायें व्यक्त की-

सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार हिंसक या उसके सगे सम्बन्धियों द्वारा प्रकरण वापसी हेतु उन पर दबाव डाला गया जिसके लिए उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी गई। उनके उत्पीड़ितों ने पुलिस प्रताड़ना पुलिस के हिंसक से मिले होने तथा प्रकरण वापसी हेतु पुलिस के दबाव सम्बन्धी प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रकरण में अपराधी पक्ष द्वारा समझौते का प्रयास, गवाहों को प्रभावित करने की चेष्ठा तथा स्वयं हिंसक अथवा उसके परिवार वालों द्वारा अनुनय-विनय सम्बन्धी प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों का प्रतिशत क्रमशः पाया गया।

कुछ उत्तरदाताओं ने स्वयं के सगे सम्बन्धियों के विरोध एवं प्रकरण वापसी हेतु दबाव सम्बन्धी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की।

पीड़ित से प्रश्नों के स्वरूप से प्रत्युत्तर में कठिनाई-

हिंसा की शिकार महिलाओं को केवल हिंसक का ही शिकार नहीं बनना पड़ता बल्कि पुलिस, न्यायालय व सुधारात्मक संस्थाओं की कार्यवाही के दौरान भी प्रताड़ना सहनी पड़ती है। बलात्कार, छेड़-छाड़ आदि की घटना की पुलिस में दर्जगी स्वयं में एक कठिन परीक्षा है। पुलिस व न्यायालयी प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्पीड़ित स्वयं को एक ऐसे माहौल में जकड़ा हुआ पाती है जो सम्बन्धित के लिए तो उनकी दैनिक दिनचर्या का अंग मात्र है किन्तु उत्पीड़ित के लिए विल्कुल नया और कष्टदायक होता है। पुलिस व न्यायालयीय प्रक्रिया के दौरान न चाहते हुए भी उत्पीड़ित को स्वयं के साथ घटित अमानवीय व अनैतिक घटना को पुनः पुनः स्मरण करने के लिए विवश होना पड़ता है। व्यवस्था द्वारा उससे घटना के सम्बन्ध में ऐसे-ऐसे सवाल किये जाते हैं जैसे वास्तव में हिंसा उसके विरूद्ध नहीं बल्कि स्वयं उसके द्वारा ही किया गया हो अथवा वह स्वयं इसमें सहभागी हो। मुख्यतः भारतीय सामाजिक व्यवस्था व संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में उत्पीड़ित द्वारा यह स्वीकार करना कि उसके साथ बलात्कार किया गया है अथवा उसका पति दहेज हेतु उसे प्रताड़ित करता है स्वयं में एक कठिन कार्य है। विपरीत इसके उससे तत्सम्बन्धी ऐसे सवाल-जवाब किये जाते हैं जिनके प्रत्युत्तर में स्वयं समाज द्वारा स्थापित स्त्री मर्यादा व लोकलाज के कारण उसे कठिनाई

होती है और इसी का भरसक नाजायज फायदा अपराधी पक्ष के वकील द्वारा उठाया जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन की उत्पीड़ितों से तत्सम्बन्धी प्रश्नों के प्रत्युत्तर में कठिनाई सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं का संकलन किया गया जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्र0 5.52 पीड़ित महिलाओं से प्रश्नों के प्रत्युत्तर में परेशानी सम्बन्धी प्रतिक्रिया

क्र.सं.	परेशानी हुई	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	168	56.00
2.	नहीं	132	44.00
	योग	**300**	**100.00**

तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि विभिन्न अपराधों की शिकार सर्वाधिक 56 प्रतिशत महिला उत्पीड़ितों के अनुसार पूँछ-ताँछ के दौरान उनसे ऐसे सवाल किये गये जिनके उत्तर में लोकलाज या स्त्री मर्यादा के कारण उन्हें परेशानी हुई। गहन विश्लेषण में पाया गया कि बलात्कार व छेड़-छाड़ की शिकार महिलाओं को तुलनात्मक रूप से अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। 44 प्रतिशत उत्पीड़ितों ने इस सम्बन्ध में नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की।

पति व्यवहार -

महिलाएँ बड़ा से बड़ा गम भूल सकती है तथा बड़े से बड़ा कष्ट सहन कर सकती है यदि उसे पति का भरपूर सहयोग व साथ

मिले। इस दृष्टि से हिंसा की शिकार महिलाओं के प्रति उनके पति का व्यवहार अहम भूमिका निभाता है। हिंसाग्रस्त महिला के प्रति उसके जीवनसाथी का सहयोग व सहानुभूति जहाँ हिंसक को उसके किये की सजा दिलाने में सहायक है वहीं पीड़ित को हुई मानसिक व भावनात्मक क्षतिपूर्ति हेतु अत्यावश्यक है। इसके विपरीत उत्पीड़ित के प्रति स्वयं के जीवन साथी का उपेक्षात्मक व विरोधी रवैया वैयक्तिक एवं पारिवारिक विघटन के रूप में अनेक समस्याएँ उत्पन्न करता है। शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन में विवाहित उत्पीड़ितों से घटना के पश्चात पति के व्यवहार सम्बन्धी एकत्रित जानकारी की व्याख्या को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 5.53
पति का व्यवहार

क्र. सं.	प्रतिक्रिया	बलात्कार		छेड़-छाड		दहेज		अन्य मासिक पारिवारिक व सामाजिक		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	सहयोगात्मक	10	3.33	45	15	35	11.67	95	31.62	185	61.67
2.	उपेक्षात्मक	12	4	21	7	10	3.33	40	13.33	83	27.33
2.	तनाव पूर्ण या विरोधी	4	1.33	9	3	5	1.67	14	4.67	32	10
	योग	26	8.66	75	25	50	16.67	147	49.67	300	100

उपर्यक्त तालिका से स्पष्ट है कि हिंसा की शिकार महिलाओं के प्रति उनके पति का व्यवहार हिंसा की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रस्तुत अध्ययन में 61.67 प्रतिशत महिलाओं ने पति के सहयोगात्मक व्यवहार सम्बन्धी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जबकि अधिकाँश महिलाओं

के अनुसार उनके पति का व्यवहार सामान्यतः तनावपूर्ण या विरोधी 10 प्रतिशत अथवा उपेक्षात्मक 27.33 प्रतिशत ही अधिक रहा है। उल्लेखनीय है कि बलात्कार की शिकार बहुसंख्यक महिलाओं ने घटना के पश्चात पति के व्यवहार को तनावपूर्ण तथा उपेक्षात्मक बताया है। दहेज उत्पीड़न की अधिकाँश महिलाओं के अनुसार उनके पति का व्यवहार विरोधी या उपेक्षात्मक है। किन्तु उन तीन महिलाओं जिनके पति प्रताड़ना में शामिल नहीं थे इस सम्बन्ध में पति के सहयोगात्मक व्यवहार सम्बन्धी प्रतिक्रिया व्यक्त की। महिलाएँ घटना के पश्चात अन्ततः पति के साथ ही रह रही हैं।

छेड़-छाड़ की शिकार आधी से अधिक 15 प्रतिशत महिलाओं ने घटना के पश्चात पति के सहयोगात्मक व्यवहार सम्बन्धी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किन्तु शेष पीड़ितों के पति का व्यवहार उपेक्षात्मक 7 प्रतिशत तथा तनावपूर्ण या विरोधी 3 प्रतिशत रही है।

पीड़िता के पारिवारिक सदस्यों का व्यवहार -

हिंसाग्रस्त महिलाओं के प्रति उनके पारिवारिक सदस्यों का व्यवहार अहम् है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग व सहानुभूति उत्पीड़ित को मानसिक व मनोवैज्ञानिक तौर पर राहत हेतु आवश्यक है। यौन अपराधों की शिकार महिलायें एक प्रकार के मानसिक सन्ताप तथा आत्मग्लानि व पाप की पीड़ा से ग्रस्त होती है ऐसी स्थिति में उनके निकटतम पारिवारिक सदस्यों का व्यवहार उन्हें नैतिक सहयोग प्रदान करता है तथा उन्हें हिंसा बोध की भावना से उबारता है। प्रस्तुत अध्ययन में पारिवारिक सदस्यों के व्यवहार सम्बन्धी उत्पीड़ितों की प्रतिक्रियाएँ निम्न तालिका में दर्शायी गयी है।

पीड़िता के पारिवारिक सदस्यों का व्यवहार

तालिका क्रमांक 5.54

क्र.सं.	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1.	सहयोगात्मक	169	56.33
2.	उपेक्षात्मक	97	32.33
3.	सामान्य	34	11.34
	योग	300	100

आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात मात्र 56.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ही पारिवारिक सदस्यों का सहयोग व सहानुभूति प्राप्त हुई, जबकि 32.33 प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक सदस्यों की उपेक्षा का शिकार हुई। 11.34 प्रतिशत महिलाओं ने पारिवारिक सदस्यों के सामान्य व्यवहार सम्बन्धी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

घटित घटना हेतु उत्पीड़िता को दोषी माना जाना-

उत्पीड़िता से यह जानने के लिए कि क्या एक बार हिंसा की शिकार होने पर रिश्तेदार व सगे सम्बन्धी पीड़ित महिला को ही दोषी मान लेते है? उनकी प्रतिक्रियाओं का संकलन तत्सम्वन्धी प्रतिक्रियाएं निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है।

तालिका क्रमांक 5.55

सगे सम्बन्धियों द्वारा घटना हेतु उत्पीड़ित को दोषी माना जाना

क्र.सं.	उत्पीड़ितों का अनुभव	संख्या	प्रतिशत
1.	पूर्ण सत्य	175	58.33
2.	आंशिक सत्य	75	25
3.	असत्य	50	16.67
	योग	**300**	**100.0**

एक बार हिंसा का शिकार होने पर रिश्तेदार व सगे सम्बन्धी पीड़ित महिला को ही दोषी मान लेते हैं, इस मत से पूर्ण सरोकार रखने वाली उत्तरदाताओं का प्रतिशत आधे से भी अधिक 58.33 प्रतिशत पाया गया। जबकि 25 प्रतिशत उत्पीड़ित इस हिंसा की प्रकृति व स्वरूप के अनुसार आंशिक रूप से सत्य मानती है, किन्तु लगभग 16.67 प्रतिशत उत्पीड़ित इस सम्बन्ध में अपनी असहमति व्यक्त करती है।

पड़ोसियों का व्यवहार -

हिंसा की शिकार महिलाओं के प्रति उनके पड़ोसियों के व्यवहार सम्बन्धी उत्पीड़ितों की प्रतिक्रियाओं को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक लगभग दो तिहाई 65.0 प्रतिशत उत्पीड़ितों के अनुसार घटना के पश्चात् सामान्यतः उनके पड़ोसियों का व्यवहार उनके प्रति उपेक्षात्मक 38.1 प्रतिशत तथा कुछ-कुछ

बदला हुआ 26.9 प्रतिशत था। जबकि 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पड़ोसियों का व्यवहार उनके प्रति पूर्व की भाँति सहयोगात्क तथा सहानुभूतिपूर्ण रहा।

घटना के पश्चात् पड़ोसियों के पूर्ववत् सहयोगी व्यवहार सम्बन्धी प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों में 6000 रुपये से अधिक पारिवारिक मासिक आय वाले 53.1 प्रतिशत, महाविद्यालयीय शिक्षित 43.5 प्रतिशत तथा उच्च जाति के 41.0 प्रतिशत उत्तरदाता शामिल हैं।

यद्यपि अधिकांशतः उत्तरदाताओं ने घटना के पश्चात् पड़ोसियों के उपेक्षात्मक व परिवर्तित व्यवहार सम्बन्धी प्रतिक्रिया व्यक्त की, किन्तु इनमें 3000 से 6000 रुपये पारिवारिक मासिक आय वाले, पिछड़ी जाति के तथा अशिक्षित उत्तरदाताओं का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से अधिक पाया गया।

तालिका क्रमांक 5.56 पड़ोसियों के व्यवहार सम्बन्धी प्रतिक्रिया

क्र. सं.	पड़ोसियों का व्यवहार	शैक्षणिक स्थिति						जाति						पारिवारिक मासिक आय						योग	
		अशिक्षित		स्कूली		महा0 शिक्षा		उच्च		पिछड़ी		निम्न		3000रु0 तक		3000रु0 से 5000 रु0 तक		6000रु0 से अधिक			
		स0	प्र0	स0	प्र0	स0	प्र0	स0	प्र0	स0	प्र0	स0	प्र0	स0	प्र0	स0	प्र0	स0	प्र0	स0	प्र0
1.	पहले जैसा	12	4	15	5	9	3	10	3.33	16	5.33	13	4.33	18	6	9	3	10	3.33	112	73.33
2.	कुछ-कुछ बदला हुआ	10	3.33	9	3	3	1	3	1	20	6.67	9	3	12	4	6	2	3	1	75	25
3.	उपेक्षात्मक	14	4.67	20	6.67	6	2	15	5	13	4.33	12	4	15	5	12	4	6	2	113	37.67
	योग	36	13.	44	14.67	18	57	28	9.33	49	16.43	34	11.33	45	15	27	9	19	6.33	300	100

मित्रों एवं सहयोगियों का व्यवहार सम्बन्धी
तालिका क्रमांक 5.57

क्र.सं.	प्रतिक्रिया 46	संख्या	प्रतिशत
1.	सहयोगात्मक	147	49
2.	उपेक्षात्मक	85	28.33
3.	कुछ विशेष नहीं	68	22.67
	योग	33	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि हिंसा की शिकार कुल 49 प्रतिशत उत्पीड़ित महिलाएँ घटना के पश्चात अपने मित्रों व सहयोगियों के व्यवहार को सहयोगात्मक पाती है, जबकि 28.33 प्रतिशत उत्पीड़ित अपने सहयोगियों के उपेक्षात्मक व्यवहार से दुखी हैं। 22.67 प्रतिशत उत्पीड़ितों ने अपने सहयोगियों के व्यवहार सम्बन्धी अनुकूल या प्रतिकूल टिप्पणी न करते हुए सामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

समाज के अन्य लोगों का व्यवहार -

महिलाओं के घर गृहस्थी के दैनिक कार्यों तथा व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक संस्थाओं, समितियों एवं व्यक्तियों के सामाजिक सम्पर्क एवं सहयोग की आवश्यकता होती है। अतः प्राथमिक समूहों के अतिरिक्त समाज के अन्य लोगों का उत्पीड़ितों के प्रति व्यवहार सम्बन्धी संकलित तथ्यों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

समाज के अन्य लोगों का व्यवहार

तालिका- क्रमांक 5.58

क्र.सं.	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1.	सहयोगात्मक	158	52.67
2.	उपेक्षात्मक	47	15.67
3.	सामान्य	95	31.67
	योग	**300**	**100**

ग्राफ में घटना के पश्चात् उत्पीड़ितों के प्रति पारिवारिक सदस्यों तथा मित्र व सहयोगियों का व्यवहार

एकत्रित तथ्यों के विशेलषण से स्पष्ट है कि 31.34 प्रतिशत उत्पीड़ितों ने उनके प्रति समाज के अन्य लोगों के सामान्य व्यवहार सम्बन्धी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यद्यपि कुछ महिलाओं के अनुसार समाज के अन्य लोग उनसे सहानुभूति रखते हैं एवं उन्हें यथा सम्भव सहयोग प्रदान करते हैं। किन्तु 15.67 प्रतिशत महिलाएँ तत्सम्बन्धी उपेक्षात्मक व्यवहार से क्षुब्ध हैं।

उत्पीड़ित महिलाओं के प्रति सहानुभूति का प्रतिष्ठा पर प्रभाव -

सामान्यतः बलात्कार, अपहरण, छेड़-छाड़ आदि की शिकार महिलाओं के भावात्मक सहयोग व सहानुभूति की आवश्यकता होती है ताकि सम्बन्धित महिला मानसिक तौर पर स्वयं को मजबूत कर सके किन्तु अनेक बार स्थिति ठीक इसके विपरीत होती है। बलात्कार, छेड़-छाड़ आदि की शिकार अनेक महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा उनसे बातचीत व मेल-मिलाप को स्वयं की प्रतिष्ठा के विरूद्व

माना जाता है। उत्पीड़ितों से मेल-मिलाप के सम्बन्ध में उनके सहयोगियों या पड़ोसियों को उनके परिवारजन द्वारा प्रतिबन्धित भी किया जाता है तथा उत्पीड़ितों द्वारा सहयोग या सहानुभूति की अपेक्षा में उनसे मुंह फेर लिया जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में हिंसाग्रस्त महिलाओं से यह जानने के उद्देश्य से कि क्या लोग ऐसा मानते हैं कि उनके साथ सहयोग या सहानुभूति दिखाने से समाज में उनकी प्रतिष्ठा गिरेगी, प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्रित आंकड़ों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 5.59

सहानुभूति का प्रतिष्ठा पर प्रभाव सम्बन्धी प्रतिक्रिया

क्र.सं.	प्रतिष्ठा गिरेगी	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	189	63
2.	नहीं	111	37
	योग	**300**	**100**

स्पष्ट है कि लोगों की ऐसी मान्यता है कि उत्पीड़ितों के साथ सहयोग या सहानुभूति दिखाने से समाज में उनकी प्रतिष्ठा गिरेगी, के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रस्तुत अध्ययन के उत्तरदाता लगभग बराबर-बराबर वटे हैं। उल्लेखनीय है कि 63 प्रतिशत उत्पीड़ितों के अनुसार कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उनके साथ अनुकूल व्यवहार से समाज में उनकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अध्याय–6

हिंसा की शिकार महिलाओं का संरक्षण एवं पुनर्वास

हिंसा की शिकार महिलाओं का संरक्षण एवं पुनर्वास-

प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था सन्तुलन एवं संगठन के उद्देश्य से अपने सदस्यों को प्रस्थिति एवं भूमिका प्रदान करती है यह प्रस्थिति एवं भूमिका सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक सन्तुलन को बनाये रखने के लिये विभिन्न संगठन एवं संस्थायें महिलाओं के पुनरुत्थान का प्रयास करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के सदस्य के रूप में वह अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहती है। इस प्रक्रिया में वह अपने व्यवहार को सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप मर्यादित रखते हुये परिवार एवं समाज में एक सम्मान जनक स्थिति प्राप्त करने की परिकल्पना को साकार करती है।

भारत में सभी धर्म, जाति वर्ग व सम्प्रदाय की महिलाओं को अनेक कानूनी अधिनियमों के द्वारा उनके अधिकारों के संरक्षण व सुरक्षा प्रदान की गई, तथा महिलाओं के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम तथा कल्याणकारी योजनाएँ भी संचालित की जा रही हैं, जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके ताकि राष्ट्र के समुचित विकास में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। यह सर्व विदित है कि वर्तमान में भारत सरकार प्रयासरत है, महिलाओं के विकास की दिशा को निर्धारित गति प्रदान करने में योजनाएँ अनेक हैं तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी जारी है परन्तु मध्यम व निम्न मध्यम वर्गीय, दलित, ग्रामीण व पिछड़े वर्ग की महिलाऐं इन योजनाओं व कार्यक्रमों से आज भी पूर्णतः अनभिज्ञ है।

महिलाओं के विकास एवं संरक्षण हेतु एवं उनसे स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज की स्थापना के लिये उन्हे जागरूक करना होगा। तथा संरक्षण से अभिप्राय व्यक्ति अथवा वर्ग को सम्भावित शोषण से बचाये तथा पीड़ित होने की दशा में उसके कुप्रभावों को अधिकतम से न्यूनतम् करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास एवं सुझावों को प्रस्तुत करना होगा ताकि उसे समाज में पुनः सम्मानित स्थिति में पुर्नवासित किया जा सके।

संरक्षण एवं पुर्नवास अलग-अलग विभिन्न अवधारणायें है यद्यपि संरक्षण की अपेक्षा पुर्नवास का महत्व अधिक है क्योंकि संरक्षण के लिये कानून बनाने सम्बन्धी विधायी प्रयत्नों से व्यक्ति को संरक्षण मिल जाता है या संरक्षण प्राप्त होने का प्रावधान कर दिया जाता है।

महिलाएँ अशिक्षित होने के कारण चहार दिवारी में प्रतिबन्धित रहीं जिससे उनका सही संरक्षण व विकास नहीं हो सका।

अतः सरकार व स्वयं सेवी संगठनों तथा महिला आयोग का दायित्व है कि यर्थाथ धरातल पर इन योजनाओं को लागू करने हेतु उनका प्रचार-प्रसार जोर शोर से विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मीडिया व विज्ञापनों लघु डाकूमेंट्रीज फिल्मों तथा नुक्कड़ नाटकों द्वारा करें ताकि इन योजनाओं को देश के कोने-कोने व घर-घर पहुँचाया जा सके। भारत में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु जिन विभिन्न योजनाओं को प्रारम्भ किया गया है। उनका पूर्ण लाभ हिंसा ग्रस्त महिला एवं बालिकाएँ भी उठा सकती है।

महिला सशक्तीकरण एवं पुर्नवास हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें चलाई जा रही है।[1]

---

1. डा० प्रज्ञा शर्मा - भारतीय समाज में नारी : प्वाइन्टर पब्लिसर्स, ब्यास बिल्डिंग एस०एम०एस० हाइवे जयपुर, पृष्ठ-116.

तालिका नं० 6.1

क्रम.	योजना का नाम	प्रारम्भ करने का वर्ष	योजना का मुख्य उद्देश्य
1.	ड्वाकरा योजना	1982	ग्रामीण क्षेत्रों की सभी महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार, स्वचछता तथा शिशुओं की देखभाल करने जैसी मूलभूत सेवाएँ प्रदान करना।
2.	न्यू मॉडल चर्खा योजना	1987	ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर उलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण तथा अनुदान प्रदान कर स्वावलम्बी बनाना।
3.	नौराड प्रशिक्षण	1989	महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों, जैसे-
	योजना		दरी, चिकन, ब्लाक, प्रिटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण क्षेत्रों का आयोजन कर उन्हें आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित करना।
4.	महिला समाख्या योजना	1989	ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को समानता और सजगता के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना।
5.	माता एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	1992	माँ और शिशु को पोषाहार उपलब्ध कराकर सुरक्षित मातृत्व तथा टीकाकरण आदि के माध्यम से शिशुओं तथा मात् मृत्युदर में कमी लाना।

6.	किशोरी बालिका योजना	1992	गरीब परिवारों की बालिकाओं को समुचित स्वास्थ्य एवं पोषण और शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
7.	महिला समृद्धि योजना	1993	ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत आदात डालना और उन्हें सशक्त बनाना।
8.	राष्ट्रीय महिलाकोश	1993	गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु उत्पादन गतिविधियों के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाना।
9.	राष्ट्रीय मातृत्वलाभ योजना	1994	गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को प्रसूति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
10.	इन्दिरा महिला योजना	1995	ग्रामीण व शहरी गन्दी बस्तियों की की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बन प्रदान करना।
11.	मार्जिनमनी ऋण योजना	1995	महिलाओं को स्वतःरोजगार प्रारम्भ कराने हेतु बैंकों से ऋण तथा मार्जिन मनी उपलब्धी कराकर उन्हें आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करना।

12.	ग्रामीण महिला विकास परियोजना	1996	ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना उन्हें जागरूक बनाना तथा भेदभाव को समाप्त करना।
13.	राज राजेश्वरी बीमा योजना	1997	गरीबी की रेखा के नीचे की बालिकाओं में महिलाओं को बिना किसी प्रीमियम के भुगतान पर विकलांगता की स्थिति में आत्मसम्मान के साथ जीवन-निर्वाह हेतु एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करना।
14.	बालिका समृद्धि योजना	1997	गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों में जन्म लेने वाली बालिका की माता को पौष्टिक आहार। बालिका की कक्षा 10 तक पढ़ाई हेतु नकद शैक्षिक अनुदान देकर सहायता प्रदान करना।
15.	कन्या विद्या धन	2003	योजना
16.	बालिका छात्रवृत्ति योजना		
17.	स्वयं सहायता समूह		

हिंसाग्रस्त महिलाओं एवं बालिकाओं के विकास और कल्याण के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही है उनके मुख्य रूप से पंचधारा योजना, महिला डेरी योजना, अपनी बेटी अपना धन योजना, कामधेनु योजना महाराष्ट्र, बालिका संरक्षण योजना आंध्रप्रदेश एवं महिला उत्थान योजना उत्तर प्रदेश की प्रमुख है –

1.	पंचधारा योजना	1991	ग्रामीणे एवं आदिवासी महिलाओं के विकास के विकास हेतु एवं कल्याण हेतु पाँच योजनाओं का संचालन करना।
2.	महिला डेयरी	1991	ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक लाभ के कार्यक्रमों से जोड़कर उनमें नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना और उन्हें पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय अपनाने हेतु प्रेरित करना।
3.	'अपनी बेटी अपना धन' योजना	1994	पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति की नवजात बालिकाओं को इन्दिरा विकास-पत्र के माध्यम से आर्थिक संरक्षण प्रदान करना।
4.	कुँवर बाइनुं मामेरू योजना	1995	गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु वित्तीय सहायक उपलब्ध कराना।
5.	कामधेनु योजना	1995	अपंग, परित्यक्त निराश्रित महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
6.	बालिका संरक्षण योजना	1996	निर्धनतम परिवारों की बालिकाओं को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा तथा उनके विवाह को सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।

7.	महिला उत्थान योजना	1998	ग्रामीण निर्धन महिलाओं को शिक्षा स्वास्थ्य सफाई तथा आर्थिक गतिविधियों की जानकारी के साथ आर्थिक सहायता प्रदान करना।
8.	कन्या विद्या धन योजना	2003	ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की निर्धन छात्राओं की उच्च्य शिक्षा हेतु नकद धनराशि 20 हजार रुपए प्रदान करना।

भारत में आजादी के पूर्व आजादी के पश्चात बड़ी तेजी के साथ सामाजिक परिवर्तन हुये अजादी के पहले का भारत तमाम प्रकार की समस्याओं एवं सामाजिक बंधनों से प्रतिबन्धित था परन्तु आजादी के बाद बहुत से वैज्ञानिक परिवर्तन हुये समाज में चेतनता को धारा आयी बहुत सी महिलाओं के पुनर्वास एवं संरक्षण के लिये संवैधानिक नियम व कानून बनाये गये जिससे हिंसा ग्रहस्त महिलाओं का शोषण कम से कम हो। इस दिशा में केन्द्र व राज्य सरकारों के निरन्तर प्रयास, स्वैच्छिक संगठनों और गैरसरकारी संस्थानों की भागीदारी और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों व संगठनों के सहयोग से महिलाओं की स्थिति में आशातीत सुधार भी आया है, विकास की गति ने सभी धर्म जाति, वर्ग व क्षेत्र की महिलाओं को स्पर्श किया है, हिंसाग्रस्त महिला वर्ग भी इस गतिशील विकास के स्पर्श से फलीभूत हुआ है, विकास का सवेरा उनके दबे-कुचले अस्तिल को भी झकझोर चुका है, यदि हिंसा ग्रस्त महिलाएँ दृढ़ आत्मविश्वास के साथ खोखली मान्यताओं व अन्ध विश्वासों से लड़ने का साहस

करती हैं तो वह स्याह कालीरात जो उनका भाग्य बनकर उन पर छा गई है, वे उसको चीरती हुई अगली सुबह की ओर चल पड़ेंगी।

बेवजह, दबना कुचलना,
यूँ ही घुट-घुट कर जीना।
ऐसी तकदीर को अब,
अपनी तदबीर से बदलना होगा।
स्याह अंधेरों से गुजरकर तुझे,
सुबह की उजली किरण बनना होगा।

बदलते हुये सामाजिक परिवेश में जब हर चीज बदलती जा रही है तो हिंसा ग्रस्त महिलाओं की रहगुजर में भी बाधक बनी कट्टर रूढ़िवादिता एवं सामाजिक आरोप एवं प्रत्यारोप महिलाओं के विकास एवं पुर्नवास में बाधक बनते है। ''अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगोष्ठी 1965 द्वारा दी गयी परिभाषा के अनुसार ''पुनर्वास का अर्थ विकलांग व्यक्तियों की यथा सम्भव शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक एवं आर्थिक उपयोगिताओं को पुनः स्थापित करने से लगाया जाता है। जिसके लिये वे सक्षम होते हैं।''[1] इस परिभाषा में पुनर्वास को केवल शारीरिक रूप से विकलांग पीडितों के सन्दर्भ में विश्लेषित करते हुए शारीरिक रूप से विकलांग पीडितों के सन्दर्भ में विश्लेषित करते हुए इसे सीमित अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। जबकि विल्ड[2] ने इसकी परिभाषा व्यापक अर्थों में की है -

1. Rehabilitation means restoration of the handicapped to the fullest physical, mental, social, vocational and cconemic usefulness of which thay are capable, social Welfare, Vol. XIX No. 1, April 1972, P.28.
2. Henry Cecil Wyld : The University of English dictionary of the english language, Rowledge and Keganappaul Ltd. Broadwayh House Centre lane, London, 1968.

"------------to make fit or able for liabilis to restore to former estate position to establish in good repute, restore to forfitted. Rehabilitation. state of being rehabilitated, restoration to esteem in reputaton."

वास्तव में आज हिंसागृस्त महिलाएँ विकास व प्रगतिशीलता के नाम पर आधुनिकता एवं भौतिकवादिता की अन्धी दौड़ में उनका उस्तित्व हमेंशा खतरे में रहता है हिंसाग्रस्त महिलाएँ समाज के लिये अहितकर नहीं होती अपितु वह अपने जीवन को संरक्षण एवं पुनर्वास के द्वारा प्रगतिशील बनाने का प्रयास करती है। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होना चाहिये। आज भौतिकवादिता ने महिलाओं को प्रखर व मुखर बनाया है उनमें आत्मविश्वास भी जागा हैं।

वर्तमान में महिलाओं का अपने प्रति सचेत होना आवश्यक है, परन्तु सौन्दर्य प्रतियोगिताओं व फैशन एवं मॉडलिंग के नाम पर देह प्रदर्शन महिला अस्मिता के लिए शुभकलदायी नहीं, आज फैशन व ग्लैमर का बाजार गर्म है, महिलाओं की खुली देह के दाम असमान छू रहे हैं, पुनः उन्हें वस्तु के रूप में बेचा व खरीदा जा रहा है। पैसे व भौतिक संसाधनों की चाह ने महिलाओं को विकाऊ बना दिया है, जिस तरह से आज महानगर, हमारे देश की राजधानी में काल गर्ल्स रैकटों का भण्डाफोड़ हो रहा है और जो तथ्य उजागर हो रहे हैं उनसे स्पष्ट है कि धन लालसा में अच्छे-अच्छे सम्भ्रान्त परिवारों की महिलाएँ या लड़कियाँ इस अनैतिक व्यापार को दुनिया में कदम रख चुकी हैं, क्योंकि इतने कम समय में अधिक से अधिक धन की चाह केवल ऐसे ही प्राप्त हो सकती है। आज महिलाओं की स्थिति आय के आधार

पर उन्हें 5 हजार से एक लाख तक एक रात में प्राप्त हो जाता है, तरन्नुम हों या शबनम या अच्छे परिवारों से सम्बन्ध होने पर भी केवल पैसे के कारण देह व्यापार की ओर आकर्षित हुई और आज घोर त्रासदी का शिकार हैं, फैशन के नाम पर निगार खान ने रैम्प पर टॉप उतार दिया, परन्तु बदले में मिला पति द्वारा तलाक, क्योंकि आज भी हम चाहे जितने आधुनिक हो जाएँ लेकिन हमारी धार्मिक सांस्कृतिक जड़ें वही हैं, हम तथा पुरुष समाज इन जड़ों से कटा नहीं, परन्तु बाहर जाकर कुछ भी कर सकता है परन्तु उसको अपनी पत्नी की यह नग्नता रास नही आई।

महिला संरक्षण एवं पुर्नवास के द्वारा हिंसाग्रस्त महिलाओं के जीवन को सार्थक एवं कल्याणमयी बनाया जा सकता है क्योंकि हिंसाग्रस्त महिलाएँ समाज में उपस्थित एवं अस्तित्वहीन देखी जा सकती हैं। पुर्नवास के द्वारा हिंसाग्रस्त महिलाएँ अपने जीवन को सुधारकर विभिन्न उपलब्धियों के द्वारा उसको सारगर्भित कर सकती हैं जिससे उसका जीवन उचित एवं सारगर्भित बन सकता है।

संरक्षित महिलाएँ विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उनके जीवन को सुनियोजित एवं संयमित बनाने का प्रयास किया जाता है जिससे उनका जीवन विभिन्न परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित हो सके। जिस देशकाल परिस्थिति में उसका पुर्नवास होना है उसकी अपनी प्राप्ति स्थिति व विषमताये क्या है उसकी ग्राह्यता कैसी हो।

हिंसाग्रस्त महिलाओं की राह बहुत दुश्वार है, उसका अपना अस्तित्व खो-सा गया है, उसे ईश्वर द्वारा जो कुछ मिला पुरुष

ने उससे बलात् दगा देकर तथा धार्मिक कट्टरवाद के नाम पर छीन लिया, अतः यदि हिंसागृस्ता महिलाएँ अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करना चाहती है तो उन्हें अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूर्ण सजगता से चलना होगा, क्योंकि अपने स्व व अस्तित्व के प्रति सजगता ही चेतना है और उसे पाने के लिये प्रयासरत् होना ही प्रबुद्धता है। अंग्रेजी कवि **टेनीसन** की कविता 'यूलिसिस' का सार यदि हम समझ लें तो अच्छा होगा –

"खोजना पाने के लिए प्रयत्न करना, कभी न झुकना जीवन का उद्देश्य होना चाहिऐ। सद्कर्म व गरिमा रक्षण के लिए जीवनभर युद्धरत रहा जाए, तो भी श्रेयस्कर है।"

प्रस्तुत अध्याय में संरक्षण एवं पुर्नवास का विश्लेषण अपराध की शिकार महिलाओं की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के सन्दर्भ में किया गया है। बलात्कार, अपहरण, छेडछाड, दहेज प्रताड़ना आदि अपराधों का शिकार हुई महिलाओं को समाज में अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पडता हैं। पारिवारिक स्तर पर उन्हें अनेक ताने सहने पड़ते हैं उनकी उपेक्षा की जाती है, उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है। एवं उनसे भेदभाव किया जाता है। अनेक बार पारिवारिक सदस्यों द्वारा उन्हें स्वीकार ही नहीं किया जाता। जिसका कई बार कारण पारिवारिक सदस्य न होकर परिवार का मान, सम्मान और प्रतिष्ठा होती है। सम्बन्धित व्यक्ति के पुर्नवास से वर्तमान पीढ़ी ही नहीं परिवार की भावी पीढ़ी के भी प्रभावित होने का अन्देशा रहता है।

हिंसाग्रस्त महिलाएँ अपनी व्यक्तिगत व्यथा एवं द्वन्द किससे कहे क्योकि समाज उनकी सहजता को आसानी से स्वीकार नहीं

करता इसके पीछे आवश्यक रुप से महिलाएँ अपने आपको एवं मनोवैज्ञानिक बीमारियों से गृसित कर लेती हैं। बलात्कार की शिकार महिला अपने भरण पोषण के लिये हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है कभी-कभी तो उसको सामाजिक एवं पारिवारिक गरिमा भी गिर जाती है। तलाकशुदा एवं परित्यकता समाज का बोझ बन कर रहती हैं क्योंकि उसके साथ उसके परिवार के लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं सम्भालते है अपराधी द्वारा हिंसा के प्रयोग व वीभत्स व्यवहार से अनेक उत्पीड़ित शारीरिक व मानसिक क्षति या रोग का शिकार होने को विवश होती है वह उसके जीवन को पवित्रता व कुमारपन व चरित्र की लोग धज्जियाँ उड़ाते हैं उसके सामने जीवन एक चुनौती के रूप में रहता है।

पुनर्वास से सम्बन्धित द्वितीय पक्ष शासन से सम्बन्धित है। महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक अधिनियम बनाए गए हैं अनेक कल्याणकारी योजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं। साथ ही निराश्रित, परित्यक्तता, बेसहारा एवं पीड़ित महिलाओं को आश्रय प्रदान करने तथा उनके सामाजिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास के उद्देश्य से उद्धार गृह, महिला आवास गृह, नारी निकेतन आदि के रुप में अनेक संस्थाएँ स्थापित की गई हैं। किन्तु व्यापक प्रचार-प्रसार के अभाव तथा अनेक सीमाओं के कारण इन प्रयत्नों का वांछित लाभ उत्पीडितों को नही मिल पाता। कानून तो केवल संरक्षण की व्यवस्था करता है जब कि उसका क्रियानवयन पुनर्वास की। महिलाओं के पुनर्वास से उनके जीवन को एक उचित दृष्टिकोण एवं नया आयाम एवं नयी कार्यपद्धति जीने की शुरुवात मिलती है।

हिंसाग्रस्त महिलाओं को परम्परागत दृष्टिकोंण उनके आचार, व्यवहार तथा मान मर्यादा' सम्बन्धी प्रचलित सामाजिक मान्यताओं आदि से सम्बन्धित सामाजिक दशाओं के कारण सामाजिक स्तर पर पीड़ितों को पर्याप्त संरक्षण व पुनर्वास नहीं मिल पाता यद्यपि सामाजिक कार्यकर्ताओं स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों से महिलाओं के संरक्षण व पुनर्वास हेतु कुछ संस्थायें संचालित हैं किन्तु इस प्रकार की संस्थायें अपर्याप्त है बल्कि इनमें भी सेवा भावी इच्छाशक्ति का अभाव तथा शासकीय अनुदान प्राप्त करने की ललक जैसे कारणों से पीडितों का पुनर्वास नहीं हो पाता।

दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पीड़ित जिस सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से आते है उनमें न तो इतनी सामर्थ्य होती है न ही वे स्वयं अपने प्रयत्नो से पुनर्वास कर सकें। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण निम्न तबके की स्त्रियाँ हेय दर्जे की नागरिक जैसे होती हैं उनका पुर्नवास तो पुरुषों पर ही निर्भर करता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उर्पयुक्त पक्षों को द्रष्टिगत रखते हुये हिंसा ग्रस्त महिलाओं को चार प्रमुख श्रेणियों में रखा गया है।

(अ) बलात्कार से पीड़ित

(ब) छेड़-छाड से पीडित

(स) दहेज प्रताड़ना

(द) दैहिक शोषण

अनुसंधानकर्ता द्वारा यह पता लगाने का प्रयत्न किया गया है कि वर्तमान समय में संरक्षण एवं पुनर्वास की स्थिति क्या है।

बालात्कार माँ यौन अपराधों की शिकार महिलाओं के समक्ष पारिवारिक, सामाजिक तथा नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक सामजस्य की

अनेक समस्यायें आती हैं उन्हें अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिये अनेक प्रयास करने पडते है तथा उनके समक्ष संरक्षण एवं पुर्नवास की समस्या है।

अतः स्पष्ट है कि पुनर्वास से आशय समाज की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य रखते हुए समाज में पुनः आवास से है। पुनर्वास के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति का यथासम्भव शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के प्रयत्न की तुलना में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर समाज के साथ सामंजस्य बैठाना होता है जो कि पुनर्वास के पूर्व जैसा सम्मानजनक हो।

अतः संरक्षण एवं पुनर्वास पीड़ित एवं समाज दोनों के कल्याण के लिए अत्यन्त उपयोगी एवं आवश्यक है क्योंकि इसके अभाव में पीड़ितों का व्यक्तिगत विघटन सामाजिक विघटन का आधार बनकर सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर देगा।

जहाँ तक पुनर्वास के स्वरूप का प्रश्न है यह परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप भिन्न-भिन्न होता है। इसमें सामान्य कारकों के साथ स्थानीय मान्यताओं और परिस्थितियों की भूमिका अधिक प्रभावी होती है। यह भिन्नता पुनर्वास की प्रकृति के कारण भी होती है कि किस प्रकार के व्यक्ति और समूह का कैसा पुनर्वास होना है। जिस देशकाल परिस्थिति में उसका पुनर्वास होना है उसकी अपनी स्थितियाँ और विषमताएँ क्या हैं, उसकी ग्राह्यता (Acceptibility) कैसी है।

प्रस्तुत अध्याय में संरक्षण एवं पुनर्वास का विश्लेषण हिंसा की शिकार महिलाओं की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के सन्दर्भ में किया गया है। बलात्कार, अपहरण, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना आदि हिंसाओं का

शिकार हुई महिलाओं को समाज में अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। परिवारिक स्तर पर उन्हें अनेक ताने सहने पड़ते हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है, उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है एवं उनसे भेदभाव किया जाता है। अनेक बार पारिवारिक सदस्यों द्वारा उन्हें स्वीकार ही नहीं किया जाता। जिसका कईबार कारण पारिवारिक सदस्य न होकर परिवार का मान, सम्मान और प्रतिष्ठा होती है। सम्बन्धित व्यक्ति के पुनर्वास से वर्तमान पीढ़ी ही नहीं परिवार की भावी पीढ़ी के भी प्रभावित होने का अन्देशा रहता है। एक पुरुष बलात्कार की शिकार अपनी निर्दोष पत्नी को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता जिसके परछे कारण आवश्यक रूप से पत्नी से प्रेम होना या न होना नहीं होता। ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं। जिनमें कि बलात्कार की शिकार पत्नी से व्यक्ति चोरी छिपे मिलता है। उसक भरण-पोषण की व्यवस्था भी करता है किन्तु सार्वजनिक रूप से पारिवारिक प्रतिष्ठा और भावी पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वह उसे अपने साथ नहीं रखता। इस प्रकार के हिंसाओं की शिकार अविवाहित उत्पीड़ितों को विवाह आदि में कठिनाई होती है। दहेज प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को मुख्यतः अपने मायके पर ही आश्रित होना पड़ता है, परिणामतः वह स्वयं को अपने माता-पिता पर वोझ समझती है तथा अनेक बार तो उन्हें मायके का भी संरक्षण प्राप्त नहीं होता। विभिन्न हिंसाओं के दौरान हिंसक द्वारा हिंसा के प्रयोग व वीभत्स व्यवहार से अनेक उत्पीड़ित शारीरिक व मानसिक क्षति या रोग का शिकार होने के लिए विवश हो जाती है।

पुनर्वास से सम्बन्धित द्वितीय पक्ष शासन से सम्बन्धित है। महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक

अधिनियम बनाये गये हैं एवं अनेक कल्याणकारी योजनाएँ क्रियान्वित की गयी हैं। साथ ही निराश्रित, परित्यक्ता, बेसहारा एवं पीड़ित महिलाओं को आश्रय प्रदान करने तथा उनके सामाजिक एवं व्यवसायिक पुनर्वास के उद्देश्य से उद्धार गृह, महिला आवास गृह, नारी निकेतन आदि के रूप में अनेक संस्थाएँ स्थापित की गयी हैं। किन्तु व्यापक प्रचार-प्रसार के अभाव तथा अनेक सीमाओं के कारण इन प्रयत्नों का वांछित लाभ उत्पीड़ितों को नहीं मिल पाता है। कानून तो केवल संरक्षण की व्यवस्था करता है जबकि उसका क्रियान्वयन पुनर्वास है। अतः क्रियान्वयन सम्बन्धी दोष पुनर्वास नहीं होने देते। क्रियान्वयन में कुछ तो कानूनों की ही अपनी कमियाँ होती हैं कुछ भ्रष्टाचार इसमें बाधक होता है, सबसे बड़ा कारण तो कानून के प्रति पीड़ित की अज्ञानता होती है। मात्र यह कहना या लिख देना कि "Ignorance of Law is no Excuse" पर्याप्त नहीं माना जा सकता। कानूनी व्याख्या के लिए तो यह सही हो सकता है लेकिन अशिक्षा, अज्ञानता और जागरूकता के अभाव में व्यक्ति पर यह दोष मढ़ना सामाजिक दृष्टि से सही नहीं है। पुलिस में यदि पीड़ित की रिपोर्ट न लिखी जाये तो मूलभूत व मानव अधिकारों की बात तो दूर प्राथमिकी दर्ज कराना ही मुश्किल है, कानून की धारायें और पुस्तकें आदि तो दूर की बात है। इस दृष्टि से महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में कानूनी संरक्षण व पुनर्वास नहीं हो पाता तो इसके पीछे कानूनी खामियों के अतिरिक्त स्वयं पीड़ितों की अशिक्षा, अज्ञानता एवं जागरूकता के अभाव जैसे कारक उत्तरदायी हैं।

महिलाओं हेतु स्थापित परम्परागत दृष्टिकोण, उनके आचार-विचार, व्यवहार तथा मान मर्यादा सम्बन्धी प्रचलित सामाजिक मान्यताओं आदि

से संम्बन्धित सामाजिक दशाओं के कारण सामाजिक स्तर पर भी पीड़ितों को पर्याप्त संरक्षण व पुनर्वास नहीं मिल पाता। यद्यपि सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों से महिलाओं के संरक्षण व पुनर्वास हेतु कुछ संस्थाएँ संचालित हैं किन्तु इस प्रकार की संस्थाएँ न केवल अपर्याप्त हैं बल्कि इनमें भी सेवाभाव इच्छा शक्ति का अभाव तथा शासकीय अनुदान प्राप्त करने की ललक जैसे कारणों से पीड़ितों का पुनर्वास नहीं हो पाता।

पुनर्वास का एक अन्य पक्ष सम्बन्धित द्वारा स्वयं पुनर्वास का भी है। उत्पीड़ित द्वारा स्वयं भी व्यक्तिगत प्रयासों से अपने पुनर्वास हेतु प्रयत्न किया जा सकता है। किन्तु इस प्रयत्न की अपनी सीमा है। सर्वप्रथम तो पीड़ित को स्वयं इतना सामर्थ्यवान होना चाहिए कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोज ले। इसके बाद वह अपने प्रयत्नों समझ और सम्पर्क से अन्य लोगों से मदद प्राप्त कर सके। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पीड़ित जिस सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण से आते हैं उनमें न तो इतनी सामर्थ्य होती है और न ही पहुँच कि वे स्वयं अपने प्रयत्नों से पुनर्वास कर सकें। पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में निम्न तबके की स्त्रियाँ स्वयं ही दोयम दर्जे की नागरिक जैसी होती हैं, उनका पुनर्वास तो पुरुषों पर ही निर्भर करता है। परिणामस्वरूप वे अपना स्वयं पुनर्वास नहीं कर पाती।

प्रस्तुत अध्ययन में उपरोक्त पक्षों को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की चार प्रमुख श्रेणियों - बलात्कार, अपहरण, छेड़छाड़ तथा प्रताड़ना के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश की गयी है कि वर्तमान समय में संरक्षण और पुनर्वास सम्बन्धी तथ्यात्मक स्थिति क्या है।

संरक्षण एवं पुनर्वास -

हिंसा की शिकार हुई महिलाओं को घटना के परिणामस्वरूप अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यौन अपराधों की शिकार महिलाओं के समक्ष पारिवारिक तथा सामाजिक सामंजस्य की अनेक समस्याएं आती हैं। अनेक बार उन्हें मायके का भी सहयोग प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार अपराध की शिकार अनेक महिलाओं के समक्ष संरक्षण एवं पुनर्वास की समस्या होती है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्पीड़ितों की तत्सम्बन्धी आवश्यकता का विश्लेषण निम्नानुसार है :-

तालिका क्रमांक - 6.2

घटना के परिणामस्वरूप संरक्षण एवं पुनर्वास की आवश्यकता हुई

क्र. सं.	प्रमुख कारण	बलात्कार		अपहरण		छेड़-छाड़		दहेज		अन्य मानसिक परिवारिक, सामाजिक		महायोग	
		सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.	सं.	प्रति.
1.	हाँ	16	5.33	8	2.67	35	11.67	20	6.67	75	25	154	51.33
2.	नहीं	10	3.33	4	1.33	40	13.33	30	10	62	20.67	146	48.67
	योग	26	8.67	12	4	75	25	50	16.67	137	45.67	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि (51.33 प्रतिशत) पीड़ितों को घटना के कारण संरक्षण एवं पुनर्वास सम्बन्धी समस्या का सामना करना पड़ा। दहेज उत्पीड़न में तत्सम्बन्धी आवश्यकता 6.67 प्रतिशत उत्पीड़ितों को हुई। जबकि बलात्कार की शिकार 5.33 प्रतिशत तथा अपहरण की 2.67 प्रतिशत उत्पीड़ितों को इस समस्या से संरक्षण एवं पुनर्वास का

सामना करना पड़ा। जबकि कुल 48.67 प्रतिशत महिलाओं को संरक्षण एवं पुनर्वास की आवश्यकता नहीं हुई।

संरक्षण एवं पुनर्वास सम्बन्धी संस्थाओं की जानकारी-

निराश्रित, परित्यक्ता, बेसहारा एवं पीड़ित महिलाओं को आश्रय प्रदान करने तथा उनके संरक्षण एवं पुनर्वास के उद्देश्य से शासन एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कुछ संस्थाएँ स्थापित की गयी हैं। प्रस्तुत अध्ययन में उत्पीड़ितों को ऐसी संस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी सम्बन्धी प्रतिक्रियाएँ निम्न तालिका में दर्शाई गयी हैं।

तालिका क्रमांक - 6.3

राजकीय अथवा निजी सामाजिक संस्थाओं की जानकारी सम्बन्धी प्रतिक्रिया

क्र.सं.	जानकारी है	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	119	39.67
2.	नहीं	181	60.33
	योग	**300**	**100**

उल्लेखनीय है कि अपराध का शिकार 300 उत्पीड़ितों में से मात्र 49 के अनुसार उन्हें महिलाओं के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु स्थापित राजकीय अथवा गैर निजी सामाजिक की जानकारी है। शेष बहुसंख्यक (181) महिलाओं को इन संस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है।

पुनर्वास हेतु सहायता -

पुनर्वास की आवश्यकता होने पर इस हेतु आपकी सहायता किसने की, इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में सर्वाधिक उत्पीड़ितों के अनुसार उनके परिवार वालों ने उन्हें आश्रय देकर, विवाह के माध्यम से अथवा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करके उनकी सहायता की। कुछ उत्पीड़ितों के अनुसार

इस हेतु समाजसेवी व्यक्ति या संस्था द्वारा उनकी मदद की गयी। दहेज की शिकार दो महिलाओं को न्यायालय द्वारा गुजारा भत्ता दिलाया गया जबकि एक महिला शासन के सहयोग से आंगनबाडी चलाती हैं। उल्लेखनीय है कि परिवार में आश्रय प्राप्त न होने पर चार उत्पीड़ितों ने स्वयं अपने पुनर्वास का प्रयत्न किया।

पुनर्वास की स्थिति तथा स्वरूप -

घटना के परिणामस्वरूप जिन उत्पीड़ितों के समक्ष पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हुई, उनके पुनर्वास की स्थिति तथा पुनर्वास के प्रकार सम्बन्धी उत्तरदाताओं से एकत्रित जानकारी निम्नानुसार :-

तालिका क्रमांक - 6.4

पुनर्वास की स्थिति

क्र.सं.	पुनर्वास हुआ है	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	18	39.1
2.	नहीं	28	60.9
	योग	**46**	**100.0**

उल्लेखनीय है कि घटना के कारण जिन 119 पीड़ित महिलाओं के समक्ष पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हुई उनमें से केवल (60) महिलाओं का ही पुनर्वास हुआ है जबकि शेष 59 महिलाएं मुख्यतः अपने माता-पिता पर ही आश्रित हैं। यद्यपि इनमें से कुछ महिलाओं के अनुसार उनके पुनर्वास का प्रयत्न तो किया गया किन्तु इसका सकारात्मक परिणाम नहीं निकला।

तालिका क्रमांक - 6.5

पुनर्वास का स्वरूप

क्र.सं.	पुनर्वास का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1.	नौकरी	15	25
2.	विवाह	10	16.67
3.	लघु व्यवसाय	15	25
4.	अन्य	20	33.33
	योग	**60**	**100.00**

तालिका से स्पष्ट है कि 10 महिलाओं का विवाह के माध्यम से पुनर्वास हुआ है, इनमें दहेज प्रताड़ना से त्रस्त उच्च जाति की उच्च शिक्षित एक महिला का दूसरा विवाह हुआ है। 15 महिलाएं नौकरी के माध्यम से पुनर्वासित हुई हैं, 15 महिलाएं लघु व्यवसाय के माध्यम से पुनर्वासित हुई है। पुनर्वास के अन्य स्वरूप के अन्तर्गत 20 महिलाएं दूसरों के घरों का चौका-बर्तन करके अपना गुजारा करती हैं।

पुनर्वास के पश्चात् पारिवारिक सदस्यों अथवा संस्था से सम्पर्क -

अपराध का शिकार हुई महिलाओं को जहाँ एक ओर पुनर्वास की आवश्यकता होती है वहीं पुनर्वास के पश्चात् उनसे सम्पर्क व सहयोग बनाए रखना आवश्यक होता है ताकि वे स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल समायोजित कर सकें व इस हेतु आवश्यकतानुसार उनकी सहायता की जा सके। अतः प्रस्तुत अध्ययन की उत्पीड़ितों से उनके पुनर्वास के पश्चात पारिवारिक सदस्यों अथवा सम्बन्धित संगठन से सम्पर्क सम्बन्धी संकलित तथ्यों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

अध्याय-7

निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण

निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण

महिलाओं के प्रति हिंसा अन्तः विरोधियों और विसंगतियों की एक धारा है जिसमें बहुत सी महिलाएँ सामाजिक आर्थिक विषमता के कारण हिंसा की शिकार हो जाती हैं। स्त्री के लिए समाज और अदालत हमेशा उसके चरित्र पर उंगलियाँ उठाते रहते हैं आज हिंसा ने समस्त सामाजिक मूल्यों और गरिमा को दूषित कर दिया है। महिलाएँ सदियों से पुरुष द्वारा मानसिक, शारीरिक और नैतिक शोषित होती रही है। समाज के लोगों ने उन्हें प्रताड़ा है और उनकी गरिमा को दूषित करके निकृष्ट श्रेणी में रखा है।

अदालतों में जिस महिला के साथ हिंसक गतिविधियाँ होती हैं वह अपनी व्यथा को किससे कहे क्योंकि समाज के लोग हमेशा उसे उपेक्षित और नकारात्मक दृष्टिकोंण से देखते हैं।

"महिला के लिए बलात्कार मृत्यु जनक शब्द है।" - (ए0आई0आर0, 1980 सुप्रीम कोर्ट 559) जिस अभागन के साथ बलात्कार होता है - वह कौमार्य अथवा सतीत्व भंग की क्षति ही नहीं सहती गहन भावनात्मक दंश, मानसिक वेदना भय, असुरक्षा और अविश्वास प्रायः उसका पिण्ड नहीं छोड़ता। ऐसी महिलाएँ अपना दुखडा अन्तरंग से अंतरंग के समक्ष भी रो नहीं पाती वक्त के साथ-साथ उनका एकाकीपन भी बढ़ता जाता है और जीवन का बोझ भी उसको कहाँ न्याय मिलता है क्योंकि वह अपनी वास्तविकता और हकीकत नहीं कह पाती।

प्रस्तुत शोध में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का मुख्य कारण उनकी अज्ञानता, अशिक्षा और आत्मबल में कभी उनमें अबोधता, अज्ञानता के भी लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं।

मणिमाल के अनुसार "यही चक्रव्यूह है हमारे समाज का जो हिंसक है उसे ही इंसाफ मिलता है वही न्याय करता है। अपने लिए इंसाफ व अपराध करने का हक या अधिकार कर लेता है अपनी पत्नी को बेचने का हक पा लेता है और दूसरे की पत्नी को भोगने का हक प्राप्त कर लेता है।

हिंसा-इतिहास में निश्चित ही कई प्रकार के क्रूरतम और घृणित हत्याकाण्ड भी शामिल हैं हमेशा महिलाओं पर बद चलन और चरित्रहीनता के आरोप लगाये जा रहे हैं पन्तु ये मानसिक है इससे बहुत सी महिलायें मनोरोगी बन जाती हैं उनके मस्तिष्क में कई प्रकार के दुराभाव एवं दुष्प्रवृत्तियाँ पैदा हो जाती हैं कानून को चुनौती मिलती हे परन्तु असहाय एवं कमजोर महिला आमतौर पर अनैतिकता की शिकार हो जाती है।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का मुख्य कारण भी अवैध सम्बन्ध और व्यभिचाराता भी है। हमारे समाज में नई वधुओं को जलाने वाली नई संस्कृति पनप रही है। वधू दहन या दहेज हत्या के मामले भी घृणित अमानवीय और जघन्य है।

"वधू-हत्या और जिन्हें दहेज-हत्या भी कहते हैं, के मामलों में या जब पुनविर्वाह करके फिर से दहेज प्राप्त करने के उद्‌देश्य से हत्या की जाती है या जब प्रेमान्ध होकर दूसरी स्त्री से विवाह किया जाता है।" ऐसे मामलों में मौत की सजा सबसे उपयुक्त सजा हो सकती है। (माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य ए0आई0आर0 1983 सुप्रीम कोर्ट 957 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देश)।

वधू-दहन या दहेज हत्या के बहुत से चिन्ताजनक पक्ष हैं जिसको नजर अंदाज नहीं किया जा सकता ~~महिला~~ महिलाओं के साथ हिंसा

करती है। कई बार पति एवं ससुराल पक्ष के लोग नृशंस हत्या धन प्राप्त करने के लिए करते हैं। हिंसक व्यक्ति को सजा नहीं मिल पाती क्योंकि न्यायाधीशों के पास सच का पता लगाने के लिए कोई विशेष साधन नहीं है। न्यायाधीश भी इंसान है उससे भी गलती हो सकती है। सन्तोषजनक बात यह है कि यह अदालत अन्तिम अदालत नहीं है इससे ऊपर भी एक अदालत है।

महिला हिंसा जनमानस को आत्म विश्लेषण करने के लिए बाध्य करती है परन्तु कभी तन्दूर काण्ड हो या नैना साहनी हत्या काण्ड हो, मधुमिता हत्याकाण्ड हों, जैसिका काण्ड हो या डायना हैडन काण्ड एवं प्रो० कविता हत्याकाण्ड ये सभी काण्ड हिंसा करने वाले चेहरों की छवि को मुखौटे लगाकर कब तक बचाया जा सकता है।

आज आदमी की नजर में राजनीति, पुलिस, अदालत, न्याय व्यवस्था, प्रेस, नेता एवं मंत्री सबकी भूमिकायें सदेहास्पद हो चुकी हैं। हिंसक लोग भारतीय समाज की आत्मा, सामाजिक मूल्यों, नैतिकताओं और मर्यादाओं को काट-काट कर वाचाल आकांक्षाओं के तपते एवं प्रतीकात्मक घटनाओं को उजागर कर रहे हैं।

पत्नी, अविवाहित औरत, तलाकशुदा, परित्यकता, विधवा, किसी के साथ भी हिंसक गतिविधियां हो सकती हैं। पीड़ित महिला को आमतौर पर अनैतिक श्रेणी में रखा जाता है जिससे उसका सामाजिक मूल्य कम हो जाता है। भारतीय जनमानस आज महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार की हिंसायें करके समाज में व्यापक मानदण्डों को तोड़ रहा है जिससे समस्त मानविकी मर रही है।

व्यभिचारता एक रोचक विषय है जिसमें किसी महिला पर व्यभिचार के आरोप लगाकर उसे निकृष्ठता की श्रेणी में रखा जाता

है। अदालती फैसलों में कितनी सच्चाई और समानता है इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। व्यभिचार नापने की।

व्यभिचार क्या है? इस बात पर नैतिकता के पक्षधर लोकोपकारवादियों से गुत्थमगुत्था होते रहे और अदालतें लाचार देखती रहें, यह स्थिति (जो कि है) थोड़ी-बहुत समझ में आती है। मगर व्यभिचारी कौन है? क्यों है और क्यों नहीं है? ये बाते अदालतें तय कर सकें, तय करने की क्षमता भी न दर्शायें और नैतिकता तथा मानवता के पैरोकार चूं तक न करें, यह स्थिति समझ में नहीं आती।

वीसवीं शताब्दी के पटाक्षेप के बाद हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, यह युग भौतिक चेतना का युग है आज मनुष्य अपने अस्तित्व बोध के प्रति जागृत हो चुका है। वह अपने जीवन के 'स्व' के प्रति चेतन है। यह सर्व विदित है कि बीसवीं शताब्दी भौतिकवाद के प्रखर धूप में पली अर्न्तद्वन्द, उपभोक्तावाद, कामुकता, मादकता, स्वार्थपरता व हिंसा की शताब्दी रही। आज का व्यक्ति 'आत्मा' के लिए नहीं शरीर के लिये जीना चाहता है। समकालीन युग में जीवन को विश्राम नहीं, वह चलायमान एवं गतिशील है अदम्य लालशायें व इच्छायें अनेक तथा पूर्ति के संसाधन पर्याप्त न होने के कारण क्षमता न होने पर भी लज्जाहीन होकर विभिन्न प्रकार के विकारों में उलझा हुआ है। आज की नारी भौतिक व्यवस्था की चट्टान से टकराकर लहूलुहान है। छटपटा रही है, असमर्थ है फिर भी सब कुछ सहती है। वह चेतना व चिन्ता के द्वन्द में फंसी व तड़प रही है। जीवन के नवीन एवं सतत मूल्यों की खोज में प्रयासरत हैं उसके पास जीवन के अनेक आयाम एवं प्रतिमान है। परन्तु वह समाज के पोषण एवं शोषण की जीवित मूर्ति है।

इसी मानव का एक पक्ष है - 'महिला', आक्रमकता के मध्य तड़पती अपने 'स्व' की तलाश में है। वह आज अपने जीवन के मूल्य, स्वय की सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिस्थति भूमिका व अस्तित्व बोध I हेतु सजग हो स्वयं अपने अर्थ का आशय खोज रही है।

''कितने आशय, कितने अर्थ,

तेरे इन सब नामों के।

कैसे करूँ यह तय कि अब,

क्या है? तेरा निश्चित अर्थ।

निश्चित है, मगर तुझमें कुछ,

तो, तू जननी, तू सृष्टा।

तू दुर्गा, काली है,

लक्ष्मी स्वरूपा दिव्य सरस्वती।

और है पोषक पुरुषों की,

तेरी महिमा अद्‌भुत और निराली है।

हाँ कहने को तू नारी है।

जितने नाम उतने ही अर्थ, परन्तु आशय फिर भी स्पष्ट नहीं। इस सृष्टि संचरण व चिन्तन की प्रारम्भिक अवस्था से ही महिला सन्दर्भ को स्पष्ट करने हेतु विभिन्न व्याख्यायें व विश्लेषण किये गये, फिर भी अब तक स्थिति विरोधाभासपूर्ण ही है वर्तमान में स्वयं महिला भी अपने वास्तिविक अर्थ व आशय का बोध कराना चाहती है। अतः पुनः आवश्यकता है जितने भी नाम है, इस जननी के उनके पर्याय स्पष्ट किये जायें।

महिला शब्द की युत्पत्ति ही पुरुष जीवन में महिला के स्थान व स्थित, पद व प्रतिष्ठा, कारण व कारक की सूचक है। यदि पुरुष

धर्म और कर्म है तो महिला आचार, नैतिकता, नीति एवं विलासिता की प्रतिमूर्ति है। इस प्रकार महिला का पुरुष के जीवन में पदार्पण एक पुन्य मलिला है जो श्रृजन, साधन, साधना सुगन्ध, स्मिता, रस, एवं अलंकारों की पुँज है, जिसने जीवन में सुख और दुख के कष्ट झेले है। तथा अपना शोषण ?

महिलाओं को पर्दे व शर्म, हया का प्रतिबिम्ब माना है इसके अतिरिक्त आज भौतिकवादी युग में सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाएँ मात्र घर की चहार दीवारी में सजावट की वस्तु बनकर रह गई है जिसके जीवन में तिमिर है और दीप शिक्षा भी है। कई परिवारों में वह दासत्व की जिन्दगी जी रही है पुरुष अपने पुरुषत्व के द्वारा यौन शोषण कर रहा है इसके साथ-साथ कई प्रकार के जुल्म एवं आत्याचार हो रहे हैं। महिलाएँ आज भी समाज में उपहासात्मक एवं उपेक्षात्मक मानी जाती है उनके जीवन पर कई प्रकार की व्यंगोक्ति एवं अपरिष्कृत शैली का प्रयोग कर उनके चरित्र का हनन किया जाता है। इतिहास साक्षी है उन्होंने अपनी जीवन को कंटक युक्त एवं शूल में सहते हुए दम्भी पुरुष के समक्ष अपने आपको समर्पित किया और जीवन पथ को दासत्व की श्रेणी में रखा।

महिलाओं का प्रतिनिधत्व करते विभिन्न शब्द 'महिला', 'स्त्री', 'नारी', 'औरत', 'वोमेन', निस्वां, नाम अनेक और उनके अर्थ भी विभिन्न, पर आशय व भाव वही कि पुरुष के विपरीत लिंगीय, ईश्वर जनित और सृष्टि की जननी तथा पुरुष अर्धागिनी, दासी व उसकी सत्ता के अधीन नस्ल उसके लिए शुभ फलदायी भी और कष्टदायक भी। यदि महिला का अर्थ और उसके प्रतिभाव। महिला सन्दर्भ के अन्तर्गत केवल उनके शाब्दिक आशय के अनुरूप ही उनकी छबि का

आंकलन नहीं किया जा सकता अपितु प्रारम्भ से ही दार्शनिक व आध्यात्मिक वैचारिक चिन्तन के अनर्गल सापेक्षिक रूप से महिलाअें की जो व्याख्या की गयी उसमें भी पर्याप्त अन्तर दिखाई देता है।

महिलाओं के प्रति आज भी पुरुष की विचारधारा नकारात्मक है उसकी सोच महिला वर्ग के लिए बुद्धिहीन मूक बधिर एवं अस्थिर मुद्धि वाले प्राणी के रूप में है। मनु द्वारा महिलाओं को शारीरिक व नैतिक दृष्टि से दुर्बल माना गया है। जहाँ **मनु** महिलाओं को हीन स्थिति का समर्थन करते हैं वहीं कौटिल्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का समर्थन करते हैं। मनु और कौटिल्य की विचारधारा एक दूसरे के विरोधाभाष को प्रदर्शित करती है।

एक पाश्चात्य विचारक के कथानक के अनुसार यदि ईश्वर प्रकाश पुंज है तो नारी उसकी किरण है जो उसके प्रकाश को फैलाती है।

ऐसी भी धारणा है कि ''ईश्वर शब्द है तो नारी उसका अर्थ'' प्रसिद्ध कवि एवं पाश्चात्य विद्वान **जॉन कीटस ने कहा** - "Behind every sucessful man, there is a woman", अर्थात हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला ही होती है, अर्थात यह महिला ही है जो पुरुष की सफलता का मूलाधार है। अतः महिलाओं को सशक्त बनाना हमारा दायित्व है।

साहित्यकार एवं प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद ने कहा है ''नारी तुम केवल श्रद्धा है, विश्वास रजत नगपद तल में पीयूष स्रोत-सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।''

महादेवी वर्मा के अनुसार-

''अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।

आँचल में है दूध और आंखों में पानी।।

दूसरी ओर एक पश्चात विद्वान ने कहा है कि ''नारी आदि विधाता की झुझलाहट है।''

तो किसी ने उसे निर्बल असहाय मानकर "Weaker - vessel" तक कहा।

महिलाओं के बारे में कहा गया कि "Frailty the name is woman'

तुलसीदास ने महिलाओं के सम्बन्ध में कहा है कि –

''ठोल गंवार सूद्र पशु नारी।

सकल ताड़ना के अधिकारी।।''

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बहुत तेजी से बदलाव आया महिलाओं ने भौतिकवादिता के स्वपानों को अपनाया समाज में हास-परिहास तथा आस्था की मूर्ति बन बैठी परन्तु फिर भी आज इस भौतिकवादी चेतन युग में महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के अपराध किये जाते हैं। ये अपराध मात्र केवल औद्योगिक एवं मायावी नगरियों में नहीं बल्कि तपोभूमि, देवभूमि एवं विभिन्न तीर्थस्थलों में भी किये जाते हैं जैसे उत्तरांचल में हरिद्वार एवं उत्तर प्रदेश में प्रयाग तथा मोक्ष नगरी काशी में भी।

''देवभूमि उत्तरांचल प्रवेश द्वार हरिद्वार को ही लें तो इस वर्ष अब तक 183 महिलाओं ने उत्पीड़न से तंग आकर पुलिस की शरण ली है। उत्तराखण्ड बलात्कार और शीलभंग के सर्वाधिक मामले यहीं के हैं। तीर्थ नगरी में इस साल 12 महिलाओं को अस्मत गंवानी पड़ी तो शीलभंग की 16 वारदातें हुई। 26 महिलाओं का अपहरण हुआ

तो 20 देड़छाड़ की शिकार हुई। इतना ही नहीं हरिद्वार में 84 महिलाओं को दहेज उत्पीड़न झेलना पड़ा तो 6 विधवाओं को दहेज के दानव ने लील लिया। इसके अलावा 5 स्त्रियों से चेन स्नेचिंग की गई तो 16 को अन्य अपराधों का शिकार होना पड़ा।''[1]

''उधर तीर्थ नगरी प्रयाग में इस साल महिलाओं के खिलाफ़ अपराध के 223 मामले दर्ज किये गये हैं। शहर के 9 महिलाएँ कत्ल कर दी गयी हैं तो 14 महिलाओं से दुष्कर्म किया गया है। इसके अलावा शीलभंग की 28, अपहरण की 39 और अन्य उत्पीड़न की 86 वारदातें अब तक हो चुकी हैं। दहेज न लाने पर 47 महिलाओं के लिए ससुरालिये ही यमराज बन गये। पिछले साल रेप की 10, अपहरण की 34, शीलभंग की 24, उत्पीड़न की 53 और दहेज हत्या की 23 वारदातें हुई थीं। आँकड़ों से स्पष्ट है कि साल के पहले छह महीनों में ही यह आँकड़ा पार हो चुका है। मोक्ष नगरी काशी भी महिलाओं के प्रति सहृदय नहीं है। बनारस मण्डल में महिला उत्पीड़न के 241 मामले हुए हैं। इनमें से 101 मामले अकेले बनारस के थे। मण्डल में छेड़खानी की 131 वारदातों में 45 और अपहरण की 75 वारदातों में 36 अकेले बनारस की हैं।''[2]

महिलाओं की सामाजिक पराकाष्ठा एक समाज के लिए चुनौती है जिसमें द्वन्द विश्वासघात एवं प्रतिशोध की भावना है। महिलाओं के सामने एक जीवन की शुषमा और शुशुप्त अवस्था भी है पुरुष महिलाओं के लि्ए एक सुरक्षात्मक कवच है जिसमें विभिन्न प्रकार के संसाधन एवं संत्रण है।

---

1. अमर उजाला, कानपुर संस्करण 30 जुलाई 2007 मेन पृष्ठ
2. अमर उजाला, कानपुर संस्करण 30 जुलाई 2007 मेन पृष्ठ

आज भौतिकवादी युग एक संक्रमण काल है जिसमें जीवन की शपाटता एवं संसनाहट है। महिलाओं के सामने कई प्रकार के जीवन की वेदनायें एवं कष्ट हैं जिसमें समसामयिकता को सहन करने की अपार क्षमता है। उसमें जीवन की सरसराहट एवं सरसता भी है।

समाज को राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की विशिष्ट भूमिका है जिसे पुरुष सहजता से स्वीकार करता है। भले ही महिलायें फैशन व सौन्दर्य कला की गुड़ियाँ क्यों न हो परन्तु वास्तविक रूप से वह जीवन की एक किरण है जिसके पास ओज और शक्ति दोनों है। बदलते हुए परिवेश में आज महिलाओं के साथ कई प्रकार की हिंसायें की जाती है जो सामाजिक व सांस्कृतिक मान्यताओं का उल्लघंन कर महिलाओं की छबि को धूमिल कर रही है।

आज भी मुश्किल एवं अशिक्षित हिन्दू महिलाओं को खोखली मान्यताओं अंध विश्वासों, जादू-टोनों एवं तान्त्रिक विधाओं की मान्यताओं में डुबो दिया है जो उनके जीवन में कभी-कभी काली रात बनकर आते हैं। जिससे उनका जीवन नष्ट हो जाता है। कई प्रकार के तान्त्रियों के द्वारा महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार की हिंसायें की जाती है जो उनके जीवन को निम्न से निम्नवत तलछट पर लाकर खड़ा कर देता है।

महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार की हिंसायें होती रहती हैं उसका मुख्य कारण आर्थिक तंगी एवं भौतिक संसाधनों का अभाव। महिलाओं के संस्कार उनके वस्त्र, परिधान, आचरण, रहन-सहन एवं वेशभूषा उनको कलंकित करती है तथा वे विक्षिप्त मानसिक प्रवृत्ति के द्वारा वे हिंसा की शिकार हो जाती है। बहुत सी महिलायें आज भी धर्म, पंथ व

शरीयत के नाम पर रूढ़ि ग्रस्त परम्पराओं की पोषक हैं तथा अंध विश्वास एवं जीवन स्वतः व्यतीत करना चाहती है। या अपने आपको आधुनिकता की श्रेणी में रख लेती है।

हिंसा एक संकुचित एवं विक्षिप्त विचारधारा का सिद्धान्त एवं अवधारणा है जिसमें महिलाओं के जीवन के विकास को अवरूद्ध कर दिया तथा सामाजिक चेतना शून्य हो गयी उन्होंने अपने जीवन को परिवार एवं समाज के लिए समर्पित किया उन्हें क्या मिला मात्र केवल शारीरिक वेदना, मानसिक कष्ट सुनने के लिए अपशब्द तथा मानवीय और नैतिक मूल्यों की बवमानना, इस तरह से आज भारत की नारी विभिन्न प्रकार की हिंसा की शिकार है परन्तु उसके सामने कई प्रकार की चुनौती एवं कसौटी है।

महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक सक्रियता ने उनके साथ कई प्रकार के अत्याचार एवं हिंसा के अवसरों ने वृद्धि की। महिलायें जीवन की गतिशीलता में साझीदार हैं। परन्तु कई प्रकार की हिंसा रूपी चट्टानों ने उनके जीवन को झकझोर दिया है जीवन में नीरसता है और तिमिर रूपी प्रतिबिम्ब सामाजिक चेतना का स्वरूप विगड़ा है उसका मुख्य कारण भौतिकवादिता आधुनिकवादिता उपयोगितावाद, उपभोक्तावाद एवं कामुकतावाद। विभिन्न वादों ने महिलाओं के जीवन को कहीं पर जूंजीवाद से जोड़ा, कहीं पर हिंसा से जोड़ा, हिंसायें जीवन को विमिष्ट करती है। जिससे हिंसा करने वाला पुरुष एवं महिलायें व्यथित रहती हैं।

आज के समाज में महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार की हिंसायें की जा रही हैं। जो एक चिन्तन का विषय है जिसमें एक दर्द, अकुलाहट एवं व्याकुलता है। हिंसा के द्वारा मानवीय चेतनायें,

उत्तराधिकार इच्छायें, आशायें, आकांक्षायें एवं भवनायें शून्य हो जाती है केवल एक सामान्य जन को प्रतिबिम्बित एवं परिलक्षित करती है। महिलाओं के साथ हिंसा करना एक सामाजिक कुकृत्य हे एवं दुष्कर्म है।

हिंसा एक सामाजिक अपकर्ष है जिसमें कई प्रकार की विसंग तियाँ एंव विकृतियाँ हैं जो समाज में हिंसा और अहिसां के बीच एक सीमा रेखाकिंत करती है। हिंसक पुरुष एवं स्त्री के पशुवत एवं जानवरत्व के बीच दिन प्रतिदिन बीज अंकुरित होते है जो हिंसा करने की प्रवृत्ति को पल्लवित एवं पुष्पित करते है। हिंसा मानव के विकास के लिए एक अवरोध है जसमें समरसता कहीं नजर नहीं आती मात्र केवल हिंसा की छाया और प्रतिविम्ब दिखाई पड़ते है।

शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन ''महिला हिंसा समाजशास्त्र अध्ययन'' में पाया कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पीड़ित महिलाओं के लिए संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा रोजगारपरक प्रशिक्षण व रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे महिलाओं में सशक्तीकरण हिंसकों या अपराधियों का सामना करने में आत्मनिर्भर हो रही हैं। शिक्षा के लिए आगे आ रही हैं। रोजगार ढूँढ रही हैं। सामाजिक स्थिति में सुधार हो रहा है। इसके बावजूद भी महिलाएँ हिंसा का शिकार हो रही हैं। जिससे शोध कार्य की आवश्कता आने वाले समय पर भी रहेगी।

सामान्यीकरण -

वर्तमान युग भौतिकवाद की त्रासदी से जूझ रहा है, भौतिकता एवं ग्लैमर की चकाचौध से महिला एवं पुरुष दोनो ही आकर्षित है

इसके साथ-साथ भौतिकवादी महत्वाकांक्षाओं की अवधारणायें एवं विचारधाराओं का रंग चढ़ गया है। आज सत्ता का सामान्यीकरण और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ मानसिक रूप से आकर्षित होना प्रत्येक महिला एवं पुरुष का लक्ष्य है। सामान्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी सम्प्रदाय की महिलाओं को अधिकार एवं जीवन की समस्त आकांक्षाओं को पूर्ति करने की संवैधानिक व्यवस्था है।

सामान्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज की उपेक्षित एवं असहाय महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए जिससे वे अपनी समस्त महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। महिलायें आज भी वासना के बाजार में हवस का शिकार हो जाती है। विभिन्न प्रकार की सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थायें सशक्तीकरण एवं सामान्यीकरण की बात करती है।

स्वतंत्रता के पश्चात हमारे समाज और राष्ट्र में महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया उनको आजादी मिली उसके साथ-साथ स्वायत्ता परन्तु जब सामान्यीकरण की वार्तालाप होती है तो महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनके कार्य करने की प्रवृत्ति पुरुषों से भिन्न है।

सामान्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नारी जाति का उत्थान एवं हिंसा की शिकार महिलाओं को प्रोत्साहित करके उनके जीवन को सुदृढ़ एवं आकांक्षाओं से परिपूर्ण बनाना।

महिलायें यद्यपि गुणीनिधि है, परन्तु स्वभाव से चपल तथा व्यवहार में चंचलता होने के कारण उनमें कुछ अवगुण भी हैं, अतः महिलाओं को अपने सहज अवगुणों से मुक्ति के उपाय खोजने ही होगें।

मनोवैज्ञानिक धारणा है कि मूल प्रवर्तात्मक दृष्टिकोंण से महिलाओं में निम्न चार अवगुण अपेक्षा कृत रूप से अधिक होते हैं।

1) ईर्ष्या भाव

2) आत्मश्लाघा

3) आत्मप्रदर्शन

4) पर निन्दा

महिलाओं में सबसे बड़ा अवगुण है, उनका ईर्ष्याभाव, जो स्वयं महिलाओं का महिलाओं के प्रति अधिक है। अधिकांशतः महिलाएँ सहज ईर्ष्या से सामंजस्य नहीं कर पाती और अपने से अधिक गुणी, सुन्दर या रूपवती तथा समृद्ध महिला को देखकर, उससे ईर्ष्या भाव स्वतः जागृत हो जाता है, फलतः यह ईर्ष्या उसके व्यवहार में कटुता को जन्म दे, दूसरी महिलाओं के प्रति हिंसक शोषणमयी व उनके उत्पीड़ित व्यवहार हेतु प्रेरक बन जाती है।

सामान्यीकरण वास्तव में एक सशक्तीकरण एवं मौलिक आवश्यकता का पहलू है आज विश्व की समस्त महिलाओं को सामान्यीकरण की आवश्यकता है। सामान्यीकरण के द्वारा समाज की उच्चता व निम्नता गरीबी एवं अमीरी, आस्पृश्यता, छुआ-छूत, जातिवाद, सम्प्रदायवाद एवं ईर्ष्यावाद जैसे विचारों को नष्ट किया जा सकता है महिलाएं हिंसा के दौरान कई प्रकार के अन्तद्वन्दों का सामना करती है क्योंकि वह जीवन को अवरूद्ध कर देते हैं।

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहाँ मात्र केवल 43.6 प्रतिशत महिलाएँ शिक्षित है बाकी अन्य महिलाएँ सामान्यीकरण का अर्थ एवं महत्व नहीं जानती/सामान्यीकरण समता सिद्धान्तों पर आधारित है

जो पूँजीवाद, अर्थवाद एवं शोषणवाद के खिलाफ है। समाज की वास्तिविकता महिलाओं की गतिविधियों का मूल्यांकन करती है जिसके आधार पर व्यवहारवाद आदर्शवाद एवं यथार्थवाद को परिभाषित या उनका सीमांकन किया जा सकता है। परन्तु आदर्शवाद एवं यथार्थवाद व्यावहारिक तोर पर सामान्यीकरण की बात तो करता है परन्तु वह उसके विपरीत एवं विरूद्ध है।

सामान्यीकरण की प्रक्रिया के द्वारा महिलाओं को हिंसा से बचाया जा सकता है एवं अपराध की दर को भी कम किया जा सकता है। सामान्यीकरण की वार्तालाप आम जनमानस के विकास के साथ जुड़ी हुई है उन महिलाओं को सामान्यीकरण की आवश्यकता है जो आज भी समाज के सर्वहारा वर्ग के द्वारा उनके साथ विभिन्न प्रकार के दुष्चारित्र किये जा रहे है।

उच्च्व वर्ग ने हमेशा निम्न वर्ग की महिलाओं का शोषण किया क्योंकि उनके हांथ में सत्ता एवं धन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है व्यवहारिक तौर पर सामान्यीकरण की रूपरेखा एवं प्रारूप समाज एवं राष्ट्र की नीतियों एवं सिद्धान्तों पर चलती है। उच्च्व वर्ग के लोग नारी का शोषण करते हैं कमजोर वर्ग की महिलाओं के साथ दुराचार करते है परन्तु बात सामान्यीकरण सशक्तीकरण ये तीनों पहलू महिलाओं को स्वतत्तता की ओर ले जाते हैं परन्तु उनकी कुशलता एवं कार्यक्षमता विभिन्न प्रकार की नई रणनीति तय करती हैं।

सामान्यीकरण की क्रिया से बहुत सी महिलाओं को संगठित करके उनके जीवन को अभीष्ट व सुन्दर बनाया जा सकता है।

''महिलायें संगठित हों, शिक्षित हों और संघर्ष करें क्योंकि हर शोषित वर्ग के उत्थान का यही मूल मंत्र है।'' महिलाओं के लिए

यह विचार औचक औषधि के समान है, अतः महिलाओं को चाहिए कि वह समुचित शिक्षा के आलोक से स्वयं को प्रकाशित कर सजग एवं सशक्त हो व प्रबुद्ध बनें तभी वे समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाकर अपने अभीष्ठ को प्राप्त कर सकेगीं।

महिला सामान्यीकरण के लिए शिक्षा की प्रमुख भूमिका है। अतः सरकार स्वयंसेवी संगठनों व सम्प्रदायों का परमदायित्व है। कि वह महिलाओं तथा बालिकाओं को शिक्षा से वंचित न करें।

शिक्षा ज्ञान रूपी ऐसी दिव्य ज्योति है जो ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करती है और समाज में हिंसा प्रवृत्ति कों रोकती है तथा तिमिर की जड़ता को समूल नष्ट करती है। सामान्यीकरण की प्रक्रिया से दिव्य आलोक की प्राप्ति होती है तथा अंध विश्वास एवं पाखण्डवाद से दूर कर समाज व राष्ट्र के लिए नये प्राविधानों का निर्माण करती है।

सामान्यीकरण का मुख्य आधार शिक्षा संस्कृति व सभ्यता है जो महिलाओं का उत्थान कर उन्हें एक महत्वाकांक्षी जीवन प्रदान करती है। शिक्षा ही उन्हें शोषण असमानता अन्याय दुराचरण हिंसा प्रतिशोध व उत्पीड़न से बचा सकती है।

किसी भी महिला अथवा पुरुष के लिए आर्थिक स्वावलम्बन उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। आज अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग का नारा है कि सबको (महिला व पुरुष) समान रोजगार व स्वावलम्बन के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए संगठित व असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमजीवी महिलाओं व पुरुषों का समान वेतन अथवा श्रम का मूल्य आंका जाना चाहिए।

यदि मानवाधिकार आयोग विश्व स्तर पर सबके विकास की बात कर रहा है तब किसी एक सम्प्रदाय का पीछे रहना व उस सम्प्रदाय को महिलाओं का रोजगार से वंचित रहना समान विकास के लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर सकता, अतः अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों द्वारा यह प्रयास किये जाने चाहिए कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन तथा स्वरोजगार की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। आज भूमण्डलीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण महिला वर्ग को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कराया जाये, जिससे वह अपने जीवन को सुचारु रूप से गतिशील एवं प्रेरणामुख बनायें।

महिलाओं में आत्म विश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करना तथा उनको यह विश्वास दिलाना कि विभिन्न प्रकार की मान्यताओं के अनुकूल रहकर अपने जीवन को निष्ठामयी एवं कर्तव्यमयी बना सकते हैं।

भारत वर्ष से विभिन्न प्रान्तों में महिलाओं की स्थिति अलग-अलग है। आदिवासी क्षेत्र की महिलायें अशिक्षित होने के कारण मान्यीकरण, भूमण्डीकरण सशक्तीकरण एवं वैश्वीकरण का अर्थ नहीं समझती। उनका जीवन संकुचित एवं आडम्बरों से रहित है, जीवन में सादगी एवं त्याग है। सामान्यीकरण के द्वारा सभी जाति एवं वर्ग की महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है इसके साथ-साथ समाज के कटु सत्य से भी परिचित कराया जा सकता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश के द्वारा भारतीय समाज अपनी आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था में प्रगति मूलक वातावरण बनाये

बिना वैश्वीकरण व सामान्यीकरण से मानव समाज में महिलायें अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकती हैं। विकास की आवश्यकता है सभी धर्म, जाति, सम्प्रदाय व वर्गों को साथ लेकर चलना जिसके लिए देश की सम्पूर्ण महिलाओं के प्रभावी सबलीकरण की आवश्यकता है अतः महिलाओं को साथ लिये बिना यह सम्भव नहीं है।

महिलाओं को प्रत्येक कर्म के लिए अपना साथी तथा सशक्त दिनचर्या तैयार करना पड़ेगी जिससे उनका मात्रृत्व एवं नारित्व सुरक्षित रह सके। महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक हिंसा से बचाया जा सके। महिलाओं में साक्षरता व स्व सुरक्षा की भावना जागृत करने से सामान्यीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ती है और समाज को विभिन्न प्रकार की परतों पर केन्द्रित करती है।

आज भौतिकवादी युग में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिससे महिलायें सशक्त एवं सामान्य बनें। शोषण एवं हिंसा के विरूद्ध आवाज उठाये प्रत्येक महिला को अपने जीवन को व्यवस्थित एवं कीर्तिमान बनाने के लिये उसे सामान्यीकरण की रूपरेखा को अधिक गौरवान्वित एवं क्रियान्वित बनाना चाहिए।

भारतीय समाज में सभी धर्मों एवं सम्प्रदायों में सामान्यीकरण एक विचारणीय बिन्दु है। जिसके द्वारा महिला मानसिकता को पुरुष मानसिकता के समक्ष लाना होगा। महिलायें पुरुषों की अपेक्षा अधिक झंझावतों एवं उन्मादों से पीड़ित रहती हैं। परन्तु सामान्यीकरण की प्रक्रिया से अपने आप का सुरक्षित मातृत्व, नारित्व एवं स्त्रित्व को सम्मान दिला सकती है।

महिलायें आज वर्तमान युग में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में पुरुष के समकक्ष कार्य कर रही हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने आप का सामान्यीकरण करके पुरुष वर्ग के समकक्ष केन्द्रीभूत किया और एक आत्म विश्वास पैदा किया जिससे वह अपने आपको शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न एवं हिंसात्मक गतिविधियों से अपने आपको बचायें।

सामान्यीकरण आत्म निर्भर एवं आत्म विश्वास जैसे गुणों का विकास किया और अपने आप को संकल्पित करके समाज में उत्थान एवं राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित बनाने का प्रयास किया। शरीयत व कानून के अन्तर्गत महिलाओं की सुदृढ़ स्थिति एवं जीवन के अहम निर्णय लेने के लिए सामान्यीकरण का बहुत बड़ा पटापेक्ष है जिससे महिलायें पुरुष सत्तात्मक दृष्टिकोंण व कट्टरवाद को त्याग कर महिलाओं को पुरुषों के समान भागीदारी के साथ विकास व प्रगति की गति से गति मिलाकर चलने का प्रयत्न करें।

श्रीमती ऊषा नारायण ने 8 मार्च 1998 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित गोष्ठी में एक चेतावनी दी –

''यदि महिलाओं को जान-बूझकर बेड़िया नहीं पहनाई जाएं और उनको दबाकर नहीं रखा जाय...............तो वे स्वयं ही स्वशक्तिमान बनकर राष्ट्र के निर्माण में महती योगदान देने में सक्षम होगी।''

प्रत्येक समाज में संस्तरण की एक व्यवस्था होती है जो समाज को विभिन्न स्थायी समूहों या वर्गो में विभक्त करती है। यह विभिन्न समूह प्रधानता व अधीनता की भावना से परस्पर जुड़े रहते है। सामाजिक संस्तरण के अनेक आधारों में लिंग एक प्रमुख आधार है। इस आधार पर समाज स्त्री व पुरुष दो वर्गो में विभाजित है तथा

संस्तरणात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत स्त्रियों को पुरुष वर्ग के अधीन स्थान प्राप्त हुआ है। यद्यपि स्त्री व पुरुष सृष्टि के निर्माण में ईश्वर की दो अनोखी उपज हैं किन्तु प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति निम्न ही रही है। इस सृष्टि से लैंगिक आधार पर स्त्री-पुरुष असमानता सर्वव्यापी एवं सर्वकालिक है।

भारतीय सन्दर्भ में सामाजिक संगठन एवं पारिवारिक जीवन सम्बन्धी उपलब्ध लिखित प्रमाणों से स्पष्ट है कि हमारे समाज में महिलाएँ एक लम्बे समय से अवमानना, यातना एवं शोषण का शिकार रही हैं। हमारे यहाँ की पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था, परम्परागत सामाजिक विचारधारा संस्थागत रिवाजों तथा प्रचलित सामाजिक मूल्यों व प्रतिमानों ने महिलाओं के उत्पीड़न में अत्याधिक योगदान दिया है। इनमें से अनेक व्यवहार प्रतिमान आज भी प्रचलित हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु किये गये वैधानिक प्रयत्नों, स्त्री शिक्षा के फैलाव, सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा संस्थात्मक परिवर्तनों आदि के कारण यद्यपि महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिशीलता में कमोवेश वृद्धि हुई है, किन्तु इसके बावजूद उनके प्रति किये जाने वाले अत्याचारों एवं अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी गतिशीलता ने भी उनके प्रति होने वाले शोषण व हिंसा के अवसरों में वृद्धि ही आये दिन समाचार पत्रों में छपने वाली तथा आस-पास घटित होने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार, मारपीट, यौन शोषण, दहेज प्रताड़ना, अपहरण तथा हत्या आदि की घटनाएं रोंगटे खड़े कर देती है। उच्च पद पर कार्यरत प्रतिष्ठित

महिला के साथ उसके सहयोगी द्वारा अश्लील व्यवहार, सरला मिश्रा व नैना साहनी तंदूर हत्याकांड, पिता द्वारा पुत्री के साथ बलात्कार जैसी अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो समाज के नैतिक अवमूल्यन तथा महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का खुलासा करती है। 1987 से 91 के बीच महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में 37.6 प्रतिशत की वृद्धि तथा प्रत्येक 33 मिनिट में महिलाओं के प्रति अपराध की घटना सम्बन्धी भारत सरकार के आँकड़े निश्चित ही चौकाने वाले हैं। यह भी सर्वविदित है कि सब मामलों की विभिन्न कारणों से शिकायत नहीं होती है। बलात्कार, छेड़छाड़ आदि के अनेक प्रकरण सामाजिक निन्दा के भय तथा पेचीदी व लम्बी कानूनी प्रक्रिया आदि के कारण दर्ज ही नहीं किये जाते। इतना ही नहीं हिंसा शिकार हुई महिला को स्वयं के पति व परिवार की उपेक्षा भी सहनी पड़ती है। पड़ोसियों व सहयोगियों द्वारा भी उन्हें ही दोषी मानकर उनसे उपेक्षात्मक व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार घटना के प्रभाव तथा निकट सामाजिक दायरे की उपेक्षा के परिणामस्वरूप अनेक उत्पीड़ितों को शारीरिक व मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके समक्ष व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विघटन की स्थिति निर्मित हो जाती है तथा उन्हें सामाजिक पुनर्वास की आवश्यकता होती है।

विगत कुछ वर्षो में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की निरन्तर बढ़ती हुई दर ने यद्यपि समाज वैज्ञानिकों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया है किन्तु भारतीय सामाजिक परिवेश में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के कारणों एवं प्रभावों के अन्वेषण सम्बन्धी आनुभविक

अध्ययनों की महती आवश्यकता है। इसी आवश्यकता से प्रेरित होकर शोधकर्ता ने 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा' को अपने शोध अध्ययन का विषय बनाया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन '**महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का समाजशास्त्रीय अध्ययन**' (वृहत्तर बाँदा के सम्बन्ध में) मुख्यतः महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा हेतु उत्तरदायी कारणों एवं परिस्थितियों, उत्पीड़ितों के जीवन पर इसके प्रभावों तथा महिलाओं के संरक्षण एवं पुनर्वास सम्बन्धी उपायों की खोज के रूप में है। प्रस्तुत अध्ययन वर्ष 2007 में वृहत्तर बाँदा नगर में दर्ज महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अध्ययन पर आधारित है। इसके अन्तर्गत विश्लेषण हेतु बलात्कार, अपहरण, छेड़-छाड़ तथा दहेज प्रताड़ना की शिकार कुल उत्पीड़ितों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलित किये गये हैं। संकलित सामग्री के वर्गीकरण एवं विश्लेषण के आधार पर सामान्यीकरण व निष्कर्ष के रूप में प्रमुख तथ्य निम्न हैं -

अध्ययन की कुल 300 उत्पीड़ितों में छोड़छाड़ की शिकार महिलाएं सर्वाधिक 72 हैं, एक तिहाई से थोड़ी कम (50) महिलाएं दहेज प्रताड़ना का शिकार हुई हैं, बलात्कार की शिकार उत्पीड़ितों की संख्या 26 है जबकि 12 महिलाओं का अपहरण हुआ है।

महिलाओं के विरूद्ध अपराध में आयु एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आयु का सम्बन्ध शारीरिक विकास से है। इस दृष्टि से युवा महिलाएँ हिंसा का सर्वाधिक खतरा रखती हैं। प्रस्तुत अध्ययन में अपहरण की शिकार दो तिहाई महिलाएं 18 वर्ष से कम आयु

की हैं जबकि शेष हिंसा में हिंसक ने 18 से 30 वर्ष आयु समूह की महिलाओं को अपना मुख्य निशाना बनाया है। उत्पीड़ितों के उन्हीं के आयुवर्ग के अन्तर्गत घटित विभिन्न हिंसाओं में छेड़छाड़ की प्रवृत्ति सर्वाधिक आम है।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा जाति की दृष्टि से बन्धनीय नहीं हैं अर्थात् किसी भी जाति की महिला हिंसा का शिकार हो सकती है। अध्ययन में सामान्य रूप से पाया गया कि उच्च व निम्न जाति की तुलना में पिछड़ी जाति की महिलाएं हिंसा का अधिक शिकार हुई हैं मुख्य तथ्य यह प्रकार में आया कि बलात्कार व दहेज उत्पीड़न पिछड़ी जाति की महिलाओं का अधिक हुआ है जबकि अपहरण की समस्या उच्च जाति की अधिक है। किन्तु छेड़छाड़ का शिकार निम्न जाति की महिलाएं सर्वाधिक हुई हैं।

उत्तरदाताओं के धर्म, शिक्षा तथा वैवाहिक स्थिति के सन्दर्भ में अध्ययन से ज्ञात हुआ कि हिन्दू धर्म की, स्कूली शिक्षा प्राप्त तथा विवाहित महिलाएं विभिन्न हिंसाओं का सर्वाधिक शिकार हुई हैं। उल्लेखनीय है कि अपहरण में हिंसक ने अविवाहितों को ही अपना एकमात्र निशाना बनाया है। उत्पीड़ितों के स्वयं के धर्म, शिक्षा तथा वैवाहिक स्थिति के अन्तर्गत घटित विभिन्न हिंसाओं के विश्लेषण में पाया गया कि सभी स्तर की महिलाएँ छेड़-छाड़ का सर्वाधिक शिकार हुई हैं।

शिकारग्रस्त महिलाओं के परिवार की प्रकृति सम्बन्धी विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि दहेज के अतिरिक्त शेष हिंसाओं की शिकार एकाकी परिवार की उत्पीड़ितों का प्रतिशत सवप्रधिक लगभग

दो-तिहाई है किन्तु दहेज उत्पीड़न के प्रकरण में स्थिति ठीक इसके विपरीत है।

उत्पीड़ितों की पारिवारिक मासिक आय की दृष्टि से मध्य आय वर्ग (3000 से 6000 रु0) की महिलाएँ हिंसा का सर्वाधिक शिकार हुई हैं। उच्च आय वर्ग की तुलना में निम्न व मध्यम आय वर्ग की उत्पीड़ितों का सम्मिलित अनुपात चार गुना है। विभिन्न हिंसाओं के अन्तर्गत व छेड़छाड़ का शिकार निम्न आय वर्ग की महिलाएँ अधिक हुई हैं जबकि दहेज उत्पीड़न मध्य वर्ग तथा अपहरण उच्च आय वर्ग की महिलाओं का अधिक हुआ हैं।

अधिकांश उत्पीड़ितों के अनुसार हिंसक ने मुख्यतः यौन शोषण के उद्देश्य से उन्हें अपना शिकार बनाया है, आर्थिक उद्देश्य दहेज उत्पीड़न में मुख्य रहा है। कुछ महिलाओं ने हिंसक द्वारा विवाह की इच्छा पूर्व दुश्मनी या जातिगत अपमान को हिंसक का मुख्य उद्देश्य बताया है।

लगभग तीन-चौथाई उत्पीड़ितों के अनुसार हिंसक ने अपने कृत्य को अंजाम देने हेतु उनके विरुद्ध मुख्यतः बल प्रयोग या धमकी का सहारा लिया। किन्तु 1/10 उत्पीड़ित हिंसक के प्रलोभन का शिकार हुई, इनमें 18 वर्ष से कम आयु की, अविवाहित, अशिक्षित, निम्न जाति व निम्न आय वर्ग वाली उत्पीड़ितों का प्रतिशत अधिक है।

यद्यपि कुछ महिलाएँ अभियुक्तों की अधिक संख्या तथा हथियार आदि के भय के कारण हिंसक का खुलकर विरोध न

कर सकीं किन्तु बहुसंख्यक महिलाओं ने हिंसक के आक्रमण का चिल्लाकर व हांथों आदि से झगड़कर पर्याप्त शारीरिक विरोध किया जबकि कुछ उत्पीड़ितों ने मौखिक चेतावनी तथा अनुनय-विनय को अपनी ढाल बनाया। स्पष्ट है कि बहुसंख्यक महिलाएँ हिंसक के समक्ष स्वयं को सहजता से समर्पित नहीं करतीं।

अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की लगभग दो-तिहाई घटनाएँ महिलाओं के अकेलेपन या एकान्त वातावरण का लाभ उठाते हुए दोपहर व रात्रि के समय घटित हुई तथा हिंसक ने हिंसा हेतु मुख्यतः सुनसान रोड, खेत, शौच-स्थल, खाली मकान आदि के रूप में सुरक्षित व सुनसान स्थान को चुना। एक तिहाई से कुछ अधिक प्रकरणों में हिंसक ने स्वयं के अथवा उत्पीड़ित के घर में ही उसे अपना निशाना बनाया।

उल्लेखनीय है कि हिंसा का शिकार हुई दो तिहाई महिलाएँ हिंसक से पूर्व परिचित थीं तथा उन्हें मुख्यतः उन्हीं के मोहल्लेवासी द्वारा अपना शिकार बनाया गया। इनमें 18-30 वर्ष आयु की, विवाहित, निम्न जाति व निम्न आय वर्ग की अशिक्षित तथा एकाकी परिवार में रहने वाली महिलाएं अधिक हैं।

अधिकांश उत्पीड़ितों के अनुसार हिंसा के समय हिंसक नशे की अवस्था में था, मात्र 1/10 उत्पीड़ित हिंसक के नशे में न होने के प्रति आश्वस्त हैं जबकि शेष को इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

रहन-सहन की अस्वस्थ दशायें हिंसों को बढ़ावा देती हैं। अध्ययन में भी पाया गया कि हिंसा का शिकार हुई अधिकांश उत्पीड़ितों

के निवास स्थान के आस-पास कलारी या गंदी बस्ती स्थिति है तथा उनके पारिवारिक सदस्यों में मद्यपान या अन्य नशे की आदत है। मुख्यतः निम्न जाति की, अशिक्षित, निम्न आय वर्ग वाली, विवाहित, संयुक्त परिवार की तथा पिछड़ी ज्याति उत्पीड़ितों के अनुसार उन्हें शौच आदि के लिए घर से बाहर भी जाना पड़ता है।

अध्ययन की अधिकांश उत्पीड़ित, भारतीय परिवेश में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के साथ किये जाने वाले भेदभाव को स्वीकार करती हैं इससे स्पष्ट है कि महिला-पुरुष समानता मात्र संवैधानिक व सैद्धान्तिक धरातल पर ही विद्यमान है तथा महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी पारिवारिक उपेक्षा व सामाजिक शोषण का शिकार है।

उल्लेखनीय है कि दो तिहाई उत्पीड़ित सामाजिक लोकलाज, संकोच, पारिवारिक विघटन तथा हिंसक के भय आदि के कारण घटना का पुलिस या न्यायालय में निर्भीकता से खुलासा न कर सकीं। उच्च्य शिक्षित, उच्च जाति की तथा 6000 रु० से अधिक पारिवारिक आय वाली महिलाएँ अधिक संकोची पायी गई। अतः महिलाओं हेतु स्थापित सामाजिक मान्यताएं एवं मान-मर्यादा सम्बन्धी आदर्श घटना के खुलासे में उनके आड़े आते हैं। सम्भवतः इसी कारण मुख्यतः उच्च जाति की महिलाएँ हिंसा का कम खुलासा करती हैं। प्रस्तुत अध्ययन में अधिक आय व उच्च्य जाति की उत्पीड़ितों की तुलनात्मक कम प्रतिशत इस तथ्य की पुष्टि करता है।

प्रस्तुत अध्ययन में बहुसंख्यक उत्पीड़ित (तीन चौथाई से भी अधिक) इस तथ्य से पूर्ण सरोकार रखती हैं कि पुलिस व न्यायालयीय

पेचीदी प्रक्रिया तथा उत्पीड़ितों को न्याय मिलने में होने वाले विलम्व से हिंसकों का हौंसला बढ़ता है।

अधिकांश (70 प्रतिशत) महिलाओं का मानना है कि दूरदर्शन व संचार माध्यमों में दिखाई जाने वाली अश्लीलता से महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को बढ़ावा मिलता है।

उत्पीड़ितों के अनुसार समाज द्वारा मुख्यतः महिलाओं हेतु स्थापित मान-मर्यादा सम्बन्धी नैतिक आदर्श, महिलाओं की निम्न स्थिति का उपेक्षित व नकारात्मक रवैया आदि ऐसे कुछ अन्य कारण हैं जो महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा ही नहीं देते बल्कि उनके पुनः शिकार होने की सम्भावना में वृद्धि करते हैं। महिलाओं में बढ़ते हुए फैशन एवं अंग प्रदर्शन को भी कमोवेश मात्रा में महिलाएँ उनके प्रति होने वाली हिंसा हेतु उत्तरदायी मानती हैं।

उच्च्य जाति, उच्च्य शिक्षा व उच्च्य आय वर्ग वाली अधिकांश दहेज उत्पीड़ितों के अनुसार उनके विवाह के पूर्व दहेज सम्बन्धी निश्चित लेन-देन तय हुआ था तथा उनके परिवार वालों द्वारा पूर्व निश्चित दहेज दिया भी गया।

सामान्य रूप से विवाह के तुरन्त बाद का समय नव दम्पत्ति तथा उनके परिवार वालों के लिए हर्ष व उल्लास का होता है किन्तु अधिकांश उत्पीड़ितों के अनुसार विवाह के छैः माह के भीतर ही उनसे मुख्यतः नगद धनराशि, वाहन तथा स्वर्ण आभूषण आदि के रूप में देहज की मांग की गई।

अधिकांश उत्पीड़ित दहेज हेतु उनके साथ किये गये दुर्व्यवहार के लिए मुख्यतः पति व सास को दोषी बताती हैं। दुर्व्यवहार में शामिल परिवार के अन्य लोगों में ससुर, ननद, देवर, जेठ व जिठानी की सहभागिता क्रमशः पाई गई। उल्लेखनीय है कि कुछ एकाकी परिवारों में अलग रहते हुए भी सास व अन्य महिला सदस्य यदाकदा उत्पीड़ित के पति को उकसाकर दहेज प्रताड़ना में सहभागी पाई गई।

दहेज हेतु उत्पीड़ितों के साथ किये गये दुर्व्यवहार में मारपीट, जान से मारने की धमकी, पीड़ितों व उनके मायके वालों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी तथा अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध मुख्य रूप से पाये गये। यद्यपि कुछ प्रकरणों में उत्पीड़ितों को भूखा रखा गया, कमरे में बन्द कर दिया गया तथा तलाक या दूसरी शादी की धमकी भी दी गई।

अधिकांश दहेज उत्पीड़ित दो वर्ष से अधिक समय तक दहेज प्रताड़ना की शिकार रहीं। इनमें 30 वर्ष से अधिक आयु की, अशिक्षित, निम्न जाति व निम्न आय वर्ग की, पिछड़ी, विधवा तथा संयुक्त परिवार की उत्पीड़ितों का प्रतिशत अधिक है।

बहुसंख्यक उत्पीड़ितों के अनुसार मायके पक्ष की लोभी प्रवृत्ति दहेज हेतु उन्हें प्रताड़ित किये जाने का मुख्य कारण था। यद्यपि उत्पीड़ित की लम्बी बीमारी, निःसन्तान होना तथा पारिवारिक आवश्यकता भी प्रताड़ना के कारण पाये गये।

अत्याचारों से दुःखी होकर किये गये प्रयासों में सर्वाधिक दहेज उत्पीड़ितों ने समस्या से मायके पक्ष को अवगत कराया तथा अधिकांश ने मायके की शरण भी ली। पीड़ितों द्वारा किये गये अन्य मुख्य

प्रयासों में पति को समझाने का प्रयास, पुलिस में जाने अथवा आत्महत्या की धमकी तथा महिला संगठन की मदद क्रमशः पाये गये। उल्लेखनीय है कि प्रताड़ना से तंग आकर स्कूली शिक्षा प्राप्त तीन महिलाओं ने आत्महत्या का प्रयास भी किया जिनमें दो पिछड़ी जाति की तथा एक उच्च्य जाति की महिला है।

दहेज प्रताड़ना की शिकार बहुसंख्यक उत्पीड़ितों के अनुसार दुर्व्यवहार का पता चलने पर उनके मायके वालों ने ससुराल पक्ष को समझाने का प्रयास किया तथा इस हेतु किसी सगे सम्बन्धी या प्रभावशाली व्यक्ति का दबाव भी डलवाया गया। समय के साथ सब ठीक हो जाने सम्बन्धी समझाईश भी पीड़ितों को उनके मायके वालों द्वारा दी गई। उल्लेखनीय है कि तीन उत्पीड़ितों के अनुसार उनके मायके वालों ने इस सम्बन्ध में कोई खास मदद नहीं की।

दहेज से पीड़ित आधी महिलाओं का मानना है कि जीवन साथी के चुनाव में महिलाओं को स्वतंत्रता देकर समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है। इनमें उच्च्य जाति की व उच्च्य शिक्षित उत्पीड़ित अधिक है। किन्तु लगभग एक चौथाई उत्तरदाता मनपसन्द जीवन-साथी के चुनाव मात्र को दहेज समस्या का समाधान नहीं मानतीं।

हिंसा के परिणामों का जहाँ तक सम्बन्ध है हिंसा की प्रवृत्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि की महिलाओं पर हिंसा का प्रभाव भी भिन्न-भिन्न होता है। प्रस्तुत अध्ययन में बलात्कार व दहेज उत्पीड़न की शिकार लगभग शत-प्रतिशत उत्पीड़ितों के अनुसार उन्हें घटना का स्मरण बना ही रहता है जिसके

परिणामस्वरूप उनकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित होती है। घटना के स्मरण के परिणामस्वरूप उत्पीड़ितों द्वारा व्यक्त शेष प्रतिक्रियाओं में पुलिस व न्यायालयीय व्यवस्था के प्रति आक्रोश, हिंसक के प्रति बदले की भावना तथा आत्महत्या की इच्छा मुख्य पाये गये। यद्यपि अनेक उत्पीड़ित आत्मग्लानि के अहसास से भी पीड़ित हैं किन्तु छेड़छाड़ की शिकार अधिकाँश महिलाएँ घटना को लगभग भुला चुकी हैं।

बहुसंख्यक उत्पीड़ित घटना के परिणाम स्वरूप स्वयं को अपमानित महसूस करती हैं, आधी से भी अधिक महिलाएँ भयभीत हैं कि जबकि लगभग आधी उत्पीड़ित स्वयं को उपेक्षित भी पाती हैं।

तीन चौथाई से भी अधिक उत्पीड़ितों का मानना है कि घटना से उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। इनमें उच्च्य जाति व उच्च्य आय वर्ग की, संयुक्त परिवार की तथा महाविद्यालयीय शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत अत्याधिक है।

आधी से अधिक उत्पीड़ितों के अनुसार हिंसा द्वारा अपने दुष्कृत्य को अंजाम देने हेतु प्रयुक्त हथियार व पाशविक व्यवहार ने उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से चोटग्रस्त या रोगग्रस्त बनाया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यतः बलात्कार व दहेज की शिकार अनेक उत्पीड़ित मानसिक तनाव, सरदर्द व घटना के खौफ सम्बन्धी मनोरोग से पीड़ित हैं।

लगभग दो तिहाई उत्तरदाताओं के अनुसार घटना के पश्चात् उन्हें विभिन्न जन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, उन्हें न केवल पास-पड़ोस व सगे सम्बन्धियों के कटाक्ष सहने पड़े बल्कि स्वयं

के पारिवारिक सदस्यों द्वारा भी उनके विरूद्ध टिप्पणी की गई। उल्लेखनीय है कि उत्पीड़ितों के अनुसार हिंसा के पश्चात् उन्हें मुख्यतः महिलाओं की ही आलोचना का शिकार होना पड़ा तथा महिला हृदय होते हुए भी उन्हें उनकी पर्याप्त सहानुभूति प्राप्त नहीं हुई।

घटना का व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव की दृष्टि से अधिकांश उत्पीड़ितों के अनुसार इससे उनकी स्वतन्त्रता सर्वाधिक प्रभावित हुई। अनेक उत्पीड़ितों ने शिक्षा में व्यवधान तथा मित्र व सहयोगियों से मनमुटाव सम्बन्धी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की।

पारिवारिक जीवन पर घटना के प्रभाव के अन्तर्गत अधिकांश उत्पीड़ितों के अनुसार घटना से उनके परिवार में तनाव उत्पन्न हुआ तथा अनेक उत्पीड़ित पारिवारिक उपेक्षा का भी शिकार हुईं। कुछ उत्पीड़ितों ने पारिवारिक सदस्यों द्वारा उन्हें स्वीकार करने में हिचकिचाहट सम्बन्धी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की।

वैवाहिक जीवन पर घटना के प्रभाव के अन्तर्गत विवाहितों में अधिकांश दहेज उत्पीड़ितों के अनुसार उनके पति से पुनर्मिलन की आशायें लगभग धूमिल हो गई। छेड़-छाड़ व बलात्कार की शिकार अनेक उत्पीड़ितों के अनुसार घटना ने उनके पति से मनमुटाव तथा विलगाव की स्थिति भी निर्मित की।

घटना का विवाह सम्बन्ध होने पर प्रभाव की दृष्टि से उल्लेखनीय है कि बलात्कार तथा अपहरण की शिकार अधिकांश अविवाहित उत्पीड़ितों के अनुसार घटना की वजह से उनके विवाह सम्बन्ध होने में बाधा हुई अथवा इस सम्बन्ध में वे भविष्य में होने वाली बाधा को लेकर चिंतित हैं।

उत्पीड़ितों द्वारा बताये गये घटना के अन्य विपरीत परिणामों के अन्तर्गत शीघ्र विवाह, छोटे भाई बहन के विवाह में कठिनाई तथा पारिवारिक सदस्यों द्वारा हिंसा से बदला लेने की चेष्टा मुख्य पाये गये। उल्लेखनीय है कि घटना तथा सामाजिक प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर कमोवेश उत्पीड़ितों द्वारा आत्महत्या का प्रयास भी किया गया।

समय के साथ बड़े से बड़ा जख्म भी भर जाता है, इस तथ्य को एक तिहाई उत्पीड़ित स्वयं के सन्दर्भ में पूर्ण सत्य मानती हैं। कुछ उत्पीड़ित इसे आंशिक रूप में स्वीकार करती है किन्तु हिंसा की शिकार आधी महिलाएँ उपरोक्त आम धारणा से बिल्कुल सरोकार नहीं रखतीं तथा स्वयं के साथ घटित हिंसा के सन्दर्भ में इसे पूर्णतः असत्य मानती हैं।

हिंसा ग्रस्त महिलाओं के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों के व्यवहार के मूल्यांकन की दृष्टि से अध्ययन में सम्मिलित आधी उत्पीड़ितों के अनुसार घटना से अवगत होने पर उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा उन्हें बुरा-भला कहा गया व उनकी निन्दा की गई। मात्र एक चौथाई उत्पीड़ितों के प्रति उनके परिवार वालों ने सहानुभूति व्यक्त की। कुछ उत्पीड़ितों को पारिवारिक सदस्यों के आक्रोश तथा मारपीट का भी सामना करना पड़ा।

अध्ययन से मुख्य तथ्य यह प्रकाश में आया कि दहेज व अपहरण के तीन चौथाई तथा बलात्कार के लगभग आधे प्रकरणों में मुख्यतः सामाजिक लोकलाज तथा पुलिस व न्यायालय की पेचीदी कानूनी प्रक्रिया के भय से घटना के सम्बन्ध में पुलिस को विलम्ब से सूचित किया गया।

एक तिहाई से भी अधिक उत्पीड़ितों के अनुसार पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करने में आनाकानी की गयी व इस हेतु किसी राजनीतिक नेता या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति की मदद लेना पड़ी अथवा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से सम्पर्क करना पड़ा। कुछ उत्पीड़ितों ने तो मात्र रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस की जेब गर्म करना भी स्वीकार किया है।

हिंसा की शिकार अधिकांश महिलाओं के अनुसार घटना के सन्दर्भ में पूँछताँछ के दौरान उनसे अनेक ऐसे सवाल किये गये जिनके उत्तर में लोकलाज या स्त्री मर्यादा के कारण उन्हें परेशानी हुई। अधिकांश उत्पीड़ितों ने पूँछताँछ के दौरान पुलिस के उपेक्षात्मक व्यवहार सम्बन्धी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। पुलिस ने उनकी शिकायत को गम्भीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि कुछ महिलाओं के अनुसार तो पुलिस वालों ने आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। मात्र एक चौथाई उत्पीड़ितों के अनुसार पुलिस का व्यवहार उनके प्रति सहयोगात्मक व सहानुभूति पूर्ण रहा।

अध्ययन में सम्मिलित दो तिहाई महिलाएँ पुलिस द्वारा की गई विवेचना व कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। उत्पीड़ितों के अनुसार हिंसक पक्ष के दबाव व घूस लेकर पुलिस ने प्रकरण सम्बन्धी साक्ष्यों को छिपाया तथा तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया। कुछ उत्पीड़ितों ने पुलिस प्रताड़ना तथा प्रकरण वापसी हेतु पुलिस के दबाव सम्बन्धी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है।

प्रकरण में उत्पीड़ित पक्ष द्वारा की गई कार्यवाही प्रतिक्रिया स्वरूप अधिकांश उत्पीड़ितों के अनुसार हिंसक या उसके सहयोगियों द्वारा प्रकरण

वापसी हेतु उन पर दबाव डाला गया, उन्हें भयभीत किया गया तथा गवाहों को प्रभावित करने की चेष्ठा की गई। यद्यपि कुछ उत्पीड़िता ने हिंसक पक्ष द्वारा अनुनय-विनय सम्बन्धी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। कुछ प्रकरणों में हिंसक पक्ष द्वारा समझौते का प्रयास भी किया गया।

हिंसा ग्रस्त महिलाओं के प्रति उनके पारिवारिक सदस्यों का व्यवहार अहम् है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग व सहानुभूति उन्हें मानसिक व मनोवैज्ञानिक तौर पर राहत हेतु आवश्यक है किन्तु प्रस्तुत अध्ययन में सामान्यतः पारिवारिक सदस्यों के सहयोगात्मक, व्यवहार सम्बन्धी उत्पीड़ितों की प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत अत्याधिक कम (42.5 प्रतिशत) है। उल्लेखनीय है कि लगभग तीन चौथाई उत्पीड़ितों के अनुसार घटना के पश्चात् उनके प्रति पति का व्यवहार सामान्यतः तनाव पूर्ण या उपेक्षात्मक ही अधिक रहा है।

हिंसा की शिकार महिलाओं के सन्दर्भ में एक बार हिंसा का शिकार होने पर रिश्तेदार व सम्बन्धी पीड़ित महिला को ही दोषी मान लेते हैं। अध्ययन की आधी महिलाएँ इसे पूर्णतः सत्य मानती हैं, एक चौथाई महिलाएँ हिंसा की प्रकृति के अनुरूप इसे आंशिक रूप में स्वीकार करती हैं जबकि शेष इस सम्बन्ध में अपनी असहमति दर्शाती हैं।

अधिकांश उत्पीड़ित घटना के पश्चात् पड़ोसियों के व्यवहार को उपेक्षात्मक व कुछ-कुछ बदला हुआ पाती हैं। मात्र एक तिहाई उत्पीड़ितों के अनुसार घटना के पश्चात् उनके प्रति पड़ोसियों का व्यवहार पूर्ववत् सहयोगी है। ऐसा कहने वालों में उच्च शिक्षित, उच्च जाति व उच्च आय वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत अधिक है।

सर्वाधिक 45.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार हिंसा की घटना के पश्चात् उनके मित्र व सहयोगियों का उनके प्रति सहयोगात्मक व्यवहार है किन्तु एक तिहाई उत्पीड़ित अपने मित्रों के उपेक्षात्मक व्यवहार से दुःखी हैं जबकि शेष उत्पीड़ितों ने मित्रों के सामान्य व्यवहार सम्बन्धी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

महिलाओं को घर गृहस्थी के दैनिक कार्यों तथा व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की अन्य विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक संस्थाओं एवं व्यक्तियों के सामाजिक सम्पर्क एवं सहयोग की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से अधिकांश उत्पीड़ितों ने उनके प्रति समाज के इन अन्य लोगों के सामान्य व्यवहार सम्बन्धी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किन्तु एक चौथाई महिलाएं तत्सम्बन्धी उपेक्षात्मक व्यवहार से क्षुब्ध हैं।

विचारणीय है कि आधी उत्पीड़ितों के अनुसार लोगों का ऐसा मानना है कि उनके साथ सहयोग या सहानुभूति दिखाने से समाज में उनकी प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सम्भवतः इसी कारण उत्पीड़ितों के मित्र व पड़ोसियों को उनके परिवारजन द्वारा पीड़ितों से मेल - मिलाप हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि कुछ उत्पीड़ितों के अनुसार खानदान की इज्जत तथा समाज में अपमान के भय से उनके रिश्तेदार व सगे सम्बन्धियों ने उनका विरोध किया तथा पुलिस में न जाने अथवा प्रकरण वापसी हेतु उन पर दबाव भी डाला गया।

अध्ययन में सम्मिलित विभिन्न हिंसा की शिकार एक चौथाई से थोड़ी अधिक (46) महिलाओं को घटना के परिणम स्वरूप

संरक्षण एवं पुनर्वास की आवश्यकता हुई किन्तु इनमें से एक तिहाई से थोड़ी अधिक (18) महिलाओं का ही मुख्यतः विवाह एवं नौकरी के माध्यम से पुनर्वास हुआ है।

उत्तरदाताओं के अनुसार पुनर्वास हेतु पारिवारिक सदस्यों ने उनकी सर्वाधिक सहायता की। कुछ उत्तरदाताओं ने इस हेतु समाजसेवी व्यक्ति अथवा संस्था के सहयोग को स्वीकार किया है। लगभग तीन चौथाई उत्पीड़ितों के अनुसार पुनर्वास के पश्चात् सम्बन्धित संगठन अथवा पारिवारिक सदस्यों से उनका व्यक्तिगत अथवा पत्राचार के माध्यम से सम्पर्क बना रहता है तथा आवश्यकतानुसार उनका सहयोग भी प्राप्त होता है।

अधिकांश उत्पीड़ित महिला उनके प्रति किये जाने वाले हिंसाओं के निपटारे हेतु पुलिस व न्यायालय की अलग व्यवस्था को आवश्यक मानती हैं ताकि इस प्रकार की हिंसाओं का त्वरित् निराकरण हो सके तथा हिंसक को दण्डित किया जा सके।

महिलाओं के प्रति होने हिंसाओ हिंसाओं की रोकथाम एवं उन्हें कम करने हेतु दिये गये सुझावों में पुलिस व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तनों के अन्तर्गत प्रस्तुत अध्ययन के उत्तरदाता इस प्रकार के प्रकरणों की विवेचना महिला पुलिस द्वारा किये जाने को सर्वाधिक प्राथमिकता देती है। पुलिस की कार्य प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता तथा उत्पीड़ितों के प्रति बर्ताव आदि के सम्बन्ध में पुलिस को पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रतिपादित करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत क्रमशः पाया गया है।

न्यायिक व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तनों के अन्तर्गत उत्तरदाता क्रमशः उत्पीड़ित की गवाही अभियुक्त के समक्ष न किये जाने, महिला जजों द्वारा प्रकरणों की सुनवाई किये जाने तथा महिला वकीलों द्वारा प्रकरणों की पैरवी किये जाने की पक्षधर हैं।

महिलाओं के संरक्षण हेतु उत्पीड़ित, विद्यमान कानूनों में संशोधन व परिमार्जन की सर्वाधिक आवश्यकता महसूस करती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरदाताओं द्वारा वर्तमान कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कानूनों को अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता भी क्रमशः प्रतिपादित की गयी है।

महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसाओं के प्रभावी नियंत्रण हेतु उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत अन्य सुझावों में हिंसक को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने, सस्ती अदालतों की स्थापना, प्रकरणों के एक निश्चित समय सीमा में निपटाने तथा जनमानस की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता इत्यादि बताए गये हैं। महिलाओं के प्रति समाज के परम्परागत नजरिये, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि तथा उनमें कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता भी उत्तरदाताओं द्वारा प्रतिपादित की गयी है।

उत्तरदाताओं ने महिलाओं के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु हिंसा की शिकार जरूरतमन्द महिलाओं को पृथक आश्रय प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास हेतु अधिकाधिक विशिष्ट कार्यक्रमों को संचालित किये जाने की महती आवश्यकता प्रतिपादित की है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत अध्ययन की बहुसंख्यक उत्पीड़ितों को

निराश्रित एवं पीड़ित महिलाओं के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु संचालित शासकीय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की जानकारी नहीं है। अतः अधिकांश उत्पीड़ितों ने इस प्रकार की संस्थाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया है।

परिशिष्ट

साक्षात्कार अनुसूची

परिशिष्ट

(अ) साक्षात्कार अनुसूची

महिलाओं के प्रति हिंसा का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(बुन्देलखण्ड संभाग के जनपद बांदा के विशेष सन्दर्भ में)

सामान्य जानकारी :-

1. आयु : 18 से कम / 18 वर्ष से 30 वर्ष / 30 वर्ष से अधिक
2. वैवाहिक स्थिति : विवाहित / अविवाहित / विधवा
3. शैक्षिक स्थिति : अशिक्षित / विद्यालय स्तर / महाविद्यालय स्तर
4. धर्म : हिन्दू / अहिन्दू
5. जाति : उच्च / पिछड़ी / निम्न
6. परिवार की प्रकृति : संयुक्त / एकाकी
7. पारिवार की मासिक आय : 3000रु० / 3000-600 रु० /6000 से अधिक

विषय सम्बन्धी जानकारी -

1. आपके साथ जब हिंसा हुआ वह समय क्या था -

   1) प्रातः ☐ 2. दोपहर ☐

   3) शाम ☐ 4. रात्रि ☐

2. आपके साथ हिंसा किस स्थान पर हुआ -

   1) आपका निवास ☐ 2. अपराधी का निवास ☐

   3) अन्यत्र ☐

3. सम्बन्धित हिंसक कहां रहता है -

   1) मोहल्ले में ☐ 2. अन्यत्र ☐

4. हिंसा से पूर्व क्या आप अपराधी को जानती थीं -

   1) हाँ ☐ 2. नहीं ☐

5. यदि हाँ तो हिंसक से परिचय का प्रकार -

   1) रिश्तेदार ☐ 2. मोहल्लेवासी ☐

   3) अन्य परिचित ☐

6. हिंसा के समय क्या अपराधी नशे की अवस्था में था -

   1) हाँ ☐ 2. नहीं ☐

7. क्या अपके निवास स्थान के आसपास कलारी या गंदी वस्ती स्थिति है

1) हाँ ☐ 2. नही ☐

8. क्या आपको शौच या नहाने के लिए घर बाहर अन्य जगह जाना पड़ता है

1) हाँ ☐ 2. नहीं ☐

9. क्या आपके परिवार में कोई मद्यपान या अन्य नशा करता है -

1) हाँ ☐ 2. नहीं ☐

10. आपकी दृष्टि में हिंसक का आपके विरूद्ध हिंसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या था -

1) विवाह ☐ 2. शारीरिक शोषण ☐

3) धन का लालच ☐ 4. अन्य ☐

11. हिंसक द्वारा अपराध हेतु मुख्यतः किस तरीके का प्रयोग किया गया -

1) बल का प्रयोग ☐ 2. धमकी ☐

3) प्रलोभन ☐ 4. अन्य ☐

12. क्या आपने हिंसक का विरोध किया -

1) हाँ ☐ नहीं ☐

13. यदि हाँ तो आपने हिंसक का विरोध मुख्यतः किस प्रकार किया -

1) शारीरिक गतिरोध ☐ 2. चिल्लाकर ☐

3) अन्य ☐

14. यदि नहीं तो हिंसक का विरोध न कर सकने का मुख्य कारण क्या था -

1) शारीरिक असमर्थता ☐ 2. भय के कारण ☐

3) अन्य ☐

15. क्या आपने स्वयं के साथ घटित घटना को पुलिस/न्यायालय में निर्भीकता से बयान किया -

1) हाँ ☐ 2. नहीं ☐

16. यदि नहीं तो कारण -

1) संकोच ☐ 2. भय ☐

3) अन्य ☐

17. आपके विरूद्ध हुए हिंसा में क्या किसी महिला ने हिंसक की सहायता की -

1) हाँ ☐ 2. नहीं ☐

18. क्या आपके विवाह के पूर्व दहेज संबंधी कोई निश्चित लेन-देन तय हुआ था -

1) हाँ ☐ 2. नहीं ☐

19. भारतीय संस्कृति में पुरुषों की तुलना में परिवार में महिला को कम महत्व दिया जाता है, क्या यह सत्य है -

1) अधिकांशतः ☐ 2. आंशिक रूप से ☐

3) बिल्कुल नहीं ☐

20. न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत न्याय मिलने में होने वाला विलम्ब क्या हिंसकों का हौंसला बढ़ाता है -

1) हाँ ☐ 2. नहीं ☐

21. दूरदर्शन व संचार माध्यमों में दिखाये जाने वाले अश्लील उत्तेजक व रोमांस के दृश्य क्या आपकी दृष्टि में महिलाओं के विरूद्ध हिंसकों को बढ़ावा देते हैं -

1) हाँ ☐ 2. नहीं ☐

3) मालूम नहीं ☐

22. आपके मत से ऐसे अन्य कौन से कारण या परिस्थितयां हैं जिनसे महिलाओं के विरूद्ध हिंसकों को बढ़ावा मिलता है -

1) ☐ 2. ☐

3) ☐ 4. ☐

23. यदि हां तो क्या विवाह में पूर्व में तय किय गये अनुसार दहेज दिया गया -

1) हाँ ☐ 2. नहीं ☐

24. आपसे विवाह के बाद दहेज के रूप में पहली बार मांग की गयी -

1) ☐ 2. ☐

3) ☐ 4. ☐

25. विवाह के बाद यह मांग किस रूप में की गयी -

1) ☐ 2. ☐

3) ☐ 4. ☐

26. मांग पूरी करने हेतु आपके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया -

1) ☐ 2. ☐

3) ☐ 4. ☐

27. यह दुर्व्यवहार प्रमुखतः किस किसके द्वारा किया गया -

1) ☐ 2. ☐

3) ☐ 4. ☐

28. आपके मत में दहेज हेतु आपको प्राताड़ित किये जाने का कारण क्या था

1) लोभी प्रवृति ☐ 2. पारिवारिक आवश्यकता ☐

3) ससुराल पक्ष का प्रभावी होना ☐ 4. अन्य ☐

29. आप कितने समय तक दहेज प्रताड़ना की शिकार रहीं -

1) 6 माह ☐ 2. 6 से 12 माह ☐

3) 1 से 2 वर्ष ☐ 4. 2 वर्ष से अधिक ☐

30. आप पर हो रहे अत्याचार से दुखित होकर आपने प्रारम्भिक तौर पर क्या किया -

1) ☐ 2. ☐

3) ☐ 4. ☐

31. दहेज हेतु आपके साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार का पता चलने पर मायके पक्ष की प्रतिक्रिया -

1) ससुराल पक्ष को समझाने का प्रयास ☐

2. रिश्तेदार या प्रभावशाली व्यक्ति का दबाव ☐

3) समय के साथ सब ठीक हो जाने की समझाईश ☐

4. अन्य ☐

32. यदि जीवनसाथी के चुनाव में महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता दी जावे तो क्या दहेज समस्या हल हो जावेगी -

1) हाँ ☐ 2. नही ☐

3) अनिश्चित ☐

33. आपके साथ हुई घटना की क्या आपको याद आती है -

1) प्रायः ☐ 2. कभी-कभी ☐

3) कभी नहीं ☐

34. घटना का स्मरण होने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है -

1) ☐ 2. ☐

35. घटना के पश्चात् आप स्वयं कैसा महसूस करती हैं -

1) अपमानित ☐ 2. भयभीत ☐

3) उपेक्षित ☐

36. आपकी दृष्टि में सम्बन्धित हिंसा के कारण क्या आपकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है -

1) हाँ ☐ 2. नहीं ☐

37. आपके अपने अनुभव में क्या कभी ऐसा अवसर आया कि घटना के पश्चात किसी ने आप पर सीधे आपत्तिजनक टिप्पणी या आपकी आलोचना की -

1) हाँ ☐ 2) नहीं ☐

38. आपके साथ हुए हिंसा के कारण क्या आप किसी शारीरिक या मानसिक क्षति या रोग की शिकार हुयीं -

1) हाँ ☐ 2) नहीं ☐

39. घटना की वजह से क्या आपके विवाह सम्बन्ध होने में कोई बाधा हुई / हो रही है / हो सकती है -

1) हाँ ☐ 2) नहीं ☐

3) कह नहीं सकते ☐

40. घटना ने आपके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया -

1) स्वतंत्रता प्रभावित ☐ 2) पारिवारिक तनाव ☐

3) पारिवारिक उपेक्षा ☐

41. आपके साथ हुई घटना के कारण हुए अन्य विपरीत परिणामों को विस्तार से बताने का कष्ट करें -

42. लोग कहते हैं कि समय के साथ बड़े से बड़ा जख्म भी भर जाता है, आपके साथ हुई घटना के सन्दर्भ में यह बात कहां तक सत्य है -

1) पूर्णतः ☐ 2) आंशिक ☐

3) बिल्कुल नहीं ☐

43. आपके साथ हुई घटना की सूचना आपने सर्वप्रथम किसे दी -

1) पति ☐ 2) माता-पिता या सास-ससुर ☐

3) रिश्तेदार या अन्य रिश्तेदार ☐ 4. अन्य ☐

44. घटना की सूचना देने पर आपके प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई -

1) सहानुभूति ☐ 2) घटना का जिक्र किसी से न करने को कहा ☐

3) आपकी निन्दा ☐ 4. अन्य ☐

45. क्या पूलिस को सूचना तत्काल दी गयी थी -

1) हाँ ☐ 2) नहीं ☐

46. पुलिस को देर से सूचना देने का प्रमुख कारण क्या था -

1) सामाजिक लोकलाज का भय ☐ 2) पुलिस व न्यायालयीय कठिन परीक्षा का भय ☐

3) अपराधी का भय ☐ 4. अन्य ☐

47. क्या पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने में आनाकानी की -

1) हाँ ☐ 2) नहीं ☐

48. यदि हाँ तो इस हेतु क्या प्रयास किया गया -

1) वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से सम्पर्क ☐ 2) किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद ☐

3) अन्य ☐

49. पूंछतांछ के दौरान पुलिस वालों का आपके प्रति व्यवहार कैसा था -

1) सहानुभूति पूर्ण ☐ 2) उपेक्षात्मक ☐

3) सामान्य ☐

50. प्रकरण में पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही से क्या आप संतुष्ट हैं -

1) हाँ ☐ 2) नहीं ☐

51. प्रकरण में आपके अथवा परिवारजन द्वारा की गयी कार्यवाही की क्या विपरीत प्रतिक्रिया हुई -

52. पूंछतांछ के दौरान क्या आपसे ऐसे सवाल किये गये जिनके उत्तर में लोकलाज या स्त्री मर्यादा के कारण आपको परेशानी हुई -

1) हाँ ☐ 2) नहीं ☐

53. घटना के पश्चात् आप अपने पति के व्यवहार को कैसा पाती हैं -

1) सहयोगात्मक ☐ 2) उपेक्षात्मक ☐

3) तनावपूर्ण या विरोधी ☐

54. सम्बन्धित घटना के पश्चात् सामान्यतः पारिवारिक सदस्यों का आपके प्रति व्यवहार कैसा है -

1) सहयोगात्मक ☐ 2) उपेक्षात्मक ☐

3) सामान्य ☐

55. एक बार हिंसाग्रस्त होने पर रिश्तेदार व सम्बन्धी पीड़ित महिला को ही दोषी मान लेते हैं इस सम्बन्ध में आपका क्या अनुभव है -

1) पूर्ण सत्य ☐ 2) आंशिक सत्य ☐

3) असत्य ☐

56. घटना के पश्चात् आपके प्रति सामान्यतः पड़ोसियों का व्यवहार कैसा है -

1) पहले जैसा ☐ 2) कुछ-कुछ बदला हुआ ☐

3) उपेक्षात्मक ☐

57. आप अपने मित्रों व सहयोगियों के व्यवहार को घटना के पश्चात् कैसा पाती हैं -

1) सहयोगात्मक ☐ 2) उपेक्षात्मक ☐

3) कुछ विशेष नहीं ☐

58. घटना के बाद प्रायः समाज के अन्य लोगों का आपके प्रति व्यवहार कैसा है

1) सहयोगात्मक ☐ 2) उपेक्षात्मक ☐

3) सामान्य ☐

59. क्या कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि आपके साथ सहयोग या सहानुभूति दिखाने से समाज में उनकी प्रतिष्ठा गिरेगी -

1) हाँ ☐ 2) नहीं ☐

60. क्या आपको महिलाओं के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु स्थापित शासकीय अथवा गैर शासकीय संगठनों की जानकारी है -

1) हाँ ☐ 2) नहीं ☐

61. घटना के परिणामस्वरूप क्या आपको संरक्षण या पुनर्वास की आवश्यकता हुई -

1) हाँ ☐ 2) नहीं ☐

62. यदि हो तो इस हेतु आपकी सहायता किसने की -

1) ☐ 2) ☐

63. क्या आपका पुनर्वास हुआ है -

1) हाँ ☐ 2) नहीं ☐

64. यदि हां तो पुनर्वास का स्वरूप -

1) नौकरी ☐ 2) विवाह ☐

3) लघु व्यवसाय ☐ 4) अन्य ☐

65. क्या पुनर्वास के पश्चात् सम्बन्धित संस्था या पारिवारिक सदस्यों से आपका सम्पर्क रहता है -

1) हाँ ☐ 2) नहीं ☐

66. यदि हां तो किस प्रकार -

1) ☐ 2) ☐

67. क्या आप महिलाओं के विरूद्ध हिंसाओं के निपटारे हेतु पुलिस व न्यायालय की पृथक व्यवस्था को आवश्यक मानती हैं -

1) हाँ ☐ 2) नहीं ☐

68. महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस व्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन को आप आवश्यक मानती हैं -

1) महिला पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना ☐

2) पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव की आवश्यकता ☐

3) पुलिस को पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता ☐

69. महिलाओं पर होने वाले अपराधों के नियंत्रण हेतु कानूनी प्रावधानों में आप किस प्रकार के परिवर्तन की पक्षधर हैं -

1) कानूनों को अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता ☐

2) वर्तमान कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता ☐

3) वर्तमान कानूनों में संशोधन व परिमार्जन की आवश्यकता ☐

70. आपकी दृष्टि में न्यायिक व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु आवश्यक है -

1) प्रकरणों की सुनवाई महिला जजों द्वारा ☐

2) महिला वकीलों द्वारा प्रकरणों की पैरवी करके ☐

3) महिला की गवाही अभियुक्त के समक्ष न करके ☐

71. आपके मत में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु क्या सामाजिक उपाय किये जा सकते हैं -

72. महिलाओं के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु आप ओर क्या सुझाव देना चाहेगीं -

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

BIBLOGRAPHY
(सन्दर्भ ग्रन्थ सूची)

1. Ahuja Ram - Crime against women, Rawat Publication, Jaipur, 1987

2. Altekar, A.S. - Position of women in Hindu Civiliztion, Motilal Banarasi Das, Ed. Delht, 1962.

3. Amir, Menachem - Pattrns in Fircible Rape, Chicago, University of Chicago prss, 1977.

4. Atray, G.P. - Ctimes Against women, Vikas Publications, New Delhi 1988.

5. Atal Yogesh - Changing Frontiers Caste - Concept Frame work, National Publishing House, New Delhi, 1968

6. Blumer,D. - Neuro-Psychiatric Aspects of Violent Behaviours, University of Toronto, Canada, 1973.

7. Desai Neera& Krishnaraj Mainthreji - Women and Society in India, Ajanta Publications, Delhi, 1987

8. Dobash, R.E. & Dobash,R. - Violence Against Wives, The Free press, New York, 1979.

9. Elliott and Merrill - Social Disorganisation, Horper& Bos., New York, 1990

10. Gandhi, N. and Shah, N. - The issues at stake, Theory and Practice in the contemporary Women's Movement in India.

11. Goode, J. William & Hatt, K.Paul - Methode in social Research, Mc Graw Hill Book Co, New York, 1952.

12. Hall Jeroe - General Principles of Criminal Law, IndianPolis, 1947

13. Haikerwal - Economic snd social Aspects of Crime in India, Oxford University Press, London, 1927.

14. Hilderman E. & Munson, M. - "Sixty Batteed Women" in Victimology.

15. Hemry Cecil Wyld - The Unicersity of English Dictionary of the English Language, Rouledge and Kegan Paul Ltd., Broadway's

16. Kapadia, K.M. - Marriage and Family in India, Oxford Press. 1966

17. Koching Samwell - Sociokogy- An Introduction to the Scence of societ.. Ch 16, Social Groups and Class.

18. Kapoor Pramila - The changing Status of working women in India, Vika Publishing House, Delhi, 1970.

19. Leonard, E.B. - Women, Crime and Society, Longman, New York, 1982.

20. Linton Ralph - "On Status Social" in International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. 15, The Macmillan Copany, New York, 1972.

21. Lundberg & others - Types of Marringe, Family and Society. Kamal Pubication, Indore.

22. Lundberg. G.A. - Social Research, Longmans Green & Co., New York. 1948

23. Mower Ernest, R. - Disorganisation% Social and Persoanl. 1959.

24. Nimkoff,M.F. - A hand book of Sociology, Routfedge and kegan Paul London, 1960.

25. Mehta Vimla - Attitude of Educated Women towards Social Issues. National Publishing house, Delhi, 1976.

26. Morer, C.A. - Survey Methods in Social Investigation. The Macmillan Co., New York, 1958.

27. Pandey Prem Narayan - Education and Social Mobility, Days Publishing House, Delh, 1988.

28. Parsons Talcott & Robert, B.F. - Family Socialization and Interaction Process, Kagan Pvt. Ltd., London, 1956.

29. Pearson, Karl - The Grammer of Science, J.M. Dentand Sons Ltd. London, 1936.

30. Rackless, W.C. - Crime Problem, Vakils, Bombay, 1971.

31. Radzinowicz - Sexual Offences, Macmillan London, 1957.

32. Saxena,R. - Women snd Crime in India, A Study in Socio-cultural Dybamics. Inter-India Publications, 1994.

33. Sharma, R.N. & Sharma, R.K. - 'Plato-pratogoras', Sociology of Education. Media Primotors & Publications, Bombay, 1985.

34. Shrinivas, M.N, - Social Change in Modern India, Orient Logman, New Delhi, 1972.

35. Sood Sushma - Violence Against Women, Arihant Publishers, Jaipur, 1990.

36. Stuart Chase - The Proper Study of Mankind, Garper & Row Publishers, 1956.

37. Tinkleberg, J.R. - "Alcohol and Violence" in Bourne and Fox (eds.), Alcoholism: Progress in Research and Treatment, Academic Press, New York, 1973.

38. Waster's - New World Dictionary.

39. Wilson Elizabeth - What is to be done about violence against Women, Penguin, Harmmdsworth, 1983.

40. Wolfgang, M.E. - "Violence in the Family" in Kutash et. al., Peraective in Murder and Aggression, John Wiley, New York, 1978.

41. Walsh, Mary E. & - Social Problems and social Action, Prenitce Hall, Englewood Cliffs, New Jersay, 1961.

42. Young P.V. - Scientific Social Surveys snd Research, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi, 1977.

43. आहूजा राम - समाजिक समस्यायें रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1994.

44. कुमार, विनोद एवं शर्मा, एस० के० - अपराधशास्त्र एवं आपराधिक प्रशासन, कमल प्रकाश, आगरा, 1987-88.

45. खेतान, डॉ० प्रभा - स्त्री उपेक्षिता (फ्रेंच लेखिका सीमोन द बोउवार की पुस्तक "द सेकेण्ड सेक्स" का हिन्दीं रूपान्तर), हिन्द पॉकेट बुक्स, दिल्लर, 1994.

46. गुप्ता एम०एल० एवं शर्मा, डी०डी० - भारतीय सामाजिक समस्यायें, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 1999.

47. जैन मन्जू - कार्यशील महिलायें एवं सामाजिक परिवर्तन, पिन्टवैल जयपुर.

48. जैन, बी०एम० 7 सोध प्रविधि एवं क्षेत्रीय तकनीकि, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1990.

49. जैन कैलाशचन्द्र - प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक समस्यायें, म०प्र० हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1971.

50. तोमर, रामबिहारी सिंह - सामाजिक अनुसंधान, श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा, 1996-97.

51. देसाई, नीरा - भारतीय समाज में नारी, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, दिल्ली, 1982.

52. दुबे, सराला - सामाजिक ब्याधिकी और विघटन, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 19992.

53. बघेल, डी०एस० - अपराधशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 1993.

54. मदन, जी०आर० - भारतीय सामाजिक समस्यायें, विवेक प्रकाशन नई दिल्ली, 1992.

55. मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ - समाजिक शोध व संख्यिाकी, विवेक प्रकाशन दिल्ली, 1992.

56. मनु - "मनुस्मृति", बरेली, संस्कृति संस्थान, 1967.

57. महाजन एवं महाजन - समाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण एवं सांख्याकी, शिक्षा साहित्य प्रकाशन, मेरठ, 1984.

58. वर्मा परिपूर्णानन्द - अपराध के नये आयाम तथा पुलिस की समस्यायें, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1988.

59. वेदालंकार हरिदत्त - हिन्दू परिवार मीमांसा, सरस्वती सदन, दिल्ली 1973.

60. व्होरा आशारानी - नानी शोषण - आइने और आयाम, नेशनल पब्लिकेशन्स हाऊस, नई दिल्ली, 1986.

61. शर्मा कैलाशनाथ - भारतीय समाज और संस्कृति, किशोर पब्लिशिंग हाउस, कानपुर 1962.

62. सिंह, डॉ० सुरेन्द्र - सामाजिक अनुसंधान, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ, 1975.

63. त्रिवेदी, आर०एन० एवं - रिसर्च मेथॅडालॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर

Articles, Journals Published Reports, Magazines and News Papers

(समाचार पत्र, पत्रिकायें, लेख जर्नल्स एवं प्रकाशित प्रतिवेदन)

64. दैनिक स्वदेश, ग्वालियर, - दिसम्बर 4, 1994.

65. दैनिक स्वदेश, ग्वालियर, - दिसम्बर 4, 1994.

66. दैनिक पंजाब केसरी, दिल्ली - फरवरी 3, 1993.

67. दैनिक भास्कर, ग्वालियर, - अगस्त 16, 1996.

68. मनोरमा, - अगस्त 15, 1997.

69. दैनिक भास्कर, ग्वालियर, - मार्च 16, 1997.

70. दैनिक अमर उजाला, - 14 अगस्त 2006, पृष्ठ कानपुर-1, कानपुर संस्करण।

71. अनोखी मधुर गाथायें - 27, अगस्त 2006

72. अमर उजाला कानपुर - 25 जुलाई 2006.

73. अमर उजाला कानपुर - पेज-2 26 अक्टूबर 2006.

74. निरोगधाम - अंक 93, - अप्रैल 2, 1993 पृष्ठ 49-50.

75. अमर उजाला कानुपर - 27 दिसम्बर 2006, पेज-3.

76. सुरुचि, नवभारत, - दिसम्बर 4, 1996. पृष्ठ 1.

77. हिन्दुस्तान टाइम्स, - जनवरी 29, 1993

78. क्राइम इन इण्डिया, - 1995 पृष्ठ 226

79. क्राइम इन इण्डिया, - 1995 पृष्ठ 226

80. क्राइम इन इण्डिया - 2001, पृष्ठ 273.

81. "हिन्दुस्तान टाइम्स - जनवरी 27, 1993

82. अमर उजाला, कानपुर - 30 जुलाई 2007 मेन पृष्ठ

83. अमर उजाला, कानपुर - 30 जुलाई 2007 मेन पृष्ठ

84. गृहशोभा दिल्ली प्रेस - समाचार पत्र, गाजियाबाद, अंक 239 अगस्त 1999.

85. दैनिक पंजाब केशरी दिल्ली - फरवरी 3, 1993

86. दैनिक जागरण कानपुर - अगस्त 16, सितम्बर 3, 1996, मार्च 16, 1997, अक्टूबर 1999ए

87. दैनिक जागरण कानपुर - मई 26, अक्टूबर 13, 1999, जनवरी 19, फरवरी 9, 10 एवं 16, 2000.

88. दैनिक जागरण, कानपुर – दिसम्बर 4, 1994.

89. नवभारत सुरुचि, ग्वालियर, – दिसम्बर 4, 1996

90. निरोगधाम – अंक 93, अप्रैल 2, 1993, इन्दौर.

91. हिन्दुस्तान दैनिक समाचारपत्र – अक्टूबर 8, 1998.

92. माया – नवम्बर 30, 1996 एवं दिसम्बर 31, 1996.

93. मनोरमा माया प्रेस इलाहाबाद – अगस्त 15, 1997.